खण्ड-232, अंक-4
गुरूवार, 11 श्रावण, शक संवत् 1884
(2 अगस्त, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 232 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २ अगस्त, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३९५

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, श्री राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थासिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री

गणेशचन्द, श्री,
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट राम, श्री
टम्बेश्वरी प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री

नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचम दास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बैक्नराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती

यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रूकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रताप, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणन', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री

शारदानन्द, श्री
शारदाभक्त सिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम सिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, सिंचाई उप मंत्री, श्री रामनारायन पांडेय तथा लघु उद्योग उप मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

सदन की दीर्घाओं के बन्द होने तथा विधान भवन में पी० एस० सी० की बटेलियन बुलाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट के लिये कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—कहिये— ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मान्यवर, मैं आपका ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि आज गैलरीज बंद कर दी गई हैं और जब कि चीज नार्मल पर आ गई है तो अननैसेसेरिली टेंशन रखने के बजाय आप गैलरीज के पासेज दे दें और गैलरीज खोली जांय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्नों के पश्चात् मैं बात कर लूंगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा में पी० ए० सी० की बटेलियन बुलाई गई है। पता नहीं किस बात का प्रबंध करने के लिये बुलाई गई है और गैलरीज में चारों तरफ रिवाल्वर लेकर पुलिस इंसपैक्टर्स पड़े हुये हैं। पता नहीं हम कौन सी बगावत करने आये हैं? आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं इसलिये हमारी प्रार्थना है कि आप व्यवस्था कर दें अन्यथा माननीय मुख्य मंत्री जी सफाई दें कि कौन सी बगावत पैदा हो गई है जिससे पी० ए० सी० बटेलियन बुलाई गई है और सी० आई० डी० के इंसपैक्टर्स बुलाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठिये। प्रश्नों के समाप्त होने के बाद देख लूंगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या प्रश्नों के बाद आप व्यवस्था देंगे?

श्री अध्यक्ष---देख लूंगा।

श्री मुकन्दीलाल बेरिस्टर (जिला गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने दो दिन के लिये एक माननीय सदस्य को सदन से बाहर रहने का आदेश दिया था उस को आप वापस ले लें तो मैं समझता हूं कि हमारे लिये मौजू होगा। आशा है कि आप इसको स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष---माननीय मुकन्दीलाल जी, प्रश्नों के समय में दूसरा विषय न लाइये मैं अभी बातचीत कर लूंगा।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २ अगस्त, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

टाउन एरिया हसायन के चेयरमैन, श्री रामसिंह की हत्या

**१---श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिला के सिकन्दराराऊ तहसील के हसायन टाउन एरिया के अध्यक्ष की हत्या गत २६ मई, को दिन दहाड़े कर दी गई है?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)---गत २६ मई को नहीं बल्कि गत २५ मई की शाम को टाउन एरिया हसायन के चैयरमैन, श्री रामसिंह की हत्या की गई थी।

**२---श्री झारखंडेराय---क्या सरकार इस जघन्य अपराध की पूर्ण परिस्थिति पर सदन में प्रकाश डालेगी?

श्री नवलकिशोर---गत कई वर्षों से हसायन नगर में जबरदस्त पार्टीबन्दी चल रही है जिसके फलस्वरूप एक पार्टी के सदस्यों द्वारा दूसरी पार्टी के प्रमुख व्यक्तियों की हत्या कराई जा चुकी है। जुलाई, १९६१ में टाउन एरिया हसायन के चैयरमैन, श्री कृष्णमुरारी की हत्या गोली मारकर की गई थी। इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा की गई और अभियुक्तों के विरुद्ध चार्ज शीट न्यायालय भेज दी गई थी। जिस समय यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था उसी समय श्री रामसिंह को, जो कि श्री कृष्णमुरारी की पार्टी के खिलाफ थे गोली से मारा गया। इसकी जांच भी सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है।

**३---श्री झारखंडेराय---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि क्रमशः यह तीसरे अध्यक्ष की हत्या इस टाउन एरिया में की गई है?

श्री नवलकिशोर---जी हां। यह तीसरे चेयरमैन, टाउन एरिया हसायन की हत्या की घटना है।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जो बतलायेंगे कि जो सज्जन तीसरे चेयरमैन मारे गये जिसका जिक्र जबाब नम्बर तीन में किया गया है --श्री सूर्यपालसिंह के केस में क्या हुआ ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, तीसरा केस जो हुआ उसकी जांच अभी सी०आई०डी० द्वारा चल रही है ।

श्री झारखंडेराय---श्रीमन्, मैंने यह पूछा कि पहले केस में श्री सर्यपालसिंह मारे गये फिर कृष्णमुरारी और रामसिंह जी मारे गये तो पहले में जो सूर्यपालसिंह मारे गये उसमें क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---पहली हत्या के संबंध में पूछ रहे हैं ।

श्री नवलकिशोर---पहली जो हत्या हुई थी उसके संबंध में जिन आदमियों का चालान किया गया था, सेशन्स से उनका कंविक्शन हो गया था लेकिन हाई कोर्ट से वे छोड़ दिये गये ।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि श्री सूर्यपालसिंह जी जो मारे गये वे रामसिंह जी की पार्टी के थे या कृष्णमुरारी जी की पार्टी के थे ?

श्री नवलकिशोर---वह किस पार्टी के थे इसका पता तो नहीं । लेकिन जब इनकी हत्या हुई थी तो संदेह था कि कृष्णमुरारी का उसमें हाथ है ।

श्री झारखंडेराय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो लगातार तीन चेयरमैनों की हत्यायें की गईं तो इसके पीछे कोई राजनीतिक गुटबंदी है या व्यक्तिगत खानगी झगड़ा है ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, आपस की पार्टीबाजी है और खानदानी रंजिश भी चली आती है ।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब लगातार तीन अध्यक्षों की हत्यायें हुइं और न्यायालयों से लोग छूटते रहे तो स्थानीय पुलिस या सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रिवेंटिव ऐक्शन लिया गया इन हत्यायों की रोकथाम के लिये ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, यह बात तो सही नहीं है, क्योंकि अभी एक केस हुआ है जिसमें छुट गये हैं । दूसरे केस का मामला पेंडिग है, तीसरे का सी० आई० डी० द्वारा इनवेस्टीगेशन चल रहा है । जहां तक कर्मचारियों का संबंध है कर्मचारी इस संबंध में सचेत हैं और इस बात की चेष्टा करते हैं कि इस तरह के कांड वहां न होने पाएं ।

श्री झारखंडेराय---क्या मानीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि इन हत्यायों के पीछे कांग्रेस की जो आन्तरिक गुटबंदी है जिसमें एक की नुमाइन्दगी श्री मोहनलाल गौतम करते हैं और एक की नुमाइन्दगी श्री मलखानसिंह जी करते हैं, वह इसका कारण है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---मुझे इस बात की तो सूचना नहीं है कि एक का नेतृत्व श्री मलखानसिंह जी करते थे और एक का श्री गौतम जी करते थे ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तीन अध्यक्षों की अब तक हत्या हो चुकी है क्या सरकार जो आगे अध्यक्ष आयेंगे उनकी सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष---सुरक्षा का तो सब का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---क्या मानीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो पहली रिपोर्ट लिखी गयी थी, जिसमें हाई कोर्ट से अक्विटल हो गया, वह लिखित दी गयी थी या थाने में दर्ज की गयी थी ?

श्री नवलकिशोर---यह १९५४ का मामला है । इसके बारे में इतने डिटेल्स नहीं हैं ।

सूनोली के निकट कथित बम का मिलना

**४--श्री नरसिंहनारायण--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के सूनोली नामक स्थान पर १८ जून, १९६२ या उसके लगभग कोई देशी या विदेशी बम मिला था ?

**५--क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त बम गोरखपुर जिले के नई कोट थाने में जमा है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई गई ?

श्री नवलकिशोर--जी नहीं । सुनोली गांव के पास १७ जून को धातु का एक खोल अवश्य मिला था जिसके बम होने का भ्रम था । परंतु बिस्फोटक निरीक्षक की जांच से पता चला कि वह बम नहीं बल्कि मोटर का एक टूटा हुआ भाग Shock absorber है ।

श्री नरसिंहनारायण--क्या गृह मंत्री जी बतायेंगे कि वह घटना जहां पर हुई, वह भारत और नेपाल का वार्डर है, वहां पर प्रांविशल और सेंट्ल सी० आई० डी० रहती है, तथा जिलाधीश ने स्वयं मौके पर आकर, उस बम को लेकर थाने में पहुंचाया, और वहां पर प्रिजर्व करने के लिए रखा, इन लोगों के पास मोटरें हैं, तो क्या वह नहीं जान सकते थे कि वह शाक एबजार्बर है या बम है ?

श्री अध्यक्ष--आप का प्रश्न समझ में नहीं आया ।

श्री नरसिंहनारायण--माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वह शाक ऐबजार्बर था, बम नहीं था, मेरा कहना है कि जब डिट्रिस्क्ट मैस्जिट्रेट खुद मौके पर गये सेंट्ल और प्रांविशल सी० आई० डी० को साथ लेकर, उस बम को उठा कर थाने ले गये, उस समय सरकार को जो रिपोर्ट दी वह क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उनका शक बम का था । लेकिन वह चीज केमिकल एग्जामिनर के पास भेज दी गयी । उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि यह शाक ऐबजार्बर हो सकता है और कदाचित् वह शाक आबजर्बर ही था ।

श्री नरसिंहनारायण--क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जिस आदमी के पास मोटर है और जो मोटर रखता ह, वह कहता है कि यह शाक ऐबजार्बर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रिपोर्ट देता है कि यह विदेशी बम है, तो माननीय मंत्री जी फिर इस बात की जांच करवाएंगे कि वह विदेशी बम था या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--वह केमिकल एक्सपर्ट की एडवाइस है । अगर फिर इनक्वायरी करें तो फिर उन्हीं के पास जायगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जिसको कैमिकल एक्सपर्ट ने शाक ऐबजार्बर बताया और जिलाधीश ने जिसकी बम को रिपोर्ट दी, वह किस तरह और किस के पास से आया, इसका विवरण देंगे ?

श्री नवलकिशोर--इसको किसने रखा था इसकी जांच की आवश्यकता नहीं पड़ी जब पता चला कि शाक ऐबजार्बर है तब उसका आगे इनवेस्टीगेशन नहीं किया गया ।

श्री नरसिंहनारायण--माननीय मंत्री जी केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें उसने कहा है कि शाक ऐबजार्बर था ?

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, उसकी रिपोर्ट इतनी ही है कि यह जो खोल है वह शाक ऐबजार्बर है ।

लखनऊ विश्वविद्यालय में बायोलोजी ग्रुप खोलने पर विचार

६—श्री नरसिंहनारायण** तथा **श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय में साईंस कक्षा में C-4 Biology group खोलने के लिये कोई मांग की है ? यदि हां, तो क्या स्वीकृति प्रदान हुई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री केशभान)—जी हां, प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री नरसिंहनारायण—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दो रुपया दाखिले का हर विद्यार्थी से लिया गया वह इसलिये लिया जाता है कि उन लोगों को इन्टीमेट किया जाय इस बारे में कि अब जगह नहीं है अब वहां दाखिला नहीं हो सकता, लेकिन आज यूनिवर्सिटी को खुले इतने दिन हो गये अभी तक सौ लड़के बैठे हुऐ हैं उनको अभी तक कोई इन्टीमेशन क्यों नहीं दिया गया ?

श्री केशभान—प्रश्न अभी तक विचाराधीन है इसलिये अभी कोई सूचना नहीं दी जा सकी ।

श्री नरसिंहनारायण—क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सौ लड़के प्रतीक्षा में बैठे हैं उनके बारे में शिक्षा मंत्री जी क्या इन्तजाम करेंगे ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—हमारे पास तो कोई सूचना इस तरह की नहीं है कि विद्यार्थी वहां इन्तजार कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब तक यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से हमें पत्र न मिल जाय तब तक हम इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब गत वर्षों में यह सेक्शन वहां खोला जाता रहा और शिक्षार्थियों की तादाद बराबर बढ़ती जा रही है तो इस साल उनको यह सेक्शन खोलने में क्या कठिनाई रही ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बताया कि कमीशन से आज्ञा लेनी पड़ती है । जब तक उनकी अनुज्ञा न मिल जाय तब तक वह नहीं खोला जा सकता । जो कठिनाई है वह उन्होंने बतला दी ।

टिड्डियों से हानि

७—श्री झारखंडेराय**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि विगत अप्रैल, मई तथा जून में प्रदेश के किन-किन भागों में टिड्डी दल के बड़े हमले हुये हैं तथा उनमें कितनी धन की हानि हुई है ?

माल मन्त्री के सभासचिव (श्री बृजबिहारी)—प्रभावित जिलों के नाम संलग्न सूची में दिये हैं ।

अप्रैल माह में ६ जिलों में टिड्डियों का आक्रमण हुआ तथा केवल फर्रुखाबाद जिले में तरकारियों की फसल को ३,००० रुपये की अनुमानित क्षति हुई । मई तथा जून के महीने में क्रमशः २८ तथा ४४ जिले टिड्डियों के आक्रमण से प्रभावित हुये और प्राप्त सूचना के अनुसार अनुमानतः १२,७७२ रुपये तथा १,२८,७४९ रुपये की हानि हुई ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३६५ पर)

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय राजस्व मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि जिन देहातों में और जिन काश्तकारों को टिड्डियों से हानि हुई है उनको किसी प्रकार की सहायता सरकार की ओर से दी गई है ? यदि हां, तो क्या ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अभी तो टिड्डियां आती ही रही हैं, जब तक उनका दौरा खत्म न हो जाय और फाइनल नुकसान का अन्दाजा न हो जाय, तब तक मुआवजा देने का सवाल कैसे पैदा होता है ?

श्री झारखंडेराय—मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जब तक फाइनल नुकसान की रिपोर्ट न आ जाय, तो क्या यह माना जाय कि १२,७७२ और १,२८,७४९ पये की हानि की जो रिपोर्ट आई है यह फाइनल नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने तो पहले ही कहा कि यह अनुमानित है ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन टिड्डियों का जो उद्गम स्थान हैं, जहां यह अंडे बच्चे देती हैं, वहां पर इनका विनाश करने के लिये सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१२ लाख पये उसके लिये मंजूर कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष—एक बात मैं निवेदन कर दूं कि टिड्डियों के संबंध में एक स्टेटमेंट आदरणीय राजस्व मंत्री सोमवार को देंगे, तब उस संबंध में प्रश्न किये जा सकते हैं ।

श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)—माननीय माल मंत्री ने बताया कि टिड्डियों की आमद जारी है, इसलिये आमद खत्म हो जावेगी तब नुकसान का अन्दाजा किया जा सकेगा तो माननीय राजस्व मंत्री तैयार होकर इस बात का जवाब देने के लिये आये हैं कि कब तक यह आमद रहेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम एक नोटिस पर तैयार हो जाते हैं । हमको जब कोई इत्तिला आयेगी तो हम आपके सामने रख देंगे ।

श्री उग्रसेन—उन्होंने कहा कि एक वक्तव्य वह देंगे सोमवार को तो जो आंकड़े उस दिन वह देंगे वह अनुमानित होंगे या अन्तिम होंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह उस वक्त बतायेंगे । शायद तब तक ठीक मालूम हो जाय, इसलिये अभी हम उसके लिये क्या कह सकते हैं ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

गन्ना मिलों में रिकवरी

*१—**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—क्या गन्ना विकास मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि १ मई, १९६२ के बाद प्रदेश की कौन-कौन सी चीनी मिल चल रही हैं, कब तक चलने की आशा है, उनकी रिकवरी इस समय क्या आ रही हैं और इस सीजन की औसत क्या है ?

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—१ मई, १९६२ के बाद इस प्रदेश की जिन चीनी मिलों ने गन्ने की पेराई की उनकी रिकवरी का साप्ताहिक ब्योरा, सीजन की औसत रिकवरी तथा मिलों के बन्द होने की तारीख का विवरण संलग्न तालिकों† में दिया हुआ है ।

---

† छापी नहीं गयी ।

*२--श्री गेंदासिंह--१ मई, १९६२ से गन्ना के मूल्य की दर किस चीनी मिल में क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--१ मई, १९६२ के बाद से गन्ने के मूल्य की दर में रिकवरी के आधार पर जो कटौती हुई उसका मिलवार साप्ताहिक विवरण भी उपरोक्त तालिकों में दिया हुआ है ।

*३--श्री गेंदासिंह--क्या यह सही है कि मिलों ने पहले के मुकाबले में ट्रांसपोर्ट का व्यय भी अधिक लेना शुरू कर दिया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कुछ मिलों को ट्रांसपोर्ट का व्यय अधिक दिया गया है किन्तु यह व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही दिया गया है और केवल उन्हीं इलाकों में यातायात संबंधी कटौती की दर बढ़ाई गई जहां गन्ना अधिक था और उसे पेरने के लिये दूर स्थित मिलों को भेजना पड़ा ।

श्री गेंदासिंह--क्या उद्योग मंत्री का ध्यान इस ओर गया है कि किसी किसी मिल की उसी हफ्ते की रिकवरी १० फीसदी है और उसके बगल में ८, १० मील की दूरी पर किसी मिल की रिकवरी ७ फीसदी है । जैसा कि डोइवाला की रिक्वरी १०.१ फीसदी, इकबालपुर में ७.२ फीसदी, बिलारी में ७.४ फीसदी और बहेड़ी में १०.१ फीसदी तो इसका कारण क्या है ? मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो कमी बेशी हुई है इस ओर सरकार का ध्यान गया है और सरकार ने इसकी कोई जांच कराई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--इसके संबंध में तो यह है कि जो रिकवरी चीनी की होती है यह तो गन्ने की किस्म पर होती है । गन्ने में उस वक्त अगर कोई नुकसान हो चुका है जैसे कि बाज इलाकों में सरदी ज्यादा पड़ने की वजह से नुकसान हुआ तो वहां कम हुई । जहां पर रिकवरी ज्यादा है वहां पर गन्ने में कोई नुक्सान नहीं हुआ होगा । इस वजह से रिकवरी में अन्तर हो जाता है । जहां तक जांच करने का ताल्लुक है सरकार को अभी तक इसमें कोई शुबहा नहीं है कि कोई मिलवाला इसमें फर्जी रिकवरी बनाता हो । इसलिये किसी जांच करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान अपने उत्तर के उस अंश की तरफ गया है कि जो उन्होंने अभी जवाब दिया कि कुछ गन्ना खराब हो जाता है इसलिये रिकवरी कम हो जाती है और दूसरे मिलों में अच्छा गन्ना रहता है ? अब मैं बतलाऊं कि एक मिल है सिवराही देवरिया उसमें एक हफ्ते पहले ७ फीसदी की रिकवरी थी और दूसरे हफ्ते में उसकी रिकवरी ५ फीसदी हो गई । एक ही एरिया है, एक ही मिल है, एक ही गन्ना है तो यह विशेष कारण क्या था कि एक महीने के दो हफ्ते में भिन्न-भिन्न रिकवरी हो गई ? उसी मिल में पहले हफ्ते में रिकवरी ७ फीसदी है और दूसरे हफ्ते में ५ फीसदी हो गई तो इसका कारण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसका कारण मैं साफ तो नहीं बता सकता, लेकिन इसका कारण यह भी हो सकता है कि गन्ना पहले काट लिया गया हो और देर से पेरा गया हो । तो जब देर में गन्ना पिरता है तो उसकी रिकवरी कम हो जाती है । दूसरी बात यह है कि कभी-कभी मिलों की एफिशियेन्सी के ऊपर भी रिकवरी डिपेन्ड करती है । इस विषय की जानकारी माननीय गेंदासिंह जी को स्वतः है क्योंकि अभी शुगर बोर्ड की बैठक हुई थी और उस विषय में जो केन्द्रीय सरकार ने एक निर्णय लिया है । प्रदेशीय सरकारों ने जो अपना मत दिया था उस मत से उनका मत मिलता-जुलता था । उसमें यह कहा गया था कि कभी-कभी रिकवरी फैक्टरीज की एफिशियेन्सी पर भी निर्भर करती है ।

श्री नरसिंहनारायण—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आपने स्टेटमेंट दिया है कि कलां-कलां मिलों में रिकवरी १० या ९ परसेंट है, तो क्या गन्ना मंत्री महोदय ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि जिन किसानों की रिकवरी ९ परसेंट से ज्यादा है उनके गन्ने का भुगतान कर दिया जाय जो बाकी रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष—यह नया प्रश्न है । इससे उठता नहीं ।

श्री नरसिंहनारायण—यह लिंकिंग फार्मूला रिकवरी से संबंध रखता है ?

श्री अध्यक्ष—जहां तक भुगतान का प्रश्न है, माननीय गेंदासिंह जी ने नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना दी है और उस पर वक्तव्य कल या परसों आ जायगा । तो इसलिये आप भुगतान के बारे में प्रश्न न करें ।

श्री गेंदासिंह—अभी जिस सेवराही फैक्ट्री का जिक्र मैंने किया उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ कारण बतलाये । यह मैंने एक उदाहरण दिया था । रिकवरी बेसिस पर जिस दिन से गन्ने की कीमत तय हो गयी है, मैं देखता हूं कि इस फेहरिस्त में काफी कमी बेशी थोड़ी-थोड़ी दूर की मिलों में है । क्या इसकी जांच कराने के लिये कि रिकवरी सही है, वाजिब है या नहीं, सरकार कोई विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष—आपका सवाल यह है, मुख्य मंत्री जी, कि यह ठीक है कि रिकवरी कम हो जाती है, लेकिन जो दो सप्ताह में दो फीसदी कम हो गयी, उसके संबंध में क्या आप कोई जांच करायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने पहले जो उत्तर दिया था वह केवल सेवराही मिल को सामने रख कर ही उत्तर नहीं दिया गया था । मैंने तो उसूलों की बात कही थी कि जिन की बिना पर रिकवरी घट जाती है, कम हो जाती है । अब सेवराही मिल में कम क्यों हुई इस संबंध में कोई ब्योरेवार जानकारी नहीं प्राप्त की गयी है, यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं तो उसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस स्थिति में क्या वह इस बात को उचित समझते हैं कि इसकी जांच के लिये कोई कमेटी बना दी जाय जो मिलों की रिकवरी के आंकड़ों को देखे और उनके बारे में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता । उन्होंने कह दिया है कि अभी हम इस परिणाम पर नहीं पहुंचे हैं कि रिकवरी के फीगर्स गलत हैं, लेकिन चूंकि विशेष रूप से एक मिल के संबंध में शिकायत की जाती है इसलिये मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम इसकी जांच करा लेंगे । अभी आम जांच के लिये मुख्य मंत्री जी ने नहीं कहा । वे उसे ठीक नहीं समझते ।

श्री गेंदासिंह—जहां इस प्रकार की कमी बेशी हुई है उसकी रिकवरी की जांच कराने की जरूरत है यह मैंने कहा था ।

श्री दाऊदयाल खन्ना—मैं श्रीमन्, यह अर्ज कर दूं कि सेवराही मिल के मुतल्लिक जो माननीय गेंदासिंह जी ने फरमाया वह जून के महीने की बात है । तो पहले सप्ताह में रिकवरी ७ परसेंट आयी और दूसरे सप्ताह में ५ परसेंट आयी । अब गौर किया जाय कि दूसरे सप्ताह में गन्ने की क्या हालत रही होगी और उसके हिसाब से मुमकिन है कि यह कमी हुई हो ।

श्री अध्यक्ष—उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात कह दी और वह बात खत्म हो गयी । अब आप एक्सप्लेनेशन न दीजिये ।

महिला चिकित्सालय, अलीगढ़ में मेहतरानी को दण्ड

*४—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि पहली मई, १९६२, दिन मंगलवार की रात्रि में अलीगढ़ के राजकीय महिला चिकित्सालय से दो घंटे पहिले पैदा हुये नवजात शिशु को नर्सों की असावधानी के कारण कुत्ता उठा ले गया ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है तथा संबंधित व्यक्तियों को क्या दंड दिया गया ?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—पहली मई, १९६२ को नहीं परन्तु ३० अप्रैल, १९६२ को एक नवजात (मृतक) शिशु को लेबर रूम से एक कुत्ता उठा ले गया । इस घटना का विवरण इस प्रकार है :—

आपरेशन करके ४ बजकर १५ मिनट पर नवजात शिशु पैदा कराया गया जिसकी साढ़े पांच बजे मृत्यु हो गई । उसके मृतक शरीर को नर्स ने लेबर रूप में छोड़ दिया और वहां उपस्थित मेहतरानी से उसने कहा कि मृतक शरीर को उसके वारिसों को सौंप दें, परन्तु शव को हटाने में मेहतरानी से विलम्ब हुआ और इसी बीच में मेहतरानी की अनुपस्थिति के कारण एक कुत्ता उसे उठा के ले जाने लगा जिसे ले जाते हुए लोगों ने देखा और तुरन्त छुड़ा लिया और शव उसके वारिसों को दे दिया गया ।

इस लापरवाही के लिये मेहतरानी पर उसके मासिक वेतन का एक-चौथाई भाग जुर्माना किया गया ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस कुत्ते ने उस बच्चे को लेबर रूम से कितने बजे उठाया था ? क्या उसका टाइम कुछ है मंत्री जी के पास ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—टाइम तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसकी मृत्य हो गई तो वह बच्चा मेहतरानी को सौंप दिया गया था ।

श्री नरसिंहनारायण—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि लेबर रूम की जो स्टाफ नर्स इन्चार्ज होती हैं, वह क्या करती रही ? जिस समय कुत्ता उस शव को उठा कर ले गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वहां एक मरीज था या थी और उसका भी आपरेशन करना था, इसलिये उसके आपरेशन में जुट गए थे ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि लेबर रूम से जो बच्चा उठाकर ले गया उसकी जिम्मेदारी नर्स पर ज्यादा है या मेहतरानी पर ज्यादा है ?

श्री अध्यक्ष—वह वाकयात तो उन्होंने बतला दिए ।

कुंवर श्रीपालसिंह—उस बच्चे के पैदा होने में और उसके मरने में करीब २ सवा २ घंटे का समय है । तो यह बच्चा इतने समय तक लेबर रूप में क्या करता रहा ? क्यों उस बच्चे के पैदा होने के बाद उसको दूसरी जगह नहीं ले जाया गया, क्योंकि बच्चों के पैदा होने के बाद उनको दूसरी जगह ले जाया जाता है ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक इसका संबंध है कि आपरेशन के फौरन बाद जच्चा और बच्चा को दूसरे कमरे में ले जाया जाय, ऐसी बात नहीं है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस बात का ध्यान नहीं है कि सवा घंटे के बाद गया या सवा घंटे के अन्दर गया और क्यों रखा गया यदि माननीय सदस्य जानना चाहते हों तो . . . .

श्री उग्रसेन—समय देने के लिये इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय यह मेरी प्रार्थना है।

कुवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बात को दखत हुए यह सवा २ घंटे का प्रश्न शुबह की चीज पैदा करता है कि उस बच्चे को मृतक नहीं बल्कि जीवित अवस्था में कुत्ता ले गया था और उसके ले जाने की वजह से बच्चे की मृत्यु हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह बात सत्य से परे है, क्योंकि जिस मेहतरानी की चर्चा है और जिसने लापरवाही दिखाई थी उस मेहतरानी की शिकायत वहां की जो नर्स है उसने सिविल सर्जन महोदय से की थी और उसकी इन्क्वाइरी की गई। इन्क्वायरी करने के बाद सजा दी गई । यदि इस प्रकार की कोई घटना होगी तो सिविल सर्जन महोदय जानकारी प्राप्त करके अवश्य उस मेहतरानी को अधिक सजा देते ।

श्री कल्पनार्थासिंह—जब मंत्री जी को स्वयं इस बात की सूचना नहीं है कि उस लेबर रूम में एक मरीज थी या था जो पड़ा था तो इसकी सूचना उनको कैसे है कि वह बच्चा मरा हुआ था या जीवित था ?

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी ने यह कहा कि एक मेहतरानी को सजा हुई जिससे विदित है कि वहां इन्क्वायरी हुई थी और उससे यह नतीजा निकला कि यदि दोष था तो मेहतरानी का था नहीं तो और लोगों के संबंध में कार्यवाही होती । इसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछना चाहिये।

कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच किसकी शिकायत पर की गयी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नर्स ने शिकायत की सिविल सर्जन से कि इस मेहतरानी की गलती से यह हुआ, उसकी जांच की गयी और उसको सजा दी गयी ।

श्री झारखंडेराय—श्रीमन्, जहां पर लेबर रूम होता है वह जगह काफी महफूज होती है और एकान्त में होती है, फिर वहां कुत्ता कैसे पहुंच गया ?

श्री अध्यक्ष—अब वहां पर कुत्ता जाते हुये तो किसी ने देखा नहीं था जो वह उत्तर दें।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री महोदय को इस बात की सूचना है कि जब सिविल सर्जन महोदय जांच कर रहे थे तो मेहतरानी ने यह बयान दिया था कि मैं उस समय ड्यूटी पर नहीं थी और मुझको फंसाने के लिये नर्स ने यह कोशिश की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण—जो भी बयान अभी तक माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिये हैं उससे यह साबित होता है कि उनको कोई सूचना नहीं है, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को सूचना मान कर फिर से जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—किस बात को सूचना मान कर ?

श्री नरसिंहनारायण—मैं इस बात की सूचना चाहता हूं कि वह नवजात शिशु किसका था, कहां का रहने वाला था, कैसे कुत्ता उठा ले गया, इसकी कोई सूचना उनको नहीं है । तो इसको सूचना मानकर फिर क्या वे जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह कोई मुख्य प्रश्न नहीं है । प्रश्न तो केवल यह था कि किसी के बच्चा वहां हुआ, उसको कुत्ता उठा ले गया । किसका था, यह मुख्य सवाल नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, वह बच्चा इतने गरीब आदमी का था कि उसकी आवाज डाक्टर तक नहीं पहुंच सकती थी, इसलिये उसकी जांच ठिकाने से नहीं हुई ।

श्री धर्मसिंह---ऐसी बात नहीं है । अभी जो पूछा गया कि वह किसका बच्चा था, इसकी जानकारी है । वह बच्चा चन्द्रावती नाम की औरत के हुआ था । पिता का नाम ओमप्रकाश था । यह बात नहीं है कि वह इधर-उधर का बच्चा था, जैसी कि बात कही जा रही है । उसकी पूरी जांच भी हुई थी ।

श्री नरसिंहनारायण---जिसका बच्चा था उसको क्या शिकायत थी ?

श्री धर्मसिंह---उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि किसी की गलती नहीं है और हमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं है ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---मेरा एक व्यवस्था का सवाल है । श्रीमन्, यहां पर जो उत्तर दिया गया है उसमें विरोधाभास है । दो उत्तर यहां पर दिये गये हैं । एक मेहतरानी को तो दंड दिया गया है, और ऊंची तनख्वाह पाने वाली नर्स को छोड़ा गया है.....

श्री अध्यक्ष---अगर उत्तरों में विरोधाभास है तो आप यह पूछ सकते हैं कि कौन-सा उत्तर सही है ।

श्री दीपनारायणसिंह---मैं व्यवस्था चाह रहा हूं कि मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि नर्स किसी की सेवा-शुश्रूषा में थी, या था, इसके माने यह हैं कि माननीय मुख्य मन्त्री स्वयं वहां उपस्थित नहीं थे इसीलिये ऐसी सूचना है । फिर जिसका लड़का था उसने कहा कि किसी का कसूर नहीं था तो उसका स्टेटमेंट सही है, उसके माने यह हैं कि उसको न मानकर सजा दी गयी, तो किस आधार पर उस मेहतरानी को सजा दी गयी ?

श्री अध्यक्ष---अच्छा, आप बैठ जाइये ।

रिहन्द बांध की डूब में आये हुए ग्राम बीजपुर के घरों का मुआवजा न मिलना

*५---**श्री रामप्यारे** (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द बांध के कारण ग्राम बीजपुर (करी), जिला मिर्जापुर के १२ आदिवासियों के घर तथा भूमि डूब में आ गये और उनके कई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आये, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला ? यदि हां, तो क्यों ?

विद्युत उपमन्त्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)---ग्राम बीजपुर का कुछ भाग पिछले साल डूब में आ गया था । सम्पूर्ण प्रतिकर में से केवल १,२१० रुपया देना बाकी है जिसको देने की व्यवस्था की जा रही है ।

*६---**श्री रामप्यारे**---क्या सरकार उन परिवारों को तत्काल मुआवजा देने की व्यवस्था कर उनके पुनर्वासन का प्रबन्ध करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---जी हां ।

श्री रामप्यारे---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो १,२१० रुपया मुआवजा दिया गया है वह किन-किन चीजों का दिया गया है---उन में मकान भी शामिल हैं या केवल भूमि है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---वह ३,८६९ रुपया था मुआवजा, जिसमें से २,६५९ रुपया दे दिया गया और १,२१० रुपया देना बाकी है ।

श्री रामप्यारे—मेरा मतलब यह है कि जो मुआवजा दिया गया उसमें घरों का भी दिया गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—वह मुआवजा मेरे पास लिखा हुआ है, अलग-अलग तो नहीं है, लेकिन जमीन उनको दे दी गयी है।

श्री रामप्यारे—जब उनको कोई सूचना नहीं थी कि उनकी जमीन डूब में आ जायगी और वह खेती करने के लिये तैयार थे, लेकिन यकायक डूब में आ जाने के कारण कृषि नहीं कर सके, क्या सरकार यह सोच रही है कि जो कृषि न करने से हानि हुई है उसकी वह जिम्मेदारी ले ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—असल में इस गांव में ऐसा था कि वह गांव का ऐसा हिस्सा था जो साधारणतया नहीं समझा जाता था कि डूब में आ जायगा, कुछ थोड़ी सी गलती रह गयी थी सर्वेक्षण करने में। अचानक पानी आ जाने के कारण ऐसा हुआ। जब उन्होंने दरख्वास्त दी कि मुआवजा दे दिया जाय तो उनको वहां से हटाकर रहने का प्रबन्ध कर दिया गया, जमीन दे दी गयी और ज्यादा हिस्से का मुआवजा दे दिया गया, कुछ हिस्से के लिये कागजात तैयार हैं और उम्मीद है कि वह भी जल्दी दे दिया जायगा।

कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या यह सत्य है कि उसी बांध की डूब के अन्दर आने वाली जमीन जो मध्य प्रदेश के भीतर है उसका मुआवजा २,५०० रुपया एकड़ दिया गया है और जो अपने प्रदेश के भीतर है उसका २५ रुपया एकड़ दिया गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—बात ऐसी नहीं है।

श्री गेंदासिंह—जब बात ऐसी नहीं है तो माननीय बिजली मन्त्री जी बतायेंगे कि बात कैसी है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जो मुआवजा हमने दिया है उसी के आधार पर इस सदन में कई बार बताया जा चुका है। अगर आप चाहेंगे तो डिटेल बता दूंगा। जमीन के बदले में हम यह करते हैं कि ६, सवा छः एकड़ जमीन देते हैं या २/३ जमीन का हिस्सा देते हैं, जो कम हो। ऐसे ही मध्य प्रदेश की बात रही है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो मुआवजा आपने दिया है और जो मुआवजा मध्य प्रदेश ने दिया है उसमें अन्तर है या नहीं है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—हमारे और उनके यहां अन्तर है, अलग-अलग नियम हैं, इसलिये अलग-अलग दिया जाता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—क्या माननीय बिजली मन्त्री जी बतायेंगे कि अगर अन्तर है तो कितना अन्तर है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—इस समय मेरे पास डिटेल नहीं हैं।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि रिहन्द बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले हजारों किसानों की जमीन जो डूब गई उस सम्बन्ध में ग्रामवासी जी ने भूख-हड़ताल की और उसके सिलसिले में सरकार ने सारी मांगों को पूरा करने का वादा किया, लेकिन इस समय तक वादा पूरा नहीं हुआ, उसका क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—इसकी जानकारी मुझे इस समय नहीं है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस ग्राम के सम्बन्ध में मुआवजा की बात चल रही है उसको, जब डूब क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया तब, बाहर रखा गया और उसमें पानी आ गया तो क्या सरकार तैयार है कि वहां पर जो कृषि, मकान या अन्य चीजों को क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—वह तो हम करने जा ही रहे हैं और बहुत-सी क्षतिपूर्ति कर दी है।

श्री ऊदल (जिला देवरिया)—मन्त्री जी ने कहा कि सर्वे में गलती हो गई तो मैं जानना चाहता हूं कि पहला सर्वे ४६ ग्रामों का था और बाद में डूब क्षेत्र में १०८ गांव आये, तो जिन्होंने गलत सर्वे किया उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—वह गांव तो पहले आ ही गया था, उसका एक छोटा सा हिस्सा ऐसा था जो सर्वे में नहीं आया था और जब उसमें भी पानी आ गया तो पता चला कि गलती हो गई । तो गलती तो साधारण मनुष्यों से हो ही जाया करती है।

श्री गेंदासिंह—ऐसा मालूम होता है कि माननीय बिजली मन्त्री जी को पूरी जानकारी नहीं है तो क्या वे पूरी जानकारी कराकर सदन को बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—किस विषय की जानकारी ?

श्री गेंदासिंह—इस बात की जानकारी कि कितने हजार लोग उस डूबे क्षेत्र में हैं जो आज भी बेघर बार के हैं और जिनको मुआवजा नहीं मिला है।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—अगर ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर ज र दूंगा।

श्री गेंदासिंह—मैंने यह कहा था कि ग्रामवासी जी से सरकार ने वादा किया था। यह कई हजार लोगों का मामला है, हमारे दो लाइन लिखने से यह मामला ज्यादा महत्व रखता है, सरकार उनकी रोजी की व्यवस्था करे । तो क्या सरकार दो, चार, छः दिन में जानकारी करके बतलाने की कृपा करेगी कि वहां के क्या हालात हैं ?

श्री अध्यक्ष—रामप्यारे जी का जो प्रश्न था वह कुछ अधिवासियों के सम्बन्ध में था। मन्त्री जी ने यह कहा कि अगर आप व्यापक प्रश्न पूछते तो वह आपके सामने सारी जानकारी रख देते।

श्री झारखंडेराय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि मध्य प्रदेश के किसानों को जो मुआवजा दिया गया है वह मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है या हमारे प्रदेश की सरकार ने दिया है और यदि यहां की सरकार द्वारा दिया गया है तो एक ही सरकार द्वारा दिये गये मुआवजे में अन्तर क्यों है ?

नियोजन मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—मध्य प्रदेश के किसानों के मुआवजे का निर्धारण वहां की सरकार ने किया और यहां का निर्धारण इस सरकार ने किया, लेकिन रुपया इसी सरकार को देना पड़ा।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में एक महुवा के पेड़ का मुआविजा २५–३० रुपया दिया जाता है जबकि मध्य प्रदेश की सरकार को आपके द्वारा जो मुआविजा दिया गया वह ३००–३५० रुपया फी पेड़ दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—यह नियम की बात है।

कुंवर श्रीपालसिंह---इस बात को देखते हुए कि इस मुआवजे के प्रश्न को लेकर इस सदन के सदस्यों के हृदय में एक शंका उत्पन्न हुई है, जोकि बिलकुल सत्य है तो क्या मन्त्री जी किसी दिन यह वक्तव्य देंगे कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुआवजे में कितना अन्तर है और वह अन्तर क्यों है ?

श्री अध्यक्ष---यह नियमों के ऊपर आश्रित है। वहां के और यहां के नियमों में क्या अन्तर है, यह हमें देख लेना चाहिये। अभी दो दिन हुए जब गेंदासिंह जी के सवाल के उत्तर में बतलाया गया था कि नियमों के कारण यह मुआवजा देने में अन्तर है अगर हमारे नियम ऐसे हैं जिनके कारण हम अधिक नहीं दे सकते तो नियमों मे परिवर्तन होना चाहिये, वरना कोई भी मदद नहीं कर सकता।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---कहिये।

श्री गेंदासिंह---मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अध्यक्ष के कहने पर प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया जा सकता है या नहीं। जो आपने अभी रूलिंग दी....

श्री अध्यक्ष---वह रूलिंग की तरह से नहीं है।

श्री गेंदासिंह---मैं यह कहना चाहता हूं कि हम आपसे फैसला नहीं चाहते हैं कि क्या जवाब आना चाहिये। हम केवल यह जानकारी चाहते हैं कि जब एक ही सरकार ने, हमारी सरकार ने, मुआवजे की अदायगी की है तो दोनों में क्या अन्तर है। इसे आपको यह कह कर नहीं टालना चाहिये कि नियम की बात है।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---मध्य प्रदेश की जमीन का मुआवजा उनके नियमों के मुताबिक दिया गया और हमारे प्रान्त की जमीन का हमारे नियमों से दिया गया।

श्री अध्यक्ष---केवल प्रश्न इतना है कि क्या आप जानते हैं कि आपके और मध्य प्रदेश के रेट्स में क्या अन्तर हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---कहिये।

श्री नेकराम शर्मा---मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या माननीय अध्यक्ष को अधिकार है कि सरकार की ओर से फाइल देखकर या सरकार को जो जवाब देना है वह अध्यक्ष स्वयं दें या सरकार को जवाब देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---देखिये, मुझे अधिकार है कि मैं सदन की कार्यवाही रेग्यूलेट करूं। अगर मैं समझता हूं कि उत्तर नहीं आ रहा है जो आना चाहिये तो मैं सरकार को रोकूंगा। हमारा नियम है कि मूल प्रश्न के उत्तर से जो अनुपूरक प्रश्न पैदा होंगे वही पूछे जावेंगे।

श्री यादवेन्द्रदत्त---अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा महत्व का और गम्भीर है और यह भी सत्य है कि दोनों के मुआवजों में बड़ा भारी अन्तर है। यह भी सत्य है कि मन्त्री जी के पास जानकारी इस समय नहीं है। तो मैं श्रीमन् से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित कर दें और किसी भी दिन मन्त्री जी पूरी बातों को स्पष्ट करने के लिये तैयार होकर आवें।

श्री अध्यक्ष---रेट्स के बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं दी है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---जब पूछी जायगी तो दी जायगी।

कुंवर श्रीपाल सिंह---वह नहीं देंगे ।

श्री अध्यक्ष---नहीं देंगे तो मैं दिला लूंगा।

श्री चन्द्रजीत---क्या मध्य प्रदेश की सरकार से, ज्यादा मुआवजे के बारे में, हमारी सरकार नसीहत लेगी और नियमों में परिवर्तन करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अध्यक्ष महोदय, मैंने उनके नियमों का अध्ययन तो नहीं किया है, लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में हलवाई की दूकान और दादा जी का फातिहा वाली मस्ल चरितार्थ हुई है। हमको जमीन लेनी थी और उसके बिना हमारी योजना चल नहीं सकती थी। जो उन्होंने कहा वह देना पड़ा।

टिसुआ स्टेशन पर डकैती

*७---**श्री जगदीशशरण अग्रवाल** (जिला बरेली) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को विदित है कि ३० अप्रैल की रात में बरेली जिले की टिसुआ स्टेशन पर सशस्त्र डाकुओं के गिरोह ने स्टेशन पर हमला किया, वहां का कैश लूटा और रेलवे अधिकारियों एवं यात्रियों को भी लूटा जिससे भारी आतंक फैला हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---३०-४-६२ को नहीं बल्कि २८-२९ अप्रैल की रात्रि में एक ऐसी घटना हुई थी। आतंक फैलने की कोई सूचना नहीं है ।

*८---**श्री जगदीशशरण अग्रवाल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार को पता है कि आजकल लखनऊ से बरेली तक रेल में अक्सर चोरी की वारदातें हो रही हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अक्सर तो नहीं पर कभी-कभी ऐसी सूचना प्राप्त होती है।

*९---**श्री जगदीशशरण अग्रवाल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि इस विषय में जनता की सुरक्षा और विश्वास के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---स्थानीय पुलिस अपराधियों के गुटों को नष्ट करने के लिये प्रयत्नशील है। सरकारी रेलवे पुलिस के वर्दीधारी एवं सादे वस्त्र धारण किये सिपाही रात को गाड़ियों पर सुरक्षा हेतु नियुक्त किये जाते हैं। साथ ही सब-इन्स्पेक्टर भी ट्रेनों पर दौरा करते हैं।

रामगढ़ में दो व्यक्तियों की कथित हत्या

*१०---**श्री रामसुन्दर पाण्डेय** (जिला आजमगढ़)---क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर थाना सदना के अन्तर्गत ग्राम रामगढ़ में १९६१ में दो निरपराध व्यक्तियों को कत्ल किया गया और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नवलकिशोर---ग्राम रामगढ़, जिला सीतापुर में सन् १९६१ में २ व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में थाना सदना में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। दोनों मामलों में पूर्ण जांच की गई जिसके परिणामस्वरूप एक मामला हत्या का व दूसरा आत्म हत्या का पाया गया।

हत्या के मामले में कोई साक्ष्य नहीं था साथ ही शव परीक्षा तथा रासायनिक परीक्षा से भी मृत्यु का सही कारण पता नहीं चला अतः जांच समाप्त कर अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई।

श्री रामसुन्द पाण्डेय---क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि थाना रजिस्टर में रिपोर्ट किनके द्वारा कराई गई थी ?

श्री नवलकशोर—गांव के चौकीदार ने लिखाई थी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—उसने क्या कहा था ?

श्री नवलकिशोर—यह कि गन्ने के खेत में एक स्त्री का शव पड़ा है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—इन दोनों घटनाओं की जांच किस अफसर ने की ?

श्री नवलकिशोर—थानाध्यक्ष ने जांच की और सर्किल इन्स्पेक्टर भी मौके पर गये।

देवरिया जिले में पूरा गन्ना न पेरे जाने की शिकायत

*११—**श्री कैलाश** (जिला देवरिया), **श्री रामायणराय** (जिला देवरिया) तथा **श्री केसरी प्रसाद** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि प्रदेश में इस वर्ष अब तक कितनी चीनी मिलें चालू हैं और कितनी बन्द हो चुकी हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—प्राप्त सूचनानुसार इस समय प्रदेश की समस्त चीनी मिलें वर्तमान सीजन (१९६१-६२) की पेराई समाप्त करके बन्द हो चुकी हैं।

*१२—**श्री कैलाश, श्री रामायणराय** तथा **श्री केसरीप्रसाद**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले की कौन-कौन सी मिलें बन्द हो गईं और कौन-कौन चालू हैं और कुल कितना गन्ना पेराई के लिये बाकी है तथा उसके जल्द पेराई के लिये क्या व्यवस्था है एवं बाकी मिलों के कब तक चालू रहने की सम्भावना है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—देवरिया जिले की समस्त १४ चीनी मिलें अपने-अपने क्षेत्रों का सम्पूर्ण गन्ना पेरकर अब बन्द हो गई हैं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री केसरी प्रसाद—इन प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं मिले हैं यद्यपि मैं क्लर्क महोदय के पास भी गया। आज ही मेरा प्रश्न ५४ है, उसका उत्तर भी नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—माननीय कैलाश जी मौजूद हैं, उनको मिल गये हैं।

श्री उग्रसेन—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि उत्तर न मिलने पर वह प्रश्न कैसे करें तीनों सदस्यों को उत्तर मिलने चाहिये।

श्री अध्यक्ष—इसमें तीन नाम हैं। माननीय कैलाश को मिल गये हैं। हो सकता है कि हमारे कार्यालय की गलती हो। मैं पूछूंगा।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय उद्योग मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि यही उत्तर पाने के लिये यह सवाल किया गया था ? कृपा करके यह बतलाया जाय कि यह प्रश्न कब किया गया था और उत्तर देने में इतना विलम्ब क्यों हुआ ?

श्री अध्यक्ष—श्री गेंदा सिंह जी यह प्रश्न १८ मई, सन् १९६२ को किये गये थे और गवर्नमेंट को भेजे गये थे। उनको उसके उत्तर के लिये १५ दिन मिलते हैं। दूसरी या तीसरी जून को उसका उत्तर आ सकता था, लेकिन ४ जून को उसके बाद असेम्बली उठ गयी।

श्री गेंदासिंह—१५ दिन के बाद असेम्बली का सेशन जब चल रहा था तो उसके उत्तर इस सदन में दे देना चाहिये था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—सवाल के जवाब के लिये जो तारीख मुकर्रर की गयी थी, उसी तारीख पर जवाब दिया जाता।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि सवाल की तारीख तो मुकर्रर की गयी थी, लेकिन सरकार द्वारा उसका उत्तर उस दिन नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष---जो हमारी सूची है उससे तो यह विदित नहीं होता कि यह प्रश्न कभी स्थगित हुआ है।

श्री गेंदासिंह---ठीक है, श्रीमन्, तो यह आपकी गलती है, मैं बैठता हूं।

श्री अध्यक्ष---१५ दिन में उत्तर आना चाहिये, लेकिन अगर उस दिन सम्बन्धित मन्त्री महोदय के विभाग का दिन नहीं होता है तो २० दिन तक उत्तर आता है। लेकिन उस समय हमारी असेम्बली बन्द हो गयी थी।

श्री केसरीप्रसाद---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर जिस समय आया हो गया था उस समय कितनी पिराई हो चुकी थी और कितना गन्ना पिराई के लिये बाकी था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---जो लिस्ट दी हुई है उसमें सब तफसील दी गयी है कि कितना गन्ना पिरा और कौन-कौन सी मिल कब-कब बन्द हुई।

श्री केसरीप्रसाद---मेरे पास कोई तफसील नहीं है। क्या मन्त्री महोदय उसको मेरे पास भेजने का कष्ट करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---आप मेरे पास उसको देख लीजिये।

श्री नरसिंहनारायण---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि देवरिया, सिवरही, बेतालपुर और गौरी बाजार मिलों के बन्द हो जाने के बाद उस क्षेत्र के किसानों ने जिलाधीश, केन कमिश्नर और गन्ना मन्त्री के पास दरख्वास्तें भेजी थीं कि हमारे यहां लाखों मन गन्ना बिना पेरा हुआ पड़ा है और जलाने की स्थिति में है ? उसका सरकार ने क्या प्रबन्ध किया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---जो चीज माननीय सदस्य ने फरमाई वह बिलकुल सत्य नहीं है कि कोई गन्ना जलाने की स्थिति पैदा हो गयी हो। सारा गन्ना पेरने के बाद ही मिलें बन्द हुई हैं।

श्री केसरीप्रसाद---क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि आज भी पडरौना तहसील में बहुत सा गन्ना बिना पेरा हुआ खड़ा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री नरसिंह नारायण---क्या गन्ना मन्त्री जी बतलायेंगे कि जब गन्ने का सीजन शुरू हुआ और जब मिलें बन्द हुई उस समय में कुल कितनी पेराई हुई, केन डेवलपमेंट की रिपोर्ट क्या गो और मिलों ने अलग-अलग कितने का सट्टा किया था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---यह तो डिटेल की बात है, जिस मिल के सम्बन्ध में माननीय सदस्य कहेंगे बता दूंगा, उसका वे नोटिस दे दें।

श्री कल्पनार्थसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इस बात को सूचना मानकर कि आज भी पडरौना तहसील के खेतों में गन्ना खड़ा हुआ है, इस बारे में वे जांच करायेंगे कि वह है भी या नहीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---अगर मुझे लिखित नोटिस दिया जायगा कि किस किस तहसील में गन्ना खड़ा हुआ है या किस इलाके में तो मैं जांच करा लूंगा।

नोट---तारांकित प्रश्न १२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

मनपुरी जिले में हिंसक जानवरों को मारने की व्यवस्था

*१३--श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी में कितनी तहसीलों में जंगली जानवरों का आतंक फैला हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस जिले की तहसील शिकोहाबाद के रपड़ी क्षेत्र में तथा तहसील करहल के महगांव ग्राम में जंगली जानवरों (बघरें) के आतंक की कुछ सूचनायें गत जुलाई के शुरू में जिलाधीश को प्राप्त हुई थीं।

*१४---श्री रामसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त जानवरों ने जिला मैनपुरी को किस-किस तहसील में कितने बच्चे खाये हैं, उनकी क्या संख्या है तथा उसके मारने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---तहसील करहल में जंगली जानवरों द्वारा ३ बच्चे उठाये गये, एक बच्चा घायल किया गया तथा एक वयस्क महिला पर आक्रमण हुआ।

जिले की पुलिस ने जंगली जानवरों को नष्ट करने के लिये सहयोग दिया। शिकारियों को भी जंगली जानवरों को मारने के लिये उत्साहित किया गया। पुलिस तथा लाइसेन्स दारों की सहायता से दो जानवर मारे भी जा चुके हैं।

एक विज्ञप्ति भी, इस आशय की कि हिंसक जानवरों को मारने वालों को इनाम दिया जावेगा, प्रसारित की गई।

*१५---श्री रामसिंह---क्या जानवरों को मारने के लिये कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जिले के सभी शिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें जिला अधिकारियों ने भी भाग लिया था। सब के परामर्श से इस सम्बन्ध में जिलाधीश द्वारा कार्यवाही हो रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जिलों में नर भक्षी पशुओं को मारने के लिये इनाम की दरें सरकार द्वारा बहुत पहले से ही निर्धारित हो चुकी हैं।

आजमपुर में पीर इश्तियाक शाह का कत्ल

*१६---श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---क्या गृह मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि २७ जनवरी, १९६२ को ग्राम आजमपुर, तहसील हसनपुर, थाना बछरावां, जिला मुरादाबाद में पीर इश्तियाक शाह को घर से बुलाकर दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया ? इस सम्बन्ध में अब तक कितने आदमी गिरफ्तार किये गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां। ५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे इनमें से ४ का धारा ३०२, ३९४, १२० बी-३४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत चालान हो चुका है पांचवे व्यक्ति के विरुद्ध यथेष्ट प्रमाण नहीं मिला, अतः वह धारा १६९ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत रिहा कर दिया गया।

*१७---श्री शराफत हुसैन रिजवी---क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या इस कत्ल के पीछे राजनीतिक कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं।

*१८---श्री शराफत हुसैन रिजवी---क्या यह सत्य है कि इस क्षेत्र में हर समय भय का वातावरण बना रहता है और लोग दिन दहाड़े कत्ल कर दिये जाते हैं ? क्या थाना इंचार्ज के खिलाफ कोई दरख्वास्त मन्त्री जी को मिली है कि वे उस क्षेत्र के कातिलों और डाकुओं की सरपरस्ती करते हैं और इसी कारण उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। थाना इंचार्ज के विरुद्ध शासन को कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

कानपुर में कथित सुभाष कुमारी की गिरफ्तारी

*१९—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि गत मई, १९६२ महीने में कानपुर नगर में कोई सुभाष कुमारी नाम की लड़की पकड़ी गई है जिसने अपने बयान में किसी अन्तर प्रान्तीय लड़की भगाने तथा बेचने वाले गिरोह का जिक्र किया है? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है, तथा सरकार उक्त गिरोह के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२०—श्री रामकिशोर (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के कई बिजली घर कोयले के अभाव में बन्द हो जाने की स्थिति में हैं? यदि हां, तो वह कौन-कौन से विद्युत-घर हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

सोहावल विद्युत् घर

*२१—श्री रामकिशोर—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि सोहावल विद्युत घर से सम्बन्धित ४०० नलकूप, कल कारखाने बिजली के अभाव में बन्द हैं? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय सोहावल विद्युत् घर से सम्बन्धित कोई भी नलकूप या पम्प बिजली के अभाव के कारण बन्द नहीं है।

खतौली में श्री श्यामसिंह द्वारा भूख हड़ताल

*२२—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खतौली, जिला मुजफ्फरनगर में श्री श्यामसिंह की भूख हड़ताल कब से चल रही है, क्यों चल रही है और उनकी अब क्या हालत है और सरकार इस विषय में क्या कर रही है?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—श्री श्यामसिंह ने १३-५-६२ को भूख हड़ताल प्रारम्भ की थी। तत्पश्चात् कुछ अन्य व्यक्तियों ने भी भूख हड़ताल की थी जो १८ जुलाई, १९६२ को समाप्त हो गयी।

*२३—श्री होरीलाल यादव—क्या यह सही है कि यह भूख हड़ताल मजदूरों की कुछ मांगों की नोटिस देने के बाद में हुई है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां।

कानपुर उद्योग विभाग के कर्मचारी श्री रामअवध दुबे की भूख हड़ताल

*२४—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि कानपुर उद्योग विभाग के एक कर्मचारी श्री रामअवध गत कई दिनों से कार्यालय के सामने भूख हड़ताल कर रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)—श्री रामअवध दुबे ने उद्योग विभाग कार्यालय के सामने मई, २२, १९६२ से २५ मई, सन् १९६२ तक भूख हड़ताल की थी। यह भूख हड़ताल २५ मई, सन् १९६२ को दोपहर से उन्होंने स्वयं समाप्त कर दी।

*२५—श्री हिम्मतसिंह—यदि हां, तो क्या सरकार उनकी मांगों को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी तथा बतायेगी कि इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री फूलसिंह—श्री रामअवध ने यह मांग की थी कि उनको पुनः नियुक्त किया जाय। उनकी इस मांग की छानबीन की गई जिससे पता लगा कि उनको नौकरी से निकाला जाना असंगत नहीं था। इसके अतिरिक्त श्री रामअवध ने अपनी मांगों को पूरा कराने के लिये अवैधानिक ढंग अपनाया। इस सम्बन्ध में श्रम आयुक्त के कार्यालय से यह भी विदित हुआ है कि श्री दुबे ने मई १६, १९६२ से मई २१, १९६२ तक उपरोक्त कार्यालय में चपरासी के पद पर कार्य करने के बाद, उद्योग निदेशालय में भूख-हड़ताल करने के लिये, मई २१, १९६२ को अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया था। अतः अब उनकी मांग पर कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

दहगवां चिकित्सालय में डाक्टर का अभाव

*२६—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार को ज्ञात है कि उसने १३ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७१ के उत्तर में बताया था कि दहगवां (बदायूं) के सरकारी अस्पताल में जून, १९५८ से डाक्टर नहीं है और पुनः १७ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १४० के उत्तर में बताया है कि उक्त डिस्पेन्सरी में २ अप्रैल, १९५९ से डाक्टर नहीं है और जैसे ही डाक्टर प्राप्त होंगे भेजे जायेंगे? तो, ये डाक्टर कब तक और कैसे उपलब्ध होंगे और अब तक उपलब्ध न होने का कारण क्या है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, यह सत्य है कि दहगवां चिकित्सालय में जून, १९५८ से कोई डाक्टर नहीं था। ९ फरवरी, १९५९ से वहां पर एक डाक्टर की नियुक्ति की गई किन्तु विशेष परिस्थितियोंवश उस डाक्टर का दिनांक २ अप्रैल, १९५९ को स्थानान्तरण कर दिया गया। तबसे उक्त चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी का पद डाक्टरों की कमी के कारण रिक्त रहा। अब एक डाक्टर की नियुक्ति के आदेश दे दिये गये हैं। आशा है कि शीघ्र ही उक्त चिकित्सालय में डाक्टर पहुंच जायगा।

सरकार डाक्टरों की कमी से सम्बन्धित समस्या की ओर विशेष रूप से ध्यान दे रही है और उसने इस हेतु एक उच्चस्तरीय समिति (High powered committee) की भी नियुक्ति कर दी है जो इस कमी के कारणों की सम्पूर्ण जांच करेगी तथा ऐसे निर्णय लेगी जिनसे इस समस्या का निवारण सम्भव हो सके।

न्यूली शूगर फैक्टरी नगरिया के विरुद्ध मुकदमें

*२७—श्री यादवेन्द्रदत्त, श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) तथा श्री गंगाप्रसाद (जिला एटा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि न्यूली शुगर फैक्टरी नगरिया, जिला एटा के विरुद्ध १९५५ से अब तक फैक्टरी ऐक्ट तथा लेबर ऐक्ट के कितने मुकदमें चलाये गये और उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—फैक्ट्री ऐक्ट के अन्तर्गत १ और पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत ८ मुकदमें चलाए गए। इनमें अभी तक अदालत का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है।

मुख्य मन्त्री के वैयक्तिक सहायक की पुर्नियुक्ति

*२८—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बतायेगी कि मुख्य मंत्री के वैयक्तिक सहायक पद के लिये ऐसे लोग भी नियुक्त किये गये हैं जो रिटायरमेंट की अवस्था को पार कर चुके हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। मुख्य मंत्री के वैयक्तिक सहायक को कार्य के हित में पुर्नियुक्त किया गया है।

*२९—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—क्या सरकार की यह घोषित नीति है कि Technical personnel को छोड़ कर बाकी सभी सरकारी नौकरों को ५५ वर्ष पर रिटायर कर दिया जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

केसा के कर्मचारियों की ब्वायलर एलाउन्स के लिए मांग

*३०—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "केसा" कानपुर के कर्मचारी (टेक्निकल और नान-टेक्निकल) सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा औद्योगिक श्रम शासन के अन्तर्गत किस वर्ग में आते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केसा के कर्मचारी "औद्योगिक कर्मचारी" वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। जो कर्मचारी इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट (Industrial Disputes Act) में दी गई "workman" की परिभाषा में नहीं आते हैं वे या तो सरकारी अथवा राज्य विद्युत् परिषद् के कर्मचारी हैं।

*३१—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्य समकक्ष प्रतिष्ठान २५ रुपये से लेकर ३५ रुपये प्रतिमास ब्वायलर एलाउन्स दे रहे हैं ? सरकारी प्रतिष्ठान 'केसा' के द्वारा ब्वायलरों पर कार्य करने वालों को इस लाभ से वंचित क्यों रखा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केसा के कर्मचारियों द्वारा ब्वायलर एलाउन्स की मांग का मामला राज्य विद्युत् परिषद् के विचाराधीन है।

*३२—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३ के निम्बकर एवार्ड की अवधि समाप्त हो गई है तो 'केसा' के कर्मचारियों के वेतन क्यों नहीं बदले गये बल्कि 'केसा' का लाभ ९८ लाख से लेकर २५० लाख रुपये प्रतिवर्ष तक हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९५३ में कोई निम्बकर एवार्ड नहीं हुआ। निम्बकर कमेटी ने अपनी सिफारिशें सन् १९४८ में दी थीं और उनके लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं थी। मार्टिन बर्न कम्पनी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बिजली प्रतिष्ठानों के लिये निश्चित किये हुये निम्बकर कमेटी के वेतन क्रम केसा के वर्कर्स को १-३-४८ से लागू किये गये थे।

कानपुर में स्टील एलोय फैक्टरी खोलने की योजना

*३३—श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि कानपुर में स्टील एलोय की फैक्टरी खुलने वाली है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त— जी हां। सर्वश्री एस० पी० आइरन एण्ड स्टील कम्पनी, कानपुर तथा सर्वश्री गंगाधर बैजनाथ, कानपुर को कानपुर में स्टील एलोय की फैक्टरी स्थापित करने के लिये भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त हो चुका है और वे इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ?

*३४—श्रीमती सुशीला रोहतगी—क्या सरकार इस २० करोड़ की लागत की फैक्टरी को कानपुर ऐसे औद्योगिक नगर में रखने के लिये कोई कदम उठाने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त दोनों फैक्टरियों की अनुमानित लागत क्रमशः १२ लाख एवं १७५ लाख होगी और ये कानपुर में ही स्थापित की जा रही हैं।

*३५—श्रीमती सुशीला रोहतगी—क्या सरकार बतायेगी कि वह क्या कदम इस दिशा में उठा रही है कि इतनी बड़ी फैक्टरी अपने प्रदेश से बाहर जाकर अन्य और किसी प्रदेश में नहीं खोली जाये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

अहरौरा अस्पताल

*१—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अहरौरा, जिला मिर्जापुर के अस्पताल में ८ माह से कोई डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—अहरौरा अस्पताल, जिला मिर्जापुर में ९, मार्च १९६२ से डाक्टर नियुक्त हो चुका और २८, अप्रैल १९६२ को डाक्टर ने चार्ज ले लिया है।

पिंडरा अस्पताल पर व्यय

*२—श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि पिंडरा अस्पताल, वाराणसी में मरीजों की संख्या को देखते हुये जगह कम है ? क्या उसके विस्तार पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने पिंडरा अस्पताल को प्राइमरी हैल्थ यूनिट के अन्तर्गत ले लिया है। अस्पताल के भवन की मरम्मत और सुधार में ७,००० रु० व्यय किया जा चुका है।

*३—श्री ऊदल—क्या सरकार पिंडरा अस्पताल के पास पानी पीने के लिये एक कुआं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। उचित धनराशि की व्यवस्था हो जाने पर नियोजन विभाग द्वारा कुआं बनवाने का प्रबन्ध किया जायगा।

आजमगढ़ जिला परिषद् के अध्यापकों को जनगणना भत्ता न मिलना

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में जनगणना करने वाले अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों को अब तक भत्ता न दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आजमगढ़ जिले में जनगणना करने वाले अन्तरिम जिला परिषद् के केवल उन्हीं अध्यापकों को भत्ता (honorarium) नहीं दिया जा सका है जो काफी प्रतीक्षा और प्रयास के बावजूद भी जनगणना का हिसाब अन्तिम रूप से बन्द होने के पहले अपने भत्ते का भुगतान न ले सकें।

शासन के अनुरोध पर Superintendent of Census Operation, Uttar Pradesh ने गत जुलाई, १९६२ में जिलाधीश आजमगढ़ को यह आदेश दिया है कि अध्यापकों को, उनके verified claims के प्राप्त होने पर, शीघ्र भत्ते का भुगतान करें। आशा की जाती है इस विषय म आवश्यक कार्यवाही होकर अध्यापकों को भत्ते का भुगतान शीघ्र हो जायगा।

विलीन काशी राज्य के अस्थाया कर्मचारी

*५--श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)--क्या सरकार को ज्ञात है कि विलीन काशी राज्य के जो कर्मचारी उत्तर प्रदेशीय सरकार में काम कर रहे हैं उनकी सर्विस ज दस पन्द्रह वर्ष होने पर भी स्थायी नहीं किये गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां ।

*६--श्री गया प्रसाद--क्या सरकार विलीन काशी राज्य के उन पुराने कर्मचारियों की संख्या बताने की कृपा करेंगी जो अब तक स्थायी नहीं किये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस विषय में पूरी जानकारी विभिन्न विभागों से अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है । प्राप्त सूचनानुसार इनकी संख्या ४४ है ।

*७--श्री गयाप्रसाद--क्या सरकार विलीन काशी राज्य के पुराने कर्मचारियों को स्थायी करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक वह ऐसा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां । किन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सभी अस्थायी कर्मचारी स्थायी कर ही दिये जायेंगे या कब तक स्थायी हो जायेंगे, क्योंकि स्थायीकरण के हर मामले में उसके गुण दोष के आधार पर निर्णय किया जाता है ।

लघु सिंचाई योजना, बलिया के अन्तर्गत कर्ज तथा तकावी

*८--श्री काशीनाथ (जिला बलिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लघु सिंचाई योजना, बलिया के अन्तर्गत जिले में वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के आय-व्ययक में कुल कितनी रकम कर्ज और तकावी के रूप में देने के लिये निर्धारित थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--९,२५,००० रुपये ।

*९--श्री काशीनाथ--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त वित्तीय वर्ष में उपर्युक्त धनराशि में से कितनी रकम २६ जनवरी, १९६२ के बाद कर्ज और तकावी के रूप में बांटी गई और किन-किन को ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--७,४९,०४० रुपये १,१९० व्यक्तियो में बांटे गये । इन व्यक्तियों के नामों की सूची एकत्र की जा रही है ।

नये कारखाने खोलने हेतु लाइसेंस के लिए प्रार्थना-पत्र

*१०--श्री चन्द्रजीत--क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, सन् १९६० से मार्च, सन् १९६२ तक राज्य में नये कारखाने खोलने के लिये लाइसेन्स प्राप्त करने के हेतु कितने लोगों ने सरकार के पास प्रार्थना-पत्र भेजे थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--लाइसेन्स प्राप्त करने के हेतु प्रार्थना-पत्र केन्द्रीय सरकार के पास भेजे जाते हैं । अतः राज्य सरकार के पास वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

*११--श्री चन्द्रजीत--क्या सरकार उपरोक्त प्रार्थना-पत्र देने वालों के नाम, प्रार्थना-पत्र प्राप्ति की तिथि, लाइसेन्स देने की तिथि तथा तत्सम्बन्धी शर्तों के साथ एक सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रश्न नहीं उठता ।

पिपरी अल्मोनियम कारखाने की उत्पादन क्षमता

*१२—श्री चन्द्रजीत—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिपरी, जिला मिर्जापुर में जो निजी क्षेत्र में अल्मोनियम कारखाना खुलने वाला है उसका उत्पादन कार्य कब से प्रारम्भ हो जायगा और उसमें प्रतिवर्ष कितना अल्मोनियम उत्पादित होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अल्मोनियम का कारखाना १४ मई, १९६२ से चालू हो गया है और अल्मोनियम धातु का प्रथम घान २३ मई, १९६२ को प्राप्त हुआ। इस कारखाने की उत्पादन क्षमता २०,००० मेट्रिक टन प्रतिवर्ष है।

गौरी बाजार थाना के दारोगा का क्वार्टर

*१३—श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के गौरी बाजार थाना के दारोगा का क्वार्टर बन जाने के बावजूद गौरी बाजार धर्मशाला में रहते हैं ? यदि हां, तो कब तक खाली कराने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। उक्त थाने के दारोगा अब गौरीबाजार धर्मशाला में नहीं रहते ह। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

बरहज थाने का कथित कत्ल

*१४—श्री चन्द्रबली—क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जिले में थाना बरहज के पदकड़ा ग्राम में १३ जनवरी, १९६२ को कोई कत्ल हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त थाने के अन्तर्गत पदकड़ा नामक कोई ग्राम नहीं है।

कासिमाबाद चिकित्सालय

*१५—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर ब्लाक कासिमाबाद डिस्पेन्सरी में भरती किये गये मरीजों को क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस चिकित्सालय में मरीजों के लिये ४ शय्याओं का प्रबन्ध है। भरती किये गये मरीजों को आवश्यक दवाइयां, पलंग, बिस्तर, पहनने के वस्त्र जब तक वह उपचार के लिये चिकित्सालय में रहते हैं प्राप्त होते हैं। निर्धन रोगियों को दूध भी चिकित्सालय से दिया जाता है।

बहादुरगंज में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने का आदेश

*१६—श्री रघुवीर—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर, कस्बा बहादुरगंज में एक अस्पताल खोलने के लिये पब्लिक तथा क्षेत्रीय विधायक एवं जिले के और विधान सभा के सदस्यों द्वारा कई एक प्रार्थना-पत्र दिये गये ? यदि हां, तो अब तक उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस कस्बे में एक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने के आदेश २०-७-६२ को जारी किये जा चुके हैं।

*१७—१८—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—[माननीय सदस्य के सदस्यता से निलम्बित हो जाने क कारण हटा दिये गये।]

छाता क्षेत्र में अपराध

*१९—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मथुरा जिले के छाता क्षेत्र में सन् १९६१-६२ में अब तक कितने कत्ल व डकैती हुई और कहां-कहां, किस-किस गांव में ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न नक्शे में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पष्ठ ३६६ पर ।)

*२०—श्री लखीसिंह—क्या यह सत्य है कि उक्त क्षेत्र में चोरी व डकैती लगातार हो रही है ? क्या थाना बरसाना व थाना कोसी कलां के ग्राम सकेत व फालेन की डकैती में पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की ? यदि नहीं, तो पुलिस विभाग ने वहां के लोगों की क्या सुरक्षा का प्रबन्ध किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चोरियों व डकैतियों में वृद्धि पाई जाती है । इसका मुख्य कारण यह है कि अब सभी रिपोर्टें लिख ली जाती हैं । थाना बरसाना व थाना कोसी कलां के ग्राम सफेत व फालेन की डकैतियों से संबंधित एक व्यक्ति को थाना कोसी कलां की पुलिस ने गिरफ्तार किया और लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है ।

जनता की सुरक्षा के लिये उक्त क्षेत्र में सिविल पुलिस के अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस के गश्त का भी प्रबन्ध किया गया है । ग्राम सुरक्षा समितियां भी बनाई गई हैं । ग्रामीणों को आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस दिलाये जा रहे हैं और आग्नेयास्त्रों के प्रयोग की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया गया ।

लखनऊ-कानपुर रोड पर शराब व हड्डी के कारखानों से दुर्गन्ध

*२१—श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव)—क्या सरकार का ध्यान लखनऊ-कानपुर रोड पर मगरवारा के समीप हड्डी और शराब मिल से आने वाली असहनीय दुर्गन्ध की ओर गया है ? यदि हां, तो उसके निराकरण के लिये क्या उपाय हो रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां ।

कथित शिकायत का संबंध दो कारखानों से है जिनके नाम हैं—

(१) स्टैन्डर्ड रिफाइनरी ऐन्ड डिस्टिलरी लिमिटेड, उन्नाव, व

(२) रेलिस इन्डिया लिमिटेड, मगरवारा, बोन मिल्स ।

शराब वाली मिल के मामले पर एफ्लुएंट बोर्ड ने विचार किया और फैक्टरी प्रबन्धकों को आदेश दिया कि कारखाने से निकलने वाले गन्दे पानी को उचित स्तर पर लावें ।

किन्तु फैक्टरी द्वारा आवश्यक कार्यवाही न किये जाने पर उनके विरुद्ध कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की गई । अदालत ने फैक्टरी के अधिवासी (occupier) व मैनेजर में से हर एक को पांच-पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा दी । इस सजा के विरुद्ध उन्होंने न्यायालय में अपील की है ।

हड्डी वाले कारखाने के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, १९२२ की धारा १७४ (२) (एफ) के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही करने के लिये जिला चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी (District Medical Officer of Health) ने प्रेसिडेण्ट जिला परिषद्, उन्नाव से अनुमति मांगी है ।

बरेली जिले में शस्त्रास्त्रों के लाइसेंस

*२२—श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६१-६२ के अन्तिम ६ मासों में बरेली जिले में प्रत्येक मास में कितने शस्त्रास्त्रों के लाइसेन्स स्वीकृत किये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वांछित सूचना निम्न प्रकार है :--

अक्तूबर, १९६१	..	..	..	..	४८
नवम्बर, १९६१	..	..	..	..	३४
दिसम्बर, १९६१	..	..	..	..	४४
जनवरी, १९६२	..	..	..	..	४५
फरवरी, १९६२	..	..	..	..	२०
मार्च, १९६२	..	..	..	..	६४

गन्ना, गुड़, खंडसारी तथा चीनी का विकास

*२३--**श्री गेंदासिंह**--क्या गन्ना विकास मंत्री कृपा करके एक स्टेटमेंट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे जिससे निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की जा सके ?

(क) पहली तथा दूसरी योजना में गन्ना, गुड़, खंडसारी तथा चीनी विकास के लक्ष्य और और उस पर होने वाला व्यय अनुमानित क्या था, कितना पूरा हुआ ?

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य उक्त मदों में क्या है और अब तक की क्या प्रगति है ?

(ग) उत्पादन के साथ-साथ खपत की ओर भी सरकार का ध्यान यदि गया हो, तो उक्त वस्तुओं की खपत का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

बांसगांव तहसील के लिये विकास कार्य

*२४--**श्री कल्पनार्थसिंह**--क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांसगांव तहसील, जिला गोरखपुर में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन कार्य प्रस्तावित हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--जिला गोरखपुर की तृतीय पंचवर्षीय योजना की एक प्रति माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है। उसमें बांसगांव तहसील के अन्तर्गत बांसगांव, कौडी-राम, बडहलगंज, बेलाघाट, उरवा, खजनी, गगहा, गोला, विकास खंडों के संबंध में तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित विकास कार्यों का विवरण दिया है।

हरिजन पुलिस सब-इन्स्पेक्टरों की बर्खास्तगी व ट्रेनिंग के लिये भत्ता

*२५--**श्री सुक्खनलाल** (जिला मुरादाबाद)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अक्तूबर, सन् १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक कितने सब-इन्सपेक्टर पुलिस एक माह की नोटिस देकर सरकारी सेवा से अलग किये जा चुके हैं ? इनमें हरिजनों की क्या संख्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--ऐसे पुलिस सब-इंस्पेक्टरों की संख्या ५ है जिनमें ३ हरिजन हैं।

*२६--**श्री सुक्खनलाल**--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में कितने सर्किल इन्स्पेक्टर पुलिस हैं ? उनमें कितने हरिजन जाति के हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--२५५ सर्किल इंस्पेक्टर कार्य कर रहे हैं जिनमें कोई हरिजन नहीं है।

*२७—श्री सुक्खनलाल—वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में कितने सब-इन्स्पेक्टर पुलिस ट्रेनिंग में लिये गये हैं? उनमें से कितने हरिजन हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पुलिस प्रशिक्षण कालेज, मुरादाबाद के १९६२ सत्र के कोर्स में १६९ पब्लिक सब-इन्स्पेक्टर कैडेट लिये गये हैं जिनमें ९ हरिजन हैं। इसके अतिरिक्त १२० रैंकर कैडेट लिये गये हैं जिनमें हरिजनों के लिये कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं है।

चिलकाना के विद्युतीकरण पर विचार

*२८—श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला सहारनपुर के कस्बे चिलकाना, सुल्तानपुर से जाने वाले रास्ते में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है? सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला सहारनपुर के कस्बे चिलकाना सुल्तानपुर से जाने वाल रास्ते पर बिजली लगाने की योजना विचाराधीन है।

*२९—श्रीमती शकुन्तलादेवी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला सहारनपुर की चिलकाना टाउन में बिजली कब तक और कहां से मिलेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चिलकाना कस्बे के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में जांच की जा रही है और यदि प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टि से सम्भव हुआ तथा आवश्यक सामान उपलब्ध हुआ तो चालू वित्तीय वर्ष में इस नगर का विद्युतीकरण किया जायेगा। विद्युतीकरण के निश्चय हो जाने पर बिजली रानी बाजार उप विद्युत् गृह से दी जायेगी।

डेरापुर थाने में धारा ३९४ की रिपोर्ट

*३०—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना डेरापुर, जिला कानपुर में दिनांक २० मार्च, १९६२ को धारा I. P. C. ३९४ के अन्तर्गत कितनी रिपोर्ट लिखाई गई तथा उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—थाना डेरापुर में दिनांक २०–३–६२ को प्रातः ३ १/२ बजे धारा ३९४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक रिपोर्ट लिखाई गई जिसके आधार पर मुकदमा कायम किया गया। जांच से रिपोर्ट झूठी पाई गई, अतः फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई।

धनौती पठिया निवासी श्री विन्ध्याचल सिंह का गायब होना

*३१—श्री चन्द्रबली—क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के रुद्रपुर थाने के लालपुर परसिया ग्राम में उसी थाने के धनौती पठिया नामी ग्राम के श्री विन्ध्याचलसिंह का कत्ल मार्च, १९६२ में हो गया है? यदि हां, तो उस मुकदमे में कितने लोगों का चालान हुआ तथा क्या पुलिस मुकदमा चलाने का विचार रखती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्री विन्ध्याचल के गायब हो जाने की दो रिपोर्ट रुद्रपुर थाने पर अवश्य लिखाई गई हैं, किन्तु उनके कत्ल किये जाने की कोई सूचना नहीं मिली है। श्री बिन्ध्याचल सिंह का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

बलरामपुर गन्ना मार्केटिंग सोसाइटी द्वारा प्रतिनिधि बदलना

*३२—श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या स्वायत्त शासन के मन्त्रणालय से एक अ० शा० पत्र संख्या यू० ओ० ३४४२/९–ए, दिनांक १४ जून, १९६१ के द्वारा एक विधान सभा के सदस्य को सूचित किया था कि कोई गन्ना मार्केटिंग सोसाइटी, अन्तरिम जिला परिषद् के लिये भेजे हुए प्रतिनिधि को जब चाहे बदल कर दूसरा प्रतिनिधि भेज सकती है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी हां। अर्द्ध-शासकीय पत्र की सही संख्या यू० ओ० ३४२/९-ए तथा तिथि १४ जून, १९६१।

*३३---**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या बलरामपुर (जिला गोंडा) गन्ना मार्केटिंग सोसाइटी ने अपने प्रतिनिधि श्री उदयचन्दसिंह के स्थान पर श्री बंसराजसिंह को नियुक्त किया था?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी हां।

*३४---**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह**---यदि दोनों प्रश्नों के उत्तर हां में हैं, तो प्रतिनिधि का बदलना कार्यान्वित हुआ कि नहीं? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---प्रतिनिधि का बदलना इसलिये कार्यान्वित नहीं हुआ है, क्योंकि बलरामपुर गन्ना मार्केटिंग सोसाइटी की संचालक मन्डल की बैठक दिनांक २५ जून, १९६१, जिसमें श्री उदयचन्दसिंह के स्थान पर श्री बंसराजसिंह को प्रतिनिधि चुना गया था, अवैध थी।

कानपुर जिले में सहकारी समितियों का चुनाव

*३५---**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिले के प्रत्येक विकास खंड की क्षेत्र समिति के लिये सरकारी समितियों से प्रतिनिधियों का चुनाव हो चुका है? यदि हां, तो किस प्रकार की सहकारी समितियों ने चुनाव किया है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी हां। गन्ना सहकारी समितियों तथा श्रम सहकारी समितियों को छोड़कर सभी प्रकार की सहकारी समितियों ने चुनाव किया है।

*३६---**श्री मुरलीधर कुरील**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले के किस-किस विकास खंड के क्षेत्र में औद्योगिक सहकारी, समितियां कार्य कर रही हैं और क्या इन समितियों को अपना प्रतिनिधि, क्षेत्र समितियों में भेजने का अधिकार है? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र में चुनाव किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---ककवन खंड को छोड़कर कानपुर जिले के अन्य सभी खंडों में औद्योगिक सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं और इन सभी सहकारी समितियों को अपना प्रतिनिधि क्षेत्र समिति में भेजने का अधिकार है। बिल्हौर, कल्यानपुर व मलासा क्षेत्र समितियों को छोड़कर सभी क्षेत्र समितियों में औद्योगिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि चुन लिये गये हैं। बिल्हौर क्षेत्र समिति में वैध नाम निर्देशन पत्र के न होने के कारण तथा कल्यानपुर व मलासा क्षेत्र समितियों में कोई नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त न होने के कारण दो बार प्रयत्न करने पर भी चुनाव नहीं हो सके।

आजमगढ़ जिले में परशियन ह्वील बनाने वाली फर्मों को सहायता

*३७---**श्री दौलतलाल** (जिला आजमगढ़)---क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में परसियन ह्वील (रहट) बनाने का कार्य कौन कौन फर्में करती हैं? इन फर्मों में सरकार की ओर से किन-किन फर्मों को कंट्रोल रेट पर सामान दिया जाता है?

श्री फूलसिंह---आजमगढ़ जिले में परशियन ह्वील (रहट) बनाने का कार्य करने वाली ८ फर्मों के नाम तालिका 'क' में दिये गये हैं। तालिका 'क' में वर्णित ८ फर्मों में से ४ फर्मों को, जिनके नाम 'ख' तालिका में दिये गये हैं, रहट बनाने के लिये लौह व इस्पात का कोटा दिया जाता है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३६७ पर।)

*३८—श्री दौलतलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनता की आवश्यकता और उसकी मांग को देखते हुए फर्मों को भी जो परिशयन ह्वील (रहट) बनाने का काम करती है कंट्रोल रेट पर सामान देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री फूलसिंह—जी हां, परन्तु कच्चे माल की सीमित सप्लाई को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की जायेगी।

बांदा तथा हमीरपुर जिले में कत्ल व डकैतियां

*३९—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा तथा हमीरपुर जिले में १९६१-६२ में कितने कत्ल और डकैतियां हुईं ?

*४०—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह संख्या गत वर्ष से कितनी अधिक है ? इसे रोकने के लिये सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सम्बन्धित अपराधों के तुलनात्मक आंकड़े संलग्न सूची में दिये गये हैं।

अपराधों की संख्याओं में वृद्धि होने का मुख्य कारण यह है कि हर मामले की रिपोर्ट जो भी थाने में की गई सही-सही दर्ज कर ली गई। इस बारे में सरकार ने विशेष आदेश जारी किये थे।

डकैतियों को रोकने के लिये जिले भर में गश्त लगाया जाता है और जहां आवश्यकता होती है अतिरिक्त पुलिस भेजी जाती है। ग्राम सुरक्षा समितियों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

कत्लों को रोकने के लिये आवश्यकता होने पर धारा १०७, ११७ जा० फौ० की कार्यवाही की जाती है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३६८ पर)

*४१— श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—[माननीय सदस्य के सदस्यता से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिया गया।]

पंचायत विभाग के कर्मचारियों का नियोजन विभाग में स्थानान्तरण

*४२—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ अप्रैल, १९५५ को पंचायत विभाग के एकीकरण के फलस्वरूप उसके कितने कर्मचारी नियोजन विभाग में गये और उनकी ज्येष्ठता किस तिथि से मानी गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—पंचायत विभाग के एकीकरण के फलस्वरूप उक्त विभाग के २६८ लिपिक नियोजन विभाग में १-४-१९५५ को आये। इनकी ज्येष्ठता निर्धारित करने का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है।

*४३—श्री मन्नालाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के कितने पंचायत लिपिक किस-किस जिले से कितने-कितने नियोजन विभाग के पंचायत खंड में १ अप्रैल, १९५५ के बाद स्थानान्तरित किये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३६९-३७० पर)

बालपुर-परसपुर सड़क

*४४—श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में बालपुर से परसपुर जाने वाली सड़क की पटाई के कौन-कौन ठेकेदार हैं और यह ठेका किस विभाग से हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जिला गोंडा में बालपुर से परसपुर जाने वाली सड़क पर पटाई का काम श्रमदान द्वारा हुआ है।

पिछड़े हुए क्षेत्रों की उन्नति के लिए भारत सरकार द्वारा व्यय

*४५—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८ के वित्तीय वर्ष से सन् १९६२ के ३१ मार्च तक प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्र की उन्नति के लिये भारत सरकार से किन-किन योजनाओं के लिये कितना रुपया प्राप्त हुआ है और उसमें से किन-किन योजनाओं पर किस-किस जिले में कितना-कितना रुपया खर्च किया जा चुका है और बाकी रुपया खर्च न हो सकने का क्या कारण है?

श्री हरगोविन्दसिंह—प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्रों की उन्नति के लिये भारत सरकार ने १९५९-६० तथा १९६०-६१ के वित्तीय वर्षों में ४ करोड़ रुपये की धनराशि देना स्वीकार किया था जिसमें से कुल ३६६.६४७ लाख रु० व्यय (अनुमानित) हुआ जिसका ब्योरा संलग्न सूची† में दिया है। शेष धन व्यय न हो सकने के मुख्य कारण हैं :—

(क) निर्माण सम्बन्धी वस्तुओं का अभाव।

(ख) उचित भूमि का चुनाव, विस्तृत ब्लूप्रिन्ट का निर्माण तथा भूमि प्राप्त करने में कठिनाइयां।

(ग) प्रशिक्षित कर्मचारियों की अप्राप्यता।

अनट्रेंड कम्पाउण्डर्स

*४६—**श्री अहमद बख्श** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या यह सही है कि ट्रेन्ड कम्पाउन्डर्स की कमी है और बहुत से अस्पतालों में अनट्रेन्ड कम्पाउन्डर्स काम कर रहे हैं? यदि हां, तो प्रदेश के अस्पतालों में अनट्रेन्ड काम करने वालों की कितनी तादाद है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

इस समय प्रदेश के अस्पतालों में अनट्रेन्ड कम्पाउन्डरों की संख्या २०० है।

बिना डाक्टर के अस्पताल

*४७—**श्री सुखदेवप्रसाद** (जिला गोंडा) तथा **श्री बाबूलाल** (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन सरकारी चिकित्सालयों में इस समय डाक्टर नहीं हैं तथा कब से व इनमें डाक्टर कब तक भेजे जायेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राज्य के जिन-जिन चिकित्सालयों में जिस अवधि से डाक्टर नहीं हैं, उनकी सूची† संलग्न है। इस समय प्रदेश में डाक्टरों की बहुत कमी ह जिसको दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं, अतएव जैसे ही वांछित संख्या में डाक्टर उपलब्ध हो जायेंगे, उन्हें इन चिकित्सालयों में नियुक्त कर दिया जायगा।

[२ अगस्त, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२—**श्री ऊदल**—[हटा दिये गये।]

---

†सूची छापी नहीं गई।

चक्की भूसाडोही को आजमगढ़ पुलिस प्रशासन में लेना तथा अकोल्ही ग्राम से पुलिस के विरुद्ध पत्र

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत ग्राम चक्की भूसाडोही का पुलिस प्रशासन आजमगढ़ जिले में कर दिये जाने की सिफारिश आजमगढ़ के अधिकारियों द्वारा लगभग ६ मास पहले आई है? यदि हां, तो अब तक कार्यवाही न होने के कारण क्या हैं?

श्री चन्द्रभान गुप्त—जी हां। ग्राम चक्की भूखाडोही के पुलिस प्रशासन को जिला देवरिया से हटा कर जिला आजमगढ़ को स्थानान्तरित किये जाने के लिये, कई विभागों की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त आवश्यक आदेश ९ जून, १९६२ को जारी कर दिये गये हैं।

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्राम के निवासियों ने आई० जी० पुलिस, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ एवं जिलाधीश, आजमगढ़ को २१ नवम्बर, १९६१ और अन्य तिथियों में २९ आवेदन-पत्र आजमगढ़ में पुलिस प्रशासन कर देने के लिये भेजे हैं? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस कप्तान आजमगढ़ के पास घोसी थानान्तर्गत ग्राम अकोल्ही के निवासियों का प्रार्थना-पत्र १६ मार्च, १९६२ का लिखित प्राप्त हुआ है जिसमें स्थानीय पुलिस की शिकायत की गई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। एक शिकायती-पत्र श्री करिया यादव से प्राप्त हुआ था।

*६—श्री ऊदल—[हटा दिया गया।]

*७-८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[२२ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

*९-१०—श्री चन्द्रजीत—[९ अगस्त, १९६२ के लिए प्रश्न ८३-८४ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

गोरखपुर जिले में ग्राम समाजों का चुनाव

*११—श्री नरसिंहनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में कितनी ग्राम सभाओं में सभापतियों तथा सदस्यों का चुनाव जिले के पिछले ग्राम पंचायत चुनावों के साथ पूर्ण हो गया था, कितनी जगहें अभी खाली हैं? यदि खाली हैं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जिला गोरखपुर की गांव सभाओं के २६५८ प्रधानों और ४३,१९५ सदस्यों में से प्रधानों के सभी स्थान तथा सदस्यों के ४१,७६० स्थान गत सामान्य निर्वाचन के फलस्वरूप भर गये। सदस्यों के ९७५ और स्थान मनोनयन द्वारा भर दिये गये। इस समय सदस्यों के शेष ४६० स्थान खाली हैं। इनके खाली होने का मुख्य कारण यह है कि उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुए। प्रधान का एक स्थान अभी हाल में ही खाली हो गया है।

*१२—श्री नरसिंहनारायण—क्या विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बकिया चुनावों को पंचायतों के गठन के पहले या बाद में करायेंगे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि सब पंचायतों का संगठन हो चुका है।

*१३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[८वें शुक्रवार के लिए प्रश्न १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सार्वजनिक समारोहों में विधायकों के स्थान

*१४—श्री गणेशचन्द्र (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ३१ मार्च, १९६० के प्रश्न ५१ के सम्बन्ध में, जो यह विषय आश्वासन समिति के विचाराधीन था कि जो सरकार द्वारा सार्वजनिक समारोह आयोजित होते हैं, उनमें विधायकों का क्या स्थान हो, वह तय हो गया है या नहीं? यदि हां, तो क्या तय हुआ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार द्वारा आयोजित सार्वजनिक समारोहों में विधायकों को उनकी प्रतिष्ठा के अनकूल स्थान प्रदान करने के आदेश पहले ही दिये जा चुके हैं। इन आदेशों की एक प्रति संलग्न है। सरकार इन आदेशों में अन्य किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझती। सरकार किसी प्रदेशीय वारंट आफ प्रेसीडेन्स के आयोजन को भी अनावश्यक समझती है। भारत के अनेक प्रदेशों ने कोई प्रदेशीय वारंट आफ प्रेसीडेन्स नहीं बनाया है। मैसूर, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार इनमें प्रमुख हैं। आश्वासन समिति को इस निर्णय की सूचना दी जा रही है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३७१–३७२ पर)

सीसोटार में तपेसर हरिजन का कत्ल

*१५—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया अन्तर्गत थाना सिकन्दरपुर, ग्राम सीसोटार में मार्च, सन् १९६२ ई० में एक हरिजन का कत्ल हो गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। दिनांक १५–३–६२ को तपेसर नामक एक हरिजन का कत्ल हो गया।

*१६—श्री जगन्नाथ चौधरी—यदि हां, तो कत्ल होने का कारण क्या था और उसमें कितने मुलजिम हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मृतक तथा अभियुक्तों के बीच मृतक के घर की दीवाल के पास अभियुक्तों द्वारा एक खूंटा गाड़ने के कारण झगड़ा हुआ जिसमें लाठियों की चोटों से मृतक की मृत्यु हो गई, इस अपराध के दो अभियुक्त हैं।

*१७—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त कत्ल के बारे में अब तक कौन-सी कार्यवाही की गई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मामले से सम्बन्धित दो मुलजिमान का चालान धारा ३०४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत होकर मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है।

वाणिज्य उद्योग मण्डल, कानपुर में मुख्य मन्त्री का भाषण

*१८—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत २१ अप्रैल को कानपुर में अपने भाषण में वाणिज्य उद्योग मंडल में मुख्य मंत्री ने किन्हीं औद्योगिक नीतियों का प्रतिपादन किया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कोई विशेष नहीं।

*१९—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि वे नीतियां क्या हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता।

* २०—श्री चन्द्रजीत—[२३ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

राज्य में बड़े कारखाने खोलने का आयोजन

*२१—श्री गेंदासिंह—क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि प्रदेश में बड़े कारखानों को खोलने के सम्बन्ध में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार से जो विचार विनिमय चल रहा है उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दोनों सरकारों के विचार विनिमय के फलस्वरूप हैवी इलेक्ट्रीकल्स, हरिद्वार, एन्टीबायटिक्स फैक्टरी, ऋषीकेश, फर्टिलाइजर फैक्टरी, गोरखपुर तथा डीजिल लोकोमोटिव मैनूफैक्चरिंग फैक्टरी, मड़ुआडीह (वाराणसी) में खुलना तय हो गया है।

*२२—श्री गेंदासिंह—किन-किन बड़े कारखानों को इस प्रदेश में बनाने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में तय हो गया और उसमें पूंजी कितनी लगेगी, उत्पादन क्या होगा और रोजगार कितने लोगों को मिलेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभीष्ट सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३७३ पर)

*२३—श्री गेंदासिंह—क्या भविष्य में कुछ बड़े कारखाने खोलने के प्रश्न पर राज्य सरकार की बातचीत केन्द्र से चल रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रदेशीय सरकार सदैव नए उद्योगों की स्थापना हेतु केन्द्र से बातचीत करती रहती है, किन्तु उपर्युक्त के अतिरिक्त अभी अन्य कोई सूचना देना सम्भव नहीं है।

*२४-२५—श्री चन्द्रबली—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*२६—श्री चन्द्रबली—[हटा दिया गया।]

*२७—श्री झारखंडेराय—[८वें गुरुवार के लिए प्रश्न ८५ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

राज्य कर्मचारियों को रिइम्बर्समेंट देने की सिफारिश

*२८—श्री उग्रसेन, श्री चन्द्रजीत, श्री ऊदल, श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जब से सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा सम्बन्धी व्यय का रिइम्बर्समेंट करना बन्द कर दिया गया है तब से सरकारी अस्पतालों में अच्छी तथा कीमती दवायें मिलनी बन्द हो गई हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सत्य नहीं है।

*२९—श्री उग्रसेन, श्री चन्द्रजीत, श्री ऊदल, श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री विजयसिंह—यदि हां, तो क्या सरकार रिइम्बर्समेंट को पुनः चालू करने पर या उसके स्थान पर कर्मचारियों को कुछ नकद धनराशि माहवारी वेतन के साथ दिलाने की योजना पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, इसका प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिल मजदूरों को बोनस

*३०—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५८–५९, १९५९–६० के सीजन में कितना-कितना रुपया प्रति वर्ष चीनी मिल मजदूरों को बोनस के रूप में बांटा गया है और १९६०–६१ के सीजन का कितना रुपया बांटने का फैसला है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इन सीजनों में बांटे जाने वाले बोनस की धनराशि इस प्रकार है:

१९५८–५९ का ४७,०६,५२५ रुपया ३६ न० पै०

१९५९–६० का १,००,३८,३७५ रुपया ६८ न० पै०

१९६०–६१ सीजन के लिये ३७,५७,९१७ रुपया देने का आदेश हुआ है।

*३१—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के फारमूले के अनुसार १९६०–६१ के उत्पादन पर मजदूरों के बोनस की रकम कितनी होती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—१,६६,३१,२०६ रुपया होता है।

*३२—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि १९५८–५९, १९५९–६० के सीजन का उक्त फारमूले के अनुसार कितना रुपया होता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—१९५८–५९ का ८३,४०,७९१ रुपया तथा १९५९–६० का १,३९,८६,८८५ रुपया होता है।

सचिवालय पुनस्संघटन सम्बन्धी सुझावों पर विचार

*३३—श्री उग्रसेन—क्या मुख्य मंत्री का ध्यान प्राक्कलन समिति की सचिवालय पुनर्संगठन रिपोर्ट १९६१ की ओर गया है ? यदि हां, तो उसकी सिफारिशें कब तक लागू की जायेंगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्राक्कलन समिति ने सचिवालय के पुनर्संगठन के विषय में कोई अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। उनके बीसवें प्रतिवेदन के कुछ अध्यायों में सचिवालय के पुनर्संगठन के विषय में कुछ सुझाव रखे गये थे जिन पर विचार किया जा रहा है।

*३४–३६—श्री मैनेजर (जिला बलिया)—[८ वें गुरुवार के लिए प्रश्न ८६–८८ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

पुलिस प्रशासन में इन्वेस्टीगेशन शाखा को इक्जीक्यूटिव शाखा से अलग करना

*३७—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह पुलिस में इन्वेस्टीगेशन शाखा को इक्जीक्यूटिव शाखा से अलग करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। यह व्यवस्था प्रदेश के ७ नगरों में अप्रैल, १९५० से लागू की जा चुकी है। इस समय यह कहना संभव नहीं है कि यह व्यवस्था बाकी जिलों में कब तक लागू की जा सकेगी।

चौकीदारी प्रथा की समाप्ति पर विचार

*३८—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार चौकीदारी प्रथा का अन्त करने के लिये विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चौकीदारी प्रथा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस कमीशन ने कुछ सिफारिशें की हैं जिनकी अभी जांच की जा रही है।

*३९—श्री कमलासिंह यादव—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

गाजीपुर जिले में ब्लाकों से प्राप्त सहायता

*४०—श्री झिलमिट राम (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में १९४९ से लगायत १९६१ तक मरदह, बिरनो, जखनियां, ब्लाकों में अलग-अलग किन-किन ग्राम सभाओं को तथा व्यक्तियों को खड़ंजा, पशुओं की चन्द्री तथा कम्पोस्ट को बनाने के लिये रुपया दिया गया?

*४१—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर (पचोतर क्षेत्र) के १९४९ से लगायत १९६१ तक मरदह, बिरनी, जखनियां ब्लाकों द्वारा किन-किन गांव सभाओं को पानी पीने के कुयें तथा पम्प के लिये अनुदान दिया है? उनके नाम व गांव क्या हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—चूंकि सम्पूर्ण सूचना फुलस्केप २० या २१ पृष्ठ में टाइप की हुई है, अतः माननीय सदस्य यदि विस्तार से वांछित सूचना प्राप्त करना चाहें तो विकास मंत्री के कार्यालय में देखी जा सकती है।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालय

*४२—श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजकीय आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालय अलग-अलग प्रत्येक जिले में हैं तथा उसमें से कितने चिकित्सालयों के पास निजी भवन हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—६३९। इनकी जिलेवार संख्या सूची 'क' पर संलग्न है।

इनमें से ९९ औषधालयों के पास निजी भवन हैं, जिनकी जिलेवार संख्या सूची 'ख' पर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३७४–३७६ पर)

*४३—श्री रामलखन वकील—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त चिकित्सालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के आवास की कोई व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के कर्मचारियों के लिये आवास की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। वे न तो निःशुल्क भवन के अधिकारी हैं और न इसके बदले उन्हें किराया भत्ता ही दिया जाता है। सरकार उनके आवास की व्यवस्था करने को बाध्य नहीं है।

*४४—श्री रामलखन वकील—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी राजपत्रित (गजटेड) चिकित्साधिकारियों तथा एलोपैथिक राजपत्रित (गजटेड) (पी० एम० एस० २) चिकित्साधिकारियों के वेतन-क्रम एक ही हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। क्योंकि दोनों प्रकार के चिकित्साधिकारियों के प्रवेश शैक्षिक एवं प्रशिक्षण स्तरों में अन्तर है।

झांसी में उद्योग समिति की बैठकें तथा उद्योग विभाग सम्बन्धित कार्यालयों पर व्यय

*४५—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी में उद्योग विभाग के डिवीजन व जिला कार्यालयों पर पृथक-पृथक पिछले तीन वर्षों का वार्षिक खर्चा, वेतन, टी० ए०, डी० ए०, मकान किराया, कार्यालय खर्चा तथा फर्नीचर आदि का क्या है और किस कार्यालय में कितने-कितने अधिकारी, कर्मचारी कार्य करते हैं?

श्री फूलसिंह--वांछित सूचना नत्थी 'क' पर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३७७ पर)

*४६--**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में जिला उद्योग समिति की कितनी बैठकें हुईं और उनमें क्या-क्या मुख्य-मुख्य निर्णय हुये ?

श्री फूलसिंह--जिला उद्योग समिति, झांसी की १९६०-६१ में ६ बैठकें तथा १९६१-६२ में १ बैठक हुई। इन बैठकों में लिये गये मुख्य-मुख्य निर्णयों की सूची नत्थी 'ख' पर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ३७८ पर)

*४७--**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**--[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला परिषदों तथा न्याय पंचायतों का गठन

*४८--**श्री हिम्मतसिंह** तथा **श्री जगन्नाथ** (जिला जौनपुर)--क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों का संगठन कब तक किया जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--सरकार जिला परिषद् के संगठन से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ में कुछ संशोधनों पर विचार कर रही है। इसके लिये एक संशोधन विधेयक शीघ्र ही प्रस्तुत किया जायगा और उसके पारित हो जाने के पश्चात् ही परिषदों का संगठन कराया जायगा।

*४९--**श्री हिम्मतसिंह** तथा **श्री जगन्नाथ**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि न्याय पंचायतों का गठन कब होने वाला है तथा न्याय पंचायतों में पंचों का गठन किस प्रकार होगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--पिथौरागढ़ जिले को छोड़ कर प्रदेश के शेष जिलों में न्याय पंचायतों का गठन शीघ्र होने वाला है और नव गठित न्याय पंचायतें २० सितम्बर, १९६२ से कार्य करने लगेंगी। पिथौरागढ़ जिले में न्याय पंचायतों का गठन लगभग पूर्ण हो गया है।

न्याय पंचायतों के पंचों की नियुक्ति जिलाधीशों द्वारा पंचायत राज अधिनियम की धारा ४३ तथा पंचायत राज नियमावली के नियम ८३ के अनुसार की जाती है।

परसिया क्षेत्र में सिलिका सैंड का अनाधिकार खदान कार्य रोकने का आदेश

*५०--**श्री सत्यनारायण पांडेय** (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लगभग एक वर्ष पूर्व जिलाधीश इलाहाबाद तथा जिलाधीश बांदा को केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित क्षेत्रीय खान निरीक्षक, परसिया क्षेत्र, परसिया (Regional Inspector of Mines, Parasia Region Paria) ने आदेश दिया था कि खदान में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा (safety) की दृष्टि से तथा खदानों में भारी दुर्घटना के घटित होने से बचाने की दृष्टि से, खनिज पदार्थ सिलिका सैन्ड का अनाधिकार खादान कार्य (unauthorised mining operations) फौरन रोक दिया जाय ? यदि हां, तो ऐसा आदेश आने के पश्चात् भी अधिकारियों ने क्यों नहीं आज तक इस गैर कानूनी अनाधिकार खदान-कार्य को रोकने की चेष्टा की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रथम भाग का उत्तर जी-हां।

द्वितीय भाग---जिलाधीश इलाहाबाद से कहा गया है कि वह ऐसे व्यक्तियों के वि द्ध कानूनी कार्यवाही करें जो अनधिकृत खदान कार्य कर रहे हैं। जिलाधीश बांदा अनधिकृत खदान कार्य के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

न्योली व बिलारी चीनी मिलों पर किसानों का बकाया

*५१---**कुंवर रुकुमसिंह राठौर** (जिला बदायूं)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि १९६०-६१ व १९६१-६२ का बदायूं जिला तहसील बदायूं व बिसोली के किसानों का गन्ने की कीमत का रुपया न्योली शूगर मिल नगरिया व बिलारी मिल पर कितना-कितना बाकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---१ जुलाई, १९६२ को न्योली तथा बिलारी चीनी मिलों पर गन्ना सहकारी समिति, बदायूं क्षेत्र के किसानों का गन्ने का मूल्य जो निर्दिष्ट सीजन्स का बकाया था उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ३७९ पर)

*५२---**कुंवर रुकुमसिंह राठौर**---उपरलिखित गन्ने को कीमत किसानों को कब तक सरकार दिलाने को कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---गन्ना आयुक्त ने उक्त बकाया रकम की वसूली के लिये न्योली चीनी मिल के विरुद्ध रिकवरी सार्टीफिकेट जारी कर दिया है।

भटनी चीनी मिल पर किसानों का बकाया

*५३---**श्री कैलाश**---क्या सरकार प्रश्न संख्या ५२, दिनांक १९ अप्रैल, १९६२ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त रिकवरी सार्टिफिकेट गन्ना किसानों का बकाया कीमत दिलवाने के लिये किस तारीख को जारी किया गया और किसानों को कीमत कब तक मिल जायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---गन्ना आयुक्त ने भटनी चीनी मिल के विरुद्ध किसानों के गन्ने की बकाया कीमत अर्थात् ८.५८ लाख रुपये की वसूली के लिये ३१ मार्च, १९६२ को रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किया था और मिल द्वारा ७.४३ लाख रुपये ३०-६-६२ तक भुगतान किया जा चुका है। बकाया रकम की शीघ्र अदायगी कराने की चेष्टा की जा रही है।

विकास खण्डों के अस्थायी क्लर्क

*५४---**श्री केसरीप्रसाद**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास खंडों में ८-९ वर्षों से अस्थायी रूप में काम करने वाले क्लर्कों को अब तक स्थायी क्यों नहीं किया गया ? यदि नहीं, तो सरकार उन्हें कब तक स्थायी करने की कार्यवाही करने जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---विकास खंडों में काम करने वाले क्लर्कों की ज्येष्ठता (Inter-seniority) निर्धारित न हो पाने के कारण उनको स्थायी न किया जा सका है।

जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, उनकी ज्येष्ठता निर्धारित होने के उपरान्त ही उन्हें स्थायी करने की कार्यवाही की जावेगी।

काशीपुर–अलीगंज सड़क की मरम्मत न होना

*५५—श्री भोखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल में जिला परिषद् की काशीपुर–अलीगंज रोड की मरम्मत के लिये गन्ना विकास समिति, काशीपुर ने १२,५०० पया इस शर्त पर दिया था कि इतना ही रुपया परिषद् लगा कर रोड की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो अब तक इस सड़क पर कितना काम हो चुका है और यदि कोई काम नहीं हुआ है तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। गन्ना विकास समिति, काशीपुर ने काशीपुर-अलीगंज रोड की मरम्मत हेतु अंतरिम जिला परिषद्, नैनीताल को १२,५०० रु० दिया था परन्तु उक्त पया परिषद् से यह लिख कर वापस ले लिया कि उपरोक्त सड़क तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में है।

*५६—श्री अवधनारायणप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—[२३ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किया गया ।]

*५७—श्री नत्थूसिंह (जिला इटावा)—[२३ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

सूरतगंज चिकित्सालय में डाक्टर न होना

*५८—श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि कस्बा सूरतगंज, जिला बाराबंकी के अन्तर्गत ६ माह से सरकारी अस्पताल में कोई डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो क्यों और सरकार इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, सूरतगंज, चिकित्सालय, जिला बाराबंकी में दिनांक ६ अक्तूबर, १९६१ स कोई डाक्टर नहीं ह। इसका कारण डाक्टरों का विकट अभाव ह। उक्त चिकित्सालय में एक डाक्टर की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये गये हैं। आशा की जाती है कि शीघ्र ही वहां डाक्टर पहुंच जायगा।

रायबरेली जिले में अपराध तथा मुंशीगंज में नाबालिग लड़की की हत्या

*५९—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६१–६२ में रायबरेली जिले में कितनी डकैतियां, चोरियां, हत्यायें, राहजनी और अपहरण कांड हुये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ३८० पर पर)

*६०—श्री रतीपाल—क्या सरकार कृपया बताने की कृपा करेगी कि आज के कुछ माह पूर्व रायबरेली जिला स्थित मुंशीगंज में एक नाबालिग लड़की की लाश बरामद हुई थी जिसके विषय में कहा जाता था कि बलात्कार एवं हत्या का मामला है उसका पूरा विवरण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, । दिनांक २५–७–६१ को मुन्शीगंज पुल के पास एक नाबालिग लड़की की लाश बरामद हुई थी। इस हत्या से संबंधित तीन अभियुक्तों को धारा ३०२/३६३, ३६४ और ३६५ भा० इं० वि० के अन्तर्गत चालान करके सेशन अदालत को सुपुर्द किया गया था, जहां से दो अभियुक्तों को सजाये मौत हुई तथा शेष एक को शक का फायदा देकर रिहा कर दिया गया। घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ३८० पर)

ट्रेण्ड कम्पाउन्डरों के वेतन में समानता

*६१—**श्री जगन्नाथ** तथा **श्री सुखदेवप्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के ट्रेन्ड कम्पाउन्डरों का चाहे वे मेडिकल विभाग में हों, या नियोजन विभाग में वेतन-क्रम समान हैं? यदि असमान हैं तो क्यों तथा इस विषय में सरकार क्या सोच रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के ट्रेन्ड कम्पाउन्डरों का चाहे वे—

१—मेडिकल विभाग में हों, या

२—नियोजन विभाग में,

वेतन क्रम समान है।

मेरठ जिले में विद्युतीकरण योजना

*६२—**श्री तेजसिंह** (जिला मेरठ)—क्या यह सही है प्रदेशीय सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में ९ करोड़ रुपये की लागत से १,५०० गांवों में बिजली देने का निश्चय किया है? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मेरठ जिले में कौन-कौन से गांव लिये जा रहे हैं और उनमें कौन से गांव में बिजली १९६२-६३ में लग जावेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। जो नगर ट्रान्समीसन लाइनों के समीप स्थित हैं उनके विद्युत न करने के लिये जांच की जा रही है। अभी तक मेरठ जिले के संलग्न सूची में उल्लिखित २६ नगरों के विद्युतीकरण की स्वीकृति दी जा चुकी है जिसमें से ३ नगरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष २३ नगरों का विद्युतीकरण १९६२-६३ में हो जाने की सम्भावना है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३८१ पर)

केन नेत्र चिकित्सालय, हरदोई

*६३—**श्री मोहनलाल** (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि Cane Eye Hospital हरदोई को १९५९-६०, १९६०-६१ में कितनी grant recurring तथा non-recurring दी गई और कितने indoor patient तथा कितने outdoor patient दाखिल हुये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केन नेत्र चिकित्सालय हरदोई को १९५९-६० तथा १९६०-६१ में निम्नलिखित आवर्तक तथा अनावर्तक अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिये गये:—

वर्ष	आवर्तक रु०	अनावर्तक रु०
१९५९-६०	..	२,९००
१९६०-६१	१,०००	१,०००

उक्त समय में निम्नलिखित indoor तथा outdoor patients का उपचार हुआ:—

वर्ष	indoor patients new	indoor patients old	outdoor patients new	outdoor patients old
१९५९-६०	९,०१८	२१,१९३	५१९	४,८९१
१९६०-६१	७,७७९	१३,५०५	५१७	४,७१७

बेहट–शाकम्बर देवी सड़क पर व्यय

*६४–श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)––क्या विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला बोर्ड (जिला परिषद्), सहारनपुर ने पिछले दस साल में बेहट से शाकम्बर देवी तक की १० मील लम्बी कच्ची सड़क पर मेले के दिनों में प्रतिसाल कितना-कितना व्यय किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––सरकार को प्राप्त सूचना के आधार पर बेहट-शाकम्बर देवी सड़क के जीर्णोद्धार पर अन्तरिम जिला परिषद्, सहारनपुर ने गत १० वर्षों पर निम्नलिखित व्यय किया :––

वर्ष	धन
१९५२–५३	१०,१८०
१९५३–५४	११,८५८
१९५४–५५	११,९४७
१९५५–५६	८,६२९
१९५६–५७	११,१६६
१९५७–५८	११,२४३
१९५८–५९	१०,१०७
१९५९–६०	११,९७६
१९६०–६१	१२,२४५
१९६१–६२	१७,८५६

*६५––श्री ब्रह्मदत्त मायर––क्या विकास मंत्री यह भी बतायेंगे कि क्या सरकार इस धार्मिक स्थान को जाने वाली सड़क को पक्का करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और उस पर क्या खर्चा बैठेगा और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––यह सड़क अन्तरिम जिला परिषद्, सहारनपुर की है और उसके रख-रखाव का उत्तरदायित्व भी परिषद् का ही है ।

*६६–६७––श्री मुरलीधर कुरील––[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

धौरहरा क्षेत्र में बिजली

*६८––श्री तेजनारायण त्रिवेदी (जिला खीरी)––क्या विद्युत् मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि धौरहरा क्षेत्र में बिजली देने का विचार निकट भविष्य में है जबकि इस क्षेत्र के एक टाउन एरिया और एक शुगर फैक्ट्री गोविंद शुगर मिल्स लिमिटेड, ऐरा के नाम से है और कई ग्राम ऐसे हैं जिनकी तीन हजार से अधिक आबादी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––धौरहरा क्षेत्र के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की जा रही है और उसके पूरे होने के बाद ही इस सम्बन्ध में उचित निर्णय लिया जायगा ।

हरदोई जिले के ग्राम सत्योरा के लिये बिजली

*६९––श्री पूरनलाल (जिला हरदोई)––क्या सरकार हरदोई जिले के ग्राम सत्योरा के लिये बिजली देने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक पूरी होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––इस ग्राम के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में आवश्यक जांच पड़ताल की जा रही है और उसके पूरा होने के बाद ही उचित निर्णय लिया जा सकेगा ।

बेनीगंज में आर्म्स लाइसेंस

*७०—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कष्ट करेगी कि बेनीगंज, हरदोई, कोतवाली, मल्लावां थाने में किन-किन व्यक्तियों को arms licence दिये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना एकत्र करने में जितना समय, श्रम तथा धन व्यय होगा वह प्रश्न में मांगी गई सूचना की उपयोगिता को देखते हुये बहुत अधिक होगा।

ग्राम सोदां, तहसील देवरिया के किसानों की भूमि टेक्निकल विद्यालय को देना

*७१—श्री किसुना (जिला देवरिया)—क्या सरकार बतायेगी कि मुख्यमंत्री को देवरिया के एक विधायक द्वारा मार्च, १९६२ के अन्तिम सप्ताह में इस बात की सूचना मिली है कि ग्राम सोदां, तहसील देवरिया के किसानों की १५ एकड़ कृषि योग्य भूमि एक टेक्निकल विद्यालय को दी जा रही है और पास की परती भूमि छोड़ दी गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां अप्रैल, १९६२ के आरम्भ में श्री उग्रसेन द्वारा यह सूचना मिली थी। जांच भी कराई गई परन्तु कोई दूसरी भूमि संस्था के योग्य उपलब्ध न होने के कारण उसी भूमि को ही अध्याप्त करने का निश्चय किया गया है।

चिनहट-सतरिख-जैदपुर सड़क

*७२—श्री मेड़ीलाल (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चिनहट, जिला लखनऊ से सतरिख होकर जैदपुर, जिला बाराबंकी को जाने वाली कच्ची सड़क की मरम्मत कब करने का विचार रखती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—चिनहट–सतरिख–जैदपुर कच्ची सड़क के २४.१४ किलो मीटर, अन्तरिम जिला परिषद्, बाराबंकी के अधिकार में है और उक्त परिषद् ही उसके रख-रखाव के लिये उत्तरदायी है।

*७३—श्री पितईराम (जिला रायबरेली) तथा श्री चन्द्रबली—[हटा दिया गया।]

*७४—श्री पितईराम तथा श्री चन्द्रबली—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

रायबरेली जिले में डाक्टरों के बिना अस्पताल

*७५—श्री पतईराम तथा श्री चन्द्रबली—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रायबरेली के किन–किन अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं और क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रायबरेली जिले के निम्नलिखित चिकित्सालय में डाक्टर नहीं हैं।

(१) कोरिहार सतांव,

(२) ऐहर, तथा

(३) बेहटा कलां महिला चिकित्सालय

इन चिकित्सालयों में डाक्टरों के न होने का कारण प्रदेश में डाक्टरों की अत्यधिक कमी है।

बेसवां को बिजली देने के लिए जांच

*७६--श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़)--क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील इगलास, जिला अलीगढ़ में स्थित बेसवां टाउन एरिया तथा तहसील के अन्य गांवों में बिजली देने की सरकार की कोई योजना है ? अगर हां, तो वह योजना कब तक कार्यान्वित हो जायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिला अलीगढ़ के बेसवां टाउन एरिया के विद्युतीकरण के लिये जांच की जा रही है। इस जांच के समाप्त होने पर ही इस सम्बन्ध में उचित निर्णय लिया जायेगा ।

*७७--श्री शिवदानसिंह--[८ वें मंगलवार के लिये प्रश्न १११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी के चार्जमैन की बर्खास्तगी

*७८--श्री दीपनारायणसिंह तथा श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी, चुर्क, मिर्जापुर के कुछ ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता चार्ज मनों को फक्टरी एरिया के अन्दर मीटिंग करने के आरोप में दिनांक २ मई, १९५६ को मुअत्तल व ३ मई, १९५६ को बर्खास्त किया गया? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--राजकीय सीमेंट फैक्टरी, चुर्क, मिर्जापुर के एक चार्जमैन श्री जयन्तीलाल दूबे को फैक्ट्री एरिया के अन्दर बिना पूर्व अनुमति के मीटिंग करने के आरोप में दिनांक २ मई, १९५६ को मुअत्तल व ३ मई, १९५६ को बर्खास्त किया गया था ।

*७९--श्री दीपनारायणसिंह तथा श्री रघुवीरसहाय कैथवार--क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि क्या २मई,१९५६ की मुअत्तली और ३ मई,१९५६ की बर्खास्तगी के विरुद्ध माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में रिट नम्बर २२३, सन् १९५७ दाखिल की गई थी जिसके द्वारा मुअत्तली व बर्खास्तगी के आरोप दिनांक २३ जुलाई, १९५८ को रद्द करते हुये माननीय जस्टिस श्री जगदीश सहाय ने पुरानी जगह पर सवेतन उन्हें बहाल किया तथा उक्त निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दाखिल स्पेशल अपील नम्बर १३१, सन् १९५९ भी दिनांक ४ नवम्बर, सन् १९६१ में खारिज हो गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रश्न के पहले भाग का उत्तर--जी हां । जहां तक सवेतन बहाली का प्रश्न है माननीय उच्च न्यायालय ने उस विषय में कोई आदेश नहीं दिये थे। प्रश्न के अंतिम भाग का उत्तर--जी हां ।

*८०--श्री दीपनारायणसिंह तथा श्री रघुवीरसहाय कैथवार--क्या प्रदेश सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद के उक्त निर्णयों के आधार पर सरकार ने पुरानी जगह पर मुअत्तली की तिथि से उन्हें बहाल करके दिनांक २ मई, १९५६ से ३१ मार्च, १९६२ तक का वेतन दे दिया ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार ने माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिये आवेदन-पत्र माननीय हाई कोर्ट में दिया है, जो विचाराधीन है। अतः उक्त कारीगर को पुनः सवेतन काम पर रखने के प्रश्न पर विचार उक्त आवेदन पत्र अथवा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय उपरान्त किया जावेगा ।

बस्ती जिले में डकैती, कत्ल और चोरियां

*८१--श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के प्रत्येक थाने में पिछले तीन वर्षों (१९५९, ६० और १९६१) में कितनी डकैती, कत्ल और चोरियां दर्ज हुई हैं ?

*८२—इन वर्षों में इन जुर्मों से सम्बन्धित कितने व्यक्ति पकड़े गये जिन पर कोर्ट से मुकदमा चला है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना एकत्र करने में जितना समय, श्रम तथा धन व्यय होगा, वह प्रश्न में मांगी गई सूचना की उपयोगिता को देखते हुये उचित न होगा ।

उद्योग विभाग के श्री रामस्वरूप भदौरिया द्वारा आत्महत्या

*८३—**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, सन् १९६० में उद्योग विभाग के किसी कर्मचारी ने आत्म हत्या कर ली थी ? यदि हां, तो क्या आत्महत्या के पहले उसने कोई पत्र लिखा था ?

श्री फूलसिंह—जी हां। सन् १९६० में उद्योग निदेशालय के एक लिपिक श्री रामस्वरूप भदौरिया ने आत्म हत्या की थी। आत्म हत्या के बाद उक्त मृतक के पास से एक पत्र बरामद हुआ था।

*८४—**श्री उमाशंकर**—क्या मुख्य मंत्री उस पत्र की प्रतिलिपि या सारांश मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री फूलसिंह—उक्त पत्र की प्रतिलिपि तालिका 'क' पर है ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ३८२ पर)

*८५—**श्री उमाशंकर**—क्या आत्महत्या करने वाले ने तत्समय के उद्योग मंत्री को अपनी दिक्कतों को सूचित किया था ? यदि हां, तो क्या दिक्कतें थीं और सरकार ने उसके निवारण के लिये क्या किया ?

श्री फूलसिंह—इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

जिला परिषद्, चमोली के अध्यापकों का वेतन और सीमान्त भत्ता

*८६—**श्री गंगाधर मैठाणी** (जिला चमोली)—क्या यह सही है कि उत्तराखंड प्रशासन के अधीन जिला चमोली के जिला परिषद् के अध्यापकों का एक शिष्ट मंडल मुख्य मंत्री से वेतन और सीमान्त भत्ते के सम्बन्ध में मार्च, सन् १९६२ में मिला था ? यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या थीं और उन पर क्या निर्णय हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं । जहां तक मुझे स्मरण है, चमोली जिले से जिला परिषद् के अध्यापकों का कोई शिष्ट मंडल गत मार्च में मुझसे नहीं मिला ।

जिला परिषद् खीरी में गबन

*८७—**श्री मन्नालाल**—क्या यह सत्य है कि जिला परिषद्, खीरी में सन् १९५२ के आम चुनाव के टी०ए० का दो हजार रुपया के लगभग उस समय के खजांची ने गबन किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र जांच करवाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्राप्त सूचना के अनुसार अन्तरिम जिला परिषद्, खीरी के खजांची ने सन् १९५२ के आम चुनाव के टी०ए० का २२७ रु० १६ न०पै० गबन किया है। इसकी जांच परिषद् द्वारा की जा रही है ।

*८८—**श्री मन्नालाल**—क्या यह भी सत्य है कि गरीब अध्यापकों के जाली हस्ताक्षर बनाकर खजांची रुपया खा गये ? यदि हां, तो क्या शीघ्र इस पर सरकार ठोस कदम उठाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--सत्य है कि जो रुपया गबन हुआ यह अध्यापकों का टी०ए० था । इस सम्बन्ध में परिषद् द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

*८९--**श्री मन्नालाल**--[७ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न १२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जिला परिषद् सीतापुर

*९०--**श्री बिपिनबिहारी तिवारी** (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जिला परिषद्, सीतापुर के अध्यक्ष को एक सदस्य द्वारा कोई ऐसा पत्र भेजा गया था कि दिनांक १४ मार्च, १९६२ को होने वाली बैठक स्थगित कर दी जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी हां । अध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद्, सीतापुर ने बैठक स्थगित करना उचित नहीं समझा ।

*९१--**श्री बिपिनबिहारी तिवारी**--क्या यह सही है कि उक्त जिला परिषद् की बैठक में नव-निर्वाचित विधायकों को नहीं बुलाया गया ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी हां । नव निर्वाचित विधायकों को उक्त बैठक में इ सलिये नहीं बुलाया गया कि बैठक की सूचना भेजने के दिन तक नव-निर्वाचित विधायकों के सम्बन्ध में आवश्यक विज्ञप्ति न तो गजट में प्रकाशित हुई थी और न चुनाव कार्यालय से ही कोई सूचना परिषद् को प्राप्त हुई थी । बैठक की तिथि दिनांक १४ मार्च, १९६२ तक विधायकों द्वारा अपने-अपने पदों की शपथ भी ग्रहण नहीं की गई थी ।

ग्राम लमियारी में श्री जगन्नाथसिंह की कथित हत्या

*९२--**श्री मतोलासिंह** (जिला बांदा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम लमियारी, थाना कमासिन, जिला बांदा में जगन्नाथसिंह की दिन दहाड़े हत्या अक्तूबर, सन् १९६१ में कर दी गई ? यदि हां, तो उक्त मामले में आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--ग्राम लमियारी के जगन्नाथ की हत्या के बारे में एक अफवाह फैली थी । उसकी जांच की गई परन्तु अफवाह की पुष्टि न हो सकी । अतः आगे कोई कार्यवाही न की गई ।

*९३--**श्री मतोलासिंह**--क्या यह सच है कि उक्त घटना के हत्यारे अब भी सीना ताने घूम रहे हैं, और पुलिस उनको नहीं पकड़ती है और इस घटना की रिपोर्ट थाने वालों ने नहीं लिखी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं । कथित हत्या के बारे में कोई रिपोर्ट किसी ने नहीं लिखाई और न हत्या की अफवाह की ही पुष्टि हो सकी । अतः अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*९४--**श्री मतोलासिंह**--क्या सरकार का ध्यान नवजीवन अखबार २७ अक्तूबर, १९६१ की ओर गया है ? जिसमें उक्त घटना का वर्णन है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां । जांच की गई । परन्तु जांच से उक्त अखबार में दी हुई कोई बात सही नहीं पाई गई ।

लोहबा गैरसैण जूनियर हाई स्कूल

*९५—श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—लोहबा और गैरसैण पट्टियों की शिक्षा की दिशा में अत्यन्त पिछड़ी हुई दशा पर विचार करने की कृपा कर क्या सरकार इस वर्ष लोहबा गैरसैण जूनियर हाई स्कूल (जिला चमोली) के उच्चीकरण और प्रदेशीयकरण करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह मामला शासन के विचाराधीन है।

जोशीमठ उच्च माध्यमिक विद्यालय

*९६—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष सरकार जोशीमठ (जिला चमोली) उच्च माध्यमिक विद्यालय के साइन्स सहित उच्चीकरण करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस विद्यालय का इस वर्ष जुलाई माह से इण्टर स्तर तक उच्चीकरण कर दिया गया है। पर अभी इण्टर सेक्सन में साइंस कक्षा नहीं खोली गई है।

*९७-९८—श्री बालोजी अग्रवाल—[६ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ३०५-३०६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*९९—श्री काशीनाथ—[हटा दिया गया।]

डाक्टरों के बिना अस्पताल

*१००—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कुल कितने अस्पताल हैं जहां पर १ मास से लेकर ६ मास तक, ६ मास से लेकर १ साल तक, १ साल से लेकर २ साल तक, २ साल से अधिक से डाक्टर नहीं हैं और इनकी कमी कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिन चिकित्सालयों में १ मास से ६ मास तक से, ६ मास से १ साल तक से, १ साल से २ साल तक से तथा २ साल से अधिक काल से डाक्टर नहीं हैं, उनकी सूची† संलग्न है। इस समय प्रदेश में डाक्टरों की बहुत कमी है जिसको दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं अतएव जैसे ही वांछित संख्या में डाक्टर उपलब्ध हो जायेंगे, यह कमी पूरी हो जायगी।

मऊ थाने के इंचार्ज के विरुद्ध शिकायतें

*१०१—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—क्या यह सत्य है कि सरकार की जानकारी में मऊ (जिला झांसी) थाने के इन्चार्ज के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी के एम० एल० ए० व अन्य व्यक्तियों द्वारा भी बहुत संगीन अभियोगों सहित सरकार को शिकायतें मिली हैं? अब तक थानेदार को मऊ थाने के इन्चार्ज के पद से न हटाने का क्या कारण है ? क्या एस० ओ० की उसी थाने पर रहते हुये निष्पक्ष जांच हो सकती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एस० ओ० थाना मऊ रानीपुर के विरुद्ध श्री काशीप्रसाद द्विवेदी एम० एल० ए० का एक शिकायती पत्र दिनांक ४-४-६२ को प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त उक्त एस० ओ० के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अत्याचार आदि आरोपों के विषय में श्री बैजनाथ गुप्त निवासी मऊ रानीपुर का एक शिकायती पत्र दिनांक २१-४-६२ तथा उनके कई तार भी प्राप्त हुए थे।

---

† सूची छापी नहीं गई।

श्री काशीप्रसाद एम०एल० ए० के शिकायती पत्र में ए० ओ० के विरुद्ध लगाये गये आरोप डी० एस० पी० द्वारा की गई जांच के फलस्वरूप सही नहीं पाये गये। चूंकि शिकायत में कोई तथ्य नहीं पाया गया इसलिये उक्त थानेदार को थाना इंचार्ज के पद से हटाने का प्रश्न नहीं उठा।

चूंकि थानेदार के विरुद्ध शिकायत की जांच उच्च पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है, इसलिये उनमें किसी प्रकार की रुकावट की कोई सम्भावना नहीं होती है।

सेक्रेटेरियट में आई० ए० एस० अधिकारी

*१०२--**श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा** तथा **श्री दयाराम** (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बतायेगी कि ३ वर्ष से अधिक आई० ए० एस० तथा आई० ई० एस० कितने अधिकारी सेक्रेटेरियेट में किन-किन पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--आई० ए० एस० अफसरों की संख्या १३ है। आई० ई० एस० अफसर सचिवालय में कोई नहीं है।

*१०३--**श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा** तथा **श्री दयाराम**--क्या सरकार उन अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ३८३ पर)

ग्राम अट्टा, थाना बिसरख, में देहली की पुलिस द्वारा आतंक

*१०४--**श्री रामचन्द्र विकल**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम अट्टा थाना बिसरख, जिला बुलन्दशहर ने निवासियों के दिसम्बर, १९६० व जनवरी, १९६१ में तत्कालीन गृह मंत्री को यह शिकायत दी थी कि देहली की पुलिस ग्राम में आकर लोगों को आतंकित करती है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत तत्कालीन गृहमंत्री को प्राप्त नहीं हुई।

चीनी मिल मजदूरों को बोनस

*१०५--**श्री नरसिंहनारायण**--क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेबर एपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक चीनी मिल मजदूरों को कितना बोनस प्रदेश की हर चीनी मिल में इस वर्ष मिलेगा तथा वेज बोर्ड के फैसले के मुताबिक कितना मिल रहा है ? यदि कम मिल रहा है, तो क्या श्रम मंत्री उत्पादन क्षमता को देखते हुये कमी को पूरा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--१९६०-६१ के सीजन का बोनस मिल मालिकों तथा मजदूरों के प्रतिनिधियों के बीच हुये समझौते के अनुसार ३७,५७,९१७ रुपया देने का आदेश हुआ है। लेबर एपीलेट ट्रिब्यूनल के फारमूले के अनुसार बोनस मिलने तथा कथित कमी को पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सई नदी का पुल

*१०६--**श्री भोखालाल**--क्या सरकार को पता है कि कस्बा मोहान, जिला उन्नाव के पास सई नदी पर बना हुआ पुल १९६० की बाढ़ से व पुनः १९६१ की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ था ? यदि हां, तो १९६० में उसकी मरम्मत के लिये कितना धन व्यय किया गया और १९६१ में कितना धन व्यय किया गया और पुल की पूर्णतया मरम्मत हो गई है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--उक्त पुल अंतरिम जिला परिषद् उन्नाव के अधिकार में है अतः उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी परिषद् की है ।

*१०७--**श्री भीखालाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि उक्त पुल को इन्जीनियरों ने भारी बोझ बरदास्त करने के अयोग्य घोषित कर दिया है? यदि हां, तो क्या उसके पुनः निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्रीमती सुचेताकृपालानी--जिला परिषद् के प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त पुल के संबंध में इन्जीनियरों ने कोई ऐसी घोषणा नहीं की है ।

*१०८--**श्री राजेन्द्रसिंह**--[हटा दिया गया ।]

*१०९-११०--**श्री मतोलासिंह**--[७ वें सोमवार के लिये प्रश्न २७-२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

बैरिया विकास खंड की दीमक मारक दवा

*१११--**श्री काशीनाथ**--क्या सरकार को पता है कि बलिया जिले के बैरिया विकास खंड से दीमक मारक दवाओं की बिक्री कालाबाजर में की गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी नहीं ।

*११२--**श्री काशीनाथ**--क्या सरकार के पास दीमक मारक दवाओं की चोर बाजार में बिक्री होने की शिकायत आयी है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्य-वाही की और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बांदा में उद्योग अनुदान तथा ऋण

*११३--**श्री बृजमोहनलाल गुप्त**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९५७ से जिला बांदा में उद्योग विभाग से कितना अनुदान तथा ऋण किन-किन व्यक्तियों को किस-किस उद्योग के लिये दिया गया है ?

श्री फूलसिंह--१ जनवरी, १९५७ से ३१ मार्च, १९६२ तक जिला बांदा में "ऋण तथा अनुदान योजना" के अन्तर्गत १८१ व्यक्तियों को कुल ४,४४,५०० रुपया ऋण तथा २ व्यक्तियों को कुल ६०० रुपया अनुदान वितरित किया गया ।

विस्तृत सूचना को सदन की मेज पर रखने में काफी धन, समय तथा परिश्रम लगेगा। अतः यदि माननीय सदस्य इस संबंध में और जानकारी प्राप्त करना चाहें तो वह कृपया मेरे दफ्तर में आकर प्राप्त करलें ।

*११४--**श्री बृजमोहनलाल गुप्त**--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऋण लेने वालों में कितने लोगों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है जिसके वास्ते ऋण लिया गया है? जिन्होंने रुपया इस्तेमाल नहीं किया है उसके क्या कारण हैं ?

श्री फूलसिंह--उपरोक्त में से १४६ ऋण प्राप्त करने वालों ने ऋण का उचित उपयोग करके कार्य प्रारम्भ कर दिया है ।

शेष व्यक्तियों ने कच्चा माल न मिलने, उद्योग में अभिरुचि न होने आदि के कारण ऋण का उचित उपयोग नहीं किया ।

थाना मीरा में चिल्ड्रेन पार्क

*११५—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना मीरा जिला खीरी के कम्पाउन्ड में चिल्ड्रेन पार्क (बालोद्यान) हाल में बना है? उस पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। ५०० रुपये व्यय हुये हैं।

ग्राम मियांगंज, जिला उन्नाव की ग्रामसभा के पंचायत-धन के गबन की शिकायत

*११६—श्री छेदालाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम मियांगंज, जिला उन्नाव के निवासियों ने ग्राम सभा के प्रधान के खिलाफ पंचायत के धन के गबन की शिकायती दरख्वास्तें जिला नियोजन अधिकारी, उन्नाव व एस० डी० ओ० हसनगंज को २१ जनवरी, १९६२ को व विकास क्षेत्र अधिकारी, मियागंज को ३ फरवरी, १९६२ व १० मार्च, १९६२ को दी थीं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। इन शिकायतों की जांच सहायक जिला पंचायत अधिकारी, उन्नाव तथा तहसीलदार, हसनगंज द्वारा की गई।

*११७—श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद —[माननीय सदस्य के सदस्यता से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिया गया।]

बिन्दकी तहसील के लेखपालों तथा अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों का भत्ता

*११८—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के अन्तर्गत बिन्दकी तहसील के लेखपालों तथा अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों को सामान्य पंचायतों के चुनाव का यात्रा भत्ता व अन्य देय भत्ता दे दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन लेखापालों और अध्यापकों को कितना-कितना ? यदि देना अवशेष है तो किन-किन अध्यापकों और लेखपालों को कितना-कितना ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—गत पंचायतों के सामान्य निर्वाचन में चुनाव कार्य करने के लिये फतेहपुर की बिन्दकी तहसील के अन्तर्गत ४९ अध्यापकों तथा ५ लेखपालों को क्रमशः १३,१९.५९ रु० तथा ७८.७७ रु० यात्रिक तथा दैनिक भत्ते के रूप में दिये जा चुके हैं। शेष २६२ अध्यापकों के ८००० रुपये के बिलों का पूर्व समीक्षा होने के पश्चात् भुगतान हो जायेगा। इन ५ लेखपालों के अतिरिक्त किसी अन्य लेखपाल का बिल जिला पंचायत अधिकारी, फतेहपुर के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

*११९—श्री रामकिशोर वर्मा—क्या विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक भत्ता न प्रदान करने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—अभी तक भत्ता न दिये जाने का कारण यह है कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा बिल समय के अन्दर तथा नियमानुसार पेश नहीं किये जा सके तथा बाद में पूर्व समीक्षा की आवश्यकता हो गयी।

पब्लिक सेक्टर के उद्योग

*१२०—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान समय में कितने कौन-कौन उद्योग हैं जो राज्य सरकार Public sector द्वारा चालित हैं ?

*१२१—क्या सरकार उपरोक्त उद्योगों के बारे में निम्नलिखित ब्योरा देने की कृपा करेगी :

(क) कुल पूंजी लागत, (ख) पिछले तीन वर्षों में आय तथा व्यय, (ग) पिछले तीन वर्षों की हानि या लाभ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राज्य सरकार द्वारा चालित उद्योग विभाग से संबंधित उद्योगों के विषय में बांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ३८४-३८५ पर)

जिला मिर्जापुर में कुआं बनवाने के लिये रुपया देना

*१२२—**श्री गिरधारीलाल** (जिला वाराणसी)—क्या विकास मंत्री जी बतायेंगे कि जिला मिर्जापुर में कुआं बनवाने के लिये पिछले तीन साल में किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना रुपया दिया गया ? क्या जिन-जिन लोगों को रुपये कुएं के लिये दिये गये हैं उनमें ग्राम समाज के सभापति तथा मंत्री भी हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—चूंकि यह सूचना ३७ टाइप किये हुये पृष्ठों में है अतः माननीय सदस्य इसे विकास मंत्री के कार्यालय में देख सकते हैं। इन व्यक्तियों में ग्राम सभापति और पंचायत मंत्री भी सम्मिलित हैं ।

*१२३—**श्री गिरधारीलाल**—क्या मंत्री जी ऐसे कार्य की जांच कराने का कष्ट करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्न स्पष्ट नहीं है ।

बलिया जिले में गवर्नमेंट ट्रेजरर का ग्राम प्रधान के पद पर होना

*१२४—**श्री काशीनाथ**—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि गवर्नमेंट ट्रेजरर ग्राम प्रधान के पद पर रह सकता है ? यदि हां, तो बलिया जिले में गवर्नमेंट ट्रेजरर दस साल से ग्राम प्रधान के पद पर क्यों बना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं । बलिया जिले में इस समय कोई गवर्नमेंट ट्रेजरर गांव सभा के प्रधान पद पर आसीन नहीं है।

राजकीय अधिकारियों को ५५ वर्ष की आयु सीमा से छूट

*१२५—**श्री सूबेदारसिंह** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ५५ वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण का नियम पारित होने के पश्चात् अब तक कुल कितने अवकाश ग्रहण करने वाले राजकीय अधिकारियों को आयु सीमा से छूट मिल गयी है ? वे किस-किस विभाग के हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मांगी हुई सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ३८६ पर)

ग्राम मरदह, बिरनो तथा जखनयां ब्लाक के गांवों में खड़ंजा

*१२६—**श्री झिलमिट राम**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के अन्तर्गत ग्राम मरदह, बिरनो तथा जखनियां ब्लाक के किन-किन गांवों में अब तक खड़ंजा लगाया गया है ? उसमें कितना खर्च पड़ा है तथा उसमें ग्राम सभाओं ने कितना अदा किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—वांछित सूचना संलग्न विवरण में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ३८७–३८८ पर)

मेहदावल थाने के दरोगा के खिलाफ शिकायतें

*१२७—श्री जगदीशप्रसाद (जिला बहराइच)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेहदावल थाने के वर्तमान दारोगा के खिलाफ कितनी शिकायतें लिखित रूप में हुईं और उसके लिये क्या कार्यवाही की गई या की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेहदावल थाने के वर्तमान दारोगा के विरुद्ध ६ लिखित शिकायतें प्राप्त हुईं जिनकी जांच पुलिस उपाधीक्षक (परिवाद) ने की। उक्त शिकायतों में से एक में दरोगा को उनकी सत्यशीलता का प्रमाण पत्र रोकने के लिए नोटिस दी गई है। शेष शिकायतों में आरोप सिद्ध नहीं हुए।

*१२८—श्री जगदीशप्रसाद—उपरोक्त थाने के अन्तर्गत जमुआरिन ग्राम, जो दिन दहाड़े समूचा गांव लूट लिया गया था, उसके संबंध में सरकार ने क्या किया या क्या करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न में उल्लिखित गांव लूटे जाने की कोई घटना नहीं हुई, बल्कि दिनांक १८–३–६१ की शाम को ग्राम में ५ व्यक्तियों पर कुछ अभियुक्तों द्वारा सशस्त्र हमला किये जाने की एक घटना हुई जिसके फलस्वरूप ३ व्यक्ति घटनास्थल पर मर गए तथा १ अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मर गया। उक्त घटना धारा १४८/३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज की गई तथा जांच होने के उपरान्त अभियुक्तों का चालान किया गया। १८ अभियुक्त सजायाब हुए जिनमें से ३ को मृत्यु दंड मिला।

उन्नाव जिले में लघु उद्योग योजना के अन्तर्गत सरकारी ऋण

*१२९—श्री गोपीनाथ दीक्षित—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में लघु उद्योग योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को सरकारी ऋण दिया गया और उस ऋण से कितने उद्योग स्थापित हुये हैं ?

श्री फूलसिंह—वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में जिला उन्नाव में लघु तथा कुटीर उद्योगों हेतु ३६ व्यक्तियों को ऋण दिया गया तथा उस ऋण से अब तक २१ उद्योग स्थापित हो चुके हैं।

गन्ना विभाग के सरकारी कर्मचारी

*१३०—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गन्ना विभाग के अधिकांश सरकारी कर्मचारी १०–१५ वर्ष या उससे भी अधिक कार्य के पश्चात् अभी तक अस्थायी हैं ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जी हां। कारण यह है कि विकास योजना के अन्तर्गत सन् १९४८ से स्वीकृत विभिन्न पद ही अभी तक अस्थायी है।

*१३१—श्री शारदानन्द—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गन्ना विकास विभाग के लिपिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में हाल में कोई चुनाव हुआ था ? यदि हां, तो सरकार चुने हुये व्यक्तियों की सूची सदन के सामने रखने का कष्ट करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जी हां। गत दिसम्बर, १९६१ में एक चुनाव हुआ था। चुने हुए अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ ३८९ पर)

*१३२—श्री शारदानन्द—उस चुनाव के आधार पर क्या कोई वेटिंग लिस्ट भी है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—चुनाव के आधार पर वेटिंग लिस्ट बनी थी ।

मड़ियाहूं तहसील में उद्योग के लिए धन

*१३३—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री जगन्नाथ—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले क अन्तर्गत मड़ियाहूं तहसील में उद्योग के लिये सन् १९६१–६२ में किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना धन किस-किस उद्योग के लिये प्रदान किया गया है ?

श्री फूलसिंह—वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'न' आगे पृष्ठ ३९० पर)

सहारनपुर में मेडिकल कालेज

*१३४—श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी जिलों की मांग तथा डाक्टरों के अभाव को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार कोई मेडिकल कालेज सहारनपुर में खोलने का है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, क्योंकि मेरठ में, जो एक पश्चिमी जिला है, एक मेडिकल कालेज आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर खोलने का निर्णय सरकार ने किया है ।

सहारनपुर जिला अस्पताल के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*१३५—श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि सहारनपुर जिला अस्पताल के कर्मचारियों के विरुद्ध दो साल में रोगियों से दुर्व्यवहार की कोई शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या ध्यान दिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तीन शिकायतें मिली थीं । दो की जांच करने से पता चला कि उनमें कोई तत्व नहीं था । तीसरी शिकायत करने वाले बुलवाने पर उपलब्ध न हो सके, अतः उस शिकायत की जांच न की जा सकी । फिर भी वहां के सभी कर्मचारियों को रोगियों के प्रति मृदु भाषी रहने तथा विनम्र व्यवहार करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

मोटर दुर्घटनाएं

*१३६—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में सन् १९५९, ६०, ६१ में तथा जनवरी लगायत मार्च, १९६२ तक कितनी मोटर दुर्घटनायें हुई ? उनमें कितनी मौतें हो गईं और कितने लोग घायल हुये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना एकत्रित करने में जितना समय, श्रम तथा धन व्यय होगा, वह प्रश्न में मांगी गई सूचना की उपयोगिता को देखते हुए उचित न होगा ।

*१३७—श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में बढ़ती हुई मोटर दुर्घटनाओं को रोकने के लिये अब तक सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाये हैं और आगे क्या उठाए जा रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचन संलग्न है ।

(देखिय नत्थी 'प' आगे पृष्ठ ३९१ पर)

पटियाली में अस्पताल

*१३८—श्री राजेन्द्रसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि जिला एटा में स्थित पटियाली कस्बे में उसका अस्पताल बनाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—विकास खंड पटियाली जिला एटा में एक अस्पताल बनाने की योजना है। अपस्ताल भवन के पूर्ण निर्माण होने की सम्भावना १९६३-६४ तक है।

नगरपालिका कर्मचारी संघ, अमरोहा का रजिस्ट्रेशन नम्बर

*१३९—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किन कारणों से अब तक नगरपालिका कर्मचारी संघ अमरोहा का रजिस्ट्रेशन नम्बर नहीं दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—नगरपालिका कर्मचारी संघ, अमरोहा नाम की किसी यूनियन के रजिस्ट्रेशन के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन्स, उत्तर प्रदेश को प्राप्त नहीं हुआ है। अतएव रजिस्ट्रेशन नम्बर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

चतुर्थ श्रेणी के राज्य कर्मचारियों को छुट्टियां

*१४०—श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार के किन-किन-विभागों के चतुर्थ श्रेणी के राज्य कर्मचारियों को रविवार की साप्ताहिक छट्टी राष्ट्रीय पर्वों की तथा त्योहारों की छुट्टियां नहीं दी जाती हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसे कोई विभाग नहीं हैं।

*१४१—श्री रियासत हुसैन—[७ वें शुक्रवार के लिए प्रश्न १७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिला एटा का लालाराम डकैत

*१४२—श्री यशपाल (जिला सहारनपुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा का लाला राम डकैत जो कि सम्पूर्णानन्द कैम्प से भागा था ? कब कहां और किन हालात में मारा गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक २२-३-६२ को यह सूचना मिलने पर कि लालाराम डकत अपने गिरोह के साथ जिला एटा के ग्राम नगला मेवा में छिपा हुआ है, पुलिस पार्टी तत्काल उस स्थान पर पहुंची। पुलिस पार्टी और डाकुओं के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने के फलस्वरूप लालाराम डकैत की मृत्यु हो गई।

*१४३—श्री यशपाल—क्या गृह मन्त्री इस वाक्ये की जांच C. I. D. द्वारा करायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय सी० आई० डी० द्वारा उक्त घटना के संबंध में जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*१४४—श्री रघुवीर सहाय—[२३ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

फर्रुखाबाद जिले में क्षेत्रीय विकास समिति ताल ग्राम की इमारत

*१४५--कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में क्षेत्रीय विकास समिति ताल ग्राम की इमारत किस जगह पर और कब बन रही है ? क्या सरकार की तरफ से इस प्रकार के आदेश हैं कि जिस नाम से ब्लाक हों उसी जगह इमारत बनाई जाये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--क्षेत्रीय विकास समिति तालिग्राम ने उक्त ब्लाक की इमारतें बनाने के संबंध में कोई स्थान अभी तक निश्चित नहीं किया है ।

जिस स्थान के नाम से ब्लाक हो, इमारतें उसी जगह बनायी जायं---इस आशय का कोई राजकीय आदेश नहीं है ।

विकास खंड अमरिया के कार्यालय में वाउचर

*१४६---श्री अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल)---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि जिला पीलीभीत के अन्तर्गत विकास खंड अमरिया के कार्यालय में कितने वाउचर ऐसे पड़े हुये हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---ऐसा एक भी वाउचर नहीं है ।

जिला गोंडा में नये थाने स्थापित करने तथा टेलीकोन लगाने की जानकारी

*१४७---श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या जिला गोंडा में वह कोई नया थाना या पुलिस चौकी बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं ।

*१४८---श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या गोंडा जिला, तहसील उतरौला में रेहरा, मोती गंज तथा साबरपुर में कोई पुलिस चौकी या थाना बनाने पर विचार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ऐसे प्रस्ताव के प्राप्त होने पर यथोचित विचार किया जायगा ।

*१४९---श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला गोंडा में कितने थानों में स्थाई टेलीफोन की व्यवस्था है और किनमें इस वर्ष लगवाने का विचार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---गोंडा जिले के पांच थानों में स्थाई टेलीफोन की व्यवस्था है तथा दो अन्य थानों पर टेलीफोन लगने वाले हैं ।

नियोजन विभाग, जिला मुजफ्फरनगर, में फर्नीचर

*१५०---श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला मुजफ्फरनगर नियोजन विभाग में मार्च, १९६२ में फर्नीचर बनवाया गया है ? यदि हां तो यह फर्नीचर कितनी रकम की लागत का बना है ? और किसके द्वारा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। मार्च सन् १९६२ में मैसर्स गंगा प्रसाद एण्ड सन्स मुजफ्फरनगर द्वारा १६,९३८.५० रु० की लागत का फर्नीचर बनवाया गया।

*१५१—श्री हरीशकुमार गंगवार—[हटा दिया गया।]

*१५२-१५३—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—[हटा दिये गये।]

*१५४—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद टी० बी० अस्पताल में नया वार्ड तथा पानी की कमी

*१५५—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद टी० बी० अस्पताल में पानी की बहुत कमी है? यदि हां, तो उसके निवारण के लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। इस कमी को दूर करने के लिये नक्शे तथा २५,००० रुपये के तखमीने पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा जल निर्माण विभाग कार्य प्रारम्भ करने के निमित्त आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

*१५६—श्री बंशीलाल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इलाहाबाद टी० बी० अस्पताल के लिये कुछ नये कमरे बनाने की योजना है? यदि हां, तो कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—टी० बी० अस्पताल, इलाहाबाद में १,२६,००० रुपये की लागत से एक २८ शैय्याओं वाले वार्ड का निर्माण हो रहा है। इस समय यह बताना कठिन है कि यह वार्ड कब तक बन कर तैयार हो जायगा।

*१५७-१५९—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

पुलिस रेडियो सेक्शन

*१६०—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि "पुलिस रेडियो सेक्शन" पुलिस विभाग के अधीन है या पी० ए० सी० के? यदि पुलिस विभाग के अन्तर्गत है तो इस पर पी० ए० सी० ऐक्ट क्यों लागू है और उसकी धारा ८ के अन्तर्गत सेल इन्ड क्यों दिया जाता है? यदि पी० ए० सी० के अन्तर्गत है तो पी० ए० सी० एलाउन्स क्यों नहीं दिया जाता?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पुलिस रेडियो सेक्शन तथा पी० ए० सी० दोनों पुलिस विभाग के अंग हैं, परन्तु रेडियो सेक्शन विशेष अनुशासन (Discipline) की आवश्यकताओं के कारण पी० ए० सी० का ही एक भाग माना जाता है। अतः उसके कर्मचारी भी पी० ए० सी० ऐक्ट की धाराओं के अन्तर्गत दंडित होते हैं। तथाकथित पी० ए० सी० एलाउन्स एक स्पेशल पे है जो कि पी० ए० सी० के कर्मचारियों को उनकी विशेष प्रकार की ड्यूटी के प्रतिफल में दी जाती है। चूंकि रेडियो सेक्शन के कर्मचारियों की ड्यूटी पी० ए० सी० के कर्मचारियों से भिन्न है और उनका वेतन भी अधिक है, अतः उन्हें पी०ए०सी० स्पेशल पे दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

*१६१—श्री सहदेवसिंह—क्या गृह मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त सेक्शन के "असिस्टेंट वायरलेस आपरेटर और हेड वाइरलेस आपरेटर" किस रैंक में शुमार किये जाते हैं? उनके वेतनों में तथा उसी रैन्क के अन्य कर्मचारियों के वेतनों में कितना अन्तर है और क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—असिस्टेन्ट वायरलेस आपरेटर का रैन्क कान्सटेबिल का है तथा हेड वायरलेस आपरेटर का रैंक हेड कांस्टेबिल का है। उनके वेतन-क्रम इस प्रकार हैं :—

असिस्टेंट वायरलेस आपरेटर		कांस्टेबिल
वर्तमान	पुलिस कमीशन की सिफारिशों को विचार करने के उपरान्त	
६०.९०	७५.१०५	४५.७०
हेड वायरलेस आपरेटर		हेड कांस्टेबुल
६०.११०	१००.२००	६५.९०

वेतन-क्रमों में अन्तर रेडियो सेक्शन के कर्मचारियों की उच्चतर शिक्षा और टेक्निकल ज्ञान के कारण है।

थाना लहरपुर में हवालात न होना

*१६२—**श्री बिपिनबिहारी तिवारी**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर, थाना लहरपुरा में हवालात नहीं है? यदि हां, तो कब तक बन कर तैयार हो जायेगी? कितना खर्चा आवेगा? अब तक हवालातियों को कहां पर रखा जाता था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। मदाना हवालात नहीं है। समस्त थाने के नये भवन के निर्माण के हेतु आदेश जारी किये जा चुके हैं। अभी यह बताना कठिन है कि कब तक भवन तैयार हो जावेगा। इस निर्माण-कार्य की अनुमानित लागत ९५,००० रु० की है। इस समय पुरुष हवालातियों को जनाना हवालात में रखा जाता है।

आगरा जिले में पत्थर की खदानों के पट्टे

*१६३—**श्री बालोजी अग्रवाल** (जिला आगरा)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने पत्थर की खदानों (Stone quarries) को Mines घोषित करने के आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो सरकार ने खदानों के पट्टे देने के सम्बन्ध में कोई नियम बनाये हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रथम भाग—जी हा। द्वितीय भाग—पट्टे माइन्स ऐन्ड मिनरल्स रेगुलेशन ऐन्ड डेवलपमेन्ट ऐक्ट तथा मिनरल कन्सेशन रूल्स के अन्तर्गत दिये जाते हैं।

*१६४—**श्री बालोजी अग्रवाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिल से पत्थर की खदानों को पट्टे पर लेने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं, और उन पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—खदानों को पट्टे पर लेने के लिये कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं और इन पर विचार हो रहा है।

*१६५—**श्री बालोजी अग्रवाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने आगरा जिला अधिकारियों को पत्थर की खदानों का नीलाम करने का आदेश दिया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार की ओर से ऐसे कोई आदेश नहीं दिये गये थे, परन्तु सामान्य प्रथानुसार, जिलाधिकारी गांव समाज की भूमि में स्थित पत्थर की खदानों का नीलाम किया करते हैं।

जिला बलिया के ग्रामों का विद्युतीकरण

*१६६—**श्री गंगाप्रसादसिंह** (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला बलिया के किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण होना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिन नगरों और ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायगा उनकी छानबीन की जा रही है। अब तक बलिया जिले के निम्नलिखित नगरों के विद्युतन की स्वीकृति दे दी गयी है—

१—रेवती,
२—सोनबरसा,
३—मनियार,
४—सियार (बेलथरा रोड)।

नमैनी मौजा में सरकारी अस्पताल

*१६७—**श्री गिरवरप्रसाद** (जिला एटा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नमैनी मौजा, तहसील कासगंज, जिला एटा, परगना बिलराम में सरकारी अस्पताल बनने का ठेका १९५७-५८ ई० को दिया गया था ? यदि हां, तो किसको दिया गया था ? कितने का ठेका दिया गया था और उसका Estimate क्या था, ठेकेदार को कितना advance दिया और यह बन कर तैयार हुआ या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ग्राम नमैनी, तहसील कासगंज, जिला एटा में तत्कालीन जिलाधीश के आदेशानुसार जनता के चन्दे से राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय के भवन निर्माण का ठेका १९५७-५८ में श्री भोला नाथ, ठेकेदार, निवासी बचगाई को २१,००० रुपये में दिया गया था। इस कार्य पर ७,३०० रुपये ठेकेदार के आंशिक कार्य करने के लिये दिये जा चुके हैं, भवन अभी तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि ठेकेदार के पास धन लगाने को नहीं है और जो कार्य उसने किया है वह भी निम्न श्रेणी का है, अब वह बिना अग्रिम धन प्राप्त किये भवन बनाने तथा उसमें सुधार करने को तैयार नहीं है। अग्रिम धन का देना सम्भव नहीं है, क्योंकि ठेकेदार ने जितने मूल्य का कार्य अब तक किया है उससे अधिक रुपया उसको दिया जा चुका है।

*१६८—**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद**—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

हरदोई जिले में गन्ना विकास सहकारी समिति

*१६९—**श्री पूरनलाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिला में गन्ना विकास सहकारी समिति के डाइरेक्टरों का चुनाव तथा वार्षिक जनरल मीटिंग पिछले कितने वर्षों से नहीं हुई है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—कोई भी वार्षिक साधारण सभा होना शेष नहीं है, अतः सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई जिले में पुलिस द्वारा मृत्युएं तथा लाइसेन्सों की मंजूरी

*१७०—**श्री परमाई** (जिला हरदोई)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६० ई० से अप्रैल सन् १९६२ ई० तक हरदोई जिले में किन लोगों की पुलिस द्वारा मृत्यु हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त अवधि में ७ व्यक्तियों की मृत्यु पुलिस के हाथों हुई।

*१७१–**श्री परमाई**––क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले में फसली सन् १९६१ से मार्च सन् १९६२ ई० तक कितने लाइसेंसदारों के लाइसेंस जिलाधीश द्वारा खारिज कर दिये गये और कितने लोगों को नये लाइसेंस मंजूर किये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––इस अवधि में १२२ लाइसेंस खारिज किये गये तथा ४१ नये लाइसेंस मंजूर किये गये ।

हमीरपुर जिले में कत्ल व डकैतियां

*१७२–**श्री डूंगरसिंह** (जिला हमीरपुर)––क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों में प्रतिवर्ष हमीरपुर जिले में अलग-अलग कितने कत्ल और कितनी डकैतियां हुईं ?

*१७३–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इनमें से कितने कत्ल और कितनी डकैतियां trace out नहीं हुईं, कितने कत्ल और कितनी डकैतियां सजायाब हुईं और कितने कत्ल और कितनी डकैतियों के मुकदमें छूट गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'फ' आगे पृष्ठ ३९२ पर)

*१७४––**श्री डूंगरसिंह**––क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिक कत्ल और डकैतियों को देखते हुये, सरकार हमीरपुर जिले में कुछ नई पुलिस चौकियां खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनी और कहां-कहां पर ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––हमीरपुर जिले में नई पुलिस चौकियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

*१७५––**श्री रामसिंह**––[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

जिला उद्योग अधिकारी, खीरी के विरुद्ध आरोप

*१७६––**श्री छेदालाल चौधरी**––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला उद्योग अधिकारी, खीरी के विरुद्ध गत आम चुनाव में पक्षपात तथा अनुचित हस्तक्षेप करने के गम्भीर आरोप सम्बन्धी शिकायत, वर्तमान जिलाधीश खीरी से की गयी थी ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही अब तक की है ?

श्री फूलसिंह––जी हां । इस सम्बन्ध में जांच की गई जिससे यह विदित हुआ कि जिला उद्योग अधिकारी ने किसी व्यक्ति या दल विशेष के साथ कोई पक्षपात तथा अनुचित हस्तक्षेप-पूर्ण व्यवहार नहीं किया । फलतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१७७–**श्री छेदालाल चौधरी**––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला उद्योग विभाग, खीरी द्वारा कुछ वर्षों पूर्व एक भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के सगे-सम्बन्धी को वन उद्योग के विकास के लिये कई हजार रुपया दिया गया था और जिसका उपयोग अब तक उसमें उल्लेख नहीं किया गया है ?

श्री फूलसिंह––जी हां । ऋण की सम्पूर्ण धनराशि ब्याज सहित उनसे वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री सत्यनारायण की जे० के० काटन स्पिनिंग ऐन्ड वीविंग कम्पनी, कानपुर में नौकरी

*१७८—**श्री रक्षपालसिंह** (जिला फतेहपुर)—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर को दिनांक २८ सितम्बर, १९६१ को नौकरी से अलग किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र श्री सत्यनारायण, टिकट १४७०, कर्मचारी जे० के० काटन स्पिनिंग ऐन्ड वीविंग कम्पनी, कानपुर के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों ने उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की तथा उक्त मामले का निर्णय कब तक हो सकेगा?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। जांच के बाद संबंधित यूनियन को मामला संराधन समिति में ले जाने की राय दी गई, मामला संराधन समिति में गया और ३० जून, १९६२ को दोनों पक्षों में समझौता हो गया।

सीतापुर में पोस्ट-मार्टम

*१७९—**श्री अवधनारायण प्रतापसिंह**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर में जब से मौजूदा सिविल सर्जन आये हैं तब से कितने पोस्ट मार्टम हुये और उनमें से कितने सी० एस० ने खुद किये और नहीं किये तो न करने का कारण ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—२४८। उनमें से सिविल सर्जन ने स्वयं केवल ३ पोस्ट-मार्टम किये। सी० एस० ने स्वयं अधिक पोस्ट-मार्टम क्यों नहीं किये इसकी जांच कराई जा रही है।

कृपालसिंह, थाना किरतपुर का पुलिस के खिलाफ शिकायती-पत्र

*१८०—**श्री दयाराम**—क्या सरकार बतायेगी कि क्या सरकार को कृपाल सिंह, थाना किरतपुर, जिला बिजनौर का कोई पुलिस के खिलाफ शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। उस शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच की गई। जांच में आरोप निराधार पाये गये। अतः पुलिस अधीक्षक ने शिकायतकर्त्ता के विरुद्ध धारा १८२ भा० दं० वि० के अधीन कार्यवाही करने के सम्बन्ध में आदेश दिये।

फीरोजाबाद के गरम कारखानों के कार्यकर्त्ता

*१८१—**श्री रामसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फीरोजाबाद के गरम कारखानों के कार्यकर्त्ताओं से ८ घंटे से ज्यादा काम लिया जाता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

*१८२—**श्री रामसिंह**—इसके विषय में सरकार क्या कोई निरीक्षक रखती है, या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, इस विषय में कारखाना निरीक्षक नियुक्त हैं।

*१८३—**श्री रामसिंह**—क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि ८ घंटे से ज्यादा काम लेने के कारण कई हड़तालें भी हो चुकी हैं तथा कार्यकर्त्ता परेशान हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं। ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं है।

*१८४—**श्री बसंतलाल** (जिला जालौन)—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

पारवतीपुरा में परिगणित जाति के लोगों की फसल काट लेने की शिकायत

*१८५--श्री बनवारीलाल विप्र--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पारवती पुरा, थाना बाह, जिला आगरा के गरीब परिगणित जाति के लोगों की खड़ी फसल को कुछ आततताइयों ने रात्रि के समय बन्दूक की नोक के बल पर, जबरदस्ती काट लिया और हल्ला करने पर गोली मारने की धमकी दी। जिसकी सूचना जिलाधीश एवं एस०एस०पी० को दिनांक २३ मार्च, १९६२ को दी गई? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तदुपरान्त कितने लोग गिरफ्तार किये गये और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस प्रकार का २३-३-६२ का एक शिकायती पत्र, पारवती पुरा ग्राम निवासी, सर्वश्री बृजलाल व कल्यान जाटव से एस० एस० पी०, आगरा को प्राप्त हुआ था। जांच कराने पर उसमें अंकित आरोप सही नहीं पाये गये। विरोधी पार्टी ने भी बाद में एक रिपोर्ट लिखाई थी। दोनों रिपोर्टों की जांच से शांति भंग होने की सम्भावना पाई गई अतः दोनों पार्टियों के कुल ५० आदमियों को गिरफ्तार किया गया और उनको धारा १०७/११७ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत चालान कर दिया गया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

*१८६-१८७--श्री गयाप्रसाद--[३० अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

आगरा के जिलाधीशों का स्थानान्तरण

*१८८--श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जबकि नियमानुकूल अधिकारियों का स्थानान्तरण ३ वर्ष बाद होता है तब क्यों आगरा के जिलाधीश का स्थानान्तरण पिछले ६ वर्षों से एक-एक वर्ष बाद ही हो जाता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रशासकीय कारणों से ऐसा करना पड़ा।

*१८९--श्री छत्रपति अम्बेश--क्या यह सही है कि इसी कारण आगरा जिला की बाढ़ एवं वाटरलागिंग की समस्या का समाधान आज इतने वर्षों में भी न हो सका है और योजना पड़ी रह जाती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं, प्रदेश की बाढ़ एवं वाटरलागिंग की समस्त योजनाएं सिंचाई विभाग द्वारा कार्यान्वित होती हैं। जिलाधीश आगरा से सिंचाई विभाग को पूरा सहयोग समय-समय पर प्राप्त होता रहा है।

झांसी जिले में पुलिस अधिकारी तथा कत्ल

*१९०--श्री लखपतराम शर्मा--क्या गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में कितने पुलिस अधिकारी व थानेदार, एस० ओ०, डी० एस० पी०, सर्किल इन्स्पेक्टर हैं जो करीब ३ वर्षों से वहाँ पर हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--झांसी जिले में ऐसा कोई भी डी० एस० पी० व सर्किल इन्स्पेक्टर नहीं ह, परन्तु ऐसे एस० ओज० तथा सब-इन्स्पेक्टरों की संख्या क्रमशः १७ और ३ है।

*१९१--श्री लखपतराम शर्मा--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिया नं० ९, झांसी में सन् १९६१ में दिन दहाड़े किसी सेठ का कत्ल हुआ और क्या सन् १९६० में डा० रवीकान्त, झांसी से दिन दहाड़े गायब कर दिये गये और बसन्ती भड़भूजिन का कत्ल दिन दहाड़े हुआ? उपरोक्त काण्डों के संबंध में क्या कोई गिरफ्तारियाँ पुलिस द्वारा की गईं और क्या अपराधियों को दण्डित करने के हेतु कोई मामले चले?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९६१ में पुलिया नं० ९, झांसी में बंशीधर सेठ का कत्ल दिन दहाड़े किये जाने के सम्बन्ध में थाने पर रिपोर्ट हुई। पुलिस द्वारा जाँच की गई, किन्तु यह मामला लापता रहा।

२—सन् १९६० में डा० रवीकान्त को झांसी नगर से गायब कर दिये जाने की रिपोर्ट थाने पर हुई और इस सम्बन्ध में मुकदमा कायम किया गया। पुलिस द्वारा जाँच की गई, किन्तु यह मामला लापता रहा।

३—दिनाँक २२/२३-८-६० को श्रीमती बसन्ती, पत्नी शिवलाल काछी की हत्या किये जाने की सूचना मिलने पर मुकदमा कायम किया गया और जाँच की गई, किन्तु यह मामला भी लापता रहा।

४—चूंकि उपरोक्त तीनों मामले लापता रहे, इसलिये उनके सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई और इसी कारण कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा सका।

आयुर्वेदिक औषधालयों पर व्यय

*१९२—श्री विजयसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक औषधालयों (units) के ठीक कार्य करने व कमियों के देखने के लिये किस-किस अधिकारी को देखने का भार दिया गया है? डाइरेक्टर तथा असिस्टेंट डाइरेक्टर (आयुर्वेद) को कितने निरीक्षण एक वर्ष में करने चाहिएं? १९६१-६२ में कितने निरीक्षण किये गये? अगर कम निरीक्षण हुये हैं, तो क्या कारण है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला हेल्थ अफसर तथा क्षेत्रीण आयुर्वेदिक अथवा यूनानी अफसर को।

इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। यह आवश्यकता पर निर्भर करता है।

१९६१-६२ में डाइरेक्टर, आयुर्वेद ने कुल २४ तथा असिस्टेन्ट डाइरेक्टर आयुर्वेद ने कुल ६, आयुर्वेदिक एवं यूनानी संस्थाओं के निरीक्षण किये।

प्रश्न नहीं उठता।

*१९३—श्री विजयसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक औषधालयों पर किस-किस मद पर कितना खर्चा प्रतिवर्ष होता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिन मदों पर प्रतिवर्ष साधारणतया जो खर्च किया जाता है, उसका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ ३९३ पर)

*१९४—श्री विजयसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक दवा बनाने के लिये कौन-कौन-सी सहकारी रसायनशालाएं हैं और उनमें कितने मेम्बर हैं? मेम्बरों का तथा गवर्नमेन्ट का कितना रुपया लगा हुआ है और कितने रुपयों की दवा एक वर्ष में तैयार होती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

विकास कार्यालय, रामनगर क्षेत्र

*१९५—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई सन् १९६२ के प्रथम सप्ताह में विकास कार्यालय, रामनगर, बाराबंकी के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—रामनगर क्षेत्र, जिला बाराबंकी के विकास अधिकारी के विरुद्ध शिकायत आई थी, जिसकी जाँच के फलस्वरूप उक्त अधिकारी का वहाँ से स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

*१९६—**श्री गिरजाप्रसाद**—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय विकास खंड, रामनगर, जिला बाराबंकी के समक्ष १ मई, को भूख हड़ताल करने के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हाँ। आवश्यक जाँच के बाद संबंधित संघ विकास अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

खंडासा अस्पताल में डाक्टर न होना

*१९७—**श्री धूमप्रसाद** (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले के परगना खंडासा में एक अस्पताल की बिल्डिंग तैयार की गई, परन्तु एक साल के करीब होने आया अभी तक वहां डाक्टर नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ, इस चिकित्सालय में ४ अप्रैल, १९६१ से कोई डाक्टर नहीं है। डाक्टर उपलब्ध होते ही वहाँ भेजा जायगा।

*१९८—**श्री धूमप्रसाद**—इतने बड़े क्षेत्र (परगना खंडासा) में अस्पताल अनुदान में सरकार क्या धन व्यय करती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—खन्डासा चिकित्सालय के अधिकारी व कर्मचारिवर्ग व भत्ते के अतिरिक्त सरकार उस चिकित्सालय पर निम्नलिखित वार्षिक व्यय करती है:—

	रु०
दवाओं आदि हेतु	२,५००
आकस्मिक व्यय हेतु	५००
मरीजों के भोजन हेतु	२३२

*१९९—**श्री धूमप्रसाद**—साल भर में जब डाक्टर नहीं रहे तो उस साल में सरकार ने कितना व्यय किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार ने वर्ष १९६१-६२ में खन्डासा चिकित्सालय पर, जबकि वहाँ डाक्टर नहीं रहे, कर्मचारिवर्ग के वेतन व भत्ते के अतिरिक्त उपर्युक्त वार्षिक व्यय किया।

*२००-२०१—**श्री माधोनारायण** (जिला मैनपुरी)—[२३ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

*२०२—**श्री विजयपालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर) तथा **श्री ऊदल**—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

*२०३—**श्री मंगल** (जिला बहराइच)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों के वेतन में सन् १९६१-६२ में कोई वृद्धि की गयी है ? यदि हाँ, तो उनमें ग्रामीण चौकीदारों के वेतन में कितनी वृद्धि की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ, पुलिस कमीशन की सिफारिश के आधार पर, परन्तु ग्रामीण चौकीदारों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गई है, क्योंकि पुलिस आयोग ने कोई ऐसी सिफारिश नहीं की है, बल्कि इस संख्या को समाप्त करने के लिये कहा है।

बहराइच जिले में सब-इन्स्पेक्टरों व कांस्टेबिलों की भर्ती

*२०४—श्री मंगल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले में सन् १९६१ में कितने सब-इन्स्पेक्टर और कांस्टेबिल नये भर्ती किये गये? इन नये भर्ती सब-इन्स्पेक्टरों में हरिजनों का क्या अनुपात है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९६१ में किसी नये सब-इन्स्पेक्टर के बहराइच जिले में भर्ती किये जाने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सब-इन्स्पेक्टर पद के लिये चुनाव पूरे प्रदेश के आधार पर होता है। उपरोक्त वर्ष में बहराइच जिले में केवल ५ कांस्टेबिल नये भर्ती किये गये जिनमें कोई हरिजन नहीं है।

*२०५-२०६—श्री बृजराजसिंह (जिला हमीरपुर)—[२३ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

मौदहा थाने में चोरियां

*२०७—श्री बृजराजसिंह—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जिले के मौदहा पुलिस थाने में फरवरी, १९६२ से अब तक कितनी चोरियाँ हुईं और उनमें से पुलिस ने कितनी चोरियों का पता लगा लिया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—फरवरी, १९६२ से १६ जुलाई, १९६२ तक उक्त क्षेत्र में ५४ चोरियों की रिपोर्टें प्राप्त हुईं। ४२ मामलों में जाँच की गई जिनमें से ९ चोरियों का पता लग गया और ५ में अभी जाँच जारी है। बाकी चोरियाँ लापता रहीं।

*२०८-२०९—श्री उमाशंकर—[२३ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

गरौठा अस्पताल में डाक्टर न होना

*२१०—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले के गरौठा अस्पताल में डाक्टर कब से नहीं है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—झांसी जिले के गरौठा चिकित्सालय में ३० जून, १९६० से कोई डाक्टर नहीं है।

*२११—श्री इन्द्रासन (जिला आजमगढ़)—[हटा दिया गया।]

*२१२-२१४—श्री सहदेवसिंह—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*२१५—श्री छत्रपति अम्बेश—[८वें बुधवार के लिये प्रश्न ८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२१६—श्री लखोसिंह—[हटा दिया गया।]

*२१७—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*२१८-२२०—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में पुलिस अधिकारी

*२२१—श्री सुरजन (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में पुलिस कप्तान, सहायक पुलिस कप्तान तथा कम्पलेंट अधिकारी कब से काम कर रहे हैं और जिले में ए० क्लास व बी० क्लास के थानों पर कौन-कौन इंचार्ज बनाये गये हैं और उनका क्या नाम है और वे कितने समय से वहाँ पर तैनात हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वाँछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'भ' आगे पृष्ठ ३९४ पर)

*२२२—श्री अष्टभुजा (जिला गोरखपुर)—[हटा दिया गया ।]

*२२३—श्री अष्टभुजा—[७वें सोमवार के लिये प्रश्न ९५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

किसुनपुर में चर्खा संघ के व्यवस्थापक द्वारा गबन

*२२४—श्री सुरजन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसुनपुर, जिला आमजगढ़ मेंचर्खा संघ के व्यवस्थापक द्वारा उद्योग विभाग के रुपये का गोल-माल किया गया है ? क्या उसी गाँव की सोसाइटी का भी उसी व्यवस्थापक द्वारा रुपया गबन हुआ है और उनकी शिकायत सरकार को प्राप्त है ? यदि हाँ, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री फूलसिंह—किसुनपुर, जिला आजमगढ़ में चर्खा संघ नाम की किसी संस्था से उद्योग विभाग का कोई लेन-देन नहीं रहा है उसी गाँव में ग्रामोद्योग सेवा संघ को उद्योग विभाग द्वारा ७,२०७ रुपया अनुदान दिया गया, और उसमें गोलमाल है । इसकी सूचना सरकार को है और संबंधित धनराशि की वसूली जिलाधीश आजमगढ़ द्वारा कराई जा रही है।

*२२५—श्री सुरजन—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

मुख्य अभियन्ता विद्युत् का कार्यालय

*२२६—श्री भगवानदास यादवेन्दु—क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोठी न० ४ पंचअंगलिया में मुख्य अभियन्ता विद्युत् कार्यालय में कर्मचारियों के बैठने के लिये टीन शेड बनाये गये हैं ? यदि हाँ, तो इनकी क्या लागत बैठी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ। पाँच टिन शेड बनाये गये हैं जिनकी लागत ५५,२५० रुपये है।

*२२७—श्री भगवानदास यादवेन्दु—क्या यह इमारत जिसमें विद्युत् कार्यालय है किसी मंत्री के लिय एलाट हो गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

जिला उद्योग समिति, जालौन

*२२८—श्री शिवनार्थसिंह (जिला कानपुर)—क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ जनवरी, १९६० से ३१ जनवरी, १९६२ तक, जिला उद्योग समिति जालौन, उरई, के कौन-कौन से गैर सरकारी सदस्य थे तथा उनमें कौन-कौन ऐसे हैं जो लगातार तीन मीटिंगों में अनुपस्थित रहे हैं ?

श्री फूलसिंह—१ जनवरी, १९६० से ३१ जनवरी, १९६२ तक जिला उद्योग समिति जालौन, उरई के निम्नलिखित गैर सरकारी सदस्य रहे हैं।

१—श्री शिव सम्पत शर्मा, जनरल मैनेजर, ग्राम उद्योग ट्रस्ट, कालपी ।

२—श्री राम दयाल जाटव, कोंच, जालौन ।

३—श्री राज नारायण मिश्र, वकील, कालपी । इनमें से कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो उक्त समिति की लगातार ३ बैठकों में अनुपस्थित रहा है ।

देवरिया में साइकिलों की चोरियां

*२२९—श्री किसुना—क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि देवरिया नगर में साइकिलों की चोरयों की सूचना उनको मिली है ? यदि हां, तो गत १ जनवरी, १९६२ से १ मई, १९६२ तक कितनी साइकिलें उठाई गई हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । उक्त अवधि में कुल ३३ साइकिलों की चोरियां हुईं ।

कोटी थानान्तर्गत डकैतियां

*२३०—श्री मेड़ी लाल—क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम छबियापुर, लक्षमपुर, सलारपुर तथा दौलतपुर, थाना कोटी, जिला बाराबंकी में मार्च, १९६२ में अलग-अलग कुल कितनी डकैतियां पड़ीं तथा उनमें कितना धन गया तथा कितने लोगों को चोटें आईं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'म' आगे पृष्ठ ३९५ पर)

*२३१—श्री मेड़ीलाल—क्या गृह मंत्री यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त डकैतियों में से कितनों के संबंध में शिकायत आई है कि थाने में रिपोर्ट डाके के स्थान पर चोरी की लिखी गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

वाराणसी जिले में बिजली तथा रिहन्द बांध की बिजली

*२३२—श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बनारस शहर तथा जिले के लोगों को उनकी मांग के मुताबिक बिजली कब तक दी जायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बनारस शहर तथा जिले में सभी उद्योगों को बिजली दी जा रही है ।

*२३३—श्री विश्वनाथप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द बांध की बिजली जब बड़े-बड़े कारखानों को दी जा रही है तो छोटे उद्योग-धंधों वालों को क्यों नहीं दी जा रही है और छोटे-छोटे उद्योगों को नहीं दी जा रही है तो इसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रिहन्द बांध से उत्पादित बिजली केवल बड़े बड़े कारखानों के लिये ही नहीं, बल्कि मध्यम तथा छोटे उद्योगों के लिये भी दी जा रही है ।

*२३४—श्री शारदानन्द—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२३५—श्री मदनपाल सिंह (जिला हमीरपुर)—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२३६--श्री नाथूराम शिक्षक--[८ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न १३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२३७-२३९--श्री मेवालाल (जिला इलाहाबाद)--[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२४०--श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

शुगर वेज बोर्ड

*२४१--श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)--क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शुगर वेज बोर्ड के लागू करने के सिलसिले में कितनी डिस्प्यूट इम्पलीमेंटेशन कमेटी के पास आई है और उस बारे में सरकार क्या करना चाहती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--वेज बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के पास ३१-५-६२ तक ४,५४२ प्रार्थना-पत्र पदों के वर्गीकरण तथा समायोजन के संबंध में आये हैं। इन विवादों की आवश्यक जांच के पश्चात् उपयुक्त विवादों को संराधन समिति के समक्ष निपटारे के हेतु भेजा जा रहा है ।

*२४२-२४३--श्री जयगोपाल--[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

गरौठा तहसील में डकैतियां

*२४४--श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की गरौठा तहसील में सन् १९६०-६१ में कितनी डकैतियां पड़ीं और उनमें से पुलिस कितनी डकैतियों का पता लगाने में सफल हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस अवधि में (१-४-६० से ३१-३-६१ तक) कुल १२ डकैतियां तहसील गरौठा में पड़ीं। उनमें से ५ में पुलिस ने पता लगाकर अभियुक्तों का चालान किया ।

*२४५-२४६--श्री भोखालाल--[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२४७--श्री उल्फतसिंह--[९वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

तिर्वागंज टाउन एरिया को बिजली देना

*२४८--श्री होरीलाल यादव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार तिर्वागंज (फर्रुखाबाद) टाउन एरिया को तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वितीय चरण में बिजली देने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--तिर्वागंज नगर के विद्युतीकरण की स्वीकृति राज्य विद्युत् परिषद् ने दे दी है और चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्य के सम्पन्न हो जाने की आशा है।

पुलिस चौकियां व थाने

*२४९--श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में पुलिस आयोग की सिफारिश के अनुसार कितनी नई पुलिस चौकियां और कितने नये थाने खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——नयी पुलिस चौकियां और नये थाने के संबंध में पुलिस आयोग द्वारा की गई सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

कानपुर में बिजली के बिल

*२५०——**श्रीमती बृजरानी** (जिला कानपुर)——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कानपुर में बिजली उपभोक्ताओं से बिजली लगाने से पूर्व बिजली कम्पनी जो अग्रिम अनुमानित धन लेती है उसका Final बिल क्यों नहीं भेजती और जो पैसा, यदि बकाया बचता है, तो उपभोक्ताओं को वापस क्यों नहीं करती ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——उपभोक्ता द्वारा जमा किये गये अग्रिम अनुमानित धन का वास्तविक व्यय के साथ मिलान करने पर यदि जमा धन में कुछ शेष बचता है तो उसे वापस लेने के लिये उपभोक्ता के पास क्रेडिट नोट (Credit Note) भेज दिया जाता है । यदि वास्तविक व्यय अनुमानित धन से अधिक हो जाता है तो उपभोक्ता को अधिक व्यय किये गये धन की अदायगी के लिये फाइनल (Final) बिल भेज दिया जाता है ।

जिलाधीशों का कार्य-काल

*२५१——**श्री नवरंगसिंह** (जिला गोंडा)——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में ऐसे जिले हैं जहां के जिलाधीश का कार्यकाल उसी जिले में ४ वर्ष से अधिक हो गया है ? क्या कोई ऐसा नियम भी है कि कोई भी उच्चाधिकारी एक ही स्थान पर तीन साल से अधिक नहीं रह सकता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——इस समय कोई भी जिलाधीश किसी जिले में ऐसा नहीं है जिसे वहां चार वर्ष से अधिक हो गये हों । सरकारी अफसरों को एक जिले में रहने के संबंध में सरकार के ये आदेश हैं कि वह जिले में तीन वर्ष से अधिक, सिवा किसी विशेष परिस्थितियों के जो कि प्रशासकीय कारणों द्वारा आवश्यक हों और जिनके लिये शासन की स्वीकृति भी ले ली जाय, न रक्खा जाय ।

हरदोई तथा शाहाबाद में शाप्स ऐंड कमर्शियल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट

*२५२——**श्री पंचमदास** (जिला हरदोई)——क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि Shops and Commercial Establishment Act हरदोई जिले में किन-किन कस्बों में लागू है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी——हरदोई तथा शाहाबाद में लागू है ।

ब्लाक प्रमुखों का चुनाव

*२५३——**श्री मोहनलाल**——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि Block प्रमुख का चुनाव वह कब तक कराने का विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी——क्षेत्र समितियों के प्रमुखों का निर्वाचन कुछ क्षेत्र समितियों को छोड़ कर सभी में ग ुलाई, १९६२ को सम्पन्न हो चुका है ।

लूमामऊ में चुनाव के समय झगड़ा

*२५४——**श्रीमती कलारानी** (जिला हरदोई)——क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि ७ फरवरी, १९६२ को जो लूमामऊ, थाना संडीला, जिला हरदोई में चुनाव के समय झगड़ा हुआ उसमें सामान की हानि कितनी हुई और उसका विवरण क्या है तथा क्या उसकी रिपोर्ट, जिसके सामान की हानि हुई, थाने में की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––लूमामऊ, हरदोई में ७ फरवरी, १९६२ को जो घटना हुई उसकी एक रिपोर्ट उस ही दिन थाने में लिखाई गई थी जिसमें निम्नलिखित सामान नष्ट एवं गायब किया जाना बताया गया था:––

१––एक बैल गाड़ी,
२––एक दरी,
३––एक कालीन,
४––एक झूल, तथा
५––एक एम्प्लीफायर ।

एक और रिपोर्ट ८ फरवरी, १९६२ को लिखाई गई जिसमें उपरोक्त सामान के अतिरिक्त ६०–६५ साइकिलों का भी खोया जाना बताया गया।

जांच में साइकिलों के गायब किये जाने की पुष्टि नहीं हुई । अन्य सामान का मूल्य लगभग २५० ० था ।

*२५५––**श्रीमती कलारानी**––[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

सिरसिया विकास खंड में चिकित्सा सुविधायें

*२५६––**श्री मुन्नूसिंह**––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले के सिरसिया विकास खंड में कौन-कौन अस्पताल हैं और उनमें किन-किन में डाक्टर नहीं है, तथा कितने दिनों से नहीं हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––सिरसिया विकास खंड के अन्तर्गत दो चिकित्सालय सिरसिया और लक्ष्मणपुर में हैं । इन चिकित्सालयों में क्रमशः १२ नवम्बर, १९६१ तथा १ अगस्त, १९६१ से डाक्टर नहीं हैं ।

*२५७––**मुन्नूसिंह**––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिरसिया हेल्थ सेन्टर को जो गाड़ी दी गई है वह कितने दिनों से वहां नहीं है, तथा क्यों नहीं है और इन दिनों में मरीजों को लेजाने और लाने के लिये सरकार की ओर से क्या सुविधायें दी गईं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––दिनांक १२ नवम्बर, १९६१ को वहां के चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण होने पर गाड़ी वहां से वापस कर ली गयी, क्योंकि चिकित्साधिकारी की अनुपस्थिति में केन्द्र पर गाड़ी नहीं रखी जा सकती ।

*२५८––**श्री मुन्नूसिंह**––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो दवाइयां सरकारी अस्पतालों को भेजी जाती हैं, वह सब कम्पाउन्डर इस्तेमाल कर सकता है, या कुछ दवाइयां ऐसी भी होती हैं जिनको सिर्फ डाक्टर ही इस्तेमाल कर सकता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––चिकित्साधिकारी द्वारा नुसखों में लिखी गई सभी दवाइयों का वितरण कम्पाउन्डर कर सकता है । जहां तक जहरीली दवाइयों का संबंध है, मेडिकल मैनुअल के प्रस्तर १७४ के अन्तर्गत जहरीली दवाइयां केवल ऐसे कम्पाउन्डरों द्वारा वितरित की जा सकती हैं जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा प्रदान की गई शिक्षा योग्यता रखते हों अथवा जिनका दवाइयां वितरित करने का कम से कम ४ वर्ष का अनुभव हो । जिन चिकित्सालयों में ऐसे कम्पाउन्डर नहीं होते हैं वहां के चिकित्साधिकारियों को नियमानुसार जहरीली दवाइयों का प्रयोग स्वयं करना होता है ।

मेडिकल मैनुअल के प्रस्तर १७५ में जहरीली दवाइयों की सूची दी हुई है ।

सूचना विभाग की मोटर गाड़ी की दुर्घटना

*२५९--**श्री ईश्वरशरण** (जिला गोंडा)--क्या सरकार को पता है कि सूचन विभाग की गाड़ी नं० ९५२५ यू० एस० क्यू० शेवरलेट पिकअप करीब ढ़ाई साल हुये सूचना विभाग के अधिकारी से ऐक्सीडेन्ट हो गई थी और उस समय वह स्वयं गाड़ी चला रहे थे ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)--विभागीय वाहन संख्या यू० एस० जे० ९५२५, २० दिसम्बर, १९५८ को दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। यह गाड़ी सूचना अधिकारी नहीं वरन ट्राइवर चला रहा था।

*२६०--**श्री ईश्वरशरण**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐक्सीडेन्ट के बाद मरम्मत के ऐस्टीमेट मांगे गये थे ? यदि हां, तो कहां-कहां से और किस कीमत के ऐस्टीमेट आये ? क्या कोई स्थानीय ऐस्टीमेट भी था ? यदि हां, तो किन-किन दामों के ऐस्टीमेट थे और क्या लोकल मरम्मत गाड़ी की हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास--दुर्घटना के पश्चात् सूचना अधिकारी ने गोंडा, फैजाबाद एवं लखनऊ के प्रमुख कारखानों से कोटेशन आमंत्रित किये थे, परन्तु गोन्डा के एक फर्म के अतिरिक्त और किसी फर्म से कोटेशन प्राप्त नहीं हुआ। यह कोटेशन कुल २,३८८.५० रु० का था। वाहन की स्थानीय मरम्मत नहीं कराई गई, क्योंकि मरम्मत पर व्यय का अनुमान कोटेशन के अनुसार बहुत अधिक था।

*२६१--**श्री ईश्वरशरण**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाड़ी की लोकल मरम्मत न कराकर गाड़ी को गोरखपुर भेजा गया और फिर वहां भी मरम्मत न कराकर गाड़ी को लखनऊ केन्द्रीय सूचना विभाग भेजा गया ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

श्री बनारसीदास--जी हां। राजकीय रोडवेज वर्कशाप, गोरखपुर के पास गाड़ी भेजी गई थी, परन्तु उनके पास कार्य की अधिकता होने के कारण उन्होंने इस वाहन की मरम्मत करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। तत्पश्चात् यह वाहन मुख्यालय पर आवश्यक मरम्मत हेतु ९-१०-६१ को आई।

*२६२-२६३--**कुंवर तेजभानसिंह** (जिला प्रतापगढ़)--[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*२६४--**श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया** (जिला मेरठ)--[हटा दिया गया।]

*२६५--**श्री रामभजन** (जिला खीरी)--[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*२६६-२६८--**श्री चन्द्रपाल** (जिला बस्ती)--[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

टाउन एरिया अमीनगर सराय में बिजली

*२६९--**श्री मूलचन्द शास्त्री** (जिला मेरठ)--क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया अमीनगर सराय में बिजली लगना मंजूर है या नहीं ? यदि हां, तो यह स्वीकृति कब हुई और कब तक बिजली लग जाने की आशा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस नगर का विद्युतीकरण जुलाई, १९६१ में स्वीकृत किया गया था और चालू वित्तीय वर्ष में इसके विद्युतन हो जाने की आशा है।

*२७०-२७१--श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)--[७ वें सोमवार के लिये प्रश्न ९२-९३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

पूरे हिन्दूसिंह, तहसील कैसरगंज में डकैती

*२७२--श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ११,१२, फरवरी, १९६२ को पूरे हिन्दू सिंह, तहसील कैसरगंज, जिला बहराइच में कोई डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घटना के सम्बन्ध में विवरणात्मक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--कोई डकैती नहीं पड़ी ।

सोहावल हाउस फैजाबाद को बिजली

*२७३--श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सोहावल पावर हाउस, फैजाबाद ने दिनांक ४ मई, १९६२ से ११ मई, १९६२ तक नलकूप विभाग व नहर विभाग को बिजली न देने के कारण इन विभागों ने काश्तकारों को पानी नहीं दिया जिससे बोई हुई फसलों को महान् क्षति पहुंची ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--दिनांक ४-५-६२ से ११-५-६२ तक सोहावल पावर हाउस से बिजली पहुंचने वाले क्षेत्र में राजकीय नल कूप एवं सिंचाई विभाग के नल कलों पर अधिक मात्रा में कुप्रभाव पड़ा, क्योंकि कोयले की कमी के कारण उपरोक्त समय में सोहावल पावर हाउस से रोजाना लगभग ४,६००० किलोवाट तक की कमी करनी पड़ी ।

*२७४-२७६--श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)--[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

डाक्यूमेंटरी फिल्में

*२७७--श्री शान्तिचन्द (जिला गोंडा)--क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी डाकूमेंटरी फिल्में बनाई गईं तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी फिल्में बनाई जायेंगी ?

श्री बनारसीदास--दूसरी पंच वर्षीय योजना में सूचना विभाग द्वारा ३० डाक्यूमेंटरी फिल्में बनाई गईं । तीसरी पंचवर्षीय योजना में ४५ फिल्में बनाई जायंगी ।

*२७८--श्री शान्तिचन्द--क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जितनी फिल्में बनेंगी उनमें कितनी ठेके पर गैर-सरकारी यूनिट से बनायी जायेंगी और कितनी सरकार की फिल्म यूनिट से बनायी जायेंगी ?

श्री बनारसीदास--तीसरी पंचवर्षीय योजना में सभी फिल्में सरकार के फिल्म यूनिट द्वारा बनाई जायंगी ।

प्रदेशीय सरकार द्वारा निर्मित फिल्में

*२७९--श्री शान्तिचन्द--क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किन-किन सिनेमा गृहों में प्रदेशीय सरकार द्वारा निर्मित फिल्में प्रदर्शित की गयी हैं ?

श्री बनारसीदास--सिनेमा घरों में केवल भारत सरकार के सूचना मंत्रालय द्वारा वितरित फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं । प्रदेशीय सरकार द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना में निर्मित निम्न फिल्म को भारत सरकार ने इस प्रकार के प्रदर्शन के लिये स्वीकार किया था--

१--कार्बेट नैशनल पार्क ।

उद्योग विभाग की विज्ञप्ति

*२८०--श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--क्या सरकार के पास ऐसे प्रार्थना-पत्र उद्योग विभाग में प्राप्त हुये हैं जिनमें विज्ञप्ति संख्या ३५४३/१८--२१०, दिनांक १६ नवम्बर, १९३८ को खत्म करने की प्रार्थना की गई थी ? यदि हां, तो कब और उस प्रार्थना-पत्र पर क्या निर्णय हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--निदेशक, उद्योग विभाग, कानपुर के कार्यालय में दो प्रार्थना-पत्र जूलाई तथा नवम्बर, १९६१ के मध्य में प्राप्त हुये थे, विज्ञप्ति संख्या ३५४३/१८-२१०, दिनांक १६ नवम्बर, १९३८ को खत्म करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल तथा टैक्नीकल इंस्टीट्यूट

*२८१--श्री देवदत्त मिश्र--क्या सरकार उद्योग विभाग के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट इंडस्ट्रियल तथा टैक्निकल इंस्टीट्यूट में प्राविधिक शिक्षक तथा लिपिक को स्थायी होने के बाद पेंशन देगी अथवा सी० पी० फंड देने का विचार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उक्त विज्ञप्ति के खत्म करने के प्रश्न पर निर्णय हो जाने के पश्चात् ही इन प्रश्नों पर विचार किया जायगा ।

*२८२-२८४--श्री नेकराम शर्मा--[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

जिला बदायूं में परगनाधीश

*२८५--श्री सूरजपालसिंह (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में कितने परगनाधीश ऐसे हैं जिन्हें तीन साल की अवधि से ज्यादा वहीं काम करते हो चुके हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--ऐसे परगनाधीश की संख्या केवल एक है, और उनके स्थानान्तरण के आदेश भी जारी हो चुके हैं ।

*२८६--श्री केसरीप्रसाद--[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

पुलिस चौकी कंधारी बाजार और थाना कैसरबाग (लखनऊ) में गिरफ्तारियां

*२८७--श्री मोहनसिंह (जिला अल्मोड़ा)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २५ मई, १९६२ को पुलिस चौकी कंधारी बाजार और थाना कैसरबाग में कितने व्यक्तियों को किस धारा के अन्तर्गत पकड़ा गया और उनमें से किस-किस को जमानत पर छोड़ दिया गया और क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--थाना कैसरबाग क्षेत्र में २ व्यक्तियों को धारा ५७ सी०आर०पी० सी० ३४ पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत, एक व्यक्ति को धारा ५४-४११ भा० दं० वि० तथा एक व्यक्ति को धारा १३ ल्यूनेसी ऐक्ट (Lunacy Act) के अन्तर्गत पकड़ा गया । पकड़े गये व्यक्तियों में से किसी को भी जमानत पर नहीं छोड़ा गया । पुलिस चौकी कन्धारी बाजार में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है ।

आई० ए० एस० अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार

*२८८--श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कोई आई०ए०एस० अधिकारी ऐसा है जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप में विभागीय कार्यवाही चल रही है और कार्यवाही समाप्त होने के पूर्व वह कलेक्टर से उसी कमिश्नरी के आफिसियेटिंग कमिश्नर बना दिये गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--एक आई०ए०एस० अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। उनको डिवीजन के कमिश्नर के छुट्टी चले जाने के सिलसिले में कुछ समय के लिये स्थानापन्न कमिश्नर नियुक्त किया गया था।

*२८९--**श्री भानुप्रतापसिंह**--यदि हां, तो जांच खत्म होने के पहिले ही ऐसा क्यों किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। अतः अपनी डिवीज़न में ज्येष्ठतम जिलाधीश होने के कारण उनको यह मौका दिया गया।

जिला बस्ती में उद्योग

*२९०--**श्री रणबहादुरसिंह** (जिला बस्ती)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती को प्रदेश के सबसे निर्धन तथा पिछड़ा हुआ क्षेत्र समझ कर बहुत बड़े पैमाने पर बस्ती में उद्योग बढ़ाने पर वे विचार करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बस्ती जिले के समीप गोरखपुर में, सरकारी क्षेत्र में, एक बहुत बड़ा खाद का कारखाना खोला जा रहा है जिससे जिला बस्ती, गोरखपुर, तथा अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों को भी लाभ होगा। बस्ती जिले के खलीलाबाद नामक स्थान में एक कपड़े की मिल खोलने के लिये भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। इसी जिले की तीन शकर की मिलों की क्षमता बढ़ाने के लिये भी लाइसेंस मिल चुका है।

सरकारी क्षेत्र में बस्ती में कोई कारखाना खोलने की अभी कोई योजना नहीं है और निजी क्षेत्र में खोले जाने वाले कारखानों की स्थिति का चुनाव उद्योगपति स्वयं करते हैं।

*२९१--**श्री रणबहादुरसिंह**--[हटा दिया गया।]

तहसील खलीलाबाद में इंडस्ट्रियल इस्टेट

*२९२--**श्री रणबहादुरसिंह**--क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में इंडस्ट्रियल इस्टेट तहसील खलीलाबाद में खोला जा रहा है? यदि हां, तो कितनी भूमि किसानों की ली गई ? क्या यह बताने की भी कृपा करेंगे कि जिन किसानों की जमीन ली गई है उनके पास कुल कितनी भूमि थी क्या सरकार के पास कोई आवेदन-पत्र वहां के विधायकों की तरफ से आया है कि गरीब किसानों की जमीन न ली जाय ?

श्री फूलसिंह--जी हां। अमुक औद्योगिक आस्थान के लिये किसानों की कुल १५.४८ एकड़ भूमि ली गई है। उपरोक्त किसानों के पास कुल २२७ बीघा भूमि थी।

जी हां।

ग्राम शेरगढ़, थाना दिउरनियां में कत्ल

*२९३--**श्री हरीशकुमार गंगवार**--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बरेली के थाना दिउरनियां के अन्तर्गत स्थित ग्राम शेरगढ़ में पिछले पांच-छः मास पूर्व किये चार कत्लों के कथित अपराधी जब से जमानत पर छोड़ दिये गये हैं, वारदातें बढ़ गई हैं और गवाह तक गांव छोड़ कर भाग गये हैं और पुलिस ने इनकी जमानतें रद्द कराने के लिये आवेदन-पत्र भी दिये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--पुलिस ने अपराधियों की जमानत रद्द कराने के लिये आवेदन-पत्र दिया था, परन्तु सेशन अदालत जमानत रद्द करने के लिये तैयार नहीं हुई, किन्तु अपराधियों के जमानत से छूटने के बाद से न तो वारदातें बढ़ी हैं और न गवाह गांव छोड़ कर भाग गये हैं।

*२९४--श्री हरीशकुमार गंगवार--क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि ये कथित अपराधी जो जमानत पर छोड़े गये हैं पुराने सजायाफ्ता और हिस्ट्रीशीटर हैं ? यदि हां, तो सरकार इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है जिससे भयत्रस्त जनता को तुरन्त शांति मिले ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जमानत पर छूटे अपराधिगणों में से ३ हिस्ट्रीशीटर हैं इन्हीं ३ में से २ सजायाफ्ता है। तीनों हिस्ट्रीशीटरों की रोजाना पुलिस द्वारा निगरानी होती है और समस्त अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय सेल्स में कत्ल का मुकदमा चल रहा है अतः इनके विरुद्ध कोई और कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

महोली चीनी मिल पर सैस तथा क्रय-कर व गन्ने के मूल्य का बकाया

*२९५--श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २४ मई, १९६२ के प्रश्न संख्या १०७,१०८ के उत्तर में बताई हुई धनराशि सेस तथा किसानों के गन्ने के दाम के बकाया कब तक अदा होने की संभावना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--महोली चीनी मिल पर सेस तथा क्रय कर व गन्ने के मूल्य के रूप में मार्च, १९६२ तक क्रमशः ६.८६ लाख रुपया व ६.९२ लाख रुपया की रकम बकाया थी और मिल द्वारा उसमें से क्रमशः १.२९ लाख रुपया तथा ६.६९ लाख रुपया ३०.६.१९६२ तक भुगतान किया जा चुका है। सेस तथा क्रय कर की बकाया रकम अर्थात् ५.६५ लाख रुपया में १९६०-६१ सीजन का १.४१ लाख रुपया सम्मिलित है जिसकी वसूली के लिये गन्ना आयुक्त ने रिकवरी सार्टीफिकेट जारी कर दिया है और शेष रकम अर्थात् ४.२४ लाख रुपये की वसूली के लिये जिलाधीश सीतापुर को उचित आदेश दे दिया है ।

हरदोई में श्रीराम बाजपेयी स्मारक

*२९६--श्री पूरनलाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई नगर में कोई स्मारक बनाया गया है ? यदि हां, तो किसके नाम से ?

श्री सुचेता कृपालानी--जी हां, भारत स्काउट और गाइड एसोसियेशन, हरदोई ने एक स्मारक श्री राम बाजपेयी स्मारक के नाम से बनवाया है ।

*२९७--श्री पूरनलाल--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त स्मारक के निर्माण हेतु हरदोई जिला अन्तरिम परिषद् ने कोई धनराशि प्रदान की है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री सुचेता कृपालानी--जी हां, अंतरिम जिला परिषद्, हरदोई उक्त स्मारक के निर्माण हेतु भारत स्काउट और गाइड एसोसियेशन, हरदोई को १,००० रु० का अनुदान दिया है ।

श्री हिफजुर्रहमान के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--अभी-अभी एक दुःखद समाचार हमें प्राप्त हुआ है कि हमारी पार्लियामेन्ट के सदस्य मौलाना हिफजुर्रहमान जो सन् १९४९-५०में इस सदन के सदस्य थे दिल्ली में आज तीन बजे रात्रि को उनका देहावसान हो गया। मौलाना हिफजुर्रहमान हम सब जैसा जानते हैं इस देश के उन मुसलमानों में से थे जिन्होंने सदा राष्ट्रीय आन्दोलन में हिस्सा लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब-जब आन्दोलन चले उन्होंने उन आन्दोलनों में हिस्सा लिया, जेलखाने गये, जेलखानों की यातनाएं सहीं। जिस समय देश में मुस्लिम लीग का बोलबाला था उन्होंने मुस्लिम लीग का विरोध किया और वे उन व्यक्तियों में से भी थे जो अपने विचारों की स्वतंत्रता के लिये प्रख्यात थे। जब भारतवर्ष दो हिस्सों में बंट रहा था तो वे भी उन व्यक्तियों में से थे, जिन्होंने इस बात का विरोध किया था कि देश का बंटवारा न हो।

अभी तीन चार रोज हुए सम्मानित टंडनजी के विषय में और इस सम्बन्ध में हमने इस सदन में चर्चा की थी। हिफजुर्रहमान साहब ने जैसा कि मैंने कहा---देश के बटवारे के सिलसिले में उसका विरोध किया और बराबर जब तक वे जीवित रहे उन्होंने जमायत-उल-उलेमा की तहत में देश को उन प्रवृत्तियों से बचाने की चेष्टा की जिन प्रवृत्तियों ने देश का बंटवारा कराया और जिन प्रवृत्तियों ने हमारे देश के नागरिक कुछ मुसलमानों के दिलों में ऐसा मनोमालिन्य पैदा किया जिस मनोमालिन्य व रंजिश की वजह से देश का बंटवारा हुआ। उस जमाने में जब कि अधिकांश मुसलमानों के अन्दर जिन्ना साहब की ही आवाज सुनी जाती थी उन्होंने जिन्ना साहब की नीतियों का बराबर विरोध किया और उन नीतियों को अपनाया, जिन नीतियों का प्रतिपादन मौलाना आजाद ने किया। जो नीति देश के उन राष्ट्रीय नेताओं की रही, जिन्होंने आजादी की लड़ाई को गांधी जी के नेतृत्व में चलाया और मुस्लिम तबके को सदा ही अपने विचारों से एक संतुलन में रखने की चेष्टा की, जिससे कि देश में एकता रह सके और जिसके द्वारा यह देश एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है। पार्लियामेंट के सदस्य होने के नाते बराबर उन्होंने इस प्रकार के विचार व्यक्त किये और पार्टीशन के बाद जो परेशानियां मुसलमानों के बीच में आयीं और हिन्दुओं के बीच में भी आईं उन्होंने मुलमानों को धैर्य से उन तकलीफों को झेलने की बातों की ओर अग्रसर किया और वह बराबर उनको धैर्य दिलाते रहे। जो लोग बटवारे के कारण तकलीफ में पड़े जिनकी जायदादें जलाई गईं और जिनका नुक्सान हुआ उनको संतोष से उन तकलीफों को सहन करने के लिये उन्होंने मुसलमानों को आमंत्रित किया और अपने नेतृत्व के द्वारा बराबर जो मुसलमान भारतवर्ष में रह गये और इस प्रदेश में रह गये थे उन को वह सान्त्वना देते रहे और उनको बराबर उस दिशा में चलने के लिये प्रेरित करते रहे कि जिस की ओर चलकर हिन्दू मुसलमान के बीच की खाई पटे और हिन्दु-मुसलमान इस देश के समान नागरिक बनकर रह सकें। आज दुःख का विषय है कि जमायत-उल-उलेमा का इतना बड़ा नेता हमारे बीच से उठ गया। वह जमायत-उल-उलेमा जिसने गांधी जी के नेतृत्व में देश के मुसलमानों को खिलाफत की लड़ाई लड़ने के लिये प्रेरित किया और साथ ही राष्ट्रीय आन्दोलनों में हिस्सा लेने के लिये मुसलमानों का अगुवा बनने की कोशिश की।

वह उर्दू के प्रेमी थे और वह चाहते थे कि उर्दू के पठनपाठन में मुसलमानों को सुभीते मिलें, लेकिन वह चाहते थे कि यहां लोग हिन्दी का भी अध्ययन करें। कभी-कभी उनकी नीतियों के विषय में जो वह प्रतिपादित करते थे लोग ऐसा समझते थे कि वह कदाचित् उस वातावरण के अनुकूल नहीं है जिसके अनुकूल आज हमारी नीतियां होनी चाहिये। लेकिन वह एक स्वतन्त्र विचार के व्यक्ति थे जिस चीज को वह तकलीफ और परेशानी की समझते थे, उस को वह स्वतंन्त्रतापूर्वक कहने की चेष्टा करते थे। ऐसा व्यक्ति जो कि देश में मुसलमानों का नेतृत्व करता था और राष्ट्रीय भावनाओं का प्रेरक था उसका ऐसे समय में देश से सदा के लिये उठ जाना देश के लिये बड़ी भारी क्षति है। वह सदा ही कश्मीर से केप कमोरिन तक देश की एकता के हामी थे। आज जिस तरह के विचार और भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं और जो एकता के लिये बाधक हैं उस एकता को कायम रखने के लिये ऐसे व्यक्तियों की बड़ी आवश्यकता थी, लेकिन यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि धीरे-धीरे हमारे बीच से हमारे बड़े नेता उठते जा रहे हैं और सार्वजनिक जीवन को क्षति पहुंचती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा उनके रिश्तेदारों हाफिज मुहम्मद इब्राहीम को जो उनके निकट सम्बन्धी रहे हैं तथा उनके पुत्र को मैं चाहता हूं कि सदन की समवेदना भेजी जाय और समवेदना भेजते हुये उन्हें यह बताया जाय कि मौलाना हिफजुर्रहमान की मृत्यु से उत्पन्न क्षति देश की क्षति है, प्रदेश की क्षति है और उन परिस्थितियों की क्षति है कि जिन परिस्थितियों को लाने के लिये देश में ऐसे आदमियों की बड़ी आवश्यकता थी। मैं इन चन्द शब्दों के साथ अपनी श्रद्धाञ्जलि मौलाना हिफजुर्रहमान के प्रति प्रस्तुत करता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि आप सदन की भावनाओं को उन के रिश्तेदारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, अभी जो दुःखद समाचार माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के सामने रखा है उससे हम सब को दुःख है। मौलाना हिफजुर्रहमान साहब के बारे में जो बातें अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहीं मैं उनसे जनसंघ और अपने को सम्बद्ध करता हूं। मेरा श्रीमन् से निवेदन है कि जनसंघ की और हमारी समवेदना को दुःखित परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*** श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)---माननीय मुख्य मंत्री जी ने श्रीमन्, आज बड़ा दुःखद समाचार इस समय सुनाया। मौलाना हिफजुर्रहमान साहब इस देश के किसी जाति के नेता नहीं थे। हिफजुर्रहमान साहब के ऊपर जितना भरोसा जिस परिवार में जिस वर्ग में उनका जन्म हुआ था वह नहीं करते थे उससे कई गुना लोग हम लोगों में से जो हिन्दू कहलाने वाले हैं वह भरोसा उनके ऊपर करते थे। और मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत कम लोग हिन्दुस्तान में होंगे जिन लोगों ने इस बात की परवाह न करके कि उनके परिवार के लोग, उनके निकट के लोग उनके प्रति क्या रुख रखते हैं उन्होंने अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया उनमें से मैं हिफजुर्रहमान साहब को पाता हूं। श्रीमन्, यह सौभाग्य और मुल्क के गर्व की बात है कि इस तरह के लोग मुल्क में पैदा हुए और भारत को आजाद करने में अपना खून पसीना बहाने में उन्होंने कुछ उठा नहीं रखा। आज मौलाना साहब की जरूरत जितनी किसी जमाने में थी उससे ज्यादा अब है। हमारी बदकिस्मती है कि आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मौलाना हिफजुर्रहमान साहब की याद और उनकी खिदमतें तथा उनका यश हमारे मुल्क में आगे का काम चलाने में और मुल्क की बेहबूदी तथा इनटेग्रिटी को कायम रखने में मदद देगा और हम लोग उनसे सबक लेंगे, वे हमारे बीच में अगर होते तो हमें बहुत बल मिलता। बहुत चोट लगी जिस समय उनकी मृत्यु का समाचार मैंने सुना। जो मुख्य मंत्री जी ने कहा मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना है कि हमारे दल की तरफ से उनके परिवार तक हमारी पूरी समवेदना तथा सहानुभूति पहुंचाने की आप कृपा करें।

***श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मौलाना हिफजुर्रहमान साहब जैसी हस्ती आज उठ गई, इसका हमें और हमारे दल को अत्यन्त दुःख है। मैं समझता हूं कि रफी साहब के रास्ते पर चलने वाले लोगों में से मौलाना साहब एक बहुत बड़ी हस्ती थे और हिन्दू मुसलमान एकता की इतनी बड़ी जबरदस्त डोर आज कट गई। इसको हम सभी चाहे किसी जाति, रंग या मतमतान्तर के हों, मानते हैं। राष्ट्रीय आन्दोलन के सिलसिले में जो मुल्क की रेहनुमाई उन्होंने की वह किसी से छिपी नहीं है। नेता सदन ने उस पर काफी रोशनी डाली है मैं उस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहता। जब इस मुल्क में अलगाव की प्रवृत्तियां फैल रही हैं, देश में जाति और तथाकथित भाषा के झूठे झगड़े और उत्तर, दक्षिण की बातें फैल रही हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता ऐसे समय ऐसी हस्तियों की खास आवश्यकता है जैसे मौलाना साहब की थी। मगर हम जानते हैं उनका जो आदर्श रहा, चरित्र रहा उससे हम सबक लेंगे और दोनों जमात के लोग हिन्दुस्तानी बन कर इस मुल्क की नौका को सकुशल खेकर ले चलेंगे तथा गरीबी को दूर करने के रास्ते पर कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारी और हमारे दल की समवेदना आप उनके संतप्त परिवार तक भेज दें।

***श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (जिला गोंडा)---अध्यक्ष महोदय, मौलाना हिफजुर्रहमान के निधन पर जो नेता सदन और अन्य नेताओं ने समवेदना प्रकट की है, मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मौलाना हिफजुर्रहमान वह महान् व्यक्ति थे जिनका नाम भारत में बहुत दिनों तक कायम रहेगा। जो भाई यहां हैं जानते होंगे कि जिस समय मुस्लिम लीग की तरफ से जहर सारे देश में फैलाया जा रहा था, उन महान् व्यक्तियों में से मौलाना हिफजुर्रहमान थे जिन्होंने अपने अकीदे और विश्वास पर डटे रह कर कई मुसीबतें सहीं और अपने समुदाय में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काफी तिरस्कार सहा। जिस उसूल और सिद्धान्त पर वह थे, उन पर बराबर कायम रहे और आगे बढ़ते गये और हिन्दू व मुसलमान जो इतने करीब रहे वह हमारे हिफजुर्रहमान साहब की बदौलत है। मौलाना साहब की पुरजोश तकरीरें हुआ करती थीं, पुरअसर तकरीरें हुआ करती थीं। बहुत कम लोग रह गये हैं जो ऐसी जोरदार तकरीरें कर सकें, जिनका असर सारे देश पर रह सके। हम लोगों को याद है कि पाकिस्तान के बन जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से गलत चीजें अफवाहें फैलाई जाती थीं कि यहां कि अकलियत को तकलीफें हैं तो मिडिल ईस्ट में जाकर उन्होंने वह भ्रम दूर किया और हिन्दुस्तान पर जो आरोप लगाया जाता था, उसकी सफाई इस खूबसूरती से उन्होंने दी जिसकी वजह से उनका नाम अमर रहेगा। मैं अपनी तरफ से और स्वतंत्र पार्टी की तरफ से आपसे प्रार्थना करूंगा कि हम लोगों की समवेदना उनके परिवार तक अवश्य भेज दी जाय।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, जब कोई दुनिया से उठ जाता है तो बहुत गम होता है। वैसे तो आज जाबते से सभी को गम है लेकिन मुझे खास तौर से इस बात का गम है कि वह न सिर्फ हिन्दुस्तान की एक बड़ी हस्तियों में थे बल्कि साथ ही साथ मेरे जाती दोस्त और रफीक भी थे। कुछ महीनों की बात है पार्लियामेन्ट में जब मैं था तो मौलाना से कहा गया कि आपकी बीमारी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हिन्दुस्तान में नहीं हो सकता। कैंसर आफ दी लंग्स और प्लुरिसी दोनों बीमारियां मिल कर उन्हें थीं। मैंने उनसे दरख्वास्त की और बहुत से लोगों ने कहा कि मौलाना आप बाहर जाइये। दो देश हैं अमेरिका और सोवियट यूनियन। लेकिन मुतवातिर वह कहते रहे कि मेरी मिट्टी अपने मादरे वतन की मिट्टी के साथ मिल कर रहेगी। तो वह इंसान एक ऊंचा इंसान है, बुलन्द इंसान है। वह बुलन्द इंसान आज चला गया। फिरकापरस्ती का तूफान जिस समय हिन्दुस्तान में मचा हुआ था, एक एक मुसलमान जो नेशनलिस्ट था उससे कहा जाता था कि तुम हिन्दुओं के पीछे चलने वाले हो उस समय मौलाना हिफजुर्रहमान ही कौमी झंडा लेकर खड़े रहे। बहुत से लोग यहां हैं जिनको याद होगा कि ढेले फेंके जाते थे मुस्लिम लीग के लोग मीटिंग में आते थे थूकते थे, उस वक्त उस इंसान ने कहा कि मुल्क की आजादी के लिये हम अड़े रहेंगे, अपनी जानें देंगे, खून बहायेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग के फिरकापरस्ती के रास्ते पर हम नहीं चलेंगे। आज वह बुलन्द इंसान हमारे दर्मियान नहीं है। मुस्लिम लीग का दौर आया और चला गया, फिरकापरस्ती का तूफान आया और चला गया। उसके बाद अलग-अलग किस्म की फिरकापरस्तियां उठीं। आज भी मैं कहता हूं कि नेशनल इंटेग्रिटी के लिये कोई आदमी दिल्ली में पार्लियामेंट में लड़ता था तो वह मौलाना हिफजुर्रहमान था और जो नेशनल इन्टीगरेशन कांफ्रेन्स हुई वह एक शानदार कान्फ्रेन्स थी। उसको कंवीन करने में मौलाना साहब का ही बहुत बड़ा हाथ था। अफसोस है जैसा कि जमाने का तकाजा है पुराने लोग जा रहे हैं जनरेशंस खत्म हो रही हैं, परम्परायें और रवायात गायब हो रहे हैं। कुछ दिन पहले टंडन जी जो हमारे बुजुर्ग थे हमारे पुराने रहनुमा थे, एक शानदार इंसान थे, उनका इन्तकाल हो गया। बी० सी० राय साहब का इन्तकाल हुआ उसके बाद यह तीसरी चोट हमको लगी। खैर जिन्दगी है आयेगी और जायेगी, लेकिन हमें यह तय करना है कि यह बड़ी-बड़ी हस्तियां जो हमारी आंखों से ओझल हो रही हैं वह जो हीरे और जवाहरात अपने पीछे छोड़ कर गयी हैं वह मिट्टी में न मिलें उन्हें रखना है और पालना है और मौलाना हिफजुर्रहमान साहब जिस परम्परा को छोड़ कर गये हैं फिरकापरस्ती के साथ लड़ना---उसको हम आगे बढ़ायेंगे और फिरकापरस्ती से जो कौमी इत्तहाद के लिये सबसे बड़ा जहर है हम हिम्मत के साथ लड़ेंगे और मैं समझता हूं कि यह सरमाया जाया नहीं होगा मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग चाहे किसी दल के हों एक बात के ऊपर राष्ट्रीय एकता के सवाल पर एक मत हैं। हम अपनी आंख की पुतली की तरह से राष्ट्रीय एकता को बचायेंगे।

मैं कुछ और नहीं कहना चाहता मेरा दिल दुखी है। जितने पुराने लोग यहां बैठे हुये हैं वे सब जानते हैं कि कैसे सुलझे हुये इन्सान थे, कितने उसूल पसन्द इन्सान थे आज उनकी

[श्री जेड० ए० अहमद]
यादगार हम कायम रखें और मैं कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से अकीदे के फूल अपने पुराने दोस्त और रफीक को पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे जज्बात को मुकम्मिल तौर पर उनके खान्दान तक पहुंचा देंगे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मौलाना साहब से मेरा व्यक्तिगत परिचय था। वह मेरे नेता ही नहीं बल्कि मेरे रहनुमा थे। मुझे याद है १९५२ में जब मैंने चुनाव लड़ा वह हाफिज जी के समधी थे और हाफिज जी के लड़के से मेरी दोस्ती थी उनके यहां मैं आया जाया करता था मैंने उनसे कहा कि चचा मियां मेरे चुनाव में आपका जाना बड़ा जरूरी है। उन्होंने एकदम स्वीकार कर लिया और मेरे क्षेत्र में जब जब मैंने उनको याद किया वह फौरन आये। मान्यवर, यह दुखद समाचार मुख्य मंत्री जी ने जब सदन में सुनाया तो एकदम से यह ख्याल पैदा होता है जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा और इससे पूर्व डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने इसी सदन में कहा था कि हमारे पुराने जितने नेता हैं वे एक एक करके पके आम की तरह से गिरते चले जा रहे हैं और यह कमी पूरी नहीं हो पा रही है।

श्रीमन्, मौलाना साहब एक बहुत ही गरीब परिवार से आये थे और शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किया जो उन्होंने किताबें लिखीं जिस निर्भीकता से वे आलोचना करते थे जो कुछ कहते थे उस पर डटे रहते थे, यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं। उनकी एक निर्भीकता का उदाहरण मैं दूं। जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चुनाव हो रहा था तो वे यहां आये और कहने लगे कि मैं तो गुप्त जी को वोट दूंगा। वे अपने विचारों पर अटल रहते थे और उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था आजादी के बाद जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने और डाक्टर अहमद साहब ने कहा कि इस फिरकापरस्ती से युद्ध किया जाय। आज देश में जो फिरकापरस्ती और जातीयता बढ़ रही है, उसको दूर करने में हमें सारी ताकत लगानी है। इत्तफाक से वे बीमार हुये और हमारे बीच में नहीं रहे। उनके जीवनकाल में जब मेरी उनसे बातें होती थीं तो वे यही कहा करते थे कि आजादी के बाद जो सब से बड़ा काम रह गया है वह यही है कि इस फिरकापरस्ती से सभी इन्सान लड़ें। आज दुख की बात है कि वे हमारे बीच में नहीं रहे। मैं अपनी तरफ से और निर्दलीय दल की तरफ से समवेदना प्रकट करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके दुखी परिवार तक हमारी यह समवेदना पहुंचा दें।

श्री अध्यक्ष--मौलाना हिफजुर्रहमान के देहावसान से हम और हमारा सारा देश गरीब हो गया है। उनके जीवन से जो हमें शिक्षा मिलती है, जो त्याग उन्होंने अपने जीवन में किया और जिस प्रकार से देश के विभिन्न तत्वों को एक सूत्रता में बद्ध किया और स्वतंत्रता संग्राम में हमारे अग्रगण्य नेता बनकर हमें आगे बढ़ाया, यह सभी बातें चिरस्मरणीय रहेंगी। एक एक करके हमारे वह रहनुमा जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में इतना बड़ा भाग लिया हम से विदा होते चले जा रहे हैं। अगर हम उन परम्पराओं और आदर्शों को जो वे हमारे सामने प्रस्तुत कर गये हैं उनको धारण करके, जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है उसका संरक्षण नहीं करेंगे, अगर उस स्वतन्त्रता को सुन्दर और विकसित बनाने का प्रयास नहीं करेंगे तो ऐसे महान् पुरुष को याद और स्मृति व्यर्थ हो जायगी। जो कुछ स्वर्गीय मौलाना के विषय में कहा गया है, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करके उनके संतप्त परिवार को इस सदन की समवेदना पहुंचा दूंगा। अब हम सब लोग खड़े होकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर २ मिनट के लिये खड़े हुए।)

असरकारी संकल्प पर श्री अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था पर पुनर्विचार करने हेतु विरोधी दल की प्रार्थना के संबंध में जानकारी

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, कल हम लोगों ने मिल कर श्रीमन्, के पास एक पत्र भेजा है कि श्रीमन्, की व्यवस्था से हमें कितना खेद है और कितना

महत्वपूर्ण विषय उस व्यवस्था के कारण कल सदन में नहीं आ सका । हमने विनम्र निवेदन किया है कि श्रीमन् पुनः अपनी व्यवस्था पर विचार करके हम सबको अवगत करायें। मैं जानना चाहूंगा कि श्रीमन्, के पास वह पत्र पहुंचा और श्रीमन्, ने उस पर क्या विचार किया , उससे हम लोगों को अवगत करायें ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि कल मैं सदन में उस अवसर पर उपस्थित नहीं था, जबकि उस प्रस्ताव पर वादविवाद होने वाला था जो कि शारदाभक्तसिंह जी की ओर से गैर-सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत होने वाला था । मुझे बड़ा आघात पहुंचा और मैं ऐसा मानता हूं कि सदन का प्रत्येक सदस्य, जब उसने गम्भीरता से उन तमाम बातों पर विचार किया होगा । कल सदन में जो घटना घटी, उसको आघात पहुंचा होगा क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि सदन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि सदन की मान-मर्यादा को रखने को इच्छा न रखता हो क्योंकि सदन की मान-मर्यादा हमारी मान-मर्यादा है । अगर हम कोई चीज आवेश में कर बैठते हैं उससे हम सब को आघात लगता है और उन परम्पराओं और मर्यादाओं को जिनकी हम रक्षा करना चाहते हैं, धक्का पहुंचता है । कल जितनी जानकारी मुझे हो पायी, जैसा कि मैंने निवेदन किया, उस जानकारी ने मुझे आघात पहुंचाया। हम यहां पर अपने विचारों को सच्चाई पूर्वक ईमानदारी से रखने की चेष्टा करते हैं और हर एक को यह अधिकार है कि वह अपने विचारों को इस सदन में व्यक्त करे । कल राजस्व मंत्री जी ने जो कि हमारे बीच में, हमारी विधान सभाओं का इस प्रकार जब से प्रारम्भ हुआ है, सन् १९२२ से बराबर इस सदन के जिस रूप में यह सदन बना, सदस्य रहे हैं, अपना दृष्टिकोण रखा । उनकी जानकारी और अनुभव है । वह बहुत विद् व्यक्ति हैं। अपनी जानकारी, तजुरबे, अपनी कानूनी लियाकत को सदन के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं । वह ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कभी-कभी, हममें से जो केवल मैटर आफ फैक्ट रखने की चेष्टा करते हैं, इस सदन में वह कभी कभी ऐसा वातावरण भी ले आते हैं जिससे सदन कभी उस गम्भीरता के मूड में न रह कर, मैटर आफ फैक्ट से हट कर, बात करने की चेष्टा कर सके । उन्होंने अपना दृष्टिकोण , मैं यह कहूं कि जिस प्रकार सदन के सामने इंटेलेक्चुअल जिमनैस्टिक की तरह से बातें रखी जाती हैं, सदन के सामने रखा । बहुत से ऊपर के साथी भी इस इंटेलेक्चुअल जिम्नैस्टिक में बहुत माहिर हैं। कभी-कभी वह ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं कि जो कानून से सम्बन्ध रखता है । वह कोई अवसर नहीं होता जब हम आवेश में आ जायं । कल कुछ बातें आवेश में हुईं । उसको मुझे दुख है ।

कल मुझ से सिवा माननीय उग्रसेन के सभी नेताओं से बातें हुई और सबको इस बात का दुख था कि इस सदन में कल ऐसी घटनाएं हो गयीं कि जिन्होंने हमारी मान-मर्यादा को घटाया और सारे देश में उसको घटाया । मैं ठाकुर हुकुमसिंह की तरह से बहुत कानून का और बहुत नियमों का पंडित नहीं हूं, और बहुत से अन्य सदस्य यहां हैं जो कि इन नियमों को और कानून को मुझसे अधिक जानकारी रखते हैं और अध्यक्ष जी, आप जो कि इन नियमों का संचालन करते हैं और उनके विषय में अपने निर्णय देते हैं, वह तो उन नियमों के पंडित ही हैं, तो जो आपने दोनों तरफ की बातें सुनकर फैसला किया, मुझे उसके विषय में कुछ नहीं कहना है । एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उधर के व्यक्तियों को यह भ्रम हो गया हो कि जिस विषय पर वह चर्चा करना चाहते थे सदन में और चर्चा करके अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना चाहते थे, मैं राजस्व मंत्री जी की ओर से यह कहने को उद्यत हूं कि उनकी कभी यह मंशा नहीं थी कि उस विषय पर बहस न हो, उसकी चर्चा न हो या जो लोग उस पर अपने विचार रखना चाहते हों, वह न रखें, लेकिन एक नियमों के पंडित के नाते और हमारे बुजुर्ग के नाते उन्होंने अपनी एक बात रखी ।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

आज भी वह स्वतः ही इस विषय पर निवेदन करना चाहते थे लेकिन अध्यक्ष जी ने मुझे बुला लिया, तो मैं आपके द्वारा माननीय उधर के बैठने वाले सदस्यों से नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि जो मालगुजारी के आधार करने का विषय है जो कि उस प्रस्ताव का हिस्सा है उस हिस्से के ऊपर यहां सदन में बहस हो, लोग अपने विचार उस पर रखें, ठाकुर साहब की तरफ से कह देना चाहता हूं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। नियमों का पालन कराना आपका कर्त्तव्य है और इस सदन के सभी सदस्यों का कर्त्तव्य है। तो यदि आप इजाजत दें तो आज यहां कुछ सरकारी कार्य है, यदि उसके पूरा करने के बाद या उसको चालू कर देने के बाद बीच में यदि आप आज्ञा दें और यह निर्णय लें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि जो प्रस्ताव कल पूरे रूप में जिन साथियों ने रखना चाहा था और चाहा था कि जिस पर वादविवाद हो जाय तो उसके ऊपर विचार-विनिमय और लोगों को विचार सदन के सामने प्रस्तुत करने की आप आज्ञा प्रदान करें यदि आप ऐसा करने में इस समय समर्थ हों। अधिक इस विषय में जो और बातें हैं माननीय राजस्व मंत्री जी सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे यदि आप कहने की और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की आज्ञा उनको प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष—माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने जो इस समय वक्तव्य दिया है, उससे यह विदित होता है कि जो प्रस्ताव टेकनिकली या नियमों के अन्तर्गत मैंने अस्वीकार कर दिया था उसके ऊपर विचार करने के लिए इस आदरणीय सदन की अनुमति है। मैं ऐसा समझता हूं।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो.....

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—श्रीमन्, जब आप खड़े हों तो उनको कोई हक नहीं है बोलने का। इस तरह से इस आदरणीय सदन की मर्यादा नहीं चल सकती।

श्री अध्यक्ष—आप बैठिए। जब एक मामला तय हो रहा है तो इसमें आपको क्या दिक्कत है ?

श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—हम लोगों को आप फिर क्यों डांट देते हैं, जब हम कुछ कहने के लिए खड़े होते हैं ?

श्री अध्यक्ष—माननीय उग्रसेन जी, अगर मैं उनको इजाजत दूं तो उस सम्बन्ध में आपको कुछ कहना है ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—आप तो सर्वशक्ति सम्पन्न है। आपने ही कल जैसी व्यवस्था दी थी। आज भी जैसा चाहें आप करें।

श्री अवधेशकुमार सिनहा—आपने आज यह आदेश दिया है कि वे बोलें। आप जब बोलते हैं, और हम कुछ कहते हैं, तो हमको बैठाल दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष—मैं यह कह रहा था कि माननीय नेता विरोधी दल और नेता सदन के वक्तव्य के बाद इस सदन का ऐसा मत है, जिसको सैन्स आफ दि हाउस कहते हैं कि इस प्रस्ताव पर विचार-विनिमय हो। मैं यह अनुमान कर रहा हूं। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार मैं यहां देखता हूं और जो बातें एक दो बार इस सदन में कही गई हैं उससे एक शंका पैदा हो जाती है। अभी मैं समझता हूं माननीय उग्रसेन जी ने जो कहा उसके बाद माननीय अवधेशकुमार जी को नहीं खड़ा होना चाहिये। माननीय उग्रसेन जी उनके नेता हैं। इसके पहले इस सदन के अन्दर दो एक बार, माननीय सदस्यों को मालूम होगा, कि यह बात कही गई कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है चाहे वह किसी पार्टी का हो। मेरा मत ऐसा है कि विभिन्न दलों को मान्यता देकर हमने सदन का गौरव बढ़ाया है और उन पार्टियों का गौरव बढ़ाया है। प्रत्येक

दल के नेता का गौरव, उनकी प्रतिष्ठा उनके दल के सदस्यों के बल पर है और सदस्यों की शक्ति और बल उनके नेता और पार्टी पर है। तो फिर अगर इस व्यवस्था को नहीं मानते हैं और प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी दल का हो सदन के समक्ष यह घोषणा करने के लिये तैयार हो कि हम स्वतंत्र हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि संसदीय परम्परा, जो हमारे यहां होनी चाहिये, जिसको मान्यता दी जाती है वह सारी विनष्ट हो जायंगी। मैं समझता हूं लोकतान्त्रिक पद्धति भी नष्ट हो जायंगी अगर हम इन प्राथमिक बातों को न मानें और इनका आदर न करें, लेकिन यह सब बातें होते हुये भी मैं यह समझता हूं कि माननीय नेता सदन जब कुछ बात कह रहे हैं तो वह इस बात का उत्तरदायित्व लेकर कह रहे हैं कि सारी कांग्रेस पार्टी उनके वक्तव्य का समर्थन करती है। इसी प्रकार से जब नेता विरोधीदल बोलते हैं तो मैं समझता हूं कि वह समस्त विरोधीदल के सदस्यों की तरफ से बोल रहे हैं और उनकी बातों को मानते हैं। मैं चाहता हूं इस प्रकार की हमारी पद्धति हो। (व्यवधान—श्री उग्रसेन से) अभी आप यह कह रहे थे कि किसी को नहीं बोलना चाहिये अब आप स्वयं ही बोल रहे हैं। मैं किसी के लिये विशेष रूप से नहीं कहता, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि नियमों का पालन हो तो उनको स्वयं नियमों का पालन करना सीखना पड़ेगा। उनको नियम पालन करके एक उदाहरण स्वतः प्रस्तुत करना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि दूसरे व्यक्तियों से नियमों के पालन के लिये आग्रह करें और स्वयं नियमों का पालन न करें। यह गलत बात है।

तो मैं समझता हूं कि आदरणीय नेता सदन और आदरणीय नेता विरोधी दल, दोनों का सामूहिक वक्तव्य मुझे इस परिणाम पर पहुंचाता है कि एक लोक महत्व का प्रश्न इस सदन के समक्ष आ जाय और उस पर विचार-विनिमय हो।

मैं, केवल एक बात कहना चाहता हूं और तदुपरान्त अपनी व्यवस्था दूंगा। मैं आदरणीय समस्त नेता विरोधी दल से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको भ्रम है कि जो व्यवस्था मैंने कल इस प्रस्ताव पर दी थी वैसी संसदीय इतिहास में कभी हुई नहीं। हमारी लोक सभा में यह बात हो चुकी है। वहां मंत्रिमंडल द्वारा ऐसी आपत्ति उठाने पर आपत्ति स्वीकृत हो चुकी है। इस समय वादविवाद का समय नहीं है। मैं केवल आदरणीय नेता विरोधी दल व अन्य आदरणीय नेताओं का ध्यान "Decisions from the Chair other than on questions—January 1951 to March 1957—Edition 1957—May" नामक पुस्तिका के पृष्ठ ४४३ के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें प्रश्न यही था कि बजट के कटमोशन का क्या मतलब है और कितना उसका प्रभाव इन प्रश्नों पर पड़ता है जो बजट सेशन के बाद आते हैं।

दूसरी बात जो मुझे आप के सामने रखनी है वह मुझसे संबंधित है, व्यक्तिगत है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि एक इंटेलेक्चुअल जैमनास्टिक कल हो गया। मेरे लिये एक बड़ी कठिनाई का प्रश्न हो जाता है। इसमें कोई शंका नहीं कि वकील होने के नाते स्वाभाविक है कि नियमों के शब्द, नियमों की रचना, नियमों का विन्यास, सभी बातों पर मैं विशेष रूप से ध्यान देता हूं। प्रस्ताव और संकल्प की परिभाषा के कारण ही कल कठिनाई उत्पन्न हुई। विरोधी दल के सदस्य जो नियम समिति में हैं वह सब कदाचित् भूले न होंगे कि इस प्रश्न को मैंने स्वयं नियम समिति के सामने रखा और बतलाया था कि इस परिभाषा से क्या कठिनाई पैदा हो सकती है। मैंने केवल इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया कि परिभाषा से—बहुत सी कठिनाइयां हो सकती हैं। जैसा मैंने कहा कि प्रस्तुत विषय ऐसा है कि जो लोक सभा में भी आ चुका है और जिस के संबंध में निर्णय हमारी व्यवस्था के अनुरूप मौजूद है।

अब मैं माननीय विरोधी दल और समस्त विरोधी दल के सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा कभी यह मंशा नहीं रही है कि मैं किसी सार्वजनिक महत्व के विषय को रोकूं। और चूंकि अब इस सदन ने अपनी मंशायें नेताओं द्वारा व्यक्त कर दी हैं इस वजह से

[श्री अध्यक्ष]

उस प्रस्ताव को सदन में लाने की व्यवस्था मुझे करनी है। जब मुझसे यह कहा जाता है कि मेरे द्वारा अस्वीकृत प्रस्ताव सदन के समक्ष आना चाहिए तो अभिप्राय यह है कि नियम ३१५, ३१६, ३१७ के अन्तर्गत बाधक नियमों को निलंबित करके, उस विषय को इस सदन के समक्ष लाया जावे और मेरी व्यवस्था यही होगी कि उन नियमों को निलंबित करके वह प्रस्ताव, आज असरकारी दिवस न होते हुए भी, उसे इस सदन के सामने लाया जाय। अब प्रश्न यह है कि नियम ३१५ में यह दिया हुआ है कि मैं व्यवस्था करूंगा कि किस प्रकार से वह चले। मेरी जहां इतनी बात मानी गई वहां एक बात और मान लें और वह यह है कि इस समय जो विधेयक है वह प्रस्तुत हो जाय और ढाई बजे तक चले। ढाई बजे के उपरान्त फिर वह संकल्प आ जाय। कल दो बज कर १६ मिनट पर मैंने सदन को स्थगित किया था तीन बजे तक के लिए। अतएव मैं चाहता हूं कि ढाई बजे आ जाय और उसके पहले हम इस मलिन बस्ती विधेयक पर विचार कर लें, जो आज प्रस्तुत है।

मैं इस बात का प्रयत्न अवश्य करूंगा कि जो सामान्य विवाद उसके ऊपर हैं, वह जितनी जल्दी समाप्त हो जाय उतना ही अच्छा है लेकिन जो भी हो ढाई बजे वह प्रस्ताव अवश्य लिया जाय। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहूंगा कि यदि वह आज समाप्त न हुआ तो चूंकि १० अगस्त को असरकारी दिवस है तब उसके ऊपर बहस जारी रहेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था उचित होगी और हम सब का काम भी पूरा होगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे अध्यक्ष महोदय के जो निर्देश हैं वह शिरोधार्य हैं। लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने रूल २६ को भी पढ़ लिया होगा। जो हमारी एसेम्बली के रूल्स हैं मेरा उनसे तात्पर्य है। यह प्रस्ताव के लजब मेरे भाई शारदाभक्त सिंह ने पेश किया था तो मैंने प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज कर दिया था। प्रस्ताव पेश नहीं हुआ था। रूल २६ में वह सस्पेंशन रूल में आता है।

श्री अध्यक्ष—देखिए, मैंने यह निर्णय किया है कि जितने भी बाधक नियम हैं उनको सस्पेंड करते हैं तब कोई प्रश्न नहीं उठता "All rules barring the consideration of his question are suspended".

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—अध्यक्ष महोदय, मझे बहुत खेद है कि कल जो टेक्निकल और कान्स्टीट्यूशनल प्वाइंट उठाया गया था उस पर इतनी लम्बी चौड़ी बहस हुई और इतना झगड़ा पैदा हुआ। कल माल मंत्री जी ने जो प्वाइन्ट उठाया था उसमें उनका मंशा यह तो नहीं था कि बहस को रोक दो। क्योंकि उनकी समझ में रूल का उल्लंघन हो रहा था इसलिये उन्होंने यह प्वाइन्ट सदन के सामने रक्खा। ऐसा तो पार्लियामेन्टरी जीवन में हमेशा होता रहता है। किन्हीं सदस्यों को अगर कोई बारीक कान्स्टीट्यूशनल प्वाइन्ट सूझे तो वह जरूर उठा सकते हैं। हमारे सदन के रूल के अनुसार अगर कोई विषय एक बार प्रस्ताव द्वारा उठ चुका हो तो ६ महीने के अन्दर उस विषय पर दोबारा बहस नहीं हो सकती है।

(व्यवधान)

आई डोन्ट लाइक दिस। आई वान्ट टू स्पीक। लेट मी स्पीक। (I don't like this. I want to speak. Let me speak.)

(व्यवधान)

आपने ही नियम बनाया है, कि जब एक विषय पर डिस्कशन हो जाता है तो उसी विषय पर ६ महीने तक कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं आ सकता, उस पर बहस नहीं हो सकती। मैंने भी काफी पार्लियामेन्टरी जिन्दगी बितायी है, पार्लियामेन्टरी प्रोसीजर का मुझे भी कुछ ज्ञान है, मैंने पार्लियामेन्ट में भी देखा है कि वहां किस प्रकार चुस्ती से काम होता है। मगर इस तरह की बातें नहीं होतीं। वे लोग उसी विषय पर बात करने के लिये दूसरे ढंग से कोई न कोई रास्ता निकालने की

कोशिश करते हैं। डाक्टर अहमद साहब उसको जानते होंगे। यह तो जहां पार्लियामेंटरी बैटिल आफ विट्स होती है, वहां यह सब होता है, मगर उसको लेकर एक इतना बड़ा बवाल मचाया जाय, यह नहीं होता। (विरोधी पक्ष से कई सदस्यों द्वारा व्यवधान)

श्री उग्रसेन—माननीय मंत्राणी जी को बोलने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मुझे बोलने की इजाजत मिली है, मैं बोलूंगी।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, आज काफी वाद-विवाद के पश्चात् आपने अपनी व्यवस्था दे दी और वह प्रश्न अब वहीं समाप्त हो जाता है। माननीय मुख्य मंत्री से बातचीत करके और नेता विरोधी दलों से बातचीत होने के बाद एक रास्ता निकाला गया आपस में सामन्जस्य करके। अब माननीय मंत्राणी जी को जो आप ने मौक़ा दिया बोलने का, तो उससे वे फिरसे अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि हमने गलत प्वाइन्ट्स उठाये थे। तो इस तरह से अगर आप उनको बोलने का अवसर देंगे तो फिर आपको हमको भी बोलने का अवसर देना होगा और बात बढ़ सकती है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना बयान दे दिया तो उनके विरोध में बोलने को मंत्राणी जी को क्या अधिकार है?

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें। माननीय मंत्राणी जी को जहां तक मैं समझा हूं, वे यह कहना चाहती हैं कि कल जो इतनी नाराजगी यहां पर हाउस में हो गई है, तो अगर नाराजगी की वजह से अपना रेजूलेशन बदल कर दे देते तो अच्छा होता। यही मंशा उनकी मैं समझता था। वह कोई बहस नहीं करना चाहती थीं। इसलिये मैंने उनको इजाजत दी बोलने की।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है और न था कि इस पर बहस न हो। मैंने कल भी यही कहा था कि जो आपत्ति उठाई गई थी वह बात सही है, उसमें गलती नहीं है। इस ढंग की आपत्ति पार्लियामेन्ट में होती रही हैं। लेकिन वे उसका किस तरह से मुकाबला करते हैं वह मैं बताना चाहती थी। मैं सिर्फ यह बताना चाहती थी कि तरीके से काम हो सकता था। लेजिस्लेचर में एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है। यह धींगा-मस्ती से काम करने के लिये हाउस नहीं है। इसके लिये हम दूसरी पार्लियामेन्ट से सबक ले सकते हैं। जब इस ग्राउन्ड पर कि ६ महीने के अन्दर दूसरा रेजोल्यूशन नहीं आ सकता कोई रेजोल्यूशन या कटमोशन पार्लियामेन्ट में रूल आउट किया जाता है तो रेजोल्यूशन लाने वाले उसी रेजोल्यूशन में शाब्दिक परिवर्तन करके या थोड़ा हेरफेर कर के लाते हैं। मैंने पार्लियामेंट में ऐसा होते बहुत बार देखा है। यह एक साधारण पार्लियामेन्टरी टेकनिक्स मानी जाती है। एक तरफ से एतराज हो, दूसरी तरफ से उसका मुकाबला करने के लिये बारीक तरीका अपनाते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बड़ा आभारी हूं, वह बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने हमारी भावनाओं का आदर किया। आप ने जो व्यवस्था दी है, उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। विनम्र निवेदन यह है कि जैसे कल बात-चीत हुई कि सरकारी जो विधेयक है, माननीय मंत्री जी उनको इंट्रोड्यूस कर दें और उसके बाद फिर यह जो कल का प्रस्ताव था उस पर विवाद हो जाय।

श्री अध्यक्ष—मुझे मालूम नहीं था कि यह बात-चीत हुई थी।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं वही निवेदन कर रहा हूं। तो उस पर विवाद हो जाय। यह काफ़ी बड़ा सेशन है और ४–५ दिन में इसको कहीं न कहीं ऐडजस्ट किया जा सकता है। मुझे बड़ा दुःख और आश्चर्य हुआ जब माननीय श्रम मन्त्राणी जी बोलीं। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं और इज्जत करता हूं, परन्तु मैं समझता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा वह समयानुकूल नहीं था और न उसकी आवश्यकता थी, फिर भी उसके लिए उनका आभारी हूं। अब इधर के माननीय सदस्यों से इतना ही निवेदन करूंगा कि जो कल घटना हुई है उसमें निश्चित हो गया है कि जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है वह बड़े दुःख की बात है और जब एक नार्मलसी लाने का प्रश्न है तो श्रीमन् हम सब की सहायता करें और हम सब श्रीमन् की सहायता करें। यह मेरी प्रार्थना उधर से भी है और इधर से भी है और श्रीमन् से निवेदन है कि अगर आप यह स्वीकार कर लें तो वह हम सब की भावनाओं का आदर होगा और हम आपके आभारी होंगे।

श्री अध्यक्ष—मुझे आपत्ति नहीं है अगर यह तय हुआ है कि विधेयक प्रस्तुत हो जाय और फिर संकल्प पर बहस हो जाय और आवश्यक हो तो कल के लिये रख दिया जाय। एक बज भी गया है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जब विरोधी दल के नेतागण मेरे पास आये थे तो उन्होंने अपने कई सुझाव रखे और मैंने उनके विषय में अपना मत प्रकट किया और यह कहा कि जो हमारा सरकारी कार्य है, अच्छा तो यह हो कि चूंकि इस विधेयक में कोई विरोध की बात नहीं और छोटा सा विधेयक है तो सवा घंटे में पास हो सकता है, उसके बाद उस विषय की चर्चा की जाय जो कल रखा जाने वाला था। मैंने यह भी निवेदन किया था कि हमें अगर घंटे सवा घंटे उस प्रस्ताव पर लग जाय तो हम ६, साढ़े छः बजे तक भी बैठ सकते हैं। यह बात मैंने विरोधी दल के नेता जी से कही थी। अगर मुमकिन हो सके तो ढाई बजे से उस पर बहस करें और एक आध घंटा और बढ़ा लिया जाय।

श्री उग्रसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है वह तो शिरोधार्य है। २–३ बातें हैं। कल जो घटना घटी.....(व्यवधान) मैं उस पर नहीं कह रहा हूं तो मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी के सम्बन्ध में जो निष्कासन की व्यवस्था है उसको वापिस लें। उस प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हुई थी। कार्यवाही में जिसने लिखा है कि वोटिंग हुई, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

दूसरी बात यह कि घंटे, डेढ़ घंटे को मैं कोई महत्व नहीं देता, लेकिन आज का दिन गैर-सरकारी मिलना चाहिये।

माननीय सुचेता जी ने जो कहा, तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग भी कुछ जिम्मेदारी रखते हैं.....

श्री अध्यक्ष—प्रश्न इस समय यह नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के कोने कोने से लोग विधान सभा की कार्यवाही देखने के लिये आये हुये हैं, लेकिन आज उनका प्रवेश निषेध कर दिया गया है.....

श्री अध्यक्ष—इस समय सदन के सामने प्रस्ताव यह है कि माननीय दुबे जी ने यह कहा है कि प्रस्ताव को फौरन ले लें और माननीय गुप्त जी ने यह कहा है कि ढ़ाई बजे से इसको लिया जाय और उसके बाद यह हो सकता है कि ५ बजे के बाद भी कुछ समय के लिये हम बैठ जायं।

श्री लखपतराम शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार लम्बा-चौड़ा मार्ग तय कर के सही स्थान पर आ गई है, यह खुशी की बात है। मेरा निवेदन यह है कि विधान सभा की कार्यवाही देखने के लिये जगह-जगह से लोग आये हुये हैं....

श्री अध्यक्ष—इस समय केवल एक प्रश्न है उस पर आप बोलें।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। माननीय नेता विरोधी दल ने आपके सामने जो प्रश्न उठाया वह यह था कि विरोधी दल के नेताओं की तरफ से जो पत्र आप की सेवा में भेजा गया था, रूलिंग पर पुनर्विचार करने के लिये उस पर निर्णय देने की कृपा करें। उसके बाद आपने मुख्य मंत्री जी को काल किया। मुख्य मंत्री जी ने अपना एक व्यावहारिक दृष्टिकोण रखा। वे इस बात के लिये धन्यवाद के पात्र हैं। श्रीमन्, इस समय मैं समझता हूं कि नेता विरोधी दल ने जो कहा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा और काफी अंशों में जो आप ने कहा उन सब बातों को सुनते हुये झगड़ा बहुत कुछ नैरो डाउन हो गया है। लेकिन जो मुख्य प्रश्न है वह यह है कि जो आप ने कल रूलिंग दी थी उसके बारे में आप ने नहीं बताया कि उस पर आप पुनर्विचार करेंगे अथवा नहीं क्योंकि उस पर न तो माननीय मुख्य मंत्री जी और न नेता विरोधी दल ही कुछ कर सकते हैं, उनके बारे में तो आप को ही कहना होगा।

जैसा कि समय के बारे में आपने कहा, यह बात ठीक है कि हमारे और माननीय मुख्य मंत्री जी के बीच में यह बात तय हो गयी थी कि वह पेश कर दिया जायगा और पेश हो जाने के बाद इस प्रस्ताव पर विवाद होगा। यह बात कि किस बिल पर कितने समय तक विवाद हो यह बात हमें बाद के लिये छोड़ देनी चाहिये। आज तो हम ५ बजे तक ही बैठें और ५ बजे उठ जायं। अगर किसी बिल की खास जरूरत समझी जायगी तो गवर्नमेन्ट की बात पर हम कितनी गंभीरता-पूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, यह बात यहां कहने की जरूरत नहीं है।

माननीय उग्रसेन जी से मैं निवेदन करूंगा कि बस इतनी ही बात से अपने को कनफाइन्ड रखें और सदन का काम चलने दें। इसके अतिरिक्त जो और बातें उठती हैं उनका भी समाधान मौके पर हो जायगा।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, अब मामला सुलझता हुआ दिखाई देता है और जो चीज सुलझती हो उसको उलझाना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि जो हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा वह ठीक है कि इस प्रश्न को ले लिया जाय और आज के एजेन्डे पर जो बिल है वह इन्ट्रोडयूस हो जाय और उस पर बहस हो जाय, इसमें कोई आपत्ति-जनक बात नहीं है। १०–५ मिनट की इधर-उधर कोई बात नहीं है।

जहां तक आप की कल की रूलिंग का सवाल है, उस पर आप फिर से विचार कर लें। हमारी दरख्वास्त यह है कि उस पर जरूर विचार किया जाय। हम उम्मीद भी करते हैं कि उस पर विचार किया जायगा। समय से उसपर विचार कर लें। यह हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि आप तुरन्त ही उस पर अपना फैसला दे दें। मैं चाहता हूं कि आज की कायवाही शरू हो और अच्छे वातावरण में हो।

एक बात और कहना चाहता हूं। कल जब ऐसी बात हुई तो म हाजिर नहीं था, काफी पेचीदगियां पैदा हो गयीं। लेकिन यह मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसका मुझे बहुत दुःख हुआ, यह जानकर कि यहां बत्ती गुल कर दी गयी, पंखे बन्द कर दिये गये, पुलिस दौड़ा दी गयी, पीछे पुलिस वाले आकर खड़े हो गये। इन सारी चीजों के बारे में मैं भविष्य के लिये अर्ज कर देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य को कुछ सूचना दे दूं। यहां मेरे आसन पर माननीय लक्खीसिंह जी बैठे हुए थे और कुछ कार्यवाही हो रही थी, जब मुझे ऐसा मालूम हुआ तो मैंने सिर्फ इतना आर्डर दिया था कि लाउड स्पीकर बंद कर दिया जाय, यह मैंने कभी नहीं कहा कि रोशनी और पंखे भी बंद कर दिये गये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन—यह आप का आदेश बिलकुल नहीं था कि बिजली और पंखे बंद कर दिये जायं ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके २–४ मिनट बाद मित्थल जी (सचिव) मेरे चेम्बर में गये और उन्होंने मुझ बताया कि पंखे और रोशनी भी बंद कर दी गई है। उस समय माननीय नवलकिशोर जी मेरे पास बैठे हुए थे। मैंने उसी वक्त कहा कि यह सब नानसेंस है, यह नहीं होना चाहिये। हर एक सदस्य को अधिकार ह कि वह यहां बैठे। सदन की कार्यव ही ४५ मिनट के लिये स्थगित कर दी गयी थी और यह कहना ग़लत है कि मैंने लाइट व पंखे बन्द करने की आज्ञा दी। श्री मित्थल ने जब आ कर मुझे इसकी सूचना दी जहां श्री टम्बश्वरी-प्रसाद भी मौजूद थे, तो फौरन लाइट व पंख के स्वीच चालू कर दिये गये। मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर मैं इस काम को करता तो आप मुझसे भी अभी रिजिग्नेशन ले लेते। यह कहना ग़लत है कि मैंने इसके लिये कहा था।

(व्यवधान)

देखिये, उग्रसेन जी आप बैठिये। दूसरी बात यह है कि तीन बजे के बाद जब मैंने सदन को स्थगित कर दिया तो श्री टम्बेश्वरीप्रसाद भी कुछ कह रहे थे और कुछ लोगों ने कहा कि बाहर यह चर्चा है कि आपने उस प्रस्ताव को पुट नहीं किया और उस पर आपने मत नहीं लिया। उस वक्त वहां श्री नवलकिशोर जी व श्री डिप्टी स्पीकर भी मौजूद थे तथा पुरी साहब (सचिव, विधान मण्डल) भी थ। मैंने कहा कि फौरन जाकर देखें प्रोसीडिंग्स में, जहां तक मुझे याद है मैंने प्रस्ताव को पुट किया लेकिन अगर प्रोसीडिंग्स में न लिखा हो तो, उसे समाप्त समझा जाय। आर्डर तयार था श्री टम्बेश्वरीप्रसाद पर तामील होने के लिये लेकिन तब तक के लिये मैंने उस रोकवा दिया। जहां तक मेरा खयाल है साढ़े तीन, पौने चार बजे के करीब की बात है श्री गिरधारीलाल (समिति अधिकारी) ने आकर बतलाया कि जो रिपोर्टर महोदय थे वहां, उनके नोट बुक में लिखा हुआ है कि आपने पुट किया। जहां तक मेरा ख्याल भी था कि मैंने उसे पुट किया था।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, कोई मतदान नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—इसके बाद वह आर्डर तामील हुआ। तो यह बात जो कही जाती है कि मैंने रोशनी व पंखे को बन्द कराया, यह ग़लत है।

श्री जेड० ए० अहमद—श्रीमन्, मुझे अर्ज करना है कि मुझे बड़ी खुशी है जो आपने फरमाया कि आपने इस तरह का कोई हुक्म नहीं दिया था कि लाइट व पंखे बन्द कर दिय जायं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन आफिसरों ने या जिन अधिकारियों ने यह कार्य किया उनसे जरूर पूछा जाय कि ऐसा उन्होंने क्यों किया और इसके लिये उनको सख्त वार्निंग दी जाय कि आयन्दा वे ऐसा न करें। मेरे कुछ भाई यहां कह रहे थे कि कोई मेम्बर साहब अध्यक्ष महोदय की कुर्सी पर आ कर बैठ गये और यहां कुछ कार्यवाही भी होने लगी। मैं अपनी तरफ से बिलकुल साफ कह देना चाहता हूं कि मैं इस तरह की चीजों को बिलकुल ग़लत समझता हूं और उम्मीद करता हूं कि आयन्दा ऐसी चीज न होगी। आखिर कोई अध्यक्ष की कुर्सी पर आ कर बैठ जाय और दो मिनट के बाद वहां से हट जाय तो यह एक बेमानी सी चीज है और साफ़ तरीके से यह बिलकुल ग़लत चीज है कि कोई भी अध्यक्ष की कुर्सी पर जा कर बैठ जाय। और जहां तक मेरी चलेगी मैं इसका विरोध करूंगा। अध्यक्ष की कुर्सी पर इस तरह से बैठना अवैधानिक है, ग़लत है और अराजकता पैदा करने वाली बात है।

इसके साथ ही साथ मैं इसकी आलोचना करता हूं कि अगर आपकी हिदायत लाइट व पंखे बन्द करने की नहीं थी तो चाहे जो भी अधिकारी हो, मार्शल हो या कोई भी हो, जिसने लाखों जनता के प्रतिनिधियों को जब कि वे यहां बैठे हुये थे, रोशनी व पंखे को बन्द कर दिया, जो भी इसक लिये जिम्मेदार हो उसक खिलाफ कार्यवाही की जाय। क्योंकि अगर इस तरीके से फैसले

का हल होगा तो उससे रेजिस्टेंस पैदा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, उस कुर्सी पर बैठ कर अगर मार्शल भी गलती करता है या जिस अधिकारी ने भी गलती की है उसके खिलाफ आप को ऐक्शन लेना चाहिये। क्योंकि जिन्होंने भी इस तरह का ग़लत काम किया है उन्होंने इस पूरे हाउस का अपमान किया है। हमारे अधिकारों के रक्षक आप ही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कोई गलत बात हुई तो ऐसी बात फिर आयन्दा न होगी और मुझे विश्वास है कि आयन्दा कोई आपकी कुर्सी पर न बैठने की कोशिश करेगा। लेकिन साथ ही साथ इस तरह की बुरी हरकत जिस अधिकारी ने सदन के माननीय सदस्यों के साथ की उन्हें सजा मिलनी चाहिये और हाउस को मालूम होना चाहिये कि उन्हें क्या सजा मिली।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मैं डाक्टर साहब का बहुत ही अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने इस विषय के विचार जो अभी व्यक्त किये वही उन्होंने कल मेरे समक्ष भी व्यक्त किये थे यानी उन्होंने उस कन्डक्ट को नापसन्द किया और जोर के साथ कहा था कि जो साहब यहां कुर्सी पर बैठे या गुल मचाया गया इस तरह के कन्डक्ट को मैं नापसन्द करता हूं और सभी नेताओं ने उनकी इस बात से सहमति भी प्रकट की। मुझे बड़ा दुख है कि अन्य नेताओं ने इस विषय की चर्चा इस समय सदन में नहीं की।

श्री काशीनाथ—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि यह एक विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है कि माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद के संबंध में जो प्रश्न रखा गया था, उस पर वोट नहीं लिया गया और वोट न लेकर ही उन के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही करना सदन का अवमान है। मैं ने आज साढ़े दस बजे यह आप के यहां दिया था।

श्री अध्यक्ष—वह मेरे पास नहीं आया।

श्री काशीनाथ—सेक्रेटरी बैठे हैं मैं ने उनके हाथ में दिया था।

श्री अध्यक्ष—ठीक है उस पर विचार होगा। जब उस आइटम पर आयेंगे तो विचार हो जायगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कल जिस बात की चर्चा हुई, मैं आशा करता था कि अन्य विरोधी दलों के नेता भी उस विषय की चर्चा करेंगे और उस के संबंध में अपने विचार प्रकट करेंगे, यदि कोई ऐसी चीजें सदन की मर्यादा के विरुद्ध होती हैं और यदि किसी दल के कोई सदस्य इस तरह की बात करते हैं तो उस दल के नेता का यह कर्त्तव्य होता है कि वह ऐसे सदस्य को ताड़ना दे। कल माननीय गेंदासिंह ने कहा कि आप अपने दल के किसी नौजवान साथी को अगर वह गलत बात करे तो रोक सकते हैं? मैंने कहा—अवश्य, यदि मुझे नौजवान साथी नहीं चाहते तो मैं चला जाऊंगा लेकिन मैं सदन की मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने वाले किसी साथी की अवश्य ताड़ना करूंगा। आज इस विषय की चर्चा न तो माननीय गेंदासिंह ने की और न माननीय नेता विरोधी दल ही ने की। मैं ऐसी शिकायत नहीं करता लेकिन कुछ अवसर ऐसे आते हैं कि कोई साथी आवेश में गलत कार्य कर जाते हैं लेकिन दलों के नेताओं का और सीनियर सदस्यों का यह परमपुनीत कर्त्तव्य होता है कि वह उन्हें ऐसा करने से रोकें और उन की ताड़ना भी करें। यदि कांग्रेस का कोई सदस्य ऐसा करता है और उस की ताड़ना हम न करें तो यह हमारी जिम्मेदारी होगी और इसी तरह से अगर कोई किसी अन्य दल का सदस्य कोई ऐसी गलत चीज करता है तो उस दल विशेष के नेता की जिम्मेदारी होनी चाहिये कि वह उस को ताड़ना करें और उसे ऐसा करने से रोकें। इसलिये मैं डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब की सराहना करता हूं कि उन्होंने सदन में आज अपने विचार उस संबंध में प्रकट किये।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—नेता विरोधी दल बोलें और सब कृपा कर बैठें।

श्री यादवेन्द्रदत्त---अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने भाषण में शुरू में ही आज कहा था कि कल जो यहा सारी घटना हुई उसका मुझे बड़ा दुख है, शायद उस तरफ माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान न गया हो, यह कोई नहीं कहता कि जो हुआ वह कोई अच्छा हुआ, वह बहुत गलत हुआ और उसका हम सब को दुख है ।

श्री दीपनारायणसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जांय ।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, मुझे भी एक मिनट में अपनी बात कहने दें।

श्री अध्यक्ष---यही कब तक चलता रहेगा ? खैर, आप कहें, क्या कहना है ?

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस बात का जिक्र किया मुझे खेद है कि मैंने अपने पहले भाषण में उसका जिक्र नहीं किया मैं इस संबंध में अपनी थोड़ी सी कठिनाई बता दूं । आप सब जानते हैं कि उस समय अध्यक्ष आसन पर श्री लक्खी सिंह बैठे थे, अगर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा होता किसी अन्य दल का तो मेरे लिये सम्भव था कि मैं जा कर उससे मना भी करता और उसको वहां से बुला कर भी ले आता । हमारा और सोशलिस्ट पार्टी का रिश्ता श्रीमन्, दुनिया जानती है । हम अगर यह कहें कि उत्तर है तो सम्भव है कि वह दक्षिण कहें । सम्भव है हम भी कभी कभी ऐसी गलती कर जायं । मैं सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं जिस समय माननीय लखी सिंह आपकी कुर्सी पर बैठे थे कुछ देर तो मैं अवाक हो कर देखता रहा ? जब मैंने देखा कि कुछ होने वाला नहीं है तो मैं यहां से उठ कर के कुछ लोगों से यह ऐक्सप्रेस करते हुए कि कुर्सी की मर्यादा की रक्षा करनी चाहिये, यह अच्छा काम नहीं, कुछ भाइयों से यह कहते हुए मैं यहां से चला गया और उस समय तक नहीं आया जब तक उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ दी । इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं ।

श्री दीपनारायणसिंह---श्रीमन्, यह गलत बयानी कर रहे हैं । उन्होंने मुझसे ही कहा कि मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठ जाओ । और माननीय नेता विरोधी दल ने भी कहा । मैंने इन्कार किया उसी वक्त और कहा कि आप बैठ जाइये ।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, हमको स्पष्टीकरण का मौका आप देंगे न, क्योंकि हमारी पार्टी से संबंधित है ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठें ।

दो बातें कहीं गईं । एक तो मेरी व्यवस्था के संबंध में । डाक्टर अहमद साहब का प्रस्ताव मैं समझता हूं ठीक है, हम बैठ कर इसके संबंध में निश्चय कर लेंगे । रहा यह कि जो सूचनायें हैं उनको समाप्त करके माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से कहूंगा कि अपना प्रस्ताव पेश करें और उसके बाद फिर असरकारी प्रस्ताव ले लिया जायगा ।

श्री उग्रसेन---अब मुझे दो मिनट का मौका दीजिये स्पष्टीकरण का ।

श्री अध्यक्ष---एक मिनट आपको देता हूं, कहिये ।

श्री उग्रसेन---माननीय जेड० ए० अहमद साहब और गेंदासिंह जी ने इस बात पर अपने विचार प्रकट किये कि कल एक घटना हो गई और माननीय लखीसिंह कुर्सी पर विराजमान हो गये । श्रीमन्, उस समय कैसी अव्यवस्था थी, किधर से नियम टूटे, किसने कानून तोड़ा, उल्टी गंगा कहां से बही, इसके बारे में सबसे अधिक आप जानते हैं । जो परिस्थितियां पैदा की गईं, मैं माननीय गेंदासिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल, माननीय त्रिलोकी सिंह जी मौजूद थे सदन में और ऐसी घटना घटित हुई जब माननीय त्रिलोकी सिंह जी उस कुर्सी पर विराजमान हो गये ।

हम कहना चाहते हैं कि अपने हकों की रक्षा करने के लिये कुर्सी पर बैठना क्या, अगर कुछ और भी करना पड़ेगा तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार कानून न तोड़े, अगर वह कानून को अपने हाथ में लेगी तो हम उसका मुकाबला करेंगे।

श्री अध्यक्ष---अब आप बैठें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---आप बैठें, मैं इस समय और काम कर रहा हूं।

श्री काशीनाथ---श्रीमन्, विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न मैंने दिया था।

श्री अध्यक्ष---नियम में जब उसकी बारी आयेगी तो देख लिया जायगा।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)---आप बराबर कह रहे हैं कि वह प्रस्ताव आयेगा। क्या दूसरे प्रस्ताव जो उस दिन के हैं वे नहीं आयेंगे ?

श्री अध्यक्ष---वह आयेंगे, जब उनकी बारी आयेगी। जो नियम है उसका पालन होगा।

श्री चन्द्रबली---आप उस पर फैसला कर दीजिये, बता दीजिये कि आयेगा या नहीं।

श्री अध्यक्ष---मैंने कह दिया कि जो नियम है उसके अनुसार काम होगा।

श्री काशीनाथ द्वारा दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न हमारे सामने आया है जो काशीनाथ जी का है। इसको मैंने देखा नहीं है। इसको देखकर इस पर व्यवस्था दी जायेगी।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---एक कार्य स्थगन प्रस्ताव आया है श्री शराफत हुसेन साहब का। उसको मैंने कई कारणों से अस्वीकृत कर दिया है। इसको माननीय सदस्य देख सकते हैं।

लखनऊ के आस-पास के गांवों में डाकुओं द्वारा लूट-पाट एवं हत्या के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय चन्द्रजीत यादव का जो प्रस्ताव आया है उसे मैंने स्वीकार किया है। वह इस प्रकार से है "गत एक सप्ताह से प्रदेश की राजधानी लखनऊ नगर के आस-पास के लोगों में डाकुओं के संगठित गिरोह ने बड़े पैमाने पर लूट पाट तथा हत्यायें प्रारम्भ कर दिया है। इस सप्ताह में चार व्यक्ति जान से मारे गये, दर्जनों घायल हुए हैं और हजारों रुपये की सम्पत्ति लूटी गयी है। पुलिस इन घटनाओं की रोक थाम में असफल रही है। फलस्वरूप आस पास के गांवों में तथा नगर में भी आम तौर से अरक्षा की भावना लोगों में पैदा हो गयी है। भय और आतंक का वातावरण छाया हुआ है। गत रात को भी नगर से निकट ग्राम सरसावा में डाकुओं ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा तीन महिलाओं को घायल किया है। पुलिस की व्यवस्था के प्रति गहरा असंतोष है।

अतः इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर गृह मंत्री का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करना चाहता हूं।"

माननीय गृहमंत्री इस पर कब तक अपना वक्तव्य देंगे।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---तीन रोज के बाद ।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)---तीन दिन के बाद पूरी घटना पर स्टेटमेंट आ जाना चाहिये, लेकिन जो पेनिक इस वक्त शहर में फैला हुआ है यह सरकार की नोटिस में आ चुका है। सरकार ने क्या इसकी उचित व्यवस्था कर रखी है ताकि लोग आश्वस्त हो जांय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जिस विषय की सूचना माननीय सदस्य चाहते हैं, मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि जैसे ही मुझे इस प्रकार की खबर मिली वैसे ही मैंने यहां के सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुलिस से कहा कि वह जा कर देखें कि क्या मामला है ? तो उन्होंने अपने अधिकारियों को और अपनी फोर्स को उन स्थानों पर जांच के लिये भेज रखा है और यह भी व्यवस्था कर रखी है कि जहां यह घटनायें हुई हैं वहां पुलिस फोर्स रहे ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---यह जो गैलरीज बन्द हैं, उनको खुलवा दिया जाय । दूसरे माननीय नेकराम तथा मुकन्दीलाल जी कुछ निवेदन करना चाहते थे, उनको आपने अवसर नहीं दिया, तो उन्हें आप कृपया अवसर दे दें ।

श्री अध्यक्ष---मैं उन्हें अभी अवसर देता हूं । यह कार्य खत्म करना था । बीच में वह बोलना चाहते थे ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने एक सूचना दी थी कि कानपुर में तीन हजार मजदूर बेकार पड़े हुए हैं । उसको स्वीकार नहीं किया गया है तो कृपया आप मंत्री महोदय को आदेश दे दें कि उस पर एक वक्तव्य दे दें, क्योंकि तीन हजार मजदूरों की रोटी रोजी का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अन्तर्गत जो नियम है, उसका मैं पालन कर रहा हूं । एक आज ले लिया है और उसे भेज दिया है । वक्तव्य के लिये आप मुझ से आकर कह देते तो मैं उस पर सोचता ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद के निलम्बन संबंधी प्रस्ताव का समाप्तीकरण

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं । कल टम्बेश्वरीप्रसाद जी के बारे में जो प्रस्ताव आया था, उस पर मत लिया गया या नहीं लिया गया वह तो विवाद का प्रश्न है, लेकिन मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि उनके विरुद्ध कल जो यहां आदेश दिया गया उसको वापस ले लिया जाय जिससे वे आकर सदन की कार्यवाही में भाग ले सकें । माननीय मुख्य मंत्री से तथा अन्य नेताओं से मेरी बातचीत हो चुकी है । मैं प्रस्ताव करता हूं कि उस आदेश को वापस लिया जाय ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---अध्यक्ष महोदय, नेकराम जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं समझता हूं कि उचित है और मुझे भी दुःख है जो सारी घटनायें हुईं, मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कहता हूं और मैं आशा करता हूं कि हम सब एक दूसरे की परस्पर सहायता करेंगे, श्रीमन् भी हमारी सहायता करेंगे और हम भी श्रीमन् की सहायता करेंगे । इस सदन की मान मर्यादा की रक्षा के लिये और सुचारु रूप से इसका कार्य संचालन के लिये और मैं आशा करता हूं कि मुख्य मंत्री जी भी हम सबकी सहायता करेंगे क्योंकि यहां हम सब का अन्यान्य संबंध है । इसलिये मैं समझता हूं कि यह भी उचित होगा कि जो नेकरामजी का प्रस्ताव है, उसको यह सदन स्वीकार करे और अपनी अनुमति दे ।

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री टम्बेश्वरीप्रसाद, सदस्य, विधान सभा, की जो कल सदन की सेवा से दो दिन के लिये निलम्बित किया गया था, का निलम्बन समाप्त किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--जो प्रस्ताव सदन के समक्ष है, उसका मैं आदर करता हूं। केवल एक बात जो मैंने प्रारम्भ में कही थी वह फिर दोहराना चाहता हूं कि नेता, विरोधी दल और नेता जनसंघ पार्टी, जहां उन्होंने खेद प्रकट किया है वहां वे इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा न हो कि सदन के अन्दर माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद फिर यह न कह दें, जब उनका ध्यान आकृष्ट करूं कि आपके नेता बैठे हैं, उनसे मैं बात कहना चाहता हूं कि हम सभी व्यक्ति आजाद हैं। उससे मुझे बड़ा दुःख और खेद हुआ है। मैं समझता हूं कि हमारी डेमोक्रेसी पर यह बड़ा आघात हो रहा है और मैं आशा करता हूं कि माननीय नेता, जनसंघ इस बात का ध्यान रखेंगे और मुझे यह भी विश्वास है कि जब वे यह कहते हैं कि उन्हें खेद है तो उनकी पार्टी के उन सदस्य ने भी खेद प्रकट करने की अनुमति दे दी होगी। इस पर विश्वास करते हुये मैं इस प्रश्न को आपके सामने रखता हूं।

प्रश्न यह है कि जो आदेश माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद के विरुद्ध सदन की सेवा से निलम्बन करने का दिया गया है उसको वापस ले लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---श्रीमन्, मेरे प्रस्ताव पर निर्णय नहीं हुआ। मैं फिर निवेदन करूंगा कि ऊपर की गैलरीज में सिर्फ लखनऊ से ही लोग न आकर प्रान्त भर के लोग आते हैं, इसलिये उनकी व्यवस्था कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष---माननीय लखपतराम जी बैठिये। ये जितनी बातें की जाती हैं, उस वातावरण से बचने के लिये की जाती हैं कि जिस वातावरण में सदन की बैठक हो रही थी। अब वह वातावरण नहीं है। मैं खुद समझता हूं कि मुझे क्या करना चाहिये, आपको प्रस्ताव रखने की आवश्यकता नहीं है।

लोक लेखा समिति के लिये विधान परिषद् के ५ सदस्यों के मनोनयन के संबंध में प्रस्ताव

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं। यह सदन विधान परिषद् से संस्तुति करता है कि वह विधान परिषद् के पांच सदस्यों को विधान सभा की लोक लेखा समिति में वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के लिये सहयुक्त सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित करे। यदि विधान परिषद् इस प्रस्ताव से सहमत हो, तो ऐसे ५ सदस्यों के नाम इस सदन को भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि "यह सदन विधान परिषद् से संस्तुति करता है कि वह विधान परिषद् के ५ सदस्यों को विधान सभा की लोक लेखा समिति में वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के लिये सहयुक्त सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित करे। यदि विधान परिषद् इस प्रस्ताव से सहमत हो, तो ऐसे ५ सदस्यों के नाम इस सदन को भेजने की कृपा करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) विधेयक, १९६२*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) विधेयक, १९६२ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(इस समय १ बज कर ४१ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

---

*१६ अप्रैल, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

इस प्रस्ताव को सदन के सामने उपस्थित करते हुये मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। मेरे सामने परिस्थिति बहुत स्पष्ट है कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि जो प्रस्ताव कल विचार होने से रह गया था उस पर विचार हो और ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके, खास तौर से विरोधी दल के माननीय सदस्यों की यह ख्वाहिश है इसलिये इसका आदर करते हुये मैं कोई लम्बी स्पीच देना नहीं चाहूंगा।

दो तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं कि मुद्दतों से कई कारणों की वजह से ऐसा हो रहा है कि देहात की बस्ती शहर की तरफ झुकती जा रही है। हमारी आबादी बढ़ती जाती है और इसकी वजह से शहरों के अन्दर मकानों की किल्लत पेश हो रही है। लेकिन इसके अलावा हजारों आदमी देहात से उठकर शहरों में चले आ रहे हैं। कोई रोजगार की वजह से, बहुत से इसलिये आते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि शहरों में जीवन ज्यादा सुखमय और आनन्दमय है। शहरों का ग्लैमर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे दीपक पर पतंगा आकर खत्म होता है उसी तरह से शहर भी वास्तव में है। शहर हमारी सभ्यता को कुंठित करने वाले हैं। एक बड़ी भारी थीसिस लिखी गई कि शहर हमारी सिविलिजेशन खत्म करने वाले हैं और अगर देहातों से शहर कंटीन्यूअली फीड अप न किये जायं और नई नई जिन्दगी न आये तो शहर कुछ दिनों के बाद शहर के लोगों को खत्म कर देंगे। ज्यादातर जीनियस लोग जो समाज में चमत्कार करते हैं वे देहातों से ही आते हैं। देहातों से आकर शहरों में दो तीन पीढ़ियों में चमत्कार दिखाते हैं और उरूज पर पहुंचकर खत्म हो जाते हैं। फिर कोई उस खानदान को पूछनेवाला नहीं रह जाता है। इस तरह से शहर सभ्यता को नष्ट करने वाले हैं और देहात की खुली हवा, देहात का स्वस्थ और दृढ़ जीवन शहरों के पीछे न हो तो शहर एक नर्क हो जांय। लेकिन इस समय मेरा उद्देश्य यह था कि इस कदर देहात से जो लोग शहरों में चले आ रहे हैं, उनके रहने का प्रबन्ध नहीं हो रहा है। जहां भी उनको जगह मिलती है वहीं वे अपना सिर छिपाकर बैठ जाते हैं। लोग जो आशा लेकर आते हैं वह पूरी होनी तो दूर रही ठीक से उनको मकान तक नहीं मिलता है। इसको समझकर जो भी खुली जगह उनको मिलती है, वहां जैसा इन्तजाम होता है, जैसा सड़ा-गला मकान होता है, उसी में काफी किराया देकर लोग रहने लगते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि जहां गुंजायश थी लोगों को सिर छिपाने की वहां घनी बस्ती हो गई है जिनको स्लम कहते हैं, गन्दी बस्ती कहते हैं और मलिन बस्ती कहते हैं।

किसी बड़े शहर में चले जाइये। एक जगह नहीं अनेक जगह ऐसी बस्तियां दिखाई देंगी। वहां न पानी का ठीक इन्तजाम है, न सफाई का ठीक इन्तजाम है और न रोशनी का ही ठीक इन्तजाम है। लोग किसी तरह से रहते हैं। इस तरफ मुद्दत से केन्द्रीय सरकार का ध्यान गया और उसने एक ऐसी स्कीम निकाली कि किसी तरह से करोड़ों रुपये खर्च करके नये मकान बनाये जांय और ऐसी गन्दी बस्तियों को खत्म किया जाय। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इन स्कीम्स के लिये ५० प्रतिशत तो अनुदान दिया जाता है और ५० प्रतिशत कर्ज दिया जाता है और केन्द्रीय सरकार यह आशा करती है कि इस ५० प्रतिशत में २५ प्रतिशत जो म्युनिसिपैलिटी वगैरह हैं वह कर्ज ले कर इसकी पूर्ति करें और २५ प्रतिशत का प्रबन्ध प्रदेशीय सरकारें करें। हमारे यहां भी यह प्रश्न आया और हमारी सरकार ने यह निर्णय किया कि हमारी ताकत से यह बाहर है कि कुल का कुल २५ प्रतिशत अनुदान के रूप में दे सकें। तो निश्चय किया गया कि साढ़े १२ प्रतिशत अनुदान दे दिया जाय और साढ़े १२ प्रतिशत कर्ज दिया जाय। यह है वह ढांचा जिसकी मातहत यह बिल लाया गया है, इसकी यह भूमिका है क्योंकि सिर्फ इस बिल को अगर आप देखेंगे तो उससे पूरा अन्दाज नहीं हो सकेगा। उस भूमिका को जो हमें देखना है। दिक्कत यह आती थी कि जमीनें हम को आसानी से उपलब्ध नहीं होती थीं और कभी-कभी बहुत अधिक रुपया यह लोग मांगते थे, क्योंकि अक्सर यह जगहें शहर के बीच में होती हैं, अगर वैसे इनका दाम लगाया जाय तो ज्यादा दाम हो जाता है लेकिन उसकी अमदनी अगर देखी जाय तो आमदनी जैसी वह जगह है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है और अगर यह कहा जाय कि लोगों के दुर्भाग्य

का पूरा फायदा ये अहाते वाले उठाते हैं, तो बहुत अनुचित नहीं होगा । आसानी से म्युनिसिपल बोर्डस् या कुछ ऐसी संस्थायें जिनके सामने अपने मजदूरों को आवास देने का प्रश्न हो उनको यह जमीनें दे सकें, और इस संबंध में जो भी सहूलियत हो सकें हम उनको दे सकें, इसी उद्देश्य को सामने रखते हुये केन्द्रीय सरकार ने एक बिल पास किया था और यह आशा की थी कि दूसरी सरकारें भी उनका अनुसरण करेंगी और अपना-अपना कानून बना लेंगी ।

लिहाजा दो प्रदेशों ने मद्रास और आंध्र ने अपने यहां जो केन्द्रीय सरकार का विधेयक था, उसी की नकल करके, विधेयक बना दिया । हमारे यहां भी यह प्रश्न मुद्दत से था । उसके बाद यह बिल बनाया गया जिसको विधान परिषद् के सामने उपस्थित किया गया और एक संयुक्त प्रवर समिति में जिसमें विधान सभा के भी सदस्य थे, को सुपुर्द किया गया । वहां पर इसके ऊपर काफी बहस हुई और उसके बाद वह विधेयक फिर से विधान परिषद् में गया और वहां से पारित हो कर हमारे सम्मुख आज प्रस्तुत है । यह इतना नानकंट्रोवर्शल विधेयक है कि इसमें बहुत ज्यादा मतभेद की गुंजायश नहीं है । कम से कम इसको किसी पार्टी का विधेयक नहीं माना जा सकता । हमारी सब की सहानुभूति उन अभागे लोगों के साथ है जिन्हें मजबूर होकर शहर में आना पड़ता है और अपनी आजीविका चलाने के लिये कहीं न कहीं शहर में रह कर निर्वाह करना पड़ता है । इस विधेयक में यह प्राविधान भी किया गया है कि अगर थोड़ा बहुत, पानी, हवा और रोशनी का प्रबन्ध हो जाय, पाखाने वगैरह का प्रबन्ध हो जाय तो उसकी कोशिश की जाय ताकि वह बस्तियां रहने योग्य हो जांय । अगर वह सम्भव न हो तो इनको अक्वायर करें, वहां मकानात बना दिये जायं और लोगों के रहने का प्रबन्ध किया जाय । यह प्राविधान भी इसमें रखा गया है कि जिन लोगों को हटाया जाय उनको दूसरी जगह पर बसाने की कोशिश की जाय । वैसे तो सरकार के पास भी कोई इतने मकान तो हैं नहीं, लेकिन सरकार कोशिश करेगी कि जो जमीन अक्वायर की गई है उसमें कुछ दिनों के लिये कुछ स्थानों पर टेम्पोरेरी शेड वगैरह लोग डाल लें या स्लम क्लियरेंस के सिलसिले में दूसरे मकानात जो बन चुके हैं पहले ही से, उनमें भी प्रबन्ध आरजी तौर से कर दिया जाय और फिर जब यह सब बन जाय तो वहां पर उनका मुकम्मिल इन्तजाम हो जाय । यह सब इसमें रखा गया है । कोई भी काम बिना उचित नोटिस के न किया जाय, पूरा मौका दिया जाय उनको अपनी बात कहने का, यह सब प्राविधान जहां तक संभव था इसमें रखा गया है । अपील के लिये कमिश्नर को अधिकार दिया गया है और हर स्टेज पर अपने को गवर्नमेंट भी वक्तनफवक्तन इससे परिचित रखे, यह इसके अन्दर रखा गया है । तो मेरी आशा है कि इस विधेयक को बिना किसी बहुत ज्यादा मतभेद के पारित किया जायगा ।

एक प्रश्न सिर्फ मुआवजे की बाबत उठ सकता है । केन्द्रीय सरकार ने मुआवजा मासिक आमदनी जो ऐसे मकान वालों को या ऐसे अहाते वालों को होती है, उसका ६० गुना रखा था । आन्ध्र प्रदेश वगैरह में १ साल की आमदनी का १२ गुना रखा है यानी वह १५० प्रतिशत के करीब होता है । हमारी सरकार ने या हमने जो इसमें प्रस्ताव रखा है और जो प्रवर समिति से और विधान परिषद् से स्वीकृत होकर आया है उसमें १०० प्रतिशत रखा है । हमारा ख्याल है कि ६० प्रतिशत बहुत कम हो जाता है और १५० प्रतिशत बहुत ज्यादा हो जाता है जैसी हमारी हालत है उसको देखते हुये और यह भी ख्याल होता है कि वास्तव में यह लोग तो काफी ज्यादा इससे पैदा कर चुके हैं और जो इसकी कीमत है वह न मालूम कितनी बार पा चुके हैं, और अगर शहर इतना न बढ़ा होता तो इन जमीनों के दाम इतने कभी न बढ़ते । कम से कम इन जमीनों के दाम जो बढ़े हैं उसमें मालिकों का कोई हाथ नहीं रहा और यह प्रश्न है जो कई बार हमारे सामने आया, जब नगरमहापालिका विधेयक बन रहा था उस समय भी यह प्रश्न था कि यह जो जमीनों के दाम स्वभावतः बढ़े हैं, सारा खर्च महापालिकायें करती हैं रहने का, सड़कों का और सीवेज का और लाभ उसका उठाते हैं दूसरे लोग, तो उस लाभ में कोई प्रतिशत क्यों न नगर-पालिकाओं का हो ? तो इस दृष्टि से भी देखने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि इस विधेयक में जो प्राविधान किया गया है १०० प्रतिशत का वह उचित है और मुझे आशा है कि ज्यादा अन्तर हम उसमें न करेंगे । वैसे स्वाभाविक है कि हमारे दिल के अन्दर यह विचार आता

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

है कि १०० प्रतिशत वास्तव में बहुत कम है और, वह और ज्यादा किया जाय, लेकिन उस सिलसिले में मैं एक दृष्टिकोण इस आदरणीय सदन के सामने रखूंगा कि जब कम्पेन्सेशन देने की बात आती है तो समझना चाहिये कि वह सरकार देती है। सरकार का मतलब किसी विचित्र नारायण या मुख्य मंत्री या व्यक्ति विशेष से नहीं होता है। सरकार का मतलब होता है कि जो आमदनी जनता के टैक्सेज से सरकार को मिलती है वह, यानी हम वास्तव में जितना बोझ सरकार पर डालते हैं वह बोझ जनता पर जाता है और जनता पर अधिक हम आपको क्या बतावें, आप लोगों का क्लेम तो यह है कि हमसे ज्यादा जनता को आप जानते हैं, लेकिन अगर ज्यादा नहीं जानते हैं तो भी कम से कम जितना हम जानते हैं उतना आप भी जानते होंगे। हमारे देश की ९५ प्रतिशत जनता गरीब है। तो जिस समय हम जो भी बोझ सरकार के ऊपर बढ़ाते हैं हमें समझ लेना चाहिये कि वास्तव में यह बोझ हम किस पर बढ़ा रहे हैं? तो उन गरीबों की कास्ट पर जो शायद खुद तो नहीं बोल सकते हैं, आपके और हमारे मार्फत ही बोल सकते हैं उसका ध्यान रखते हुये भी मैं समझता हूं कि हमें यह आग्रह नहीं करना चाहिये कि १०० गुना से ज्यादा इस मुआविजे के प्रतिशत को हम बढ़ायें। करीब-करीब सब चीजें इसमें ऐसी हैं कि जो निरापद हैं और कोशिश यह की गई है कि इसमें कोई भी चीज ऐसी न रखी जाय जिस पर किसी को एतराज हो सके। मेरा ख्याल है कि जिन माननीय सदस्यों ने इसको पढ़ा होगा उनको शायद किसी जगह भी यह महसूस नहीं हुआ होगा कि इसमें कोई चीज आपत्तिजनक रखी गई है। इन शब्दों के साथ मैं यह आशा करता हूं कि एक बार यह प्रवर समिति में जा चुका है तो फिर दोबारा प्रवर समिति में भेजने का आग्रह नहीं किया जायगा और यह आदरणीय सदन इसको अनुज्ञा प्रदान करेगा कि इस पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—इस विधेयक पर दो संशोधन हैं एक तो प्रवर समिति में भेजने का है और दूसरा संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का है। यह विधेयक हमारे यहां विधान परिषद् से पास होकर आया है और वह संयुक्त प्रवर समिति के सामने भेजा गया था। ऐसी हालत में, नियम १६७ को पढ़ने के बाद मैं माननीय कल्पनार्थसिंह तथा माननीय चन्द्रबलीसिंह जी से यह जानना चाहता हूं कि वे कैसे इसको समझते हैं कि यह पेश कर सकते हैं।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—अगर नियम १६७ के अनुसार यह पेश नहीं हो सकते हैं तो आप जैसा चाहें फैसला करें। मैं समझता हूं कि पेश होना चाहिये तभी तो मन्जूर होगा।

श्री उपाध्यक्ष—यह पेश नहीं हो सकते नियम के अन्तर्गत। उसमें यह है कि एक दफा प्रवर समिति या संयुक्त समिति में जा चुका हो तो फिर दोबारा वह प्रस्ताव नहीं हो सकता तो अब मूल प्रस्ताव विवाद के लिये पेश है। जो सज्जन बोलना चाहें, वह बोल सकते हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मैं समझता हूं कि यह फैसला हुआ है कि केवल माननीय मंत्री जी इस विधेयक को उपस्थित कर देंगे और वह उसके बाद स्थगित हो जायगा और स्थगित होने के बाद वह प्रस्ताव आयेगा। उपस्थित होने की बात तय हुई थी। मैं समझता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अब उसके बाद वह गैर-सरकारी प्रस्ताव, जो कल मुल्तवी हो गया था, उसको लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—यह तय हो गया कि ये दोनों संशोधन पेश नहीं हो सकते कि इसको संयुक्त प्रवर समिति या प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री गेंदासिंह—अगर आप आवश्यक समझते हैं तो अपनी रूलिंग दे दें लेकिन जो बात तय हुई थी वह मैं निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक को उपस्थित कर देंगे और उसके बाद दूसरा कल वाला काम होगा। बस इतना तय हुआ था।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---जैसा आदरणीय गेंदासिंह जी ने बतलाया यही तय हुआ था कि इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जायगा केवल। अब जहां तक संशोधन पेश करने या न करने का सवाल है उस पर आप अपनी व्यवस्था न दें।

श्री उपाध्यक्ष---मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है कि इसी स्थिति में इसे स्थगित कर दिया जाय।

किसानों का लगान आधा करने तथा भूमिधरी अधिकार देने के संबंध में संकल्प

(श्री शारदाभक्तसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

***श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़)---मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने नियम २६ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया था, उसके अनुसार कोई भी असरकारी प्रस्ताव आज के लिये पेश नहीं हो सकता। माननीय अध्यक्ष ने यह चर्चा की थी कि नियम ३१५ के अनुसार उनको अधिकार है कि किसी नियम का निलम्बन वह कर सकते हैं लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने न तो उस पर मत लिया और न नियम ३१५ में जो प्रोसीजर है उसको फालो किया। न उस प्रकार का कोई प्रस्ताव ही आया कि किस-किस नियम का निलम्बन किया गया। आप प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं और माननीय राजस्व मंत्री जी की बात अपनी जगह पर सही है कि नियम २६ के अनुसार यह गैरसरकारी प्रस्ताव नहीं आ सकता जब तक कि आप कल की अपनी व्यवस्था को वापस न लें कि यह गैरसरकारी प्रस्ताव पर बहस नहीं की जा सकती। आपकी वह रूलिंग अभी ज्यों की त्यों लागू है और उसके लागू रहते आप इस के लिये आज्ञा नहीं दे सकते।

दूसरे माननीय राजस्व मंत्री जी की नियम २६ की बात है। उसका निलंबन नहीं किया गया है और माननीय अध्यक्ष महोदय के बिना प्रस्ताव को सदन में उपस्थित किय हुये यह प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो जब तक इस पर आप अपना निर्णय न दें, इस पर बहस नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह साफ कर दिया था कि जितने नियम इस प्रस्ताव के आने में रुकावट डालते हैं, उन सब को वह स्थगित करते हैं, लिहाजा यह नियम २६ जो आपने फरमाया .....

श्री नेकराम शर्मा---नियम ३१५ में साफ लिखा है कि .....

श्री उपाध्यक्ष---मैं आप से अर्ज करूं कि उन्होंने वह सब नियम सस्पेंड कर दिये, जिन की बिना पर यह प्रस्ताव यहां नहीं आ सकता था सारे हाउस का सेंस लेने के बाद, इसलिये मैं यह समझता हूं कि इसके आने में अब कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री नेकराम शर्मा---माननीय अध्यक्ष ने यह कहा था कि नियम ३१५ के अन्दर कोई भी नियम निलंबन हो सकता है, मैंने उस समय आपत्ति की थी लेकिन वह आपत्ति सुनी नहीं गयी। कोई अन्य सदस्य इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं लाया कि इस नियम २६ का निलंबन होना चाहिये। माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा था कि नियम २६ के रहते हुये यह नहीं आ सकता, इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर प्रकाश डालें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं समझता हूं कि जिस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने और नेता विरोधी दल ने, दोनों ने प्रस्ताव किया कि कल वाले प्रस्ताव पर विचार किया जाय और उस पर माननीय अध्यक्ष ने नियम ३१५,३१६ और ३१७ का हवाला दिया था और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

हवाला देते हुये उन्होंने यह कहा कि मैं उनको सस्पेंड कर के यह व्यवस्था दे रहा हूं कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जाय। तो मैं समझता हूं कि नियम में स्पष्ट इस बात की गुंजायश है और अध्यक्ष को स्वतः यह अधिकार है कि किसी समय किसी नियम को वह सस्पेंड कर सकता है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो कार्यवाही पहले हो चुकी थी और मैं समझता हूं कि माननीय नेकराम जी भी उसमें सम्मिलित थे, उसमें सारे सदन ने यह तय कर लिया था कि जो भी नियम बाधक है इस प्रस्ताव के विचार होने में वह सब सस्पेंडेड माने जायेंगे और इस प्रस्ताव पर विचार होगा। तो मैं समझता हूं कि माननीय नेक राम जी को शायद याद नहीं पड़ रहा है, मैं फिर उनको याद दिलाना चाहता हूं कि यह बात तय हो चुकी थी और सारे सदन के सामने तय हो जाने के बाद यह सदन का निर्णय था ।

श्री नेकराम शर्मा--उपाध्यक्ष महोदय . . . .

श्री उपाध्यक्ष--आप जरा सुन लीजिये। मैं उस समय उपस्थित था जब उन्होंने नियमों का निलम्बन किया। इसलिये मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप भी उसको निलंबित करें और जो सदन में सर्वसम्मति से हो रहा है उसको होने दें ।

श्री नेकराम शर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय नेता विरोधी दल जो वरिष्ठ पुरुष हैं उनमें कोई एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन नियमों का बिना पालन किये हुये उनकी कोई बात नहीं चल सकती। यहां पर कोई भी समझौता हो गया हो तो उस समझौते को माननीय अध्यक्ष को नियमों के अनुसार किसी मेम्बर से प्रस्ताव करा लेना चाहिये था। वह प्रस्ताव पेश नहीं किया गया था और नियम २६ का निलम्बन नहीं किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--आप कृपा करके बैठ जायं ।

श्री नेकराम शर्मा--मैं इतना और कहना चाहता हूं कि सारे नियमों का निलम्बन कर दिया गया । आपको प्रस्ताव करना पड़ेगा कि नियम २६ के अन्तर्गत इसका निलम्बन होना चाहिये। वह प्रोसीडिंग में कतई नहीं आना चाहिये। आपने यह व्यवस्था यदि दे दी और मामला हाईकोर्ट में गया तो सारी प्रोसीडिंग गलत हो जायेंगी। इसलिये यह प्रस्ताव नहीं आ सकता और छः महीने तक नहीं आ सकता। आपकी व्यवस्था मौजूद है आप देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष--अब आप कृपा करके विराजिये। जब रूल को सस्पेंड कर दिया गया और माननीय अध्यक्ष ने भी बराबर यही कहा था कि सेंस आफ दि हाउस यह है और सेंस आफ दि हाउस की बिना पर मैं उन सब नियमों को सस्पेंड करता हूं और अब वह प्रस्ताव आ सकता है।

(व्यवधान)

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि जितने रुकावट वाले रूल्स हैं सब सस्पेंड समझे जायें। लेकिन ३१५ में बदकिस्मती से एक प्रोसीजर है कि खाली अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कह देने से नहीं होगा। उस प्रोसीजर को फालो करना चाहिये। यदि कोई कानूनी बात पड़ती है तो वह प्रोसीजर फालो कर लिया जाय। लेकिन उस प्रोसीजर को फालो न किया जाय और सस्पेंड समझा जाय तो इसमें डिफिकल्टीज पड़ेंगी ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--माननीय अध्यक्ष को रिफर कर दिया जाय तो अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष––मैं यह समझता हूं कि एक प्रोसीजर है। चूंकि सेंस आफ दि हाउस लेने के बाद अध्यक्ष ने यह रूलिंग दी है, इसलिये मैं समझता हूं कि वह स्टैण्ड करती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है चूंकि अध्यक्ष को सारी पावर्स हैं सस्पेंड करने की।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको रूलिंग भिजवा दूं।

श्री उपाध्यक्ष––उसकी आवश्यकता नहीं है।

***श्री शारदाभक्तसिंह**––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं:––

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश के समस्त किसानों का लगान आधा किया जाय तथा सभी किसानों को भूमिधरी अधिकार दिये जायं।"

मैं कह रहा था कि प्रदेश में किसानों की जैसी दयनीय दशा है और उनको भारी बोझ से जो कठिनाई हो रही है वह किसी से छिपी नहीं है। अपने प्रदेश के किसान एड़ी चोटी का पसीना लगा कर सुबह से शाम तक ऐशो आराम से दूर, गर्मी में, तड़पती हुई धूप में, बरसात में, पानी में और सर्दी में कितना काम करता है और अन्न पैदा कर सारे समाज की सेवा करता है, परन्तु आज वह दरिद्रता का शिकार बना हुआ है, हर प्रकार से आर्थिक संकट में है। हम यह भी जानते हैं कि जब तक किसानों की उन्नति का कोई साधन प्रदेश में नहीं किया जायगा, तब तक उसकी वास्तविक अर्थ-व्यवस्था में उन्नति होगी, यह संभव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निश्चित है कि हमारी जितनी आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास है, उसका आधार किसान हैं और अगर उनकी क्रयशक्ति जो समाप्त हो चुकी है, उन्हें सरप्लस धन देकर नहीं बढ़ाया गया तो हमारा सारा आर्थिक ढांचा हाउस आफ कार्ड्स की तरह से ढह जायगा। इसलिये आशा है कि हम उन किसानों की दशा का विचार करें और जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उस पर गम्भीरता से विचार करें। आपको पता है कि स्वतंत्रता के पूर्व बराबर काश्तकारों पर लगान बढ़ता गया। जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता से उत्तरोत्तर लगान का बोझ किसानों पर बढ़ाया। जैसा कि आप देखेंगे १८९३–९४ में किसानों पर १,२२४ लाख रुपये लगान था लेकिन वह बढ़ते-बढ़ते १९४३–४४ में १,७३७ लाख रुपया हो गया। इसके साथ-साथ जहां किसानों पर बराबर लगान बढ़ता रहा, वहां जमींदारों का लाभ भी बढ़ता चला गया। १८९३–९४ में जहां जमींदारों का लाभ ३१ लाख रुपया था वह १९४३–४४ में १,०५६ लाख रुपया हो गया। इस प्रकार किसानों पर बराबर लगान बढ़ते रहने से एक संकट आया। यह भी हम लोग जानते हैं, इस बढ़ोत्तरी पर लोगों ने विचार भी किया। १९३६ में बनी यू०पी० कांग्रेस कमेटी और एग्रेरियन इंक्वायरी रिपोर्ट्स से भी पता चलता है, जिसमें स्वर्गीय पं० गोविंद वल्लभ पन्त, राजर्षि टंडन जी, हमारे वर्तमान गृह मंत्री, माननीय लालबहादुर शास्त्री तथा अन्य लोग थे, विचारोपरान्त उन्होंने यह कहा कि किसानों पर लगान अधिक बढ़ा है और उनकी देने की शक्ति नहीं है। ५८ पृष्ठ पर उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि कम से कम ५० प्रतिशत की कमी रेन्ट में की जाय। उनका मत था कि बढ़े हुये लगान को देखते हुये ५० फीसदी लगान में कमी होनी चाहिये। उनके इस संकट को देखते हुये जमींदारी विनाश कानून बनाने की व्यवस्था की गई। उसमें साफ तौर से यह सिद्धांत रखा गया कि जो जमीन जोते उसी को उसका फायदा मिलना चाहिये। जमींदारी एबालिशन की सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के चौथवें अध्याय में यह लिखा हुआ है :––

"One of our most important terms of reference is to suggest what rights of intermediaries should be acquired so that in future the land and the profits accruing from it should remain with him who cultivates it."

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदाभक्तसिंह]

उसमें खुले तौर से यह कहा गया है कि हमारी जांच में एक यह महत्वपूर्ण सुझाव देना है कि बीच के लोगों को कौन-कौन से अधिकार दिये जायं ताकि भविष्य में जमीन से प्राप्त होने वाला फायदा उसी के पास रहे जोकि जमीन को जोतता है। जब इस सिद्धांत पर जमींदारी एबालिशन बिल को लाने का विचार हुआ तो चारों तरफ से उसका स्वागत हुआ और यह निश्चय हुआ कि जमींदारी इसलिये समाप्त की जा रही है कि जो मुनाफा जमींदार उससे प्राप्त करता है वह उसको न जाकर चूंकि वह काम नहीं करते हैं, किसानों को प्राप्त होना चाहिये। हम और आप सभी को पता है कि जमींदारी एबालिशन के पूर्व जमींदारों से सरकार को ३९ प्रतिशत लैण्ड रेवेन्यू मिलती थी और ६१ फीसदी मुनाफा जमींदारों को जाता था। तो इस कानून का यही आधार था कि जो मुनाफा मध्यवर्तियों की जेब में जाता है जोकि कार्य नहीं करते, वह उनको मिलना चाहिये जोकि जमीन को जोतते हैं और परिश्रम करते हैं और जिनके भाग्य का फैसला जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिये सिद्धांततः हम इस बात को रखना चाहते हैं कि ३९ फीसदी मालगुजारी जो सरकार को मिलती थी वह सरकार ले, उसमें किसी प्रकार की कमी न करे और उसके ऊपर ६ फीसदी जो लगान वसूल करने का खर्चा है वह भी सरकार वसूल करे उसमें किसी तरह का नुक्सान न करे, इस तरह से ४५ फीसदी सरकार ले और ५ फीसदी जो बचता है वह गांव सभाओं को इसलिये दिया जाय कि वे अपनी व्यवस्था सुचारुरूप कर सकें और पंचायत टैक्स के संकट से दूर हो सकें। तो इस तरह से ५० फीसदी लगान सरकार ले और जो ५० फीसदी बचता है वह काश्तकारों को, जमींदारी विनाश ऐक्ट से संबंधित घोषणा के अनुसार मिलना चाहिये ताकि वह भी समझें कि जो घोषणा हुई थी और जो वादा किया गया था कि काश्तकारों का मुनाफे में पूरा हक है, उनको परिश्रम का पूरा फल मिलना चाहिये, वह उन्हें प्राप्त हो जाय। इसलिये उस वायदे को उन्हें पूरा करना चाहिये और यह नहीं होना चाहिये कि काश्तकारों में जो निराशा आ रही है वह रहे, जो हमारे लिये बड़ी घातक होगी।

जमींदारी विनाश के पूर्व सरकार की मालगुजारी ७,५८,००,००० थी जो, जैसा कि ६०-६१ के बजट से पता चलता है, बढ़ कर २२,२३,५५,४२४ रुपये हो गई। करीब-करीब तिगुनी हो गई। इसलिये आज सरकार करीब साढ़े चौदह करोड़ रुपया मुनाफे के रूप में काश्तकारों से अधिक वसूल कर रही है, जिसका उसको स्वयं की घोषणा के अनुसार, उसे कोई अधिकार नहीं है। जहाँ जमींदारी उन्मूलन घोषणा के अनुसार मुनाफा काश्तकारों के पास जाना चाहिये, वहाँ हमें यह भी देखना है कि हमारे प्रदेश में लगान की दर अन्य प्रदेशों के मुकाबले में कितनी अधिक है। लगभग २ गुना लगान अन्य प्रदेशों के हिसाब से हमारे यहाँ लिया जा रहा है। सरकार की सेंट्रल टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी की तालिका से पता चलता है कि जो लगान उत्तर प्रदेश में लिया जा रहा है वह लगभग ४ रुपये ६ आने प्रति एकड़ पड़ता है, पंजाब में १ रुपया डेढ़ आना, बिहार में १ रुपया ६ पाई, राजस्थान में साढ़े तेरह आने, आसाम में १ रुपया ६ आने ८ पाई, मध्य प्रदेश में १ रुपया सवा ५ आने है। सारे प्रान्तों में, विशेष कर बिहार और पंजाब में जो हमारे कम उपजाऊ प्रान्त नहीं हैं, वहाँ भी हमारे से आधी मालगुजारी ली जाती है। इसका अनुभव करते हुये हमें यह निश्चय करना चाहिये कि लगान दुगुने से आज आधा करना है।

हम एक बात पर और भी विचार करें। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् काफी लोगों को १० गुना लेकर भूमिधरी के हक दिये गये। जब यह हक दिया गया तो जमींदारों का लगान कम था और इसलिये उन्हें हमने कानून के द्वारा भूमिधर बना दिया। जो १० गुना लगान देने के बाद भूमिधर बन गये उनका लगान आधा किया गया। जब हम यह घोषणा कर चुके हैं कि जमीन जोतने वाले का फायदा होना चाहिये तो यह १० गुने की प्रवृत्ति सरकार की मुनाफाखोरी की है। जो नीति सरकार द्वारा बरती जा रही है वह विशेषकर हानिकारक है। सी० एल० आर० डी०, करेक्शन आफ लैंड रेवेन्यू रेकार्डस के नाम पर असली काश्तकार करार दिये जाने वालों का लगान सर्किल रेट का दुगुना हम लगा रहे हैं और इसलिये छोटे-छोटे काश्तकारों

पर हम आज दुगना लगान लगा रहे हैं । यह डिस्क्रिमिनेशन की नीति किसी प्रकार से भी उचित नहीं है । कहीं भी किसी से रुपया वसूल करना उचित नहीं है जब तक कि उसे सूचना न दी जाय, उसे उज्र करने का अवसर न दिया जाय । आज सी० एल० आर० डी० में लोगों को असली काश्तकार लिख दिया जाता है और दुगना लगान कर दिया । जब उन पर कुर्की निकलती है तो वे कहते हैं कि जमीन हमारी नहीं है वह तो नदी में डूबी है । लेकिन सरकार कहती है, कि नहीं, लगान दीजिये ।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपने भाई को बता दूं कि यह आर्डर है कि जिसके ऊपर सी० एल० आर० डी० में लगान असेस हो गया हो और उसे नोटिस न मिला हो जिस वक्त अमीन वसूल करने के लिये जाय तो वह कह दे कि हम इसकी उज्रदारी करेंगे और बगैर उसका फैसला हुए अमीन उससे वसूल नहीं करेगा । ऐसा गवर्नमेंट का आर्डर है ।

श्री शारदाभक्तसिंह—अगर ऐसा कोई आर्डर निकाला गया है तो मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि जिले-जिले से जो खबरें आ रही हैं, वे ये हैं कि अधिकारियों को चिन्ता यह है कि वे जल्दी से जल्दी लगान वसूल करके अपना कारनामा दिखावें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर कोई स्पैसीफिक केस हमें दें तो हम उसे देखें ।

श्री शारदाभक्तसिंह—एक नहीं, हजारों ऐसे केस दे सकते हैं । मैं समझता था कि आपको पता होगा कि बराबर लोगों की कुर्कियाँ हो रही हैं । जब आप किसी पर दुगना लगान करते हैं तो किसी भी न्याय में उचित नहीं है कि उसे पहले बताया न जाय । यह आपका न्याय, मैं समझता हूं, संसार के इतिहास में नया है कि कुर्की के समय वह उज्रदारी की बात करें । यह वैसी ही बात है कि जब कोई अन्याय करे तब उज्रदारी की जाय । लेकिन पहले ही न्याय क्यों न किया जाय, अन्याय करके न्याय की क्यों कोशिश की जाय ? पहले ही काश्तकारों को बतलाना चाहिये था कि आपको उज्रदारी करनी हो तो कीजिये ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी आज्ञा है ।

श्री शारदाभक्तसिंह—कोई ऐसी आज्ञा नहीं है । अगर है तो कागजों पर पड़ी होगी । लेकिन जिलों में इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है । यह आपका कान्फीडेंशल आर्डर होगा । कोई कानून ऐसा नहीं, जिसक अन्तर्गत आप सी० एल० आर० डी० का कानून लगा सकें । यह आपकी आज्ञा होगी जो साधारण जनता को पता नहीं है । इसलिये सी० एल ० आर० डी० से भी हजारों, लाखों, करोड़ों रुपया बढ़ा कर किसानों से वसूल किया जा रहा है । इसलिये हमारी यह माँग है कि उनका लगान जितना पहले था, उतना रहना चाहिये और उनका आधा लगान करके उन्हें, बगैर १० गुना लिये हुए, भूमिधरी के अधिकार प्राप्त होने चाहिये । अगर ऐसा अधिकार नहीं दिया गया और काश्तकारों की मुसीबत में उनका साथ देने के लिये यह सरकार तैयार नहीं है, तो सरकार का यह कहना कि वह सब कार्य काश्तकारों के लिये करती है, सच नहीं कहा जा सकता । जितना मुनाफा जमींदारों को होता था उसका ५० फीसदी भी अगर यह सरकार किसानों को दे दें तो उनको कुछ राहत मिल सकती है और प्रान्त की अर्थ-व्यवस्था में उन्हें प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है ।

अब यह देखा जाय कि हमारे प्रान्त में काश्तकारों की आय बढ़ी नहीं है । इस आधार पर भी आप देखें कि १९५०–५१ में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय २१०.६ थी जो कि १९५९–६० में घट कर १५१.१ रह गयी यानी दस फीसदी घट गयी । इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में आय बराबर घट रही है । लोगों को कठिनाई है, लगान दे नहीं सकते । आज कृषि की उन्नति के लिये जो साधन चाहिये, उनमें सरकार उनको कोई राहत देने के लिये तैयार नहीं है, उसकी जितनी भी शक्ति है वह सब पेट के पालन में लगी रहती है और उसी में

[श्री शारदाभक्तसिंह]

समाप्त हो जाती है । सरकार की तरफ से बराबर यह कहा जाता है कि हम लगान इसलिये बढ़ा रहे हैं क्योंकि गल्ले की कीमत बढ़ गयीं हैं । लेकिन यह तर्क बिल्कुल खोखला है । जहाँ एक ओर गल्ले के दाम बढ़े हैं वहाँ दूसरी ओर खाने पीने की चीजों, कृषि में काम आने वाली चीजों और अन्य आवश्यक चीजों के दाम भी उस अनुपात से अधिक बढ़ गये हैं और गल्ले के दाम उस अनुपात में कम बढ़े हैं।

दूसरा तर्क यह भी है कि इन पिछले दस बारह वर्षों में गल्ले के मूल्यों में इतना उतार चढ़ाव हुआ है, जिसका काश्तकार की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। तीसरी बात यह है कि इस प्रदेश में अधिकतर काश्तकार ऐसे हैं जो खाने से अधिक गल्ला पैदा ही नहीं करते इसलिये यह प्रश्न भी पैदा नहीं होता कि वह गल्ला उत्पन्न करते हैं और उसकी उनको अधिक कीमत मिलती है । इसलिये वह गल्ले के अधिक मूल्य का लाभ नहीं उठा पाता ।

चौथी बात यह है कि काश्तकार इतना गरीब है कि वह गल्ले को अच्छे दामों पर बेचने के लिये उसको रोक नहीं सकता । उसको तो रुपये की आवश्यकता होती है और उसके लिये काश्तकार को अपना गल्ला उसी समय बेचना पड़ता है । नतीजा यह होता है कि उसको अच्छे दाम नहीं मिल पाते । दूसरे अपनी आवश्यकता की चीजों के दाम उसको अधिक देने पड़ते हैं। इसलिये यह तर्क देना कि किसानों के गल्ले के दाम बढ़े हैं, बिलकुल ठीक नहीं लगता ।

आप कहते हैं कि हम कम्पेन्सेशन दे रहे हैं, इसलिये उसके लिये भी हमें रुपये की आवश्यकता है । इसको १० साल हो गये और आपने मालगुजारी के रूप में किसानों से १४ करोड़ रुपया प्रति वर्ष अधिक वसूल किया है । इस प्रकार से १४० करोड़ रुपया आप वसूल कर चुके हैं । अब गवर्नमेंट का जो कम्पेन्सेशन और रिहैबिलिटीशन ग्रान्ट देना है वह १६० करोड़ है । हमारी जो माँग है कि लगान आधा कर दिया जाय, अगर उसको भी मान लिया जाता है तो भी आपको १२ करोड़ रुपया प्राप्त होगा और आपको जमींदारी उन्मूलन से पूर्व केवल सवा सात करोड़ रुपया मालगुजारी के रूप में प्राप्त होता था । इस प्रकार से ४–५ करोड़ रुपये आपको पहले से अधिक फिर भी प्राप्त होगा । भारतीय जनसंघ की ओर से तो बार बार यह बात कही जाती है कि आप केवल रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट दें, अगर किसी को अपनी जीविका के लिये उसकी आवश्यकता है । किन्तु उससे अधिक धन देना किसी प्रकार भी उचित नहीं है और अगर आप देना ही चाहते हैं तो किसी भी प्रकार से उसका बोझा किसानों के ऊपर नहीं डाला जा सकता ।

एक दलील यह भी दी जाती है कि हमें योजनाओं को चलाने के लिये रुपये की आवश्यकता है । लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि सारी योजनाओं का आधार किसान ही है, आप उसके भले के लिये योजनाओं को चलाते हैं, लेकिन अगर उनसे काश्तकार की शक्ति समाप्त होती है, उससे उसका जीना दूभर हो जाता है तो इस प्रकार से काश्तकार को खत्म करके किसी योजना को चलाने का कोई औचित्य नहीं है । आप काश्तकार के कन्ट्रीब्यूशन को देखें तो वह बहुत ज्यादा है । आप धन तो उनसे लेते हैं लेकिन खर्च शहरों पर करते हैं और गाँवों को उजाड़ रहे हैं । आज इस देश में अधिकतर गाँव हैं, शहर बहुत कम हैं और इस देश की उन्नति के केन्द्र गाँव ही होने चाहिये । जहाँ आप गाँवों से इतना अधिक धन कमाते हैं.वहाँ पर उन पर खर्चा बहुत कम कर रहे हैं । इसका नतीजा यह हो रहा है कि उन काश्तकारों की शक्ति का ह्रास होता चला जा रहा है । आज गाँवों में मैं देखता हूं कि ब्लाक्स में समिति के ज़रिये तकावी के रूप में जो उनको सहायता दी जाती है, उससे उनको लाभ होने के बजाय नुक्सान ही पहुंच रहा है । क्योंकि जो पैसा उनको मिलता है उससे वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते और उस पैसे को अनावश्यक चीजों में खर्च कर देते हैं और फिर साल भर बाद जब वह तकावी देनी पड़ती है तो उनके सामने एक समस्या पैदा हो जाती है । मैंने देखा है कि उनके

पास जो एक बीघा या दो बीघे खेत हैं, उन्हीं को गिरवी रख कर उस तकावी को वापस करना पड़ता है। कहने के लिये तो आप सहायता करते हैं, लेकिन आपकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर होता है। एक तो जो गरीब काश्तकार हैं उनको तो सहायता प्राप्त नहीं हो पाती और अगर कुछ हो भी पाती है तो वे उस पैसे को किसी तरह की कृषि उन्नति के कार्य में खर्च नहीं कर पाते। इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है कि अगर आप उनकी आर्थिक उन्नति करना चाहते हैं या देश को उन्नति के पथ पर ले जाना चाहते हैं तो काश्तकारों को सम्पन्न करें, उनके पास सरप्लस मनी पैदा करें, उनकी क्रयशक्ति को बढ़ायें और यदि आप उनकी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने में प्रोत्साहन देंगे तो प्रदेश की उन्नति भी होगी।

जनसंघ की ओर से बराबर यह माँग की गयी है कि अगर काश्तकारों को किसी प्रकार की भी सहायता देनी है तो जो प्रस्ताव आपके सामने है, उसे आप स्वीकार करें। हम यह आशा करते हैं कि अगर काँग्रेस सरकार काश्तकारों की सहायता करना चाहती है, अगर वास्तव में में काश्तकारों के हक को देना चाहती है तो वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। आज काश्तकार बे पढ़े लिखे हैं, वे समझते नहीं हैं और आप केवल बड़ी-बड़ी बातें कह कर उसके पास का आखिरी पैसा भी निकाल लेना चाहते हैं। यह महज फजूलखर्ची कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रदेश के किसानों को राहत मिले, उनको भी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का मौका मिले, उन्हें भी अपनी तन्दुरुस्ती सम्भालने, बच्चों की सुख शान्ति का मौका मिले, अगर आप चाहते हैं कि अपने परिश्रम से वे भी अच्छे कपड़े पहन सकें तथा अपने जीवन में शान्ति पा सकें, तो आज आवश्यकता इस बात की है कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करके आधा लगान माफ करें और ५० फीसदी रुपया उन पर खर्च करें जोकि उनसे मिलता है। काँग्रेस सरकार को आज उन काश्तकारों की सहायता करनी चाहिये जिनकी कमाई पर वह ऐशो-आराम की जिन्दगी बिता रही है। कहने के लिये तो काश्तकार सारे प्रदेश के लिये अन्नदाता कहे जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार से भी शान्ति नहीं है। वे आधे पेट रह कर सुबह से शाम तक काम करते हैं, गर्मी और सर्दी की रात्रि में काँपते हुए काम करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को माननीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि इसे सर्व सम्मति से स्वीकार किया जायेगा।

(श्री कृष्णानन्द राय का नाम पुकारने पर)

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मेरा संशोधन है, और आपने श्री कृष्णानन्द राय को बुला लिया।

श्री उपाध्यक्ष—श्री कृष्णानन्द राय जी, आप जरा बैठ जाइये।

श्री कल्पनार्थसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे यह संशोधन इस प्रस्ताव में उपस्थित करने का मौका प्रदान किया है। मेरा संशोधन इस प्रकार है कि :—

> "शब्द 'उत्तर प्रदेश' के पश्चात् शब्द 'अलाभकर' जोड़ दिया जाय और 'समस्त' शब्द निकाल दिया जाय तथा 'लगान आधा' के स्थान पर शब्द 'भूमि कर मुक्त' जोड़ दिया जाय। प्रस्ताव के अन्त में 'तथा मालगुजारी या लगान में एक रूपता लाई जाय' जोड़ दिया जाय"।

श्रीमन्, प्रश्न यह उठता है कि हम अगर कोई वाद विवाद उठाना चाहते हैं और उस के लिये तैयार होते हैं तो उस के पीछे हमारी एक निश्चित मंशा होती है, एक सिद्धान्त या उसूल होता है, चाहे वह कर वसूली की बात हो तो मैं निश्चित यह कहने के लिये तैयार हूं कि यह एक निश्चित सिद्धान्त कहा जा सकता है और कहा जायगा कि अगर सहायता देना है, किसी की सहायता करना

[श्री कल्पनाथसिंह]

है। इस यू० पी० के एक-एक कोने से एक-एक व्यक्ति से जो यह कर वसूल कर, इस सदन के सम्मानित सदस्य, इधर के या उस तरफ के कोई भी सहायता की बात करते हैं तो सब से पहले उन की बात आनी चाहिये जो दरअस्ल उस सहायता के पात्र हैं। भावावेश में या दूसरी बातों में आकर हमें यह न सोचना चाहिये कि हम उन को भूल जायं जो दरअस्ल उस सहायता के पात्र हैं। निवेदन यह है कि अगर आप देखें कि इस मूल प्रस्ताव की भी मंशा क्या है तो यह मालूम हो जायगा कि किसानों को सहायता देने के लिये हमारे सम्मानित सदस्य माननीय शारदाभक्तसिंह जी ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि किसानों का लगान आधा किया जाय। यह भाव वहीं पैदा हुआ जब उस तरफ के बैठने वाले लोगों ने, और अगर मैं भूलता नहीं हूं तो आज के राजस्व मंत्री जी उस समय भी मंत्री थे, जब दसगुना लेकर लगान आधा करने की बात कही जाती थी। आज भी वही चीज बरकरार है, केवल शारदाभक्त जी इतना भेद करना चाहते हैं कि दस गुना न लिया जाय केवल लगान आधा किया जाय। मेरा कहना है कि लगान आधा करने से लाभ किस का होता है, लाभ उन का होगा जो किसान के बल पर लाभ की खेती कर के अधिक पैदावार उत्पन्न करके, सरप्लस सामान पैदा कर के खेती से लाभ उठाते ह, जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है जो आज भी हवाई जहाज पर चलते हैं। मैं साबित कर सकता हूं कि हजारों एकड़ के किसान आज भी सूबे में मौजूद हैं चाहे सीलिंग के डर से, उन्होंने भाई, चाचा, नौकर सीरदार के नाम क्यों न जमीन कर रखी हो लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि चाहे मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन हम उसूल की बात जरूर कहेंगे।

यह निश्चित है। अगर लगान आधा करने की बात है उसके लिये माननीय शारदा भक्त सिंह ने तर्क दिया, लेकिन प्रजा सोशलिस्ट दल का सदैव यह नारा रहा है कि बिना मुनाफा खेती बारी, उस पर न लगान हो न मालगुजारी हो। यह आधा लगान करो का नारा तो उस समय पैदा हुआ जब माननीय राजस्व मंत्री जी की ओर से कहा गया दसगुना देकर लगान आधा कराओ, वह भी चाहते हैं कि कुछ हो।

तरह-तरह के कायदे कानून बनाकर जैसे सी० एल० आर० डी० की चर्चा की गई इसकी वजह से कितने लोगों को नुक्सान पहुंचा? क्या बड़े लोगों को नुक्सान पहुंचा? छोटे किसानों को ही जिनके पास १,२ एकड़ या २,४ बीघे जमीन है, नुक्सान पहुंचा है। जिन लोगों ने दूसरे तरीके पर छोटी-मोटी काश्त करने की जरूरत से जमीन ली और ज्यादा जमीन नहीं ले सके, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं, जो जमीन और खरीद सकते। किसी न किसी तरह थोड़ी बहुत जमीन अगर पा गये, तो उनके कब्जे के आधार पर बजाय इसके कि उनको दूसरे अधिकार दिये जाते, उनसे सी० एल० आर० डी० के मुताबिक दुगना और चौगुना लगान उसूल किया जा रहा है। श्रीमन्, ऐसे लोगों की मदद करने की जरूरत है, जिनके पास अलाभकर जोतें ह। अलाभकर जोतें कौन सी हैं, इसके बारे में माननीय चरणसिंह का मत सब को मालूम है। उन्होंने सवा ६ एकड़ जमीन को अलाभकर माना है। जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट दी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सवा ६ एकड़ से कम जोत वाले किसान के पास कुछ नहीं बचता। माननीय चरणसिंह जी अब कृषि मंत्री हैं जो आंकड़े के माहिर हैं, वह जब आंकड़े देने शुरू करेंगे कि कृषि में इतना उत्पादन हुआ तो मेरी समझ में नहीं आता किस आधर पर यह बात कही जायगी। जब छोटे किसानों की बेदखलियां हों, उनके वारन्ट जारी हों, उनके ऊपर जुल्म हो और उनकी कोई मदद न की जाय तो कृषि की तरक्की कहां से होगी।

प्लानिंग की बात कही जाती है। मैं समझता हूं माननीय राजस्व मंत्री जी जब बोलेंगे तो मेरे इस तर्क के विरोध में यही कहेंगे....

श्री हुकुमसिंह विसेन---हम क्या कहेंगे यह आप न कहें।

श्री कल्पनाथसिंह---ठीक हैं, मैं मानता हूं आप इस प्रस्ताव को मानेंगे।

तो मैं कह रहा था जो छोटे किसान हैं, उनको देखने से पता लग जायगा, स्वयं दिल्ली स्कूल आफ इकोनामिक्स के प्राफेसर गांगुली का मत है कि विकास के कार्यों से धनी किसानों को ही लाभ पहुंचा है, गरीब किसान को कोई लाभ नहीं पहुंचा। भूमि का सामूहिक विकास, सिंचाई आदि की जितनी सुविधायें हैं, योजनायें हैं, जिन पर सरकार के लोग ग्रान्ट देते हैं, तो उसका फायदा बड़े काश्तकार ही उठा लेते हैं, वही ट्यूब वेल लगाते हैं, पंपिंग सेट खरीदते हैं, मेकेनाइज्ड कृषि करने की बात सोच सकते हैं। उन्हीं के पास पैसा है, सेल्फ सफिशियेंट वही हैं, सरप्लस पैदावार करते हैं और उन्हीं को विकास के द्वारा फायदा मिलता है। तो मेरा कहना है जब विकास के द्वारा उनको फायदा मिले और दूसरे साधनों से भी उन्हीं को फायदा मिले, ऋण भी उन्हीं को दिया जाय, फैक्ट्री भी वही बैठायें, हमारे जिले में ऐसे बड़े काश्तकार हैं, जिनकी बड़ी-बड़ी खेती है और फैक्ट्री भी हैं और हजारों, लाखों रुपये की आमदनी भी है, ऐसे लोगों का अगर लगान आधा किया जायगा तो यह कैसे बरदाश्त हो सकता है। लगान आधा करने की बात नत्थू, घसीटे आदि गरीब काश्तकारों की है, न कि उनकी जो हवाई जहाज में उड़ा करते हैं। १० एकड़ से कम जमीन रखने वाले लोग अगर अलाभ कर जोत वाले मान लिये जांय तो उत्तर प्रदेश में ६५.१ उनकी संख्या है, जबकि उनका कृषि भूमिका क्षेत्रफल ७.४ है। और १.१२ प्रतिशत किसान वह बड़े-बड़े किसान हैं, जिनके पास १४.८ इस प्रदेश की कुल कृषि भूमि का हिस्सा मौजूद है। अगर हम चरणसिंह जी की बात मान जाते तो ऐसे लोगों का परसेंटेज कुछ घट जाता। यह विवाद का विषय है कि कितनी जोत के किसान को अलाभकर जोत का किसान कहा जाय, लेकिन आज यह जो संशोधन दिया है, वह इस बात के लिये दिया है कि यह सदन सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार करे, जमाने से जो मांग इस प्रदेश में प्रजा सोशलिस्ट दल की तरफ से चली आ रही है, कि अलाभकर खेती से किसान का लगान हटाया जाय। इस बात का मुझे कुछ खेद है कि प्रस्ताव के मूवर साहब इस संशोधन को मानने में पता नहीं कैसे विवश रहे, जिसके फलस्वरूप मुझे यह संशोधन करना पड़ा।

माननीय नेता विरोधी दल के नाम से जब इस प्रस्ताव को छपे हुये मैंने देखा तो मुझे खुशी हुई। इस सदन की दीर्घाओं में बैठ कर मैंने सुना है, माननीय नेता विरोधी दल को यह कहते हुये कि अलाभकर जोतों से लगान हटाया जाय। इसलिये आज उनकी पार्टी के जिन माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव को मूव किया है, मैं दोनों की स्पिरिट में यह समझता हूं कि मेरा यह संशोधन वह कबूल करेंगे। उस तरफ बैठने वालों से भी मेरी यह अपील है कि जो संशोधित स्वरूप होगा इस मूल प्रस्ताव का उसको वे भी कबूल करेंगे। एक बार नहीं अनेक बार राजस्व मंत्री जी से यह अपील हमने की है और आज तो मैं अपने को खुश-किस्मत समझता हूं कि इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बड़ी देर तक बैठ कर इस सदन की बहस को सुन रहे हैं, उनसे भी अपील में करता हूं कि वे सौभाग्यशाली मुख्य मंत्री इस प्रदेश के रहेंगे कि उनके जमाने में अलाभकर जोतों के किसान उस आपदा से छुटकारा पा जायं जो उन पर अंग्रेजों के जमाने से और उससे पहले से लदी चली आ रही है। अभी तक खेती पर लगान लगाने का जो सिद्धान्त था, जो रेगुलेशन्स जारी हुए थे, वह यही थे कि हर खेत का सर्वे करके, उसकी पैदावार को देख कर और उसकी आमदनी को देख कर यह बात तय की जाय कि लगान फलां खाते में फलां खेत पर कितना हो। आप देखें कि इस प्रदेश में रोजगार करता है जब तक वह अपने बही खाते में एक निश्चित सीमा तक लाभ नहीं दिखा देता है तब तक उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है और एक भी पैसा सरकार की तरफ से वसूल नहीं किया जाता है। लेकिन किसान ऐसा बेचारा है जो जरा सी भी जमीन रखता हो, बसने के लिये भी, तो जबतक वह आबादी दर्ज न हो जाय तब तक उससे उस जमीन का लगान या मालगुजारी वसूल होती रहेगी। श्रीमन्, एक तरफ तो वे लोग हैं, जिनसे उन्हीं के हिसाब के मुताबिक आय-कर वसूल किया जाता है और दूसरी तरफ अलाभकर जोत वाले किसानों पर यह मुसीबत ढाह दी गयी है कि चाहे उसके पास एक डिस्मल जमीन हो, खाने का कोई जरिया न हो, दवा के लिये कोई जरिया न हो, लेकिन माल मंत्री का कुर्क अमीन जायगा और उसको मुर्गा बना देगा उसी समय जबकि वह दवा के लिये कराह

[श्री कल्पनार्थसिंह]

रहा होगा, उसका लड़का और उसकी बीबी मर रही होगी। यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि आप ही के हिसाब से ४० हजार लोगों के ऊपर प्रति वर्ष कुर्की की जाती है। क्या यह कुर्की सरदार साहब जैसे मेकेनाइज्ड फार्म वालों के ऊपर की जाती है या और दूसरे बड़े किसानों के ऊपर की जाती है? यह कुर्की उस छोटे-छोटे अलाभकर जोत वाले किसानों के ऊपर की जाती है जो आजतक इस हुकूमत के जुल्म के शिकार हैं, जो अंग्रेजी हुकूमत के शिकार थे और उसके पहले की हुकूमत के शिकार थे और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने, आजतक इस जुल्म के खिलाफ जम कर मोर्चा लिया है और आगे भी लेगी। मैं पुनः मुख्य मंत्रीजी से और राजस्व मंत्रीजी से अपील करता हूं, जो अगल-बगल बैठे हैं, गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार-विनिमय कर लें और इस सदन में घोषणा करें कि यह प्रस्ताव कबूल किया जाता है और इस प्रस्ताव के पास होने की तिथि से अलाभकर जोत वाले व्यक्ति के ऊपर किसी किस्म का सरकारी लगान, मालगुजारी या वह ऐक्ट जो आगे आने वाला है नहीं लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

श्री जे०पी० मिश्र (जिला हरदोई)—श्रीमन्, आपने ६५ मिनट दिये प्रस्ताव और संशोधन को पेश करने के लिये और जवाब देने के लिये दूने मिनट चाहिये। तो जितनी रियायत आप उधर कर रहे हैं, उतनी ही रिआयत इधर भी हो। आप दो नजर से देखते हैं ....

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठिये। इसमें भी टाइम जाता है। २५ मिनट प्रस्तावक और १५ मिनट बाकी व्यक्तियों के लिये हैं।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। माननीय सदस्य ने कहा कि आप दो नजर से देखते हैं। तो क्या उनका यह कहना उचित है?

श्री उपाध्यक्ष—विराजिये।

श्री जे० पी० मिश्र—माननीय लखपतरामजी ने गलत समझा। मेरे कहने का मतलब यह है कि बराबर का टाइम हमको मिले।

श्री उपाध्यक्ष—सब को समय मिलेगा। दूसरे संशोधन का समावेश पहले संशोधन में हो जाता है, इसलिये उसको रखने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरा संशोधन एक और है माननीय जेड० ए० अहमद का वह है नहीं। माननीय भीखालाल।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो प्रस्ताव सदन के सामने पेश है, उसमें निम्न संशोधन पेश करता हूं—

(१) प्रथम पंक्ति के शब्द "समस्त" और "किसानों" के बीच "सीरदार और अधिवासी" जोड़ दिया जाय।

(२) पंक्ति दो में शब्द "सभी किसानों" के स्थान पर शब्द "उनकी" रख दिया जाय।

(३) संकल्प के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—"और तीन या तीन एकड़ से कम जोत वाले किसानों का लगान माफ किया जाय"।

श्रीमन्, इन संशोधनों के करने से प्रस्ताव का रूप इस प्रकार हो जायगा—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के समस्त सीरदार और अधिवासी किसानों का लगान आधा किया जाय तथा उनको भूमिधरी अधिकार दिये जांय और तीन या तीन एकड़ से कम जोत वाले किसानों का लगान माफ किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन रखने का मेरा अभिप्राय यह है कि प्रस्ताव में यह कहा गया है कि सभी किसानों का लगान आधा किया

जाय और सभी किसानों को भूमिधरी के अधिकार दिये जांय । हमारा जमींदारी अबालीशन एक्ट है, उसके मुताबिक किसानों की कुछ कैटेगरीज हैं । इसमें एक क्लाज भूमिधरी का है, एक सीरदार का है और एक अधिवासी का है और एक आसामी का है । अगर हम फिर से सभी किसानों को भूमिधर बनाने का सवाल पेश करते हैं तो यह एक टेक्निकल गलती होगी । इसलिये जो पहले से भूमिधर हैं, उनको भूमिधरी के अधिकार देने की बात कहने से प्रस्ताव गलत हो जाता है इसलिये मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया है । सिर्फ सीरदार और अधिवासियों के लिये भूमिधरी अधिकार देने को कहा है । जहां तक लगान को आधा करने का सवाल है भूमिधरों का पहले से ही लगान आधा हो चुका है । कुछ ने दस गुना देकर कराया है और कुछ ऐसे लोग जो पुराने जमींदार थे, उनका रियायती लगान निश्चित किया गया था और वह आधे से भी कम हैं । इसलिये जिनका लगान दस गुना देकर कम किया गया है और जिन पुराने जमींदारों को बिना दसगुना दिये भूमिधरी अधिकार दिये गये हैं, जिनकी तादाद कुल भूमिधरों के ५७ प्रतिशत से अधिक है । उनका फिर लगान आधा करने की मांग करना न्यायोचित मांग नहीं है । जिन लोगों का लगान दस गुना लेकर आधा किया गया है, उनको कोई फायदा नहीं है । लेकिन प्रस्ताव में दसगुना के धन की वापसी की कोई बात न कहना और मांग रखना कि लगान आधा किया जाय न्यायोचित मांग नहीं है । इसलिये मैंने यह रखा है कि तीन एकड़ से कम के किसानों का लगान माफ किया जाय । वैसे तो बहुत दिनों से यह मांग उठती आई है कि अलाभकर जोतों पर से लगान माफ किया जाय । लेकिन मैंने केवल तीन एकड़ के किसानों का लगान माफ किया जाय, यह मांग की है, जो न्यायोचित है ।

यह ऐसा प्रस्ताव है जो परिस्थितियों के अनुकूल है । आज समय का तकाजा है कि इस मांग को मंजूर किया जाय । हमारी सरकार का घोषित लक्ष्य है कि समाजवादी समाज की रचना करेंगे । जिस समाज की मान्यताओं में से एक मान्यता यह है कि हम आर्थिक विषमता दूर करेंगे और आज यह मानी हुई बात है कि देहात के रहने वालों की हालत गिरी हुई है, उनकी आमदनी गिर रही है । सरकारी आंकड़े बतलाते हैं कि भले ही मुख्य मंत्री जी यह कहें कि मैं आंकड़ों के चक्कर में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन यह वास्तविकता है कि आमदनी गिर रही है । अगर इसको बढ़ाना है, आर्थिक विषमता को दूर करना है तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा । इसके लिये दो रास्ते हो सकते हैं । एक रास्ता यह है कि किसानों के ऊपर से टैक्स के बोझ को कम किया जाय और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये कुछ रास्ता निकाला जाय । जब टैक्स कम करने की बात आती है तो हमें सोचना पड़ेगा कि आज का प्रस्ताव परिस्थिति के अनुकूल है । अगर हम चाहते हैं कि किसानों की हालत अच्छी हो तो हमें लगान माफ करना होगा ।

सरकार के पास विरोध करने के लिये कोई तर्क नहीं होगा, लेकिन विरोध किया जायगा और वही पिटी पिटाई पुरानी बातें कही जायेंगी जो हम बहुत दिनों से बराबर सुनते चले आ रहे हैं । माल मंत्री जी कहेंगे कि जिस समय लगान का रेट मुकर्रर किया गया था, उस समय गल्ले का भाव बहुत सस्ता था । अब चूंकि गल्ला बहुत मंहगा हो गया है इसलिये जरूरत है कि इसको बढ़ाया जाय । लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी तथा माल मंत्री जी को उस राष्ट्रीय नारे की याद दिलाना चाहता हूं जो वे अंग्रेजी हुकूमत के समय दिया करते थे कि लगान बहुत ज्यादा है । लेकिन अब भी वही लगान कायम है, तो उस नारे को मत भूलें । मैं उन प्रस्तावों की याद दिलाना चाहता हूं कि जब कहा जाता था कि लगान आधा किया जायगा उनको भी न भूले। इसलिये यह प्रस्ताव समय के अनुकूल है और इसका किसी कोने से विरोध नहीं होना चाहिये ।

जमींदारी अबालिशन करने का मुख्य उद्देश्य था कि जमींदारों के द्वारा जो किसानों का शोषण व लूट होती है उसको किसी तरह से बन्द किया जाय । किसान की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिये उसका जो फायदा बीच के दूसरे लोग हड़प लेते हैं, उसको रोका जाय । लेकिन जमींदारी एबालीशन के बाद अगर लगान के जरिये से किसान को कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया तो उनको सीधे तौर से कोई फायदा नहीं पहुंचा । जमींदारी एबालीशन का सारा उद्देश्य खत्म हो गया ।

[श्री भीखालाल]

अगर यही करना था तो आप जमींदारों को जो ४५ प्रतिशत मालगुजारी देते थे, उसको घटाकर १० प्रतिशत कर देते और जमींदारी बनी रहने देते तब भी यही स्थिति होती । इसलिये इस जमींदारी एबालीशन से किसान को कोई फायदा नहीं पहुंचा । अब आप वही कहेंगे कि हरी उठ गई, बेगार उठ गई, वही सब बातें जो राजस्व मंत्री हमेशा कहा करते हैं वही आप भी कहेंगे । लेकिन उससे सन्तोष कब तक करायेंगे । उससे सन्तोष नहीं किया जा सकता । तो जो मुख्य उद्देश्य था वह पूरा नहीं हुआ । सरकार की तरफ से यह भी कहा जा सकता है कि लगान जो हम देते हैं वह योजनायें जो हमारी चल रहीं हैं, उन योजनाओं के जरिये से जो हम विकास कर रहें हैं उस विकास के रूप में वह रुपया हम किसान में फिर बांटते हैं । लेकिन मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जो अगर आंकड़ों के चक्कर में नहीं जाते हैं और वास्तविकता में जाते हैं तो देखें कि जो आप वितरण करते हैं उसकी क्या स्थिति है, मुझे पांच मिनट और दे दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---कुल पन्द्रह मिनट टाइम आपका है....

श्री भीखालाल---अभी तो मुझे कुल दस ही मिनट हुये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---नहीं, बारह तेरह मिनट आपके हो गये हैं ।

श्री भीखालाल---तो यह कहा जाय कि हम दोबारा किसानों में बांटते हैं वह बात सही नहीं है क्योंकि असल में वह उस गरीब किसान के पास तक पहुंचता नहीं है जिसको कि उसकी जरूरत है, वह तो कुछ चन्द लोग बीच में ही हड़प जाते हैं । आज गरीब किसान की हालत बहुत खराब है । एक देहाती कहावत है । समय तो कम है, लेकिन मैं उसे सुना देना चाहता हूं । किसान की हालत आज उस भेड़ जैसी है, जिसके कि बाल जब गड़ेरिया कतरने जाता है तो वह उससे मिन्नत करती है कि जाड़े के दिन हैं, मेरे बाल न कतरो, मैं ठंड से मर जाऊंगी, तब उससे गड़ेरिया कहता है कि तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें कम्बल बनवा कर दूंगा । उसके बाद वह उसके बाल कतर लेता है । लेकिन कम्बल उस भेड़ को नहीं मिलती और वह जाड़े में ठिठुर ठिठुर कर मरती है । वही हालत आज किसानों की है । उससे हम कहते हैं कि तुम लगान दो, टैक्स दो, हम तुम्हारी तरक्की करना चाहते हैं । फिर तुमको हम यही रुपया विकास और सहायता के रूप में देंगे । लेकिन वह उस तक पहुंचता नहीं है । मेरा सरकार से निवेदन है कि कम्बल देने के लालच में उसके बाल कतरने की कोशिश वह न करे, उसको जाड़े से न मारे और वास्तविकता की ओर ध्यान दे ।

एक तर्क यह दिया जा सकता है कि अगर हम लगान आधा कर देंगे तो हमारी योजनायें कामयाब नहीं होंगी, हमारी योजनायें सफल नहीं हो सकती हैं और यह भी कहा जायगा कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हमारी योजनाओं को फेल करना चाहते हैं, इसलिये इस प्रस्ताव को रख रहें हैं । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि और हमारी पार्टी यह चाहती है कि आपकी योजनायें सफल हों, हम यह चाहते हैं कि जो लक्ष्य आपने रखे हैं इससे ड्योढ़े और दुगुने लक्ष्य आप रखें । सवाल सिर्फ रिसोर्सेज का पैदा होता है । तो उसके लिये हमारी पार्टी ने वक्तनफवक्तन सुझाव दिये हैं और आज भी मैं देता हूं, लेकिन लाल बत्ती है, मगर यह जो प्रस्ताव है इसकी बैकग्राउन्ड में आप जांय तो आपको मालूम होगा कि यह प्रस्ताव भी आपकी योजनाओं को सफल बनाने में सहायक होगा । आपकी योजनाओं का लक्ष्य है कृषि उत्पादन को बढ़ाना । आपकी दो योजनायें पूरी हुईं । आपने कृषि को आधार बनाकर पहली योजना में ४५ प्रतिशत उसके ऊपर खर्च किया और दूसरी में ४० प्रतिशत खर्च किया । लेकिन दस साल के बाद भी कुल कृषि उत्पादन १.७ प्रतिशत बढ़ा है । क्या कारण है ? क्यों नहीं और बढ़ा ? उसका कारण यही है कि हमारी जो सरकार है, जो उसके प्लानर्स और विशेषज्ञ हैं वह योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित करते समय यह मापदंड रखते हैं कि इतनी नहर बनवा देंगे, इतने फर्टिलाइजर्स बांट देंगे, इतना उन्नतिशील बीज बांट देंगे और इतने उन्नतिशील औजार बांट देंगे तो हमारा दस प्रतिशत

उत्पादन बढ़ जायगा । लेकिन वह नहीं बढ़ता । एक बुनियादी गलती इसमें है जिसकी तरफ हमारी सरकार का ध्यान नहीं जाता और वह यह है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने का जो मुख्य साधन है वह किसान है । वह इसमें कहीं नहीं आता, आपके प्लानर्स ने क्या कभी सोचा कि किसान को भी कुछ फिजिकली मजबूत करने की जरूरत है, उसे आर्थिक तौर पर मजबूत करने की जरूरत है और उसके इन्वेस्टमेंट की ताकत को बढ़ाने की जरूरत है ? आप विकास योजनायें बनाते हैं । आपके विकास अधिकारी जाते हैं, ए०डी०ओ० जाते हैं, कहते हैं कि उत्तर प्रदेशीय ढंग से, जापानी ढंग से खेती करो तो उत्पादन बढ़ेगा । किसान उनकी खिल्ली उड़ाता है, किसान कहता है कि किस शहर के ये बाबू हैं जिन्होंने कभी गेहूं और जौ के भेद को नहीं जाना, उर्द और मूंग के पेड़ में भेद नहीं जानते, हमें तरीका बताते हैं । किसान जानते हैं तरक्की करना, खेती की पैदावार बढ़ाना लेकिन उनके पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है । कहां से मजबूत बैल खरीदें, कहां से उन्नतिशील बीज खरीदें, कहां से कृषि के औजार खरीदें ? नहीं है ताकत इन्वेस्टमेंट की । जब तक उसके पास पैसा नहीं बचेगा, आर्थिक ताकत इतनी मजबूत नहीं होगी कि वह खेती में कुछ इनवेस्ट कर सके, तब तक कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ सकता, आपकी योजनायें नहीं सफल हो सकती हैं । किसानों के पास पैसा तभी बच सकता है जब कि आप टैक्स का बोझ कम करें, लगान आधा करें ।

जहां तक तीन एकड़ तक के किसानों का सवाल है, उनकी कोई अमदनी नहीं होती है इसलिये उनसे लगान लेना नैतिक तौर पर पाप है । इसलिये मैंने जो संशोधन रखा है, मैं आशा करता हूं कि इस संशोधन और संशोधित प्रस्ताव को सदन स्वीकार करे ।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह दृढ़ मत है कि ऐसे जितने भी प्रस्ताव इस सदन में आयें, जिनका इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने वाला हो, जिसका इकोनामिक इम्पैक्ट हो उसे राजनीतिक दलों के इमीडिएड लाभ से ऊपर उठ कर सोचना चाहिये । इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय ने इस तर्क को रखने में ज्यादा गम्भीरता नहीं दिखाई कि लगान क्यों आधा होना चाहिये, बल्कि वह इस बात के लिये अधिक उत्सुक थे कि यह प्रस्ताव भारतीय जन संघ की ओर से आया है कि किसानों का लगान आधा हो जाना चाहिये। उनकी यह उत्सुकता सोचने की चीज है क्योंकि भारतीय जन संघ का कोई आर्थिक इतिहास नहीं है । लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि प्रजा समाजवादी दल के श्री कल्पनाथ सिंह जी ने जब संशोधन रखा, तो तीन बार उन्होंने कहा कि प्रजा समाजवादी दल का यह सिद्धान्त है कि लगान आधा होना चाहिये । मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये आदरणीय सदस्यगण इस बात के लिये बहुत चिन्तित नहीं है कि लगान आधा करने के लिये सही तर्कों को उपस्थित करें, जितना इस बात के लिये चिन्तित है कि चूंकि यह प्रश्न किसानों से संबंधित है, जिनका इस सूबे में बहुमत है, उनको इस संबंध में कुछ उत्तेजित करना है ।

मैं विरोधी दलों के आदरणीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि यदि पिछले बजट भाषणों से अपने भाषणों का तार्किक विश्लेषण करें तो स्वयं अनुभव करेंगे कि वे अपने को उन भाषणों द्वारा हास्यास्पद बना रहे हैं । विरोधी दल के माननीय सदस्यों द्वारा आंकड़े पेश किया जाते हैं कि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बड़ी पिछड़ी हुई है, रहन-सहन का स्तर पिछड़ा हुआ है, शिक्षा का स्तर पिछड़ा हुआ है, लोगों के स्वास्थ्य का स्तर बहुत पिछड़ा हुआ है, हमारे प्रदेश में उद्योग-धन्धे नहीं हैं, इन आंकड़ों को इतनी खूबसूरती के साथ पेश करते हैं और कुछ मानों में सही भी पेश करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर अपने तर्कों को पढ़ें और इस बात को सिद्ध करें कि उनको इन आंकड़ों को पेश करने के बजाय यदि वे प्रदेश का हित चाहते हैं तो उनको यह तर्क देना पड़ेगा कि प्रदेश की इन कमजोरियों को दूर करने के लिये जो शिक्षा के संबंध में हैं, जो उद्योग के संबंध में हैं, जो रहन-सहन के संबंध में हैं, उन कमजोरियों को दूर करने के लिये क्या साधन एकत्रित किये जांय और उन साधनों को एकत्रित करने में वे क्या सजेशन रखना चाहते हैं । आज ६ महीने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्द राव]

बीत गये, मैंने किसी भी विरोधी दल के सदस्य के मुख से यह नहीं सुना कि उनका यह सजेशन है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति का जो चित्र वह पेश करते हैं और यदि वास्तव में उसमें सच्चाई है और वे प्रदेश के आर्थिक नकशे का निर्माण करना चाहते हैं और उसके लिये जो नये साधनों से पूर्ति होनी चाहिये उसके बारे में उनके पास क्या विकल्प है ? यदि उनके पास कोई उसका चित्र हो तो उसको सामने रखें। मुझे यह बात कहने में बिलकुल संकोच नहीं है, इधर की बेंचों पर बैठते हुये भी इस बात को कहता हूं कि जब छोटे कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने की बात कही जाती है या गरीब किसानों के लगान को आधा करने की बात कही जाती है तो इसमें नैतिक प्रश्न उतना नहीं है जितना कि व्यवहारिकता का प्रश्न है। आज जो यह कांग्रेस का शासन है क्या यह सरकार इस बात को नैतिक समझती है कि कर बढ़ाना चाहिये या लगान वसूल करना चाहिये ? क्या इसमें कोई धार्मिक सिद्धान्त निहित है ? यदि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाय तब तो यह हो सकता है कि किसानों के लगान को आधा किया जाय या उसको पूरा वसूल न किया जाय किन्तु जब इस प्रकार की स्थिति है तब इस तरह का प्रश्न कठिन है। मैं यह समझता हूं कि हम लोग कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते और विशेष रूप से कांग्रेस दल, जिसका इतिहास ही किसानों के साथ मरने और जीने का रहा है, जिसका जीवन ही किसानों के लाभ के लिये आरम्भ हुआ। कांग्रेस को मूवमेंट के तौर पर तो फिर यह नहीं कहा जा सकता कि किसी प्रकार के वह किसानों के अहित की बात सोच सकती है। यदि वह लगान, जो इस समय वे लोग दे रहे हैं वही रह जाता है या उसमें कोई, किसी प्रकार से बढ़ोत्तरी की बात की कल्पना की जाती है तो वह पूर्णतः एक आवश्यक कारण से ही है और एक व्यवहारिक कदम है। उसमें चाहने या न चाहने का कोई प्रश्न नहीं है।

हालांकि मैं मंत्रिमंडल में नहीं हूं किन्तु मैं इस बात को स्पष्ट कहना चाहता हूं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते कि यह हमारी चेतावनी है या कोई विकल्प सोचते हैं उन योजनाओं को चलाने के लिये या बजट के डेफिसिट को पूरा करने के लिये तो उसमें विरोधी दल को कोई इस प्रकार नैतिक प्रश्न उपस्थित नहीं करना चाहिये। मैं उधर के भाइयों से यह निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को ट्रम्प कार्ड बनाने का प्रयत्न विरोधी दल की तरफ से न किया जाय। विरोधी दल के भाई इसको ट्रम्प कार्ड बना दिये हैं और यह समझते हैं कि प्रदेश की जनता और प्रदेश के व्यक्ति इतने सरल बुद्धि के हैं कि उनके सामने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को कमजोर रखने से वह समझ लेंगे कि वास्तव में यहां पर ऐसी स्थिति है। इस वजह से वह कर न लगाने की बात को कहते हैं। मैं यह समझता हूं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। प्रदेश की जनता इस बात को जानती है और समझती है कि योजनाओं के लिये साधन की आवश्यकता होती है। जिन लोगों को जरा भी राजनैतिक ज्ञान है और राजनैतिक चेतना है वे इस बात को अनुभव करेंगे कि इस प्रकार का ट्रम्प कार्ड इस समय देश में नहीं चल सकता है। जिन लोगों ने अपने देश के आर्थिक चित्र को बदलने का पक्का इरादा किया है वह इस नियोजन को चलायेंगे और इस नियोजन को चलाने में जो साधन इकट्ठा करने पड़ेंगे उसको वे इकट्ठा करेंगे और दृढ़ विश्वास के साथ देश और प्रदेश की जनता इस बात को महसूस करेगी कि वह एक नैतिक कदम है।

जहां तक लगान का प्रश्न है इसको नैतिक प्रश्न कहा गया। यदि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक हो तो लगान आधा किया जा सकता है। तभी यह कहा जा सकता है कि लगान उनसे ज्यादा लिया जा रहा है, अन्यायपूर्ण है और अनैतिक है और किसी भी आवश्यकता में नहीं लेना चाहिये। तभी यह पेश हो सकता है, लेकिन अब क्या है। लगान का भी एक बहुत सीधा साधा इतिहास है। बहुत पहले जमाने से कर का एक युग रहा है। इसलिये ऐसे इतिहास की कल्पना नहीं कर सकते कि भूमि का बन्दोबस्त सरकार के हाथ में रहा हो और कर न वसूल किया गया हो। भूमि के उत्पादन को मात्रा पर लगान का आधार रहा है। भूमि से जो उत्पादन होता है कभी उसका चौथाई हिस्सा लिया जाता था और कभी छठा हिस्सा लिया

जाता था। कभी १६ वां हिस्सा लिया जाता रहा है जहां शासक उदार रहे हैं। मैं उस केस को पुट नहीं कर रहा हूं कि लगान बढ़ाने की कल्पना भी की जाय, लेकिन जो बेस किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में सोचा गया है उसमें लगान का बेसिस भूमि का उत्पादन ही रहा है और उपज का एक हिस्सा ही लिया जाता रहा है। अगर आप १६ वें भाग को ही लें तो आप अपने केस को गणित के हिसाब से साबित नहीं कर पायेंगे। तो इस प्रकार का प्रस्ताव जिसका कि प्रदेश की आर्थिक योजनाओं पर प्रभाव पड़ने वाला हो, अपने राजनीतिक लाभ के लिये नहीं लाना चाहिये। इससे मैं समझता हूं कि कोई व्यापक लाभ होने वाला नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव शारदा भक्तसिंह जी ने पेश किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और उसके साथ साथ हमारी पार्टी की ओर से श्री शिवनाथ सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका भी समर्थन करता हूं।

मान्यवर, मैं यह समझता था कि यह प्रस्ताव माल मंत्री जी खुद किसी सरकारी दिन पेश करेंगे और जो उन्होंने १९३६-३७ में अपनी कांग्रेस एग्रेरियन कमेटी की रिपोर्ट में सिफारिश की थी, उसे अपने प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे और रेंट उन्हीं किसानों से लिया जायगा जिनकी कैपेसिटी रेंट पे करने की है। लेकिन मुझे दुख है कि जब विपक्ष की तरफ से यह प्रस्ताव आया तो हमारे माल मंत्री जी उसे ग्रहण करने के लिये तैयार नहीं हुये और उसकी बहस में भी तमाम तरह की बाधायें उपस्थित कीं। मान्यवर, चूंकि समय कम है इसलिये मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। आज मालगुजारी की स्थिति क्या है, हमारे प्रदेश की जनता किस तरह अपने जनजीवन को निबाह रही है। जिस प्रदेश में नदियां खुली छोड़ दी गयी हों, जो लाखों एकड़ खेत को बर्बाद करती हों, जिस प्रदेश में किसान गोबर पर अपना जीवन गुजारता हो, एक टाइम खाना खा कर खेत में काम करता हो, उस प्रदेश की साढ़े ७ करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार यह दावा करे कि हम और मालगुजारी और कर लगायेंगे, मैं समझता हूं कि यथार्थ नहीं है, गलत है। मैं आपके सामने मालगुजारी के आंकड़े पेश करना चाहता हूं। सन् १९३७-३८ में वह थी ५.६४ करोड़ रुपये, १९४७-४८ में हुई ८.३० करोड़ और १९६२-६३ में हो गयी २२.१५ करोड़। इसके बरअक्स आप देखें कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में क्या हालत है। १९३७-३८ में ७.३५ करोड़ रेवेन्यू था, १९४७-४८ में १२ करोड़ हो गया और १९६२-६३ में वह २८.४५ करोड़ हो गया। मैंने आपके सामने जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का खर्च दिखाया जो ७.३५ करोड़ से बढ़ कर २८.४५ करोड़ हो गया और मालगुजारी श्रीमन्, ६.६४ करोड़ से बढ़ कर ३४ करोड़ तक हो गयी। इसका मतलब क्या है, मान्यवर, कि आज इस तरह का जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन है, जिस मंत्रि परिषद् की संख्या १९३७ में १४ थी वह आज बढ़ाकर ५० कर दी जाय। आज जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन साढ़े चार गुना बढ़ा दिया गया है तो आज मालगुजारी को बढ़ाने की बात आती है तो इस ऐडमिनिस्ट्रेशन के खर्च में क्यों नहीं कमी की जाती है? क्या यही तरीका है इकोनामी मेनटेन करने का? जब मुख्य मंत्री जी पहले पहल मंत्री हुये थे तो उन्होंने कहा था कि रिगरस (Rigorous) एकोनामी मेनटेन करूंगा। क्या यही उदाहरण है रिगरस इकोनामी मेनटेन करने का? आप जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से बढ़ाते चले जा रहे हैं, आप मंत्रि परिषद् को शैतान की आंत की तरह बढ़ाते जा रहे हैं और उसके बाद यह भी घमंड करते हैं कि हम मालगुजारी बढ़ायेंगे। इसका तो यही अर्थ हुआ कि आप बैकवर्ड इकोनामी के युग में चल रहे हैं। यदि यही आपकी देश के विकास की कल्पना है तो यह थोथी है, गलत है, निराधार है। आप लगान बढ़ाकर गरीब किसानों का खून चूसना चाहते हैं और देश की जनता का विकास करना चाहते हैं तो देश की जनता ऐसा विकास कदापि पसन्द नहीं करती है और न करेगी।

मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, जितना पैसा आज योजनाओं में खर्च हो रहा है उसका ५० परसेंट कन्ट्रैक्टर खा जाते हैं। जनता की खून पसीने की कमाई, जनता की गाढ़ी कमाई इस तरह

[श्री नरसिंहनारायण]

के कंट्रेक्टरों की जेब में चली जा रही है। आपके टाई बांधने वाले लोगों की जेब में जा रही है, इसे खर्च कर रहे हैं। ये चोरबाजारी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई चेक नहीं है, उनकी इनकम को रोकने के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है, उस करप्शन को चेक करने के लिये आजतक सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया है। लेकिन किसानों के ऊपर आप कर बढ़ाने को तत्पर हैं, उत्सुक हैं। आप उनकी निर्बलता का लाभ उठाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि वह निर्बल है, पस्त हिम्मत है। जो भी जुल्म हम करेंगे वह बर्दास्त करता चला जायगा। लेकिन मैं एलान करना चाहता हूं कि आप जो किसानों की मालगुजारी बढ़ाना चाहते हैं, जो जनता पर कर का भार और लादना चाहते हैं, वह हम सोशलिस्ट पार्टी के लोग शांतिपूर्ण ढंग से नहीं सहन करेंगे और इसका कड़ा विरोध करेंगे।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी को एक ७ पृष्ठ का पत्र लिखा था। अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने कोई इकोनामी की योजना नहीं दी है। मैं १५ मिनट में कोई इकोनामी की योजना माननीय सदस्य को क्या बता दूं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्य चाहें तो उस पत्र को जो मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा है और जिसका वे कोई उत्तर नहीं दे पाये हैं उसको देखें मैं कहता हूं कि उनके पास कोई उसका उत्तर है ही नहीं, सिवाय इसके कि वह गणतंत्र की परम्पराओं की अलाप करें, वे तो केवल यही जानते हैं। आज मैं मुख्य मंत्री के कथन को दोहराता हूं कि रिगरस इकोनामी मेनटेन की जाय, लैंड रेवेन्यू न बढ़ाया जाय। जो प्रस्ताव माननीय शारदा भक्त सिंह जी ने रखा है वह बिलकुल सही है।

श्रीमन्, दूसरी चीज मुझे कहनी है कि जो सोशलिस्ट पार्टी की हमेशा की मांग रही है कि १० बीघे से कम जोत वाले किसान जो हैं, जिनकी अलाभकर जोतें हैं उनसे कोई मालगुजारी न ली जाय। मैं ही केवल यह नहीं कहता बल्कि यह कथन तो १९३६-३७ में जो कांग्रेस एग्रेरियन कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसमें भी है जिसमें कांग्रेस ने खुद कहा था। उसमें मंत्री जी और माल मंत्री जी भी एक सदस्य थे।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर पेश करना चाहता हूं। अभी माननीय वक्ता ने कहा कि शिवनाथ सिंह जी ने कोई संशोधन पेश किया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कोई संशोधन श्री शिवनाथ सिंह जी ने पेश किया है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने निदेश दिया था और चूंकि उससे पहले उनका संशोधन आ गया था, इसलिये उन्होंने पेश नहीं किया।

श्री नरसिंहनारायण—मैं कह रहा था कि जमींदारी उन्मूलन के समय में जो एक किताब लिखी गई थी, जिसको कि आज हमारे प्रदेश के ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के बहुत से अर्थशास्त्री पढ़ते होंगे और लिखने वालों पर गर्व करते होंगे कि उन्होंने ऐसी चीज को लिखा है। यदि वह आज कार्यान्वित होती तो मैं समझता हूं कि इधर के बैठने वालों को ही नहीं बल्कि उधर के बैठने वालों को भी उसका श्रेय मिलता। लेकिन मुझे दुख है कि कांग्रेस ने अपने उसूलों को ताक पर रख दिया है और आज उन गरीबों को कुचला जा रहा है। उन किताबों को जिन पर लाखों और करोड़ों रुपया खर्च किया गया और आकर्षक बनाया गया उनको रद्दी की टोकरी में आज फेंक दिया गया है।

श्रीमन्, अब मैं कुछ संस्तुतियों को पढ़ना चाहता हूं कि जिससे माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान उस तरफ जाय।

श्रीमन्, जमींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट के पृष्ठ ५८९ में लिखा है—

"The land tax is faulty in that it taxes the modest agricultural incomes from holdings which are admittedly uneconomic. There is no doubt if we wish to nationalise our system of taxation uneconomic holdings will have to be exempted." "Rent should be the first charge on surplus, but it can be a charge on surplus alone."

इसमें आगे कहा गया है....

एक सदस्य—पहले इसकी हिन्दी कर दीजिये ।

श्री नरसिंहनारायण—इसी में आगे अनएकोनामिक होल्डिंग की डिफिनेशन में दिया हुआ है कि क्या-क्या चीजें हैं—राइस हैं, ह्वीट, ज्वार, बाजरा, बार्ली और ग्राम आदि चीजें हैं। उसमें दिया हुआ है कि हर आदमी को साल में कितनी-कितनी जरूरत होती है। इसी में आगे लिखा हुआ है.....

एक सदस्य—पहले उसकी हिन्दी कर दीजिये ।

श्री नरसिंहनारायण—उसका हिन्दी में मतलब यही है कि अनएकोनामिक होल्डिंग में पैदावार इतनी नहीं होती कि उस पर कोई टैक्स लिया जा सके। इस रिपोर्ट में दिया हुआ है कि कौन-सी यूनिट अनइकोनामिक मानी जाय। इसमें कहा गया है—

"Yet even the debt-free peasant is desperately poor. We have seen that a considerable proportion of cultivators are working on uneconomic holdings from which even in favourable years, they can scarcely derive sufficient to keep body and soul together."

इसी रिपोर्ट में कहा है—

"The correct theory of rent ought to be that a tenant should pay only that amount as rent which remains after meeting his personal and family expenses and the prime cost of production."

"It is essential that the existing burden of rent should be reduced and the uneconomic holdings expemted from rent."

तो यह सारी चीजें कांग्रेस एग्रेरियन कमेटी की रिपोर्ट में लिखी हुई हैं। माननीय माल मंत्री जी स्वयं उस कमेटी के मेम्बर थे, उन्हें यह सारी चीजें मालूम हैं। आज हमारे प्रदेश की जनता ऐसी स्थिति से गुजर रही है कि एक तरफ तो आबादी बढ़ रही है और दूसरी तरफ जमीन की पैदावार, हमारी दो योजनाओं के पूरा होने के बाद भी बढ़ी नहीं है। तो ऐसी हालत में अगर यह प्रस्ताव आता है कि अनएकोनामिक होल्डिंग पर मालगुजारी माफ हो, उनको भूमिधरी के अधिकार हों, तो उसी चीज को माननीय माल मंत्री जी को मान लेना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर किसानों की मालगुजारी बढ़ाई गई तो मैं शांति से सोया नहीं रह सकता। मुझे याद है महात्मा गांधी जी ने कहा था—

"Tyranny even of the majority should be resisted."

अगर बहुमत की तरफ से भी जुल्म हो तो उसका मुकाबिला करना चाहिये। हमारे पास उसके अलावा दूसरा शस्त्र ही नहीं है। महात्मा गांधी ने जो हमें रास्ता दिखाया है कि अगर हमारी बातों को बहुमत के लोग जो कि बहुमत के यंत्र से पागल हो चुके हैं अगर सुनने के लिये तैयार नहीं हैं तो मैं उन्हीं किसानों की तरह से जो ४-४ दिन साबू और भसेड़ पर अपनी गुजर-बसर कर लेते हैं और अपने खेतों पर काम करते हैं, मैं रोज आऊंगा और जब रेवेन्यू का बिल इंट्रोड्यूस होगा तो अरेस्ट करने की हालत में आऊंगा और भाग लेता रहूंगा। इन शब्दों के साथ जो शारदा भक्त सिंह जी ने प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करता हूं ।

कृषि उपमंत्री (श्री शिवराजसिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत प्रस्ताव के ऐम्स और आब्जेक्ट्स को समझने की कोशिश की और मैं उसको बिलकुल समझने से मजबूर रहा। मेरी नाकिस राय में लगान का सीधा सम्बन्ध कृषि की पैदावार से है। उस प्रस्ताव पर सही राय लेने के लिये यह आवश्यक है कि अपने प्रदेश के गत दो पंचवर्षीय योजनाकाल के कुल कृषि उत्पादन में और प्रति एकड़ जो कृषि उत्पादन के आंकड़े हैं उनका अवलोकन कर लिया जाय। यदि खाद्यान्न में, कार्मीशयल क्राप्स में, आयल सीड्स में कुल पैदावार प्रदेश की प्रतिवर्ष या प्रति एकड़ घटी है तो कुछ वजह हो सकती है कि ऐसा समझा जाय कि खेती करने वालों को कुछ राहत दी जाय। एक तरीका यह हो सकता है कि लगान में कुछ कमी की जाय। श्रीमन्, जो आंकड़े हैं खुशी की बात है कि वह इसके बिलकुल विपरीत हैं। दोनों पंचवर्षीय योजना कालों में हमारे प्रदेश में फूडग्रेन्स का टोटल प्रोडक्शन काफी बढ़ा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जब हमने शुरू की थी तो उत्तर प्रदेश की १९५५-५६ में कुल खाद्यान्न की पैदावार ११८.६६ लाख टन थी और १९६०-६१ में जब यह योजना समाप्त हुई तो वह १४२ लाख टन हुई। इसी तरह से दूसरे पंचवर्षीय योजना काल में इस प्रदेश में २४ लाख टन अन्न की वृद्धि पैदावार में हुई है।

इतना ही नहीं, कार्मीशयल क्राप्स को देखें। जूट के अन्दर हमारा टार्जेट १.१ लाख बेल्स था। खुशी की बात है कि यह टार्जेट १९५८-५९ में ही हम एक्सीड कर गये। १९५८-५९ की पैदावार १.४२ लाख बेल्स रही। इसी प्रकार से आयल-सीड्स के अन्दर १९५५-५६ में इस प्रदेश की कुल पैदावार ७.५६ लाख टन थी, जो १९६०-६१ में हमारे टार्जेट के अनुसार पूरा होने पर ११.८ लाख टन्स हो गयी। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इस प्रदेश में टोटल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन कार्मीशयल क्राप्स का प्रोडक्शन, और आयल-सीड्स का प्रोडक्शन हमारे प्लान के अनुसार बराबर बढ़ता चला जा रहा है। हो सकता है कि किन्हीं वर्षों में कुदरती आपदाओं की वजह से पैदावार कम हुई हो, यह भी हो सकता है कि फूडग्रेंस की कुल पैदावार प्रदेश के अन्दर कुछ वर्षों में कम हुई हो, परन्तु श्रीमन्, आज जो वैज्ञानिक ढंग कृषि की पैदावार को नापने का है वह मूविंग एवरेजज़ निकाल का है। तीन वर्षों के आधार पर जो मूविंग एवरेजेज़ निकलते हैं वह १९५०-५१ से १९५८-५९ तक देखें तो बराबर यह दिखाई देता है कि वह बढ़ते जा रहे हैं। बार साल पढ़े हुये आपके समक्ष उनको रखे देता हूं—(१९४९-५० से हैं) १११.७९, ११४.४०, ११७.०५, १२४·६४, १२४.३९, १२४.५०, ११८.५४, १२३.७१ और १२६.१९। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में कृषि की कुल पैदावार बराबर बढ़ती जा रही है और दूसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में बढ़ी है। आल इंडिया पर एकड़ एवरेज ईल्ड जो है इससे भी उत्तर प्रदेश की per acre yield सब फस्लों में ज्यादा है। वह मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। गेहूं की पैदावार हमारे सूबे की ९.२२ मन प्रति एकड़ है जबकि आल इंडिया एवरेज ८.४१ मन प्रति एकड़ है। टोटल फूडग्रेन्स की पैदावार हमारे सूबे की ७.९० मन प्रति एकड़ है जबकि सारे हिन्दुस्तान की ७.०२ मन प्रति एकड़ है। इसी प्रकार से कपास की पैदावार हमारे प्रदेश की १.९१ मन प्रति एकड़ है जबकि सारे हिन्दुस्तान में ·९५ मन प्रति एकड़ है। जूट की दावार हमारे प्रदेश की १३.५५ मन प्रति एकड़ है जबकि सारे देश की १२.९५ मन प्रति एकड़ है। लिनसीड की पैदावार हमारे प्रदेश ४.८१ मन प्रति एकड़ है जबकि सारे हिन्दुस्तान की २.९५ मन प्रति एकड़ है। इसी तरह से मस्टर्ड की पैदावार हमारे प्रदेश की ४.०७ मन प्रति एकड़ है जबकि सारे देश की ३.९४ मन प्रति एकड़ है। इसलिये अगर प्रति एकड़ पैदावार के लिहाज से भी देखा जाय या कुल एवरेज की पैदावार देखी जाय तो उत्तर प्रदेश एक बढ़ती हुई उन्नति की तस्वीर है।

इतना ही नहीं तीसरी योजना के अन्दर जो हमारे टार्गेट्स हैं वह इस बात को दिखाते हैं कि हम इससे भी आगे प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में जहां हमने २४ लाख टन कृषि की पैदावार बढ़ाई वहां हम तीसरी योजना में ४७.५० लाख टन और बढ़ाना चाहते हैं। हमारा जूट का लक्ष्य तीसरी योजना में ०.३० लाख टन का है, काटन का ०.९६ लाख टन का है, आयल सीड्स का ४.९५ लाख टन है, शुगरकेन का १०.०० लाख टन का है। कृषि के क्षेत्र में बराबर हमारा targets बढ़ाने का इरादा है।

इसके अतिरिक्त यदि आप प्रदेश का परकैपिटा टैक्सेशन देखें और हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों से कम्पेयर करें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उत्तर प्रदेश में परकेपिटा टैक्सेशन और सब-स्टेट्स से कम हैं। जहां तक खर्च करने की बात है, हमारे प्रदेश में जो रुपया खर्च किया गया है और उससे जितनी आमदनी में बढ़ोत्तरी हुई है वह रेशियो क्या है और आल इंडिया सम्बन्धित रेशियो क्या है, इसको अगर आप देखें तो आल इंडिया से हमारा रेशियो अच्छा है। यह इस बात का सबूत है कि इस प्रदेश में सरकार ने टैक्सेशन के रूप में जो रुपया उसूल किया है उसका सही इस्तेमाल किया गया है। अगर दूसरी स्टेट्स के टैक्सेशन के आंकड़े दिये जायें, जोकि इससमय मेरे पास नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि पिछले सालों में जिन-जिन स्टेट्स का परकैपिटा टैक्सेशन बढ़ा है उन्हीं states में percapita की इनकम भी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में पिछले १० सालों में पर कैपिटा टैक्सेशन बढ़ा नहीं है बल्कि घटा है। जिस अनुपात में उन स्टेट्स में पर कैपिटा टैक्सेशन बढ़ा है लगभग उसी अनुपात में इनकम भी बढ़ी है। पर कैपिटा टैक्सेशन और पर कैपिटा इनकम, इन दोनों के बीच एक रिश्ता है। इसके मुख्तलिफ fiscal formula हैं कि कितना धन लगाकर कितनी इनकम बढ़ाई जा सकती है इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि इन योजनाओं के लिये हम मुख्तलिफ साधनों से धन इकट्ठा करते, लेकिन उसके बरबक्स जबकि हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रवेश कर रहे हैं और अपने यहां बड़ी-बड़ी योजनाओं को चलाना चाहते हैं उस वक्त ऐसा प्रस्ताव लाना जिससे हमारे प्रदेश को आय घटे, हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना को ठेस पहुंचे, मैं समझता हूं यह चीज जनहित के विरोध में होगी।

यह शिकायत सदन में हमेशा रही है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में परकैपिटा आउट ले हमारे प्रदेश का हिन्दोस्तान की सारी स्टेट्स के मुकाबिले में तथा और स्टेट्स के मुकाबिल में कम रहा है। यह कहा जाता है कि हमारी पंचवर्षीय योजना छोटी है लेकिन दूसरी तरफ जब अपने कन्ट्रीब्यूशन का सवाल आता है जिसके आधार पर हम सेंटर से पया मांगते हैं तब इस तरह की बातें की जाती हैं, इस प्रकार के प्रस्ताव लाये जाते हैं। ये दोनों बातें कहां ताल-मेल खाती हैं। अगर आप इस तरह की तजवीजें रखेंगे तो आपकी आमदनी घटेगी या बढ़ेगी ? अगर आपका कन्ट्रीब्यूशन घटेगा तो तीसरी योजना में जो सेंटर का कन्ट्रीब्यूशन होगा वह भी निश्चय रूप से घटेगा। अगर वह घटेगा तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का आउट ले घटेगा, जिसका नतीजा यह होगा कि हमारे प्रदेश कि आमदनी घटेगी, जनता की आमदनी घटेगी। जब हम प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं उस समय ऐसा कोई प्रस्ताव लाना, प्रदेश के काम में बाधा पहुंचाना है जो उचित बात नहीं है।

जहां तक किसानों की हमदर्दी की बात है, मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूं। वह यह है कि हमारे एग्रीकल्चर के बजट का जो एलोकेशन है वह प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। सन् ५६-५७ से लेकर ६२-६३ तक के आंकड़े मेरे पास हैं, उनसे पता लगेगा कि हमारा एलोकेशन एग्रीकल्चर के ऊपर हर साल बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, कुल बजट का जो परसेंटेज है वह भी बढ़ता जा रहा है। वह इस प्रकार है--

सन्	कुल बजट के मुकाबिले में प्रतिशत
१९५६-५७	४.४३
१९५७-५८	७.८४
१९५८-५९	७.२८

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)--माननीय सदस्य जब से खड़े हुये हैं तब से आंकड़े पढ़ रहे हैं।

श्री शिवराजसिंह---उन आँकड़ों से यह साबित होता है कि जो बजट हमारे सामने है उसमें एग्रीकल्चर का एलोकेशन बराबर बढ़ता जा रहा है। इससे यह नतीजा निकलता है कि किसानों का हित और कृषि की पैदावार बढ़ाने का लक्ष्य हमारे सामने है। ऐसी बात नहीं है कि किसानों की बहबूदी हमारी आंखों के सामने न हो।

इन तथ्यों के आधार पर, मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव पेश किया गया है वह गैर मुनासिब है। इसके अलावा इस प्रस्ताव से एक कान्स्टीट्यूशनल दिक्कत भी आती है। हमने भूमिधर बनाये और उनसे १० गुना लगान वसूल किया और उनका लगान आधा कर दिया। लेकिन आप चाहते हैं कि सभी लोगों का लगान आधा कर दिया जाय। हमारा आर्टिकिल १४ कहता है कि जो एक ही सी अवस्था में है उनके साथ एकसा बरताव हमें करना चाहिये। लेकिन अ ज भूमिधरों और सीरदारों की अवस्था में काफी अन्तर है। भूमिधरों ने १० गुना लगान दिया और सीरदारों ने कुछ भी नहीं दिया। इस पर भी यह कहना कि सब का लगान आधा कर दिया जाय, यह बिलकुल ठीक और उचित बात नहीं है।

यह भी कहा गया कि ग्रामीण-आय घटती जा रही है। यह सही है कि जिस मात्रा में उसको बढ़ना चाहिये था उस मात्रा में नहीं बढ़ पायी है। लेकिन इस पर--कैपिटा आय के न बढ़ने के कारण क्या हैं? आप उसको समझने की कोशिश कीजिये, उसके लिये सरकार जिम्मेदार नहीं है। उसके लिये हमारी बढ़ती हुई आबादी जिम्मेदार है। जितनी आमदनी बढ़ती जाती है उससे अधिक आबादी बढ़ जाती है। इसके लिये जरूरत इस बात की है कि हर पार्टी और हर समाजसेवी प्रदेश में फेमिली प्लानिंग के काम को प्रोत्साहित करें तथा स्माल सेविंग्स के लिये कोशिश करें। ऐसी भी कोशिश करें जिससे हम अपने थर्ड फाइव ईयर प्लान में, तमाम स्थानों से धन लेकर, प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें और ज्यादा उत्पादन बढ़ा सकें।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी पूर्व वक्ता माननीय शिवराज सिंह ने जो बातें कहीं और उनके पहले के वक्ता ने जो कुछ कहा, उसको मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। जहाँ तक माननीय शिवराज सिंह जी का सम्बन्ध है, वे अधिकतर प्लान के बारे में ही बोलते रहे और मैं समझता हूं कि दो-तीन दिन बाद, ८--९ तारीख को फिर प्लान पर विस्तृत विवाद इस सदन में होगा अतएव आज मैं उन प्रश्नों का उत्तर न देकर, जो उन्होंने उठाया है, उस समय के लिये अपने उत्तर को सुरक्षित रखता हूं।

जहाँ तक आज का विषय है, मालगुजारी को बढ़ाने या घटाने का, उस प्रश्न को देखने के दो दृष्टिकोण हैं। यदि सरकार का दृष्टिकोण यह है कि जो भूतपूर्व जमींदार थे, उनकी वह उत्तराधिकारिणी है, जितनी भूमि इस प्रदेश में है, वह उनकी मिल्कियत है, और उस मिल्कियत से वह अधिक से अधिक लाभ उठावें, यदि उनका दृष्टिकोण शाइलाक की तरह ए पाउंड आफ फ्लेश लेने का है, तब तो मैं विरोधी पक्ष की कोई दलील उनके सामने नहीं रखता और न कोई दलील काम करेगी, उसके लिये तो दूसरा ही उपाय करना होगा। परन्तु यदि जमींदारी उन्मूलन का यह उद्देश्य था कि किसान अपनी जमीन के मालिक बन जायं या किसानों को कुछ राहत पहुंचाई जाय, तो फिर इस प्रश्न पर सहृदयता के साथ विचार करना होगा।

श्रीमन्, किसी भी टैक्स के औचित्य का सब से बड़ा मापदंड यह है, कि क्या जिस पर टैक्स लगाया जा रहा है वह टैक्स देने की स्थिति में है, या नहीं, क्या वह अपना पेट काटे बिना टैक्स दे सकता है या नहीं? इस सम्बन्ध में मैं कुछ आँकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे उप-मंत्री कृषि ने कुछ आँकड़े दिये हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि मैं भी कुछ आँकड़े प्रस्तुत करूं, तो कोई बेजा न होगा। ये आँकड़े गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के इकोनामिक ऐंड स्टेटिस्टिक्स डाइरेक्टोरेट के हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के किसानों की प्रति एकड़ आमदनी और प्रति एकड़ खर्च का अनुमान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में कई जगह इसकी स्टडी हुई और यहाँ के

किसानों को उन्होंने कई ग्रुप में बाँटा है। जैसे—५ एकड़ तक के किसानों की आमदनी १९२ रु० निकाली है और उनका खर्च १९५ रु० निकाला है। इसी प्रकार ५ से १० एकड़ वाले ग्रुप के किसानों की आमदनी उन्होंने १६७ रु० निकाली है और उनका खर्च प्रति एकड़ २२८ रु० निकाला है। इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के किसान, कम से कम १० एकड़ तक जो खेती करने वाले हैं, उनको जितनी आमदनी होती है उससे उनका खर्चा अधिक होता है। सम्भव है हमारे बहुत से माननीय सदस्यों के मन में यह शंका उपस्थित हो, कि अगर सब किसानों को नुक्सान है तो आ खिर वे जीवित कैसे रहते हैं। इस सम्बन्ध में इतना मैं स्पष्ट कर दूं यह जितनी भी जाँच होती है, उसमें किसान और किसान के परिवार में जो लोग काम करते हैं उनकी मजदूरी प्रचलित दर से रखी जाती है। यदि प्रचलित दर से किसानों की मजदूरी दर लगायी जाय, तो किसानों को उनकी खेती में लाभ नहीं बल्कि हानि होती है। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जिन परिस्थितियों में आज छोटे किसानों को काम करना पड़ता है, उनमें उन्हें अपनी मेहनत के बदले में पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती, मुनाफे की कौन कहे।

श्रीमन्, मैं कहता हूं कि यदि किसान के पास कोई बचत हो तो उस पर टैक्स अवश्य लगाया जाय। मैं यह भी कहता हूं कि जिन किसानों की आमदनी ज्यादा होती है, उनके ऊपर टैक्स अधिक लगाया जाय, लेकिन जिन किसानों की आमदनी ऐसी नहीं होती है कि अपना और अपने घर वालों का पेट पाल सकें, उन पर टैक्स लगाना अन्याय है और न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार से टैक्स लगाना आय पर टैक्स नहीं है बल्कि वह किसान के माँस और हाड़ पर टैक्स है जो एक बहुत बड़ा गुनाह है और बरदाश्त नहीं किया जा सकता।

सिद्धान्त और व्यवहारिकता की बात कही गई। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। शराब पीना सिद्धान्ततः बुरा माना गया है और इसीलिये उस पर रोक लगाई गई है। लेकिन क्या यह अधिक व्यवहारिक न होगा कि शराबबन्दी का कार्य-क्रम रोक दिया जाय और शराब से खूब-टैक्स कमाया जाय? परन्तु जो चीज सिद्धान्ततः सही है उस को व्यवहारिकता पर बलिदान नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार इसको भी माना होगा। जिसकी कमाई इतनी नहीं है, कि वह भर पेट भोजन भी पा सके, उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये। उस पर टैक्स लगाना सरासर अन्याय है।

माननीय उप मंत्री जी ने कहा कि काश्तकार की पैदावार काफी बढ़ गई है लेकिन मैं उन से पूछना चाहता हूं कि यदि कृषि की पैदावार इतनी बढ़ गई है, तो क्या कारण है, कि उनकी प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी। अगर वह अपना सरकारी बुलेटिन आफ स्टेटिस्टिक्स देखें तो पायेंगे कि जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है उस तेजी से कृषि की पैदावार नहीं बढ़ रही है और जिस नियोजन से प्रगति उतनी भी न हो जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है तो ऐसे नियोजन से क्या लाभ? मैं यह नहीं कहता कि पैदावार कुछ भी नहीं बढ़ी है। किसानों की आमदनी न बढ़ने का एक कारण और भी है। कृषि वस्तुओं का मूल्य दूसरी वस्तुओं के मुकाबले में घटी है। मैं पहले भी बता चुका हूं और आज भी फिर कहता हूं, कि पिछले ३ साल में दूसरी वस्तुओं के अनुपात में कृषि वस्तुओं का मूल्य एक चौथाई कम हो गया है। अगर हम प्राइस पेरिटी इन्डेक्स से कुल पैदावार को गुणा करें तो नतीजा यह होगा, कि किसानों को उपज का मूल्य पहले की तुलना में कम हो गया है। अगर हम मान भी लें कि प्रति एकड़ पैदावार बढ़ी है, जैसा कि अभी उपमंत्री कृषि ने बताया तो अगर ३ एकड़ वाले किसान को लिया जाय तो आखिर ३ एकड़ में कितना पैदा होगा और क्या वह अपने इस ३ एकड़ की पैदावार से पेट पाल सकेगा? अगर पाल सकता हो, तो आप टैक्स लगाइये।

कृषि उपमंत्री जी ने यह भी कहा कि हमारे यहाँ पर-कैपिटा टैक्स बहुत कम है, सब से कम है। लेकिन भूमि टैक्स प्रति एकड़ और प्रदेशों की तुलना में इस प्रदेश में कितना है? उसके अध्ययन से मालूम होगा कि इस प्रदेश में अन्य प्रदेशों के मुकाबले में टैक्स प्रति एकड़ सब से अधिक है?

[श्री भानुप्रतापसिंह]

अन्त में, हमारी विरोधी पार्टी की तरफ से जो तरह-तरह के संशोधन पेश हुये हैं और उनमें सब पार्टियों ने जो अपना दृष्टिकोण रखा है, उसके द्वारा जो भ्रम पैदा हो गया उसको भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। प्रश्न १० एकड़, २ एकड़ या आधा एकड़ का नहीं है लेकिन प्रश्न यह है कि जो टैक्स अदा नहीं कर सकता उससे न लिया जाय। मैं यह नहीं कहता कि जो टैक्स अदा कर सकते हैं उनसे भी न लिया जाय, बड़े किसानों से आप बराबर ले सकते हैं। इसमें हमें आपत्ति नहीं है कि बड़े किसानों पर टैक्स न लगे। सिद्धान्त की जो बात है, वह यही है कि छोटे किसानों का टैक्स माफ होना चाहिये, वह जो अपना पेट भरने के योग्य भी नहीं कमा सकते, उनसे टैक्स लेने का प्रश्न नहीं उठना चाहिये। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का भीखालाल जी द्वारा जो संशोधित रूप पेश किया गया है उस रूप में समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि उस संशोधन के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जायगा।

(इस समय ४ बज कर ४ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अन्त में, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रस्ताव को कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ने रखा हो और स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों का उसे समर्थन प्राप्त हो, उससे कम से कम सरकारी पक्ष की आंखें खुलनी चाहिये और उनको समझना चाहिये कि आज विरोधी दल कितना एक मत हो गया है और यदि कोई ग़लत क़दम सरकार उठायेगी तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा।

श्री अध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हो गया।

माल मंत्री के सभासचिव (श्री बृजबिहारी)—श्रीमन्, जो प्रस्ताव आज प्रस्तुत किया गया है, उसकी मंशा यह है कि लगान आधा कर दिया जाय। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई पार्टी शासन में आवे, लगान आधा कर दे या माफ़ कर दे यह तो उसका अंतिम ध्येय हो सकता है। कोई लगान किसान से न लिया जाय, ऐसी स्थिति अगर इस राज्य में आ जाय तो उसका हम सब स्वागत करेंगे। किन्तु जो लोग इतिहास जानते हैं वे जानते होंगे कि भारतवर्ष में कोई ऐसा समय नहीं था जब कि किसी न किसी रूप में लगान न लिया जाता रहा हो, चाहे काइन्ड में रहा हो या द्रव्य के रूप में। प्रश्न यह है हम क्या करें। दरअसल लगान आधा कर दें। अभी-अभी विरोधी दल के माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारी गरीबी है, किसानों की गरीबी है, गांव की गरीबी की तरफ़ उन्होंने हमारा ध्यान दिलाया, हम भी इसको मानते हैं। क्या उस गरीबी को दूर करना हमारा ध्येय नहीं है? क्या हम यह निश्चय नहीं करना चाहते कि दरिद्रता को, निरक्षता को और रोग को अपने देश और प्रदेश से निकाल दें? निश्चित ही सब दलों का यह ध्येय है। फिर क्या करें? इस आबजेक्टिव तक पहुंचें कैसे? यह बात सही है कि दो योजनायें बनीं और उनका नतीजा क्या हुआ यह सब हम जानते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र से आये हैं, मैं भी वैसे क्षेत्र से आया हूं, सब जानते हैं कि क्या यह सही नहीं है जनता का जीवन स्तर आज ऊपर उठा है। क्या यह सही नहीं है उनके जीवन में, वस्त्र आदि में, उनके रहन-सहन में अन्तर आया है? क्या यह सही नहीं है जिनके मकान देहात में छप्पर के थे वह खपरैल के बन गये और जिनके खपरैल के थे वे पक्के बन गये हैं? क्या स्वास्थ्य की दिशा में हमारी प्रगति नहीं हुई? पूर्वी जिलों से जो लोग आते हैं वे इसे जानते हैं। क्या यह सही नहीं है पहले गांव की स्थिति यह थी कि रोगी का कोई इलाज नहीं होता था कितने ही लोग बिला इलाज मर जाते थे, अब वैसा नहीं होता....

श्री काशीनाथ—कांग्रेसियों और उनके रिश्तेदारों के मकान खपरैल के हैं?

श्री बृजबिहारी—आप सुनिये तो सही। क्या यह सही नहीं है कितने ही स्थानों पर बारहों महीने प्लेग, महामारी, मलेरिया आदि फैली रहती थीं और लोग बीमार रहते थे, क्वार और चैत के महीने में घर में कोई आदमी पानी देने वाला नहीं रह जाता था सब के सब फसली बुखार से पीड़ित रहते थे, क्या वह स्थिति आज है? क्या कोई इनकार कर सकता है कि स्वास्थ्य

की दिशा में प्रगति नहीं हुई है ? सड़कों के माइलेज में हमने बढ़ोत्तरी की है, क्या यह सही नहीं है ? जिधर नजर उठाइये प्रगति हुई है। प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो सब की तादाद बढ़ी है। हाई स्कूल जो पहले ३०, ४० मील के फासले पर होता था आज हर २, ३ मील के फ़ासले पर पाये जाते हैं। मैं उनकी संख्या में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय बहुत कम है। आप के सामने मैं यह निवेदन करूं कि माननीय सदस्यों के सामने पुस्तिकायें हैं, कितनी तरक्की हमने की है उस दिशा में उससे प्रकट हो जावेगा। यह ठीक है कि अब भी गरीबी है, रोग हैं, निरक्षरता है, बेरोजगारी है। इसको कैसे दूर करें। क्या आप चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में रोग उसी अवस्था में रहे, निरक्षरता, बेरोजगारी उसी अवस्था में रहे ? यह सत्य है कि सारे प्रयास के बावजूद रोग को हम समूल नष्ट नहीं कर पाये हैं। निरक्षरता, बेकारी और दरिद्रता भी अभी है। इनको दूर करने के लिये हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाई है। पहले हमारी योजना सवा ७ अरब रुपये की थी, लेकिन अब ४ अरब ६७ करोड़ की है। इस योजना के जरिये हमने निश्चय किया है कि हम अपने प्रदेश से बेकारी दूर करेंगे, रोग दूर करेंगे, दरिद्रता दूर करेंगे। इसमें हम सहयोग चाहते हैं सब सम्मानित सदस्यों का तथा जनता का। आज जनता को इसके लिये तैयार करना है कि वह त्याग, बलिदान और तपस्या करे। आज यह स्थिति नहीं है कि इस किस्म के प्रस्ताव लाये जायं और लोगों को भ्रम में डाला जाय। हमको उन्हें निरुत्साहित नहीं करना है। जनता को प्रोत्साहित और उत्साहित करना है और यह भाव पैदा करना है कि वह त्याग, बलिदान और तपस्या के लिये तैयार रहे। यह प्रस्ताव जन-संघ की तरफ से आया तो मुझे और आश्चर्य हुआ। आप तो हिन्दू संस्कृति के हामी हैं। आपका तो यह कर्त्तव्य था कि आप जनता में जाते और उसे प्रोत्साहित करते और कन्धे से कन्धा मिला कर हमारे साथ काम करते ताकि देश और प्रदेश में जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता, देश का उत्थान हो सकता और प्रदेश को ऐसी स्थिति में लाते जिससे संसार में यह साबित होता कि हमने अपनी योजनाओं को सफल करके उन्नति की है।

हमने गरीबी और दरिद्रता को दूर करने के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिये २७ करोड़ ४९ लाख रुपये खर्च करने का प्रबन्ध किया है। बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिये ७ हजार गांवों को ऊंचा करने की व्यवस्था की है। १६ हजार १४४ मील नई सड़कों का माइलेज बढ़ जायगा और सड़कों की उन्नति के लिये ३० करोड़ ४८ लाख रुपये व्यय करने के लिये योजना बनाई है। शिक्षा का स्तर बढ़ाना है। इसके लिये २३ हजार ८७० नये प्राइमरी स्कूल खोलने के लिये हमने निश्चय किया है। लड़कों की शिक्षा में तो हमने बहुत प्रगति की है किन्तु यह सही है कि बालिकाओं की शिक्षा में उतनी प्रगति नहीं हुई है। हमने निश्चय किया है कि बालिकाओं की शिक्षा में भी हम प्रगति करेंगे। उसके लिये भी धन की आवश्यकता है। चिकित्सा के सुधार के लिये हमने निश्चय कर रखा है कि तीन और बड़े-बड़े मेडिकल कालेज खोले जावें।

गृह निर्माण में श्रमिकों के लिये मकान बनाने की भी योजना है और इन सारी योजनाओं की सफलता के लिये हम लोगों को प्रशिक्षित भी करना चाहते हैं। इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये रुपये की आवश्यकता है। आज आवश्कता इस बात की थी कि कन्धे से कन्धा मिला कर सरकार के साथ आप सब सहयोग करते। एक मत हो कर प्रचार करते और इस बात का प्रचार तथा प्रसार करते कि किसी भी प्रकार हम धन जुटायें। बजाय इसके कि यह कहने लगें कि आधा लगान कर दो। आप सब को चीप पापूलेरिटी इससे अवश्य मिल जायगी। इसमें हम देखते हैं कि विरोधी दलों में प्रतिस्पर्द्धा हो रही है। जनसंघ कहता है कि आधा लगान किया जाय तो कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, पी० एस० पी० के लोग कहते हैं कि कुल लगान माफकर दो और सोशलिस्ट पार्टी एकदम और आगे बढ़ गयी, श्री नरसिंह नारायण जी कहते हैं कि हम तो सत्याग्रह करेंगे। पता नहीं क्या हो, लगान बढ़े या कर बढ़ें, लेकिन धमकी पहले से ही दे दी कि हम तो अनशन करेंगे। गांधी जी

[श्री बृजबिहारी]

का बहुत नाम विरोधी पार्टी की तरफ से लिया जाता है। गांधी जी क्या चाहते थे, हम भूल जाते हैं। वे चाहते थे कि देश से गरीबी को मिटा दें, रोग और बेकारी को नष्ट कर दें और एक स्वर्ण युग का निर्माण करें। आप चाहते तो यह हैं कि ट्यूबवेल बनें, नहरें बनें, अस्पताल खुलें, बेकारी की समस्या हल की जाय, नौकरों की तनख्वाह बढ़ाई जाय, लेकिन दें कुछ नहीं यह कैसे संभव हो सकता है। आप का तो वह हिसाब है कि "शाह से कहें जागो और चोर से कहें कि चोरी करो। मैं तो इसे कर बढ़ाना नहीं मानता, मैं तो इसे चन्दा ही कहता हूं। हमारे यहां दधीचि ने राक्षसों को मारने के लिये हड्डी का दान दिया था। मैं तो चाहता हूं कि आप झोली लेकर हमारे साथ कन्धे से कन्धा मिला कर बाहर चलिये और जनता से चन्दा लीजिये और इन योजनाओं को सफल बनाइये ताकि देश तथा प्रदेश का नवनिर्माण करने की जो प्रतिज्ञा हमने की है, उसे पूरा करें, इस पुनीत कार्य में आप भी सम्मिलित हों और जनता से कहें कि वह चन्दे से झोली भरे। इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्तुत संकल्प का विरोध करता हूं।

*श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रजा समाजवादी पार्टी से संशोधित इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उस समर्थन के पांच आधार हैं। पहला यह कि जिस बुनियाद और जिस सिद्धान्त पर लगान लगाया गया है, वह एक गलत सिद्धान्त है, और एक ऐसे आर्थिक सिद्धान्त पर जो कन्डेम हो चुका है लगान को चिपकाये रखना किसी प्रगतिशील सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है। दूसरा आधार यह है कि सन् १९३२ में और आज की तुलना में खेती से पैदा होने वाली चीजों के दाम ७, ८ गुने के करीब बढ़ गये हैं जब कि खेतिहर जिन चीजों को खरीदता है उनकी कीमत ११ और १२ गुनी हो गयी है। किसान का तो यों ही शोषण हो रहा है। मैं विवेचना इसलिये नहीं दे सकता कि समय नहीं है। तीसरा आधार यह है कि किसान केवल लगान नहीं दे रहा है बल्कि आज की शासन व्यवस्था में पता नहीं कितना उस को नाजायज पैसा देना पड़ रहा है और यह शोषण इतना भयंकर हो गया है कि लगान से कई गुना उसे घूसखोरी, भ्रष्टाचार और अनाचार के मत्थे देना पड़ रहा है। कोई भी सरकार अगर इसको रोक नहीं सकती है तो मैं तो कहता हूं कि उसको किसानों से लगान लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप इन चीजों को बन्द कर दें और लगान थोड़ा और बढ़ा दें तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब लगान की बात आये तो यह न सोचना कि कितना वह शोषित हो रहा है, लगान घटाया न जाय और उसको राहत न दी जाय तो यह अनुचित होगा। चौथी चीज यह है कि अगर सही माने में औद्योगीकरण देश में करना है तो उसका रास्ता किसानों की क्रयशक्ति से गुजरता है। यह भूल न करें थोड़े पैसों के लालच में कि मुर्गी को हलाल कर दें और वह मर जाय। यह आप की बड़ी भयंकर भूल होगी जिसका खामियाजा दस साल बाद देश को देना पड़ेगा।

पांचवीं चीज जिसका मैं समर्थन कर रहा हूं। विकास की योजनाओं पर और टैक्स लगाने की बात की जाती है। मेरी प्रार्थना यह है कि स्कूल, सिंचाई और सड़क ये तीन चीजें हैं, इन पर आप पैसा खर्च कीजिये और बाकी जो और बहुत सी बातों पर आपने पैसा लगा रखा है उसको खत्म कर दीजिये। उस पर बेकार पैसा खर्च हो रहा है। इसलिये उस पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। रुपये का अपव्यय हो रहा है और कोई फायदा नहीं है। ये पांच आधार हैं, जिनकी बुनियाद पर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अन्त में, मुझे दो विनम्र शब्द अपने कांग्रेसी भाइयों से कहने हैं और वे ये हैं कि १९२१ में राष्ट्रीय आन्दोलन के समय किसान और राष्ट्रीय कांग्रेस का एक जबर्दस्त गठबन्धन हुआ। उस समय कांग्रेस अंग्रेजी हुकूमत देश से उखाड़ फेकना चाहती थी और किसान जमींदारी प्रथा से त्राण पाना चाहता था। इसलिये दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। आप नहीं कह सकते कि जमींदारी प्रथा समाप्त करके आपन किसान क ऊपर कोई उपकार किया है क्योंकि किसान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने दिल्ली और लखनऊ की हुकूमत कांग्रेस के सुपुर्द कर दी और अंग्रेजों को देश से हटा दिया। इस तरह से एक दूसरे का नमक पानी अदा हो चुका है। अब किसी का किसी के ऊपर कोई उपकार नहीं है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जो रूप है उस से किसानों के सम्बन्ध से तनाव पैदा हो रहा है। मैं इसलिये आपको आगाह कर रहा हूं, मुझे दिलचस्पी इसलिये है कि अगर कोई विरोधी पार्टी आपका स्थान ले सकती होती तो बेहतर था। लेकिन यह स्थिति नहीं है और ऐसी हालत में आपके माने है कि प्रजातन्त्र के ऊपर धक्का पहुंचेगा। इसलिये मैं आपको सचेत कर रहा हूं।

अन्त में, मुझे यह कहना है कि राजा नहुष को आशीर्वाद देकर सप्तऋषियों ने इन्द्रासन पर बिठाया। लेकिन वह भूल कर गया और सप्त ऋषियों के कन्धे पर सवारी करने लग गया, जिसका नतीजा हुआ कि उसका पतन हो गया। इसलिये जिस किसान ने आपको आसन दिया है उस पर सवारी न करिये। एक मुनि ने एक मूषिका को शेर बना दिया, वह उन्हीं को खाने को दौड़ा। उसे पुनः मूषिका भव कह कर चूहा बना दिया। इस लिये आप दूरंदेशी से काम लीजिये।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ है उसको मैंने सैद्धान्तिक, नैतिक और व्यवहारिक तीनों दृष्टि से देखने की कोशिश की और किसी भी दृष्टि से वह उचित प्रतीत नहीं होता है। जो भाषण मैंने सुने उनके बाद तो जो उनके पीछे मुख्य लक्ष्य था उसका भंडाफोड़ हो गया। जनसंघ के माननीय साथी ने यह फरमाया कि मैं जनसंघ की तरफ से प्रस्ताव पेश करता हूं, किसी ने पी० एस० पी० की तरफ से कहा यानी एक कम्पीटीशन था, एक प्रतियोगिता थी कि कौन इसमें आगे बढ़ सकता है। एक ने कहा आधा लगान माफ किया जाय, दूसरे ने कहा कि बिलकुल माफ किया जाय। समाजवादी पार्टी के जो हमारे भाई नरसिंहनारायण जी हैं उन्होंने कहा कि मैं अनशन करके शहीद हो जाऊंगा अगर गवर्नमेंट ने लगान बढ़ाने का काम किया। चाहे गवर्नमेंट कोई ऐसा काम करने वाली हो या न हो। मगर पेशबन्दी शुरू हो गई। चाहे इस प्रस्ताव के पीछे किसानों की हमदर्दी हो या न हो, लेकिन सबसे बड़ी भावना इसके पीछे यह है कि इस बहाने से किसान को पथ भ्रष्ट (मिसगाइड) करने के लिये या जैसा कहा गया, चीप पापुलारिटी प्राप्त करने का तरीका इस्तेमाल किया गया। इसमें लिखा है कि समस्त किसानों का लगान आधा कर दिया जाय। मैं नहीं समझ पाया कि उसके पीछे सिद्धान्त क्या है मगर जनसंघ की तरफ से यह बात बिलकुल ठीक आई कि जिसके पास हजार बीघे जमीन हो उसका भी लगान आधा हो जाय और जिसके पास दो बीघा जमीन हो उसका भी लगान आधा हो जाय।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—४० एकड़ से ज्यादा कैसे होगा?

श्री काशीनाथ—आपने तो सीलिंग कर दी है।

श्री नवलकिशोर—मेरा कहना यही है कि जनसंघ चाहता है कि जिसके पास चालीस एकड़ जमीन हो उसका भी लगान आधा कर दिया जाय और जिसके पास दो एकड़ जमीन हो उसका भी लगान आधा कर दिया जाय। तो कोई सिद्धान्त दिखायी नहीं पड़ा। मैं मानता हूं कि हमारा देश गरीब है, मैं मानता हूं कि किसान की हालत जितनी अच्छी होनी चाहिये, उतनी अच्छी नहीं है, मगर किसान की गरीबी दूर करने का तरीका क्या यह है कि उसको ऐसा मार्ग दिखायें जिसमें किसान को नादेहन्द बनाया जाय ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिले कि वह भी नादेहन्द बन जायं? यह तरीका प्रशासन करने की नहीं है न जिम्मेदार पार्टियां इस तरह की बात किया करती हैं। देश की गरीबी को दूर करने का तरीका यही हो सकता कि हम इस तरह के साधन जुटायें जिनसे हमारे गरीब किसान अपने उत्पादन को बढ़ा कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सकें। लगान आधा करने से जीवन ऊंचा नहीं हो सकता। एक आदमी हो सकता है। एक आदमी एक गहरे कुयें के अन्दर कूद पड़ा और कहने लगा कि मैं बड़ा खुश

[श्री नवलकिशोर]

हूं। यह कहावत यहां परितार्थ होती है। नैतिक दृष्टि से भी बात अच्छी नहीं है। निर्माण के युग में इस बात की हिम्मत होनी चाहिये कि हम सब लोग किसान के पास जायं और उससे यह बात कह कि तुम गरीब हो तो साधन हम तुम को जुटाने चाहते हैं उससे फायदा उठा कर अपना उत्पादन बढ़ा कर अपने जीवन स्तर ऊंचा करो और उसमें कुछ हिस्सा को सरकार को भी दो बजाय इसके कि यह कहें कि जो योजनायें चल रही हैं वह चाह बन्द कर दी जायं मगर टक्स मत लगाइये। यह तरीका जो प्रोग्रेसिव सोसइटी है और वह पार्टियां जिन्होंने देश के निर्माण का उत्तरदायित्व लिया है वह एसा सोच भी नहीं सकती, मानना तो बहुत दूर रहा। कृषि विभाग म उप-मन्त्री जी ने आंकड़े दिये कि हमारे प्रदेश की पदावार बढ़ी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी हिन्दुस्तान के अन्दर जापान से एक डलिगेशन आया था जो प्रधान मन्त्री से मिला। यद्यपि मैं यह मानता हूं कि जापान के मुकाबले में हमारी पैदावार १/६, १/७ है। लेकिन उन्होंने यह माना कि अगर हम अपने साधनों को इस्तेमाल करें तो हमारा उत्पादन चौगुना हो सकता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि सारे प्रदेश के अन्दर व्यापक ढंग से उन साधनों को मुहइया करने का इन्तजाम किया जाय जिससे उत्पादन बढ़े, न कि यह कहा जाय कि लगान आधा कर दिया जाय और किसान अकर्मण्य होकर अपनी किस्मत को कोसत रहें कि मैं बड़ा गरीब हूं। यह प्रस्ताव एक सिलवर कोटेड प्वायजन (मीठा विष) है जोकि विरोधी पक्ष की ओर से किसानों के लिये पेश किया गया है।

व्यावहारिक दृष्टि से भी अगर देखा जाय तो मुझे याद है कि जिस समय थर्ड फाइव इयर प्लान का ड्राफ्ट पेश किया गया तो माननीय गेंदासिंह और विरोधी दल के अन्य सदस्यों ने यह मांग की थी कि यह पांच सौ करोड़ का ड्राफ्ट बहुत कम है, इसे ७, ८, १० सौ करोड़ होना चाहिये। एक प्रतियोगिता थी, हर पार्टी का मेम्बर यह बताना चाहता था कि जो वह ड्राफ्ट पेश किया गया था वह अपने प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुये बहुत कम था। मैं उनसे कतई सहमत हूं क्योंकि जो हमारे विशेषज्ञ हैं, मुझ याद है, उनका भी ख्याल था कि आज की परिस्थिति को देखते हुये कम से कम नौ सौ करोड़ की पंचवर्षीय योजना बननी चाहिये। मगर इस सरकार न, उस समय का जो मन्त्रिमंडल था, हमारे साधनों को देखते हुये ७५० करोड़ की योजना उन्होंने बनायी लेकिन साधनों का जब पुनरीक्षण हुआ तो केन्द्रीय सरकार और उसके प्लानिंग कमीशन ने उसे ४९७ करोड़ कर दिया और उस ४९७ करोड़ के अन्दर भी हमसे यह वायदा कराया कि ३५० करोड़ रुपया वह तब देंगे जब १४७ करोड़ रुपया हम अपने साधनों से इकट्ठा करेंगे। मान्यवर, सरकार कोई हो, किसी पार्टी की हो, संसदीय प्रणाली और जनतन्त्र की बेस यह है कि जो बहुमत में होता है उसी के हाथ में सत्ता होती है, किन बहुमत के माने यह नहीं है कि किसी एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हो, गवर्नमेंट में आने के बाद वह सारे प्रदेश को रिप्रेजेंड करता है तो जितना कमिटमेंट सरकार ने किया और सरकार के नुमाइन्दों ने किया वह पूरे प्रदेश का कमिटमेंट है जिसको पूरा करना हर एक व्यक्ति का कर्त्तव्य है।

और बहुत सी बातें कही गई। मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं, सन् ३७ में हमारा बजट १३ करोड़ का था और आज वह १९१ करोड़ का हो गया है जिसमें १३ करोड़ से अधिक का डेफिसिट है। उस डेफिसिट को अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो जो आज हमारा उत्तरदायित्व है उससे हम दूर हटते हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बार-बार अपने भाषणों में चुनाव के पहले और उसके बाद भी इस बात का संकेत किया है कि हमने जो उत्तरदायित्व लिया है उसको हम निभायेंगे। जैसा कि अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि यहां टैक्सेशन पर-कैपिटा बहुत कम है, मैं उन बातों में दोबारा जाना नहीं चाहता। लेकिन यह जो बात आपने कही कि लगान आधा कर दिया जाय तो यह हम और आप सभी जानते हैं कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है। सबसे बड़ी हमारी रेवेन्यू भूमि से होती है और करीब करीब २१ करोड़ से कुछ ज्यादा रुपया बतौर मालगुजारी से वसूल होता है। अगर हम आपकी बात मान लें तो मान्यवर, साढ़े १० करोड़ रुपया हमको छोड़ना पड़ेगा। (व्यवधान) हां, भूमिधरों को अगर आप कम कर दें तो ३ करोड़

९० लाख कम हो जायगा, लेकिन फिर भी साढ़े आठ करोड़ के करीब छोड़ना पड़ेगा। तो साढ़े तेरह करोड़ का आलरेडी डेफिसिट है उसमें साढ़े आठ करोड़ और बढ़ा दें तो कितना हो जायगा ? मैं यह बात मान सकता हूं क्योंकि विरोधी दल की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, तो उनका फर्ज यह भी था कि जब उन्होंने यह कहा कि लगान आधा कर दिया जाय तो उनको उस साढ़े आठ करोड़ का सबस्टीट्यूट भी पेश करना चाहिये कि इसको कम करके इस प्रकार पूरा कीजिये। (व्यवधान)

मान्यवर, जिस समय बजट पेश होता है एक-एक माननीय सदस्य चाहें इधर के हों, चाहे उधर के हों, हर एक अपने-अपने क्षेत्र की बात कहता है कि हमारे यहां सड़क नहीं है। हमारे यहां अस्पताल नहीं है, सही बात है, कहना भी चाहिये, जनता के नुमाइन्दे हैं, इसलिये आते हैं। कहा जाता है यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। इसके लिये हमारे पास या तो साइंस का कोई ऐसा फारमूला हो या अलादीन का चिराग हो जिससे कि हम इस प्रदेश में कल्याण कारी राज्य स्थापित कर दें, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाय, गांव गांव में स्कूल खोल दें, अस्पताल खोल दें, सब जगह सड़कें हो जायं और किसानों से एक पैसा भी न लिया जाय और जब किसान से न लिया जाय तो कोई औचित्य नहीं होगा कि किसी और से भी लिया जाय क्योंकि कोई सीलिंग तो आपने रखी नहीं है कि इतनी आमदनी वालों से लिया जाय (व्यवधान) तो मेरे कहने का मतलब यह है कि या तो आप हमें यह बतायें कि वह कौन सा तरीका होगा वह आपके पास कौन सी नीति है कि जिसके आधार पर आप इस देश को आगे बढ़ायेंगे, जीवन स्तर भी ऊंचा करेंगे और टैक्स आप किसी से नहीं लेंगे, तब तो बात दूसरी वरना मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह बात कतई तौर से उचित नहीं है।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे जनसंघ के भाई भारतीय संस्कृति की बात कहते हैं। महाराज मनु, जिन्होंने हमें कानून दिया और उसके अलावा हमारे देश में और भी बहुत से राजे महाराजे हुये, क्या कोई भी समय आप ऐसा बतायेंगे जबकि भूमि कर या लगान किसान से न लिया गया हो ? क्या वह बात सही नहीं कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी १/४— और १/५— अंश भूमि के उत्पादन का लिया जाना सही और उचित टैक्स माना गया है ? (व्यवधान) इसके अलावा जो हमारी पंच-वर्षीय योजनायें हैं उसके अन्दर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके विचारों को देखें तो उन्होंने भी अपनी हर एक रिपोर्ट में कहा है कि सही टैक्सेशन लगान का १/४—और १/५— के बीच में होना चाहिये। पिछला जो बन्दोबस्त हुआ था उस बन्दोबस्त में १९०१ और १९०५ की कीमतों के आधार पर पैदावार का एक बटा पांच लगान माना गया था। मेरे विरोधी दल के मित्र कहते हैं कि आज महंगाई ज्यादा हो गई है। तो आज चौगुनी महंगाई हो गई है यानी चौगुनी कीमत बढ़ गई है। लिहाजा उसके हिसाब से आज लगान १ बटा २० पड़ता है। कुछ लोगों ने, कहा कि आपने कहीं कहीं लगान बढ़ा दिया है। हो सकता है कि कहीं-कहीं लगान मौरूसी लगान से दुगना तक हो गया हो। तब भी इसके माने यह हुये कि हमारा लगान उत्पादन का और १ १०-१/२० के बीच आता है। जब लगान १ बटा १० और १ बटा २० के अन्दर है तो फिर इस बात को कहना कि हमारा लगान बहुत है यह केवल पोलिटिकल स्टेंट है और इसके पीछे न्याययुक्त तर्क नहीं है।

एक बात यह कही गई कि जमींदारी का विनाश हुआ लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। मान्यवर, यह बात ऐसी हुई जैसे कोई कहे कि अंग्रेज तो यहां से चले गये लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। जो जिस तरीके का आदमी है और जैसा जिसको नुकसान पहुंचा है और जिनके वेस्टेड इन्टरेस्ट पर हमला हुआ है उनके नुमायन्दे के मुंह से ही इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं।

एक बात और कही गई कि सब को भूमिधर बना दिया जाय। मान्यवर, हमने तय यह किया कि जो १० गुना लगान देंगे उनको भूमिधर बना दिया जायगा और उनका लगान

[श्री नवलकिशोर]

आधा कर दिया जायगा। उसके लिये ३७, ३८ या ४० करोड़ पये इकट्ठा हुआ था। तो हमने एक स्कीम बनाई। आज आप यह चाहते हैं कि जितने लोग बाकी रह गये हैं उनको बगैर दसगुना लिये ही भूमिधर बना दिया जाय। जिन लोगों ने १० गुना लगान दिया उनको वह पया वापस करना होगा क्योंकि १० गुना लगान देकर क्या उन्होंने कोई पाप किया जो उनसे लिया जाय और बाकी से न लिया जाय, आपकी बात मानने का मतलब यह होगा कि ४० करोड़ रुपया वापस करना होगा। मैं समझता हूं ऐसी बात के पीछे कोई नैतिकता नहीं है, सिद्धान्त नहीं है और कोई वास्तविकता नहीं है। केवल पोलिटिकल स्टैन्ट है। इसलिये इन शब्दों के साथ जो मूल प्रस्ताव रखा गया है और जो उस पर संशोधन रखे गये हैं, मैं उनका घोर विरोध करता हूं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और दोनों तरफ से इसके ऊपर बड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---अब आप लोग कृपया ५, ५ मिनट का समय ले लें तो अच्छा होगा क्योंकि यह समय पर समाप्त हो जायगा।

श्री कल्पनाथ सिंह---श्रीमन्, अभी तक जितनी दलील अलाभकर जोत से लगान हटाने के लिये दी गई, उनको मैं बहुत गौर के साथ सुनता रहा। उसके विरोध में एक भी दलील नहीं दी गई। केवल एक बात मुख्यतया कही गई कि प्लानिंग के काम के लिये, इस देश की तरक्की के लिये जो योजनायें बनाई गई हैं, उनके लिये धन कहां से आये। मुख्यतया उस तरफ के बैठने वाले लोगों ने केवल यह बात कही। मैं तो यह समझता हूं कि अगर विरोध करना था तो सीधे-सीधे कहना चाहिये था वक्ता महोदय को कि सिद्धान्त के आधार पर, इस नीति के आधार पर और इस कार्यक्रम के आधार पर हम इसका विरोध करते हैं। श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि जिस विकास के नाम पर यह टैक्स लगाया जा रहा है, जिस विकास के नाम पर गरीब जनता का खून चूसा जा रहा है उसी विकास का यह नतीजा है कि आज यह कहा जा रहा है कि स्कूल खोल दिये गये। एक महानुभाव अभी बोल रहे थे तो उससे मालूम हुआ कि जैसा प्लानिंग पर डिस्कशन चल रहा हो और यह लगान के ऊपर डिस्कशन ही न हो।

केवल एक बात, गुणगाना सीख लिया है प्लानिंग का, लेकिन आंकड़े यह साबित करते हैं कि जो गरीब था वह और गरीब हुआ, जो अमीर था और वह अमीर हुआ। जिसको आमदनी पहले ज्यादा थी, उसकी आमदनी और ज्यादा हुई और जिसकी कम थी, उसकी और कम हुई अनुपात में। उस योजना के गुण गाये जाते हैं जिस योजना के बारे में मुख्य मंत्री जी ने खुद कहा था कि यह १० साल बेकार गये। एक किस्सा है, श्रीमन्। एक पढ़े लिखे सज्जन थे बड़े आंकड़ों के माहिर। उन्हें अपने बाल बच्चों के साथ एक नदी पार करने का अवसर आया और उन्होंने नदी का पानी नापना शुरू किया। एक जगह १ इंच, एक जगह १०० फुट, और सब हिसाब किताब लगाकर उन्होंने देखा कि नदी में कहीं भी डूबने की किसी के गुंजायश नहीं है। बच्चा भी पैदल चला जा सकता है और नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पार जाने की नौबत आयी तो वे अपने आप तो चले गये, लेकिन जो छोटे बच्चे थे वे सब नदी में डूब गये। वही हिसाब उधर के बैठने वाले लोगों का है। श्रीमन्, वक्त थोड़ा ही और चाहिये, इसलिये कि मैं प्लानिंग के बारे में कह रहा हूं। यह आंकड़े जो दिखाये जा रहे हैं वे इस गरीब जनता के लिये नहीं हैं, अलाभकर जोत वालों के लिये नहीं है। एक भी आंकड़े ऐसे पेश नहीं किये गये कि जिससे पता चलता कि इतने

अलाभकर जोत वाले लाभकर जोत वाले किसान बन गये । मैंने माननीय चरणसिंह का, जमींदारी एबालिशन रिपोर्ट का और कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव का जिक्र किया था, लेकिन उसके लिये किसी भी दलील में कुछ नहीं कहा गया । अगर अलाभकर जोत वालों को लाभकर जोत वाला बना दिया जाय और फिर कहा जाय कि अब हम इनसे टैक्स लेंगे तो बात ठीक है । दधीच की बात हमारे माननीय मिश्र जी ने कही, लेकिन यह दधीच का दान नहीं है, यह आप रावण का कर ले रहे हैं । आप कान खोल कर सुन लें, उसी तरह से आपके शासन का अंत होने वाला है जिस तरह से रावण के शासन का अंत हुआ था ।

श्री भोखालाल—अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो पेश है, उसके विरोध में सरकार की तरफ से बड़े-बड़े आंकड़े पेश किये गये और हमारे माननीय कृषि उपमंत्री जी ने आंकड़ों से यह सिद्ध किया कि हमारी खेती की पैदावार बराबर बढ़ती जारही है और इस बढ़ती हुई पैदावार को देखते हुए किसानों का लगान घटाना आवश्यक नहीं ।लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं दिखाया कि कुल खेती की पैदावार इन दो योजनाओं में कितनी बढ़ी । उनकी खुद तीसरी पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि इतना रुपया खर्च करने के बाद भी केवल १.७ फीसदी पैदावार बढ़ी है । अब हमें कारण ढूंढ़ना होगा कि क्यों हम इतना रुपया खर्च करते चले जा रहे हैं और फिर भी पैदावार नहीं बढ़ती । इसलिये जब तक पैदावार नहीं बढ़ती तब तक किसान मजबूत नहीं होगा और हमारी योजनायें सफल नहीं होंगी । इसलिये जो मैंने पहले कहा था कि हमको ऐसे तरीके ढूंढ़ने होंगे कि किसान जिनसे मजबूत हो, वह अपनी खेती में इंवेस्ट कर सके और उसे अच्छी तरह से चला सके ताकि उनमें साहस पैदा हो अपनी पैदावार बढ़ाने का, वह करना होगा ।

मान्यवर, यह कहा गया कि अगर हम कर न लगायें तो हमारी आमदनी कम होगी और हमको योजनाओं के लिये रुपया कहां से मिलेगा । योजनाओं के लिये जहां तक साधन जुटाने का सवाल है हमारी पार्टी द्वारा इस सदन में वक्तन, फेवक्तन सुझाव दिये गए । समय की कमी के कारण उस पर ज्यादा प्रकाश डाला नहीं जा सका । अभी-अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने सूबे के वरिष्ट आदमियों की एक कान्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें उनके अधिकारियों ने स्वयं कहा है कि यदि योजनाओं में जो फिजूल खर्ची होती है, जो रुपया बेतहाशा इधर-उधर खर्च होता है उसे नियंत्रित किया जाय, उसमें मितव्ययिता बरती जाय तो १० करोड़, १२ करोड़ रुपये की बचत हो सकती है । यह उनके अधिकारियों ने कहा है । इस फिजूल खर्ची को रोककर बजट का घाटा पूरा किया जा सकता है । टैक्सों के बकायों को वसूल करके भी यह घाटा पूरा किया जा सकता है । जो लोग टैक्सों की चोरी करते हैं उनसे भी रुपया वसूल करके उस कमी को पूरा किया जा सकता है ।

यह बात बार-बार इस सदन में कही गई कि शक्कर मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय और जो चन्द मिल मालिक मुनाफा उठाते हैं सरकार द्वारा दिये गये कर्जे के बल पर और किसानों की गन्ने की कीमत के बल पर, उससे भी घाटा पूरा किया जा सकता है । रिसोर्सेज तो बहुत हैं मगर सरकार उनको अपनाना नहीं चाहती । सिर्फ गरीब किसानों को वही सिखाती है कि भूखे पेट रहो, अपने पेट पर पट्टी बांधो और योजनाओं के लिये पैसा दो । मुख्य मंत्री जी के एक सभा सचिव महोदय ने एक मिसाल पेश की कि हमारे हिन्दुस्तान में तो ऐसी परम्परायें चलीं आई हैं कि लोग हड्डी तक दान दे देते हैं । अब तो किसानों के पास कुछ नहीं रहा, केवल ठठरी रह गई है । किसानों में इतनी ताकत नहीं रह गई है कि वह अपनी हड्डी तक दान में दे सकें ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—अध्यक्ष महोदय, उधर से नहीं हुआ तो उन लोगों को समय नहीं देना चाहिये बल्कि इधर के लोगों को समय देना चाहिये ।

श्री शारदाभक्त सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने सब बातें सुनीं । जो भी प्रश्न मैंने सत्तारूढ़ दल के सामने रखे थे, मुझे लगता है कि एक प्रश्न पर भी विचार नहीं किया गया । एक बात उधर से कही गई है कि किसानों की दशा तो सुधर गई है और वे मालामाल हैं । मैं

[श्री शारदाभक्तसिंह]

चाहता हूं कि इस बात को वे कहें ताकि गरीब किसान यह समझ सकें कि उनका उनके बारे में क्या विचार है । यह भी कहा गया कि यह योजनाओं के दिन हैं इसलिये तप करना चाहिये, तपस्या करनी चाहिये और दान देना चाहिये । बड़ा अच्छा उपदेश है और मैं समझता हूं कि इस योजना के समय में अगर कांग्रेस की ओर से यह आदर्श देश के सामने प्रस्तुत किया गया होता तो आज रुपये की कमी न होती । फिजूल खर्च न हुई होती । खुद मिनिस्ट्री में ५०-५० आदमी मिनिस्टर हैं और फिजूलखर्ची हो और ऐश आराम करें और देश को यह उपदेश दिया जाय कि आधे पेट रह कर तपस्या करो और इस देश का निर्माण करो । मैं चाहता हूं कि यह आदर्श देश के सामने उपस्थित हो परन्तु हमारे मिनिस्टर महोदय भी अपने खर्चों में कमी करें और देश के सामने उस रूप में आवें ताकि लोगों में उत्साह पैदा हो और लोग आगे बढ़ सकें । लेकिन स्थिति कुछ और ही है । आज जो भूखे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि भूखे रहो और जो मालामाल हैं उन्हें मालामाल किया जा रहा है । कहां से पैसा आवे । जिन के पास कर देने की क्षमता नहीं है शक्ति नहीं है उन पर ही टैक्स लगाया जा रहा है और जिनके पास शक्ति है क्षमता है उनसे कर नहीं लिये जा रहे हैं । क्या मिल मालिकों के पास पैसा नहीं है ? उनसे आपको कर और लेना चाहिये । गरीब लोगों पर इस तरह से, किसानों पर इस तरह से आप कर लगाकर उनकी क्रय शक्ति घटा रहे हैं और उनके साधनों को समाप्त कर रहे हैं तो इस तरह से कभी उन्नति नहीं हो सकती । आपकी सारी योजनायें विफल होंगी और हो भी रही हैं । गांव में जाकर देखें कि वहां लोग क्या सोच रहे हैं । सारी योजनाओं के आधार काश्तकार हैं, लेकिन उसी की हालत खराब हो रही है । इसलिये मैं कहता हूं कि आज इस प्रश्न पर सरकार को विचार करना चाहिये । आपने जमींदारी उन्मूलन के समय जो वायदे किये थे, काश्तकारों से, उस पर आप विचार कीजिये । आज आप उनसे मुंह मोड़े हुये हैं । जो सेलेक्ट कमेटी उस समय बनायी गयी थी उसने यह स्पष्ट लिखा है कि जो जमीन जोतता है असली मुनाफा उसी को मिलना चाहिये । आज आप उस कानून में एक भी पैसा छूट का नहीं दे रहे हैं ।

मैंने आपको आंकड़े दिये आज आपके यहां बिहार और पंजाब के मुकाबले में लगान दूगना है । आप इस पर विचार कीजिये कि वह क्यों है ? आज जो लगान है उसे काश्तकार सहन नहीं कर सकता । आज उसकी सहन शक्ति समाप्त हो रही है । जन संघ ने बराबर ८-१० वर्षों से यह मांग की है कि उनका लगान कम किया जाय । इसके लिये आज भी यह कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी न चैन से बैठेगी, न आपको बैठने देगी ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे भाई श्री शारदाभक्त सिंह जी ने पेश किया है भारतीय जन संघ की तरफ से, वह बड़ा रोचक और बड़ा एट्रेक्टिव है । जिन युक्तियों के साथ हमारे भाई ने अपना प्रस्ताव रखा वे ऐसी थीं कि उसने माननीय भीखालाल जी को भी फंसाया, स्वतंत्र पार्टी को भी फंसाया, कम्युनिस्ट पार्टी को भी फंसाया, पी० एस० पी० को भी फंसाया, और एस० पी० को भी फंसाया ।

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के दो हिस्से हैं । एक हिस्सा बड़ा रोचक है, जिसमें कहा गया है कि आधी मालगुजारी कर दी जाय । ठीक है, जो भी सुनेगा बड़ा खुश होगा । दूसरे हिस्से में कहा गया है कि सब को भूमिधर बना दो । यह हिस्सा बड़ा खतरनाक है । १० वर्ष हो गये जमींदारी जब्त हुये । जिस कमेटी का बार-बार जिक्र किया गया है, उसने यह तय किया था कि ट्रांसफरेबिल राइट्स देना खतरे से खाली नहीं है । तो एक लिमीटेशन लगायी गयी थी कि जो १० गुना लगान जमा कर दे उसको भूमिधरी के राइट्स दे दिये जायं । जो खुशहाल थे उन्होंने वह जमा कर दिया और उन्हें वह राइट्स मिल गये, बकिया को नहीं । हमारे राजा लोग, जो यहां बैठे हुये हैं, राजा मनकापुर, राजा जोधपुर वगैरह, वे चाहते हैं कि किसी तरह सबको भूमिधरी के राइट्स यूं ही मिल जायं ताकि वे उनसे जमीनों को खरीद लें । (हंसी) दूसरे लैंडलेस हो जायं । यह नहीं हो सकता । अगर आज हम उनको

भूमिधरी के राइट्स दे दें तो यह सारी भूमि राजाओं के हाथों में चली जायगी, हमारे भाई कल्पनाथ सिंह जी, माननीय भोखालाल जी, और माननीय उपसेन जो जरा समझें इस बात को । मैं इस बात को, उनकी चाल को, अच्छी तरह समझता हूं । मैं जानता हूं कि इसमें क्या पेंच है । आप इस पर जरा गौर तो करें ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, मैं आंकड़े पेश नहीं करूंगा .....जो तह की बातें हैं वह कहना चाहता हूं । रेवेन्यू ग्रांट जब पेश हुई तो स्वतंत्र पार्टी के भानुप्रताप सिंह और भोखालाल में गठबन्धन हो गया ।

एक सदस्य—अच्छी बात है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, आज सातों भांवरें पड़ गयीं । और भी कइयों से वह गठबन्धन करेंगे, क्योंकि एक जगह मुस्तकिल रहना पसन्द नहीं करेंगे । इसलिये हमको और शक होता है । जब सीलिंग ऐक्ट पेश हुआ तो भोखालाल जी ने साढ़े सात एकड़ या बारह एकड़, मुझे ठीक याद नहीं, यह सीलिंग रखी और श्रीपाल जी ने जो दूसरी पार्टी में थे उन्होंने कहा कि ५० एकड़ होनी चाहिये । तो साढ़े छः एकड़ और ५० एकड़ में कितना अन्तर है, यह आप समझ सकते हैं । राजा साहब मनकापुर तो राजा साहब जौनपुर के साथ चले आये हैं, लेकिन वहां पुराने लोग मौजूद हैं, उनके मशविरे से ५० एकड़ रखा गया । राजा मनकापुर से भी भोखालाल का संगठन है । तो ५० एकड़ वालों से संगठन शक पैदा करता है, ससपोशन पैदा करता है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—खुद ही सवाल, खुद ही जवाब !

श्री हुकुमसिंह विसेन—समझने वाले की मौत है । मैं समझा सकता हूं, समझ नहीं दे सकता । मेरे पास थोड़ी है जो समझना नहीं चाहता है उसे क्या समझाया जाय और जो समझता है वह अपनी जगह पर हैरान है कि यह कैसा प्रस्ताव है, जैसा कि हमारे भाई ने कहा ।

श्री अध्यक्ष—सदन का समय सवा पांच बजे तक बढ़ाया जाता है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं यह कहता हूं कि जो स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ पार्टी जिसमें जमींदार, ताल्लुकेदार मौजूद हैं, ये जनता के दुश्मन हैं । मैं तो ऐसा ही कहता हूं, वह सही हो या न हो । आप समझते हैं कि आप जनता के दोस्त हैं, मैं जनता का दुश्मन हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि वजह क्या है । हम चाहते हैं कि प्लानिंग हो, देश तरक्की करे, गरीब जनता की हालत बेहतर हो । हमारा यही प्रयास है, उसके लिये हमारे बजट में कमी है, उसको पूरा करना चाहते हैं जो कि मौजूदा आमदनी से पूरा नहीं हो सकती । आपका प्रयास यह है कि प्लानिंग कामयाब न हो । लेकिन सीधे-सीधे तो कह नहीं सकते, वोट मांगने जाना है, इसलिये एक तरफ कहते हैं कि मालगुजारी आधी कर दो, इनकम सब की कम कर दो, ऐसा कर देने से क्या होगा ? रिसोर्सेज कम होने से प्लान का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगा तो जनता की हालत बेहतर न हो सकेगी, लोग गरीब के गरीब ही रहेंगे, हुकुम के पाबन्द रहेंगे । जमींदारी खत्म हो गयी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि गोंडे में वही आतंक है । भाई शारदाभक्त सिंह तो गोंडा से बहुत दूर हरदोई के रहने वाले हैं ? यहां कैसे चक्कर में पड़ गये ? इतने समझदार आदमी होकर ऐसा रेजोल्यूशन लाने की क्या जरूरत थी । लेकिन लाये भारतीय जनसंघ के नाम से, अपने नाम से थोड़े ही लाये हैं । वह समझते हैं कि भारतीय जनसंघ की गत नीति है, इसलिये उसी के नाम से पेश किया, अपने नाम से नहीं पेश किया ।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सब तरकीबें हैं, इनमें हमको फंसना नहीं है । हमारे रसिोर्सेज वैसे ही कम हैं । अगर अनइकानामिक होल्डिंग की बात की जाय तो १६–१७ करोड़ रुपया मालगुजारी का छूट जायगा और रेवेन्यु साढ़े तीन, चार करोड़ रह जायगा । बड़ी

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

लायबिलिटीज हैं, शारदाभक्त सिंह जी ने खुद कहा है। उन्होंने हिसाब अच्छा बिठाया जोड़ कर कि ५० फीसदी आय ले लीजिये और ५० फीसदी छोड़ दीजिये, लेकिन वह राजा साहब से पूछें, उनकी बगल में ही वह बैठे हैं, कि वह बांड्स तो नहीं कैश करायेंगे। अगर सभी राजा लोग और साहूकार लोग अपने-अपने बांड्स वापिस कर दें तो हम भी कम करने की बात सोचें। मैं दावे के साथ यह बात कहता हूं। (व्यवधान) हमारे कल्पनाथ सिंह जी ने और महादेव प्रसाद जी ने कहा कि सरकार चली जायगी। यह कौन-सा तरीका कहने का है? इस तरह से कौन लोग कोसते हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहता। भानुप्रताप जी ने कहा कि टैक्स जो है "दैट कैननाट बी टालरेटेड"। भला जोश तो आया, अगर अंग्रेजी सरकार न गई होती तो यह जोश कैसे आता। अब तो सभी के जोश हैं। और हमें खुशी भी है कि नौजवानों में इतना जोश तो पैदा हुआ। हमारे पांडेय जी ने बड़ी चतुराई से प्रतिज्ञा को फास्ट टु दि कैरेसिटी करेंगे, आमरण नहीं करेंगे। फास्ट टु दि डेथ कीजिये, तो हम भी आपकी हिम्मत देखें। एक दिन व्रत रह जायेंगे फल वगैरह खाकर। बहरहाल हम इससे डरने वाले नहीं हैं। आपको जो करना है वह कीजिये, हम तो जनता का काम करेंगे, करेंगे और करेंगे। उन्होंने हमको आदेश दिया है कि हम उनके हित की बात करें। एलेक्शन के टाइम पर हमने उनके सामने सारी प्लानिंग की बातें रख दी थीं, जिसका उन्होंने एप्रूवल दे दिया है, अब हमारा कर्त्तव्य है कि उसका हम पालन करें। जो भी रुकावटें आयेंगी उनका हम सामना करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय कल्पनाथसिंह जी और भोखालाल जी अपने अमेंडमेन्टस् को वापिस ले लेंगे और शारदाभक्त सिंह जी के जाल में नहीं फसेंगे और मैं शारदाभक्त सिंह जी से भी कहना चाहता हूं कि वह जनसंघ के चक्कर में क्यों पड़ गये। वह अपने प्रस्ताव को वापिस कर लें, यह मेरी उनसे दरख्वास्त है।

श्री अध्यक्ष—अब मैं आपके सामने प्रस्ताव रखता हूं। अगर मूल प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया तो जो उससे संबंधित संशोधन हैं वह भी गिर जायेंगे।

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश के समस्त किसानों का लगान आधा किया जाय तथा सभी किसानों को भूमिधरी अधिकार दिये जायं।

श्री कल्पनार्थसिंह—अध्यक्ष महोदय, वोटिंग लाबी में होना चाहिये। क्लीयर डिवीजन मांगता हूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अगर लाबी में वोटिंग हो तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—सीक्रेट वोटिंग करा लिया जाय तो बहुत से उधर के मेम्बर प्रस्ताव को सपोर्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष—सीक्रेट वोटिंग का कोई सवाल नहीं है। लाबीज तो सबके लिये खुली हुई हैं।

(कुछ ठहरकर)

डिवीजन स्वीकार किया जाता है। जो "हां" के लिये हैं वे इस तरफ "हां" की लाबी में जावें और जो "नहीं" के हैं वे उस तरफ, "नहीं" की लाबी में जावें।

जब तक यह प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है तब तक के लिये सदन का समय बढ़ाया जाता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्न रूप से विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ।)

पक्ष में—९८

अब्दुल हसीब खां, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फत सिंह, श्री
ऊदल, श्री
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
काशीनाथ, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गयाप्रसाद मेहरात्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गेंदासिंह, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रबली, श्री
जगदीश, श्री
जगन्नाथ, श्री
जुगलकिशोर, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट राम, श्री
टम्बेश्वरी प्रसाद, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
दयाराम, श्री
दुर्योधन, श्री
दौलतलाल, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नाथूराम शिक्षक, श्री
परमाई, श्री
पितई राम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
बंशीलाल, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बेचनराम, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महादेव, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मेघनार्थसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
यादवेन्द्रदत्त, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनार्थसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपालसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम, श्री
रामग्रासरे, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री
(उपनाम चौबे)

लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
श्रीराम, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुरजन, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हेतराम, श्री
होरीलाल यादव, श्री

विपक्ष में—१६५

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त ,श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गैंदादेवी, श्रीमती
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चन्नीलाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगन्नाथ, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काज़ी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जंगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री

द्वारकाप्रसाद पांण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नवलकिशोर, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
पीतमसिंह, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त ,श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी ,श्रीमती
बैचनराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
भगवानदीन श्री
मंगलसिंह, श्री (देवरिया)
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मूरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री

सुखलाल, श्री (इटावा)
सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरोदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

(इसके बाद सदन ५ बजकर २१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२ अगस्त, १९६२।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न--७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४१ पर)

टिड्डी-आक्रमण से प्रभावित ग्रामों के नाम

अप्रैल, १९६२

१--शाहजहांपुर
२--हरदोई
३--खीरी
४--फर्रुखाबाद
५--बरेली
६--उन्नाव

मई, १९६२

१--मथुरा
२--मुजफ्फरनगर
३--सहारनपुर
४--मेरठ
५--आगरा
६--अलीगढ़
७--मैनपुरी
८--इटावा
९--कानपुर
१०--जालौन
११--बांदा
१२--बुलन्दशहर
१३--शाहजहांपुर
१४--हरदोई
१५--इलाहाबाद
१६--बदायूं
१७--लखनऊ
१८--फतेहपुर
१९--फर्रुखाबाद
२०--उन्नाव
२१--प्रतापगढ़
२२--रायबरेली
२३--मिर्जापुर
२४--मुरादाबाद
२५--एटा
२६--जौनपुर
२७--बरेली
२८--वाराणसी

जून, १९६२

१--मुजफ्फरनगर
२--मेरठ
३--आगरा
४--मथुरा
५--मैनपुरी
६--इलाहाबाद
७--रायबरेली
८--मिर्जापुर
९--मुरादाबाद
१०--देहरादून
११--फैजाबाद
१२--फतेहपुर
१३--जालौन
१४--बांदा
१५--जौनपुर
१६--झांसी
१७--हमीरपुर
१८--उत्तरकाशी
१९--बुलन्दशहर
२०--शाहजहांपुर
२१--हरदोई
२२--बदायूं
२३--लखनऊ
२४--फर्रुखाबाद
२५--प्रतापगढ़
२६--एटा
२७--अलीगढ़
२८--इटावा
२९--कानपुर
३०--वाराणसी
३१--गाजीपुर
३२--देवरिया
३३--आजमगढ़
३४--बलिया
३५--गोरखपुर
३६--बाराबंकी
३७--सीतापुर
३८--बस्ती
३९--गोंडा
४०--अलमोड़ा
४१--गौड़ी-गढ़वाल
४२--सुल्तानपुर
४३--बहराइच
४४--सहारनपुर

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६१ पर]

मथुरा जिले के छाता क्षेत्र में सन् १९६१–६२ में हुए कत्ल व डकैतियां

१९६१ में पड़ी डकैतियां

क्रम-सं०	दिनाँक घटना	घटना की जगह
१	२२/२३–१–६१	कोसी टाउन, था० कोसी कलाँ।
२	२४–२–६१ ..	लोहरबारी, था० बरसाना
३	२१/२२–६–६१	गांगराल, था० शेरगढ़।
४	५/६–७–६१ ..	बहेटा, था० शेरगढ़
५	८/९-७-६१ ..	सरोली, था० छाता
६	१३/१४-७-६१	मई, था० छाता।
७	१३/१४-११-६१	नौगाँव, था० छाता
८	२६-११-६१ ..	श्रीनगर, था० बरसाना।
९	३०/३१-१२-६१	धौरागढ़, था० कोसीकलां।

१९६२ में (अप्रैल तक) पड़ी डकैतियां

क्रम-सं०	दिनाँक घटना	घटना की जगह
१	१२/१३–१–६२	देवपुरा, था० बरसाना।
२	२४/२५–२–६२	सकेत, था० बरसाना।
३	२५/२६–२–६२	पिलोरा, था० छाता।
४	२६/२७–२–६२	फालेन, था० कोसीकलाँ।
५	२०-२-६२ ..	विशम्बरा, था० शेरगढ़।
६	१/२-४-६२	कामर, था० कोसीकलाँ।

१९६१ में हुए कत्ल

१	१९-१-६१ ..	गिदौली, था० कोसीकलाँ।
२	२३/२४-५-६१	कोसी टाउन, था० कोसीकलाँ।
३	२९-७-६१ ..	कोसी टाउन, था० कोसीकलाँ।
४	१०-८-६१ ..	सांखी, था० बरसाना
५	२१-११-६१ ..	सेई, था० छाता।

१९६२ में (अप्रैल तक) हुए कत्ल

१	२-१-६२ ..	सिमरा, था० शेरगढ़।
२	२९/३०-१-६२	सामरा, था० छाता।
३	१९-३-६२ ..	ज्वाली, था० शेरगढ़।
४	१२-४-६२ ..	कोसी कलां, था० कोसीकलां।

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३६ (२) के अन्तर्गत ताराँकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६४ पर]

तालिका 'क'

आजमगढ़ के उन फर्मों का नाम जो परशियन ह्वील (रहट) बनाने का कार्य करती हैं :

१—सर्वश्री राकेश आयरन ऐंड स्टील वर्कस, आजमगढ़।
२—सर्वश्री लक्ष्मी राम बेनीमाधव प्रसाद, फूलपुर, आजमगढ़।
३—सर्वश्री लौह कला उद्योग सहकारी समिति, मलनापुर गरारी, आजमगढ़।
४—सर्वश्री धीरेन्द्र कुमार ऐंड कम्पनी, फूलपुर, आजमगढ़।
५—श्री विरजू प्रसाद सेठ, मेहनगर, आजमगढ़।
६—श्री राम पूज्य राम, रानी की सराय, आजमगढ़।
७—सर्वश्री जयसवाल आयरन फाउन्डरी, फूलपुर, आजमगढ़।
८—सर्वश्री आजमगढ़ एग्रीको इन्डस्ट्रीज, आजमगढ़।

तालिका 'ख'

आजमगढ़ की उन फर्मों का नाम जिनको परशियन ह्वील (रहट) बनाने के लिये कोटा दिया जाता है :

१—सर्वश्री राकेश आयरन ऐन्ड स्टील वर्क्स, आजमगढ़।
२—सर्वश्री लक्ष्मी राम बेनी माधव प्रसाद, फूलपुर, आजमगढ़।
३—सर्वश्री लौह कला उद्योग सहकारी समिति, मलनापुर गरारी, आजमगढ़।
४—सर्वश्री आजमगढ़ एग्रीको इन्डस्ट्रीज, आजमगढ़।

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३९–४० का उत्तर पीछे पृष्ठ २६५ पर]

अवधि	जिला हमीरपुर		जिला बाँदा	
	हत्या	डकैती	हत्या	डकैती
१९६०	४४	२२	३४	५
१९६१	५४	१६	५२	१३
१९६१ (जून तक) ..	२१	११	२८	७
१९६२ (जून तक) ..	४०	२९	२३	१

नत्थी 'ङ'

(देखिये नियम ३६ (२) के अन्तर्गत ताराँकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६५ पर)

पंचायत राज विभाग के १०५ लिपिकों की सूची जो १ अप्रैल, १६५५ के बाद नियोजन विभाग में स्थानान्तरित किये गये

नाम जिला नियोजन कार्यालय	संख्या	जिले का नाम जहाँ से नियोजन विभाग में स्थानान्तरित किये गये।
१—बदायूं	२	स्थानीय
२—शाहजहाँपुर	१	स्थानीय
३—मुजफ्फरनगर	१	स्थानीय
४—मेरठ	३	स्थानीय
५—पीलीभीत	४	स्थानीय
६—अलीगढ़	३	स्थानीय
७—इटावा	३	स्थानीय—परन्तु ये कुछ ही समय बाद पंचायत राज विभाग को वापस कर दिये गये।
८—कानपुर	१	स्थानीय
६—फतेहपुर	१	स्थानीय
१०—इलाहाबाद	३	स्थानीय
११—बाँदा	३	स्थानीय
१२—झांसी	२	स्थानीय
१३—जालौन	६	५ स्थानीय, १ प्रतापगढ़ से
१४—वाराणसी	५	स्थानीय
१५—मिर्जापुर	४	३ स्थानीय, १ बलिया से
१६—जौनपुर	६	स्थानीय
१७—गाजीपुर	२	स्थानीय
१८—बलिया	२	स्थानीय—किन्तु शीघ्र ही पंचायत राज विभाग वापस कर दिये गये।
१६—गोरखपुर	१	स्थानीय
२०—बस्ती	३	स्थानीय
२१—नैनीताल	२	स्थानीय
२२—गढ़वाल	६	७ स्थानीय, २ टेहरी-गढ़वाल से
२३—टेहरी गढ़वाल	१	स्थानीय

नाम जिला नियोजन कार्यालय		संख्या	जिले का नाम जहां से नियोजन विभाग में स्थानान्तरित किये गये
२४—लखनऊ	.. ..	८	स्थानीय
२५—रायबरेली	.. ..	५	स्थानीय
२६—सीतापुर	.. ..	१	स्थानीय
२७—हरदोई	.. ..	१	स्थानीय
२८—खीरी	.. ..	५	स्थानीय
२९—फैजाबाद	.. ..	८	स्थानीय
३०—बहराइच	.. ..	१	स्थानीय
३१—सुल्तानपुर	.. ..	१	स्थानीय
३२—प्रतापगढ़	.. ..	१	स्थानीय
३३—बाराबंकी	.. ..	२	स्थानीय
३४—चमोली	.. ..	२	पौड़ी-गढ़वाल से
३५—पिथौरागढ़	.. ..	२	१ स्थानीय, १ नैनीताल से
	योग ..	१०५	

सत्यमेव जयते

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६८ पर)

No. F-25/29/56-Ests. (A)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-2, the 28th August, 1957.

OFFICE MEMORANDUM

Subject—**Observance of courtesies by officers of the Government of India in their dealings with Members of Parliament.**

It has been brought to the notice of the Government by certain Members of Parliament that instances have occurred in which Members of Legislatures have not been accorded by Government officers the consideration and regard which their position in the public life of the country requires. Government of India have no doubt that lapses, if any, in this respect cannot be intentional, and that there is no desire to be discourteous or rude. Nevertheless, Government of India would like to remind all officers that due courtesy and regard to the representatives of the people are desirable in the larger interests of the country. The Members of Parliament have important functions to perform under the Constitution and it should be the endeavour of every officer to help them to the extent possible in the discharge of their functions. In cases, however, when officers are unable to accede to the request or suggestion of Members of Parliament, the reasons for the officers' inability to do so should be courteously explained to them. For purposes of interview, Members of Parliament should be given preference over other visitors, and in the very rare cases where an officer is unable to see a Member of Parliament at a time about which he had no previous notice, the position should be politely explained to the Member and another appointment fixed in consultation with him. The same courtesy and regard should be shown to Members of Legislatures attending public functions where, in particular, seats befitting their position should be reserved for them.

2. Ministry of Finance, etc. are requested to bring these instructions to the notice of all concerned.

(Sd.) P. SITARAMAN,
Deputy Secretary to the
Government of India.

Copy of the letter no. 25/29/56-Ests. (A), dated the 24th May, 1958/3rd Jyaistha, 1880, from the Under Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs, to the Chief Secretaries to all State Governments.

Subject—**Observance of courtesies by officers of the Government of India in their dealings with Members of Parliament.**

I am directed to forward for the information of the State Government a copy of this Ministry's Office Memorandum no. F-25-29-56-Ests. (A), dated the 28th August, 1957, on the subject mentioned above.

उत्तर प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या ६६-आर/तीन-१९५८

दिनाँक लखनऊ, ७ जुलाई, १९५८

प्रतिलिपि, संलग्न-पत्र की प्रतिलिपि सहित, उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष को सूचनार्थ तथा पथ-प्रदर्शन के लिये भेजी जाती है।

संख्या ६६ (१)-आर/तीन-१९५८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ भेजी जाती है:

(१) गवर्नर के सचिव,
(३) समस्त मन्त्रियों के वैयक्तिक सहायक,
(२) समस्त उपमन्त्री तथा सभासचिव,
(४) सचिवालय के समस्त विभाग।

आज्ञा से,
स्वतंत्र वीर सिंह जुनेजा,
अनु-सचिव।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६६ पर)

तालिका

तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगने वाले बड़े कारखानों के सम्बन्ध में सूचना

सार्वजनिक क्षेत्र—

क्रम-संख्या	कारखाने का नाम व स्थान	अपेक्षित पूंजी अनुमानित	उत्पादन	अनुमानित रोजगार की संख्या	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
१	हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार।	५० करोड़ ०	बिजली का सामान	सही संख्या प्रदेशीय सरकार को ज्ञात नहीं है फिर भी इतना विदित है कि इनमें सहस्रों व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।	
२	ऐन्टी बायटिक्स फैक्ट्री, ऋषीकेश।	१५ करोड़ ०	पेन्सिलीन, स्ट्रेप्टोमाइसीन आदि दवाएं		
३	फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री, गोरखपुर।	अनुमानित सूचना उपलब्ध नहीं है।	खाद।		
४	डिजिल लोकोमोटिव मैनूफैक्चरिंग फैक्ट्री, वाराणसी।	,,	रेलवे इंजन्स		
५	रिफ़्रेक्टरी फैक्ट्री, चुर्क..	८४ लाख ०	रिफ़्रेक्टरी का सामान	७२५ व्यक्ति	
६	आप्टिकल इन्स्ट्रूमेन्ट्स फैक्ट्री, लखनऊ।	३९लाख रु०	आप्टिकल इन्स्ट्रूमेन्ट्स	लगभग ४८० व्यक्ति।	

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७१ पर)

राजकीय आयुर्वेदिक एक यूनानी चिकित्सालयों की सूची (क)

क्रम-संख्या	जिले का नाम	चिकित्सालय संख्या		योग
		आयुर्वेदिक	यूनानी	
१	आगरा	९	१	१०
२	इलाहाबाद	१०	२	१२
३	अलीगढ़	९	२	११
४	अल्मोड़ा	११	०	११
५	बांदा	९	१	१०
६	बरेली	७	२	९
७	गाजीपुर	१०	३	१३
८	बिजनौर	७	२	९
९	बुलन्दशहर	१२	१	१३
१०	बलिया	१५	२	१७
११	बदायूं	६	२	८
१२	बस्ती	१५	३	१८
१३	बहराइच	१२	२	१४
१४	बाराबंकी	६	५	११
१५	देहरादून	११	०	११
१६	देवरिया	१२	१	१३
१७	एटा	८	१	९
१८	इटावा	८	१	९
१९	फर्रुखाबाद	७	३	१०
२०	फैजाबाद	९	१	१०
२१	गोरखपुर	१५	२	१७
२२	गढ़वाल	१०	०	१०
२३	हमीरपुर	१२	२	१४
२४	हरदोई	९	३	१२
२५	जालौन	८	२	१०
२६	झांसी	१२	०	१२
२७	जौनपुर	८	३	११

क्रम-संख्या	जिले का नाम	चिकित्सालय संख्या		योग
		आयुर्वेदिक	यूनानी	
२८	खीरी	८	१	९
२९	कानपुर	८	२	१०
३०	लखनऊ	४	४	८
३१	मेरठ	१०	२	१२
३२	मुरादाबाद	५	३	८
३३	मथुरा	१४	०	१४
३४	मिर्जापुर	१४	२	१६
३५	मुजफ्फरनगर	६	१	७
३६	प्रतापगढ़	९	२	११
३७	नैनीताल	८	०	८
३८	पीलीभीत	७	१	८
३९	रायबरेली	६	२	८
४०	रामपुर	२	३	५
४१	सीतापुर	९	३	१२
४२	सुल्तानपुर	११	२	१३
४३	सहारनपुर	९	४	१३
४४	शाहजहांपुर	५	३	८
४५	टिहरी-गढ़वाल	३२	०	३२
४६	उन्नाव	८	१	९
४७	वाराणसी	२९	१	३०
४८	फतेहपुर	६	१	७
४९	आजमगढ़	१६	४	२०
५०	गोंडा	१०	२	१२
५१	मैनपुरी	१०	१	११
५२	चमोली	११	०	११
५३	पिथौरागढ़	१०	०	१०
५४	उत्तरकाशी	१३	०	१३
	वृहत् योग ..	५४७	९२	६३९

उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के निजी भवनों की सूची (ख)

१—इलाहाबाद	..	४	१९—फैजाबाद	..	१
२—अलीगढ़	..	२	२०—गढ़वाल	..	२
३—आजमगढ़	..	४	२१—जौनपुर	..	१
४—अल्मोड़ा	..	१	२२—खीरी	..	२
५—बलिया	..	१	२३—मनपुरी	..	२
६—बाराबंकी	..	३	२४—मेरठ	..	४
७—बस्ती	..	३	२५—मथुरा	..	२
८—बुलन्दशहर	..	४	२६—मिर्जापुर	..	३
९—बिजनौर	..	३	२७—मुजफ्फरनगर	..	२
१०—बांदा	..	१	२८—नैनीताल	..	१
११—बहराइच	..	२	२९—पीलीभीत	..	२
१२—वाराणसी	..	१०	३०—रामपुर	..	३
१३—चमोली	..	१	३१—रायबरेली	..	२
१४—देहरादून	..	४	३२—सीतापुर	..	१
१५—देवरिया	..	२	३३—उन्नाव	..	७
१६—एटा	..	१	३४—उत्तरकाशी	..	१
१७—इटावा	..	३	३५—टेहरी-गढ़वाल	..	११
१८—फर्रुखाबाद	..	३			
			योग	..	९९

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७२ पर)

तालिका 'क'

झांसी जिले में उद्योग विभाग के उपक्षेत्रीय कार्यालय तथा जिला कार्यालय पर पिछले तीन वर्षों में निम्नांकित खर्चा हुआ

क्रम-संख्या	वर्ष	खर्च की मद	उपक्षत्रीय कार्यालय पर व्यय	जिला उद्योग कार्यालय पर व्यय
१	१९५९—६०	वेतन	२९,२७८.५३	१२,९२२.००
		टी० ए०	५,१६९.०१	१,३४०.००
		डी० ए०	८,१६३.२८	५,४५५.००
		मकान का किराया	८३०.००	८००.००
		कार्यालय खर्चा	७,६४३.६८	१,०४०.००
		फर्नीचर	..	..
२	१९६०—६१	वेतन	२८,९०३.९०	१४,२२८.००
		टी० ए०	६,४११.१४	१,६११.००
		डी० ए०	१०,५९२.२१	६,२९१.००
		मकान का किराया	८०२.५०	१,२२०.००
		कार्यालय खर्चा	५,१३१.८४	९१८.००
		फर्नीचर	..	..
३	१९६१— ६२	वेतन	३०,८२४.७५	१४,५०४.००
		टी० ए०	८,२४०.१४	२,४७८.००
		डी० ए०	११,२६७.२०	६,०१४.००
		मकान का किराया	९००.००	१,०४०.००
		कार्यालय खर्चा	५,६३३.७०	१,००७.००
		फर्नीचर	..	..

इन तीन वर्षों में क्षेत्रीय कार्यालय में २ अधिकारी एवं क्रमशः २३, २५ और २३ कर्मचारी एवं जिला कार्यालय में १ अधिकारी और क्रमशः १५, १४ और १६ कमचारी कार्य करते थे ।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७२ पर)

तालिका 'ख'

१९६०–६१—

(१) १० सितम्बर, १९६० की बैठक में यह निर्णय हुआ कि ऋण का रुपया बैंक अथवा डाकखाने में ऋण लेने वाले की सुविधा से जमा कर दिया जाय जिससे कि वह ठीक से व्यय हो। यह भी निर्णय हुआ कि रुपया २ किस्तों में दिया जाय।

(२) २ नवम्बर, १९६० की बैठक में यह निर्णय हुआ कि झांसी डिवीजन में एक सर्विस इन्स्टिट्यूट टेकनिकल सलाह देने के लिये खोलने की सिफारिश की जाय।

(३) इन बैठकों में १,४०,००० रुपया ऋण ७५ औद्योगिक इकाइयों में वितरित करने की स्वीकृत दी गई।

१९६१–६२—

(१) २६ सितम्बर, १९६१ की बैठक में यह निर्णय हुआ कि अच्छे उद्योगों की सूची तैयार की जाय जो जिले में चलाई जा सकती है।

(२) इस बैठक में यह भी राय हुई कि ऋण ग्रहीता एवं जिला उद्योग अधिकारी का सम्मिलित लेखा खोला जाय तथा अप्रयोगिक ऋण के उचित प्रयोग के लिये सही कदम उठाया जाय और पूर्व दिये हुये ऋण के समुचित प्रयोग के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(३) १९६१–६२ में ३२ इकाइयों को ४०,००० रुपये वितरित करने की स्वीकृत दी गई।

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७३ पर)

तालिका

तालिका जिसमें १ जुलाई, १९६२ को न्योली तथा बिलारी चीनी मिलों पर किसानों के गन्ने का मूल्य जो १९६०–६१ व १९६१–६२ का बकाया था उसका विवरण दिया हुआ है

चीनी मिल का नाम	शेष गन्ने की कीमत	
	१९६०–६१ सीजन	१९६१–६२ सीजन
(१) न्योली चीनी मिल	रु० १३,८२५.४४	रु० १५,९०५.७१
(२) बिलारी चीनी मिल	कुछ नहीं	रु० १२८.९५

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९–६० का उत्तर पीछे पृष्ठ २७४ पर)

घटना का विवरण

दिनांक २५–७–६१ को जिला बरेली, थाना कोतवाली, ग्राम ूरे कप्तान के निवासी श्री ंचम ने यह रिपोर्ट की कि उसने मुन्शीगंज ुल के पास लगभग ११ वर्ष की एक लड़की का शव ेखा है। इसी आधार पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मृतक के मुंह में एक बनियान ठूंसी हुई पाई गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। जांच में यह पाया गया कि मुहल्ला बिरहना, लखनऊ का निवासी दुखहरन तथा उसके दो साथी मृतक का अपहरण कर मौजा पासापुर, थाना कोतवाली, जिला रायबरेली में उसे बेचने के लिए लाये थे। किन्तु सौदा न पटने के कारण उसकी हत्या कर लखनऊ वापस चले गये। इस संबंध में दुखहरन, वन्दी व कृष्णकुमार नामक तीन व्यक्तियों पर धारा ३०२/३६२/३६४/३६५ भा० द० वि० के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया। सेशन जज रायबरेली ने कृष्णकुमार को सन्देह का फायदा देकर छोड़ दिया किन्तु बाकी दोनों अभियुक्तों को मृत्यु दंड दिया।

सन् १९६१ तथा १९६२ में रायबरेली जिले में घटित अपराधों की संख्या

१९६१					१९६२ (१–१–६२ से ३०–६–६२ तक)				
डकैती	राहजनी	हत्या	चोरी	अपहरण	डकैती	राहजनी	हत्या	चोरी	अपहरण
१८	६	२६	१६०	४	७	९	२०	१०६	११

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७५ पर)

मेरठ जिले के नगरों की सूची जिनका विद्युतीकरण स्वीकृत किया जा चुका है

१—अमीनगर सराय
२—बाबली
३—धिनौली (विद्युतीकरण हो चुका है)
४—धिकौली
५—दाहा
६—रियाजानगला (विद्युतीकरण हो चुका है)
७—बेगमाबाद
८—हसनपुर कलान
९—पोथी
१०—पिरौरी
११—लावर
१२—पिराल
१३—इपचौली
१४—इदरितपुर
१५—धजूरी
१६—शाहजहानपुर
१७—बेनी खुर्द (विद्युतीकरण हुआ है)
१८—पठला
१९—निवारी
२०—किशनपुर
२१—औरंगनगर सघाना
२२—मलहेरा
२३—चूर
२४—शेखपुर
२५—सुन्दरपुर तथा भरतनगर
२६—धोलारी ।

विद्युत महा

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७९ पर)

तालिका 'क'

Copy of letter dated June 12, 1960 purported to have been written by Sri R. S. Bhadauria

---

To whom it may concern

I am going to commit suicide of my own sweet will and accord on account of certain agony within me. No person of family or freind circle is responsible for it. I am solely responsible and liable for this act, I have committed, this I can say every member of Third Class Ministerial staff especially Rs.60—4—100 scale are suppressed by their colleagues and their immediate officers. Directorate of Industries U. P., Kanpur, is manifestation of bellish behaviour, tyranny and dictatorship (Bureaucracy).

That's all.

(Sd.) R. S. BHADORIA,
18-6-60.

(Sd.) R. S. BHADORIA,
18-6-60.

On the back side

I again repeat no person of my family is responsible for my act of suicide. My corpse may be given to dissection Hall.

(Sd.) R. S. BHADORIA,
18-6-60

(Sd.) R. S. BHADORIA,
18-6-60.

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८२ पर)

नाम	वर्तमान पद	सचिवालय में तैनाती की तिथि
१—श्री बसुदेव माधव भिडे	आयुक्त तथा सचिव, वित्त विभाग व संचालक, अल्प बचत, उत्तर प्रदेश ।	२-६-१९५८
२—श्री श्रीपति	सचिव, उद्योग विभाग	१२-६-१९५७
३—श्री बसंत सिंह सेठ ..	सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य, खाद्य, तथा रसद विभाग तथा आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।	५-१०-१९५७
४—श्री अशोक सेन ..	गृह सचिव	४-१०-१९५७
५—श्री गिरिजा प्रसाद पांडे ..	सचिव, शिक्षा विभाग	२५-५-१९५६
६—श्री श्याम नारायण मेहरोत्रा	संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग	११-५-१९५९
७—श्री मोहम्मद जहीर ..	संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव शाखा संचालक, सांस्कृतिक कार्य एवं वज्ञानिक अन्वेषण विभाग, लखनऊ तथा संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग ।	१८-५-१९५७
८—श्री जय नारायण तिवारी ..	संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन एवं श्रम विभाग ।	१९-५-१९५९
९—श्री लक्ष्मण दास भार्गव ..	उप सचिव , सहकारिता विभाग एवं गन्ना विभाग ।	१६-११-१९५६
१०—श्री भरत नारायण ..	उप सचिव, वित्त विभाग	४-१-१९४९
११—श्री ज्ञान स्वरूप गुप्त ..	उप सचिव, मुख्य सचिव शाखा अतिरिक्त आयुक्त, उत्तराखण्ड डिवीजन ।	१५-६-१९५७
१२—श्री त्रिभुवन प्रसाद तिवारी ..	उप विकास आयुक्त एवं उप सचिव, योजना विभाग ।	६-४-१९५६
१३—कु० कुसुम लता मित्तल ..	उप सचिव, सिंचाई विभाग एवं विद्युत विभाग ।	३-७-१९५९

नत्थी 'त'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२०–१२१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८५ पर)

तालिका

राज्य सरकार द्वारा चालित उद्योग विभाग से संबंधित उद्योग का नाम	कुल पूंजी लागत	पिछले तीन वर्षों में आय तथा व्यय	पिछले तीन वर्षों की हानियाँ			
			आय	व्यय	हानि	लाभ
	रु०	सन्	रु०	रु०	रु०	रु०
१––राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी चुर्क, मिर्जापुर	४,६३,००,०००	१९५८–५९	२,०५,१९,६०१	१,९५,५२,८९५	..	२१,५९,८७५
		१९५९–६०	१,८०,०३,४३९	१,६९,५६,३७३	..	१५,७०,५७५
		१९६०–६१	१,६९,७९,२३०	२,०६,७४,१९७	..	११,००,८२२
२––राजकीय उप यंत्र निर्माणशाला, लखनऊ	२५,७९,०००	१९५८–५९	१८,९४,३३४	१६,०६,७०७	..	७,२२,३१३
		१९५९–६०	२३,६८,९७३	२०,२२,१३५	..	८,८२,७२९
		१९६०–६१	३०,६८,४६६	२१,०३,६५६	..	१३,६४,२८०
३––फल संरक्षण तथा डिब्बा बन्दी फैक्टरी, रामगढ़	८,०८,०८४	१९५८–५९	२,०६,६४४	२,०२,५५३	..	४,०९१
		१९५९–६०	७८,५७४	१,३२,४६८	..	३८२
		तैयार माल	१,३२,८४४			
		१९६०–६१	७०,८९८	१,६२,०१३	..	२३,७००
		तैयार माल	१,९३०,५६			

४—फल संरक्षण तथा डिब्बा बन्दी फैक्टरी, फूलबाग, नैनीताल ।	३,४२,३३३	१९५८–५९	फैक्टरी का निर्माण हो रहा था ।			
		१९५९–६० तैयार माल	१४,२७५	६२,९९७	१८,५६४	
		१९६०–६१ तैयार माल	१,७२२ ५३,१९३	१,३१,४२८	२४,०५६	
५—फल संरक्षण तथा डिब्बा बन्दी फैक्टरी, डालीगंज, लखनऊ ।	१,८१,३३४	१९५८–५९	इस फैक्टरी के इस वर्ष के आंकड़े क्रम-संख्या ३ पर दी हुई फैक्टरी के आंकड़ों में शामिल है क्योंकि आय-व्ययक का लेखा पृथक नहीं बना था ।			
		१९५९–६० तैयार माल	३४,५१४ २०,६५३	५०,१५३	..	१,३३५
		१९६०–६१ तैयार माल	२३,९७४ ४०,९०५	६८,६२२	११,९५६	..

नोट—(१) १९६१–६२ का आय-व्ययक लेखा अभी नहीं बना है अतः आंकड़े १९५८–५९, १९५९–६० तथा १९६०–६१ के दिये गये हैं।
(२) लाभ की राशि हानि लाभ लेखे के आधार पर है ।

नत्थी 'थ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८५ पर)

क्रम-संख्या	विभाग	अधिकारियों की संख्या जिन्हें आय सीमा से छूट दी गई
१	नियुक्ति विभाग	१६
२	सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग ..	२
३	सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान विभाग) ..	५
४	गोपन विभाग	७
५	चिकित्सा विभाग	२
६	परिवहन विभाग	२
७	सहकारिता विभाग	१
८	पुलिस विभाग	३०
९	विद्युत विभाग	४
१०	सिंचाई विभाग	१
११	न्याय विभाग	२
१२	वित्त विभाग	४
१३	कृषि विभाग	५
१४	सूचना विभाग	२
१५	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७
१६	उद्योग विभाग	४
१७	शिक्षा विभाग	१६१
१८	नियोजन विभाग	३
१९	राजस्व विभाग	१५
२०	सहायता तथा पुनर्वासन विभाग	१
	योग ..	२७३

नत्थी 'द'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८६ पर)

जिला गाजीपुर के मरदह विरनों तथा अखनियां ब्लाक के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में लगाये गये खड़न्जों के संबन्ध में किए गए खर्च का विवरण

नाम ब्लाक	नाम गांव	खड़न्जों पर कुल व्यय	गांव सभा द्वारा किया गया खर्च		
			नकद	श्रमदान	योग
१	२	३	४	५	६
मरदह		रु०	रु०	रु०	रु०
	१--सिगेरा	६,७३२	२,६००	१,४४२	४०४२
	२--बेलसड़ी	१८७	७५	३७	११२
	३--मरदह	११,८८०	६१२५	१००५	७१३०
	४--नरवर	६१२	२५२	१२०	३७२
	५--नोनरा	६१२	२५२	१२०	३७२
	६--तिलाड़ी	१५३	६०	३३	९३
	७--पृथ्वीपुर	३०६	१५०	३६	१८६
	८--कैंकरा	३०६	१५०	३६	१८६
	९--रायपुर बाधपुर	८९८	४१७	१२५	५४२
	१०--विजौरा	१७९६	८३४	२५०	१०८४
	११--पीरी	८७७०	५०००	३२२	५३२२
	१२--रानीपुर	३०६	१५०	३६	१८६
	१३--पारा	६१२	२५०	११२	३७२
	१४--गाई	८९८	४२०	१२२	५४२
	१५--चवंर	६७३	३२५	८०	४०५
	१६--घरिहा	८९८	४००	१४२	५४२
	१७--बसवारी	५६१	२९०	४७	३३७
योग	..	३६,२००	१७७५०	४०७५	२१८२५

नाम ब्लाक	नाम गांव सभा	खड़ञ्जों पर कुल व्यय	गांव सभा द्वारा किया गया खर्च		
			नकद	श्रमदान	योग
१	२	३	४	५	६
विरनों	१—नरवतपुर	६००	४००	—	४००
	२—नेवादा	१००	१००	—	१००
	३—जयन्तीदासपुर (वमनौली)	८००	—	४००	४००
	४—लहरापुर	२,२५०	९२२	५७८	१,५००
	५—जंगीपुर	७,४७५·६५	५,५०५·६५	२२०	५,७२५·६५
	६—मौजापुर	२,४७२·३७	१,२९५·१८	१७७·१९	१,४७२·३७
	७—मुस्तफाबाद	२५०	१००	५०	१५०
	८—कलही	१,०८७·२८	४९२·२८	२२५	७१७·२८
	९—अकुजलपुर	४,००२	१,००२	१,३७०	२,३७२
	१०—सहादतपुर	२,३४५·२५	१,५२५·२५	१२०	१,६४५·२५
	योग	२१,३८२·५५	११,३४२·३६	३,१४०·१९	१४,४८२·५५
जखनियां	१—रामपुर बेलभद्र	६९९	२३३	२३३	४६६
	२—देवा	६७५	४५०	२२५	६७५
	३—जलालाबाद	८१२	४१२	४००	८१२
	योग	२,१८६	१,०९५	८५८	१९५३

नत्थी 'ध'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८६ पर)

Result of Ministerial staff Examination held on December 3, 1961

Sarvsri—

1. Ram Tirath Yadava
2. Jagdish Prasad Srivastava
3. Janardan Trivedi
4. Daya Shanker Srivastava
5. Ravindra Singh Tomar
6. Moti Singh
7. Panney Singh
8. Mahendra Pal Gupta
9. Rajendra Kumar Dixit
10. Fatehchand Jaiswal
11. Jaipal Singh
12. Kalpnath Singh
13. Yadav Prasad Saxena
14. Man Mohan Singh
15. Basdeo Singh
16. Dudh Nath Yadava
17. S. K. Mazumdar
18. Shyam Mohan
19. Harish Chandra Sharma
20. Mathura Datt Joshi
21. Hoshyar Singh Chauhan
22. Aya Singh
23. MadanLal Dhusia(Schedul Caste)
24. Abdul Hamid
25. Asif Taqi
26. D. D. Satti
27. Baldeo Prasad Thapliyal
28. Salguvir Saxena
29. Rabendra Shahi
30. Ikhan Singh
31. Jogendra Pal Nigam
32. Anand Kumar Nigam
33. Mohammad Kamil
34. Santosh Ram Pandey

Sarvsri—

35. Ram Shankar Lal Srivastava
36. Satgur Prasad.
37. Ram Das Gupta
38. Ram Shanker Singh
39. Kalika Prasad Shukla
40. Nauranji Lal Srivastava
41. Bipin Bihari Verma
42. Sheo Pratap Singh
43. Ram Chandra Srivastava
44. Om Prakash
45. Krishna Kumar Pant
46. Iqbal Ahmad Jafri
47. Girish Chandra Shukla
48. Bhoopendra Swarup Gupta
49. Syed Yaqub Ashraf
50. Vishnu Chandra Saxena
51. Krishna Pal Singh
52. Iftikhar Hussain
53. Bhim Singh
54. Virendra Kumar Saxena
55. Syed Ausaf Husain
56. Raj Bahadur Singh
57. Aridalan Singh
58. Jaintiri Prasad
59. Manohar Singh
60. Jugul Kishore Lal
61. Ranbir Kumar Singh
62. Augad Singh
63. Gyasuddin Ahmad
64. Jugul Kishore Dixit
65. Madan Mohan Srivsatava
66. Ram Milan Tiwari
67. Sant Kumar
68. Mohammad Zahir Siddiqui.

नत्थी 'न'

(देखिये ताराँकित प्रश्न १३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८७ पर)

मड़ियाहूं तहसील, जिला जौनपुर में १९६१–६२ में दी गई औद्योगिक आर्थिक सहायता के विवरण की सूची

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम व पता	उद्योग का नाम	ऋण की धनराशि (रु०)
१	श्री अब्दुल खालिक पुत्र श्री सफिर, ग्राम रनापुर, डा० गोपालपुर, जौनपुर ।	ऊनी काती व कालीन उद्योग के बिकासार्थ ।	१०००
२	श्री मुश्ताक अहमद पुत्र श्री मुसाफिर, ग्राम भाऊपुर, डा० गोपालपुर, जौनपुर ।	,, ,,	१०००
३	श्री केदार नाथ द्विवेदी, पुत्र श्री भगवान दास द्विवेदी, ग्राम जड़पुर, डा० कुतुपुर, जौनपुर ।	कंकड़ चूना उद्योग के विकासार्थ ।	२,५००
४	श्री बबऊ यादव पुत्र श्री माता प्रसाद, ग्राम– जगरनाथपुर, डा० मड़ियाहू, जौनपुर ।	टाट-पट्टी उद्योग के विकासार्थ	२०००
५	श्री बेचन राम पुत्र श्री राम बदन ग्राम– डा० गोपालापुर, जौनपुर ।	ऊनी काती व क्रालीन के विकासार्थ ।	१०००
६	श्री शेषपति मिश्रा पुत्र श्री विक्रमाजीत मिश्रा ग्राम –परियत ,डा० परियत, जौनपुर ।	,, ,,	१५००
७	श्री दयाशंकर तिवारी, पुत्र राज नरायन तिवारी, ग्राम –गहलाई, डा० सुखलालगंज, जौनपुर ।	,, ,,	२,०००
		कुल योग	११,०००

नत्थी 'प'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८७ पर)

प्रदेश में मोटर दुर्घटनाओं को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं--

१--प्रमुख एवं व्यस्त चौराहों पर गाड़ियों के सुचारु नियंत्रण के लिये ट्रैफिक पुलिस नियुक्त की गई है ।

२--उन प्रमुख सड़कों पर जो घनी आबादी के बीच होकर जाती हैं मोटर गाड़ियों की गति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

३--मोटर गाड़ियों की तेज चाल को रोकने के लिये समय समय पर अचानक चेकिंग (Checking) की जाती है । ट्रैफिक सप्ताह के द्वारा जनता से प्रार्थना की जाती है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन समुचित रूप से करें एवं सड़कों पर चलते समय तथा उन्हें पार करते समय अधिक सावधान और सतर्क रहें ।

४--प्रमुख सड़कों पर सड़क चिन्ह (Road Sign) लगा दिये गए हैं ।

५--नगरों की प्रमुख सड़कों पर एक तरफा यातायात का प्रबन्ध किया जाता है ।

६--मोटर गाड़ियों की गति पर नियंत्रण रखने के लिये अधिक कड़ाई से जांच की जाती है ।

७--परिवहन विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं कि प्रत्येक परिवहन गाड़ी की सामने वाली दोनों बत्तियों के ऊपरी आधे भाग अपारदर्शक काले रंगों से रंग होने चाहिये ।

यदि उपर्युक्त कार्यवाही प्रभावशाली न सिद्ध हुई तो अन्य कार्यवाही करने के बारे में विचार किया जायगा ।

नत्थी 'फ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७२–१७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९३ पर)

जिला हमीरपुर

वर्ष	कत्ल					डकैती				
	दर्ज किये गये	ट्रेसेबिल नहीं हुये	सजा-याब	मुकदमें में छूट गए		दर्ज की की गई	ट्रेसेबिल नहीं हुई	सजा-याब	मुकदमें छूट गए	
१९६०	४४	१०	१०	२४		२२	७	१०	५	
१९६१	५४	१०	१२	१४		१६	६	३	२	

नोट—सन् १९६१ में दर्ज किए गए कत्ल के ५४ मामलों में से १७ मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं तथा एक केस में जांच रोक दी गई है क्योंकि इस बारे में एक कम्पलेन्ट केस न्यायालय में दायर कर दिया गया है। सन् १९६१ में दर्ज किए गए डकैती के १६ मामलों में से ४ मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं तथा एक मामले में जांच अभी जारी है।

नत्थी 'ब'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९६ पर)

औषधालयों के लिये प्राविधान

क---आयोजना से भिन्न---

			रुपये
१---अधिकारियों का वेतन	..	..	२४,०००
२---कर्मचारियों का नेतन	..	..	१७,५८,७००
३---भत्ते और मानदेय---			
(१) यात्रिक भत्ता	..	..	२०,०००
(२) अन्य भत्ते	..	..	७,२००
४---महंगाई और रहन-सहन व्यय के प्रतिकर भत्ते		..	७,७८,७००
५---आकस्मिक व्यय---			
नियत	..	..	२८,२००
अनियत	..	..	२,०९,१००
दवायें	..	..	२५,९००
	कुल योग	..	२८,५१,८००

ख---आयोजनागत---

१---अधिकारियों का वेतन	..	..	३०,३००
२---भत्ते और मानदेय	..	..	१९,८००
३---आकस्मिक व्यय	..	..	२३,९००
	योग	..	७४,०००
दवाओं के लिये असिद्ध बूटियां (लेखा शीर्षक रसायन शाला) एवं सबसिडी स्कीम के अन्तर्गत	..	..	२,६८,०००
		..	५,९००
	योग	..	२,६९,९००

नत्थी 'भ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९९ पर)

जिला आजमगढ़ में श्री कृष्णदत्त शर्मा पुलिस अधीक्षक दिनांक १०-६-६० से। श्री घनश्यामकृष्ण शुक्ला, पुलिस, उपाधीक्षक दिनांक २०-३-६१ से तथा श्री नवीन चन्द्र जोशी, पुलिस उपाधीक्षक दिनांक ३०-५-६१ से कार्य कर रहे हैं। इस समय कोई भी कम्पलेन्ट्स अधिकारी उक्त जिले में कार्य नहीं कर रहा है।

२--जिला आजमगढ़ में निम्नलिखित चार प्रथम श्रेणी तथा १७ द्वितीय श्रेणी के थाने हैं जिनमें निम्नांकित इंचार्ज, उनके नाम के सामने दी गई तिथियों से तैनात हैं।

क्रम-सं०	थाने का नाम	सब-इंस्पेक्टर का नाम	तैनाती की तिथि
		प्रथम श्रेणी के थाने	
१	कोतवाली	.. श्री रामकिंकर सिंह, थानाध्यक्ष	२३-११-६१
२	महराजगंज	.. श्री जगदीश प्रसाद त्रिपाठी, थानाध्यक्ष ..	७-८-६१
३	अहरौला	.. श्री ज्वाला प्रसाद सिंह, थानाध्यक्ष	२६-६-६२
४	मऊ	.. श्री गंगाधर चौबे, थानाध्यक्ष	२६-११-६१
		द्वितीय श्रेणी के थाने	
५	कन्धरापुर	.. श्री सुखनन्दन सिंह ..	८-३-६१
६	मुबारकपुर	.. श्री परपीतमसिंह ..	३०-६-६०
७	दोहरीघाट	.. श्री शारदा प्रसाद पांडेय ..	३१-३-६१
८	जीवनपुर	.. श्री हृदयनारायन सिंह ..	२६-४-६१
९	मुहम्मदाबाद	.. श्री रामजीवन सिंह ..	२०-१२-६१
१०	चिरैयाकोट	.. श्री हनुमानसिंह ..	१७-७-६२
११	देवगांव	.. श्री सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव ..	२९-११-६१
१२	वरदह	.. श्री राम गरीब राय ..	६-७-६२
१३	गंभीरपुर	.. श्री छेदी सिंह ..	७-८-६१
१४	निजामाबाद	.. श्री राम अंजोर चौधरी ..	७-६-६२
१५	सराय मीर	.. श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय ..	५-६-६२
१६	भदई	.. श्री वशिष्ट सिंह ..	२५-६-६२
१७	अतरौलिया	.. श्री रामबली सिंह ..	१०-७-६२
१८	रोनागार	.. श्री राम नरेश सिंह ..	१०-६-६२
१९	घोसी	.. श्री सूर्य नारायण दूबे ..	९-६-६२
२०	मधुवन	.. श्री तारा प्रताप सिंह ..	३-६-६२
२२	सस्या	.. श्री मुहम्मद इलयास खां ..	७-६-६२

नत्थी 'म'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०० पर)

प्रश्न संख्या २० से संबंधित तालिका

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	डकैतियों की सं०	लूटे गये माल की कीमत	व्यक्तियों की संख्या जिन्हें चोटें आईं
			(रु०)	
१	छवियापुर	१	६,५६०	..
२	लक्ष्मनपुर	१	१,०३३	२
३	सलारपुर	..	..	..
४	दौलतपुर	१	७९	२

पी० एस० यू० पी ए० पी--११३ एल० ए०--१९६२--८४५ ।